ANNUAL REPORT
2014-2015

Enjoying trust of over 13 million customers

विजया बैंक
VIJAYA BANK
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
आपका भरोसेमंद साथी
A friend you can bank upon

मंडल के निदेशक
Board of Directors

श्री के.आर.शेणै
कार्यकारी निदेशक
Shri K.R. Shenoy
Executive Director

श्री किशोर सांसी
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Shri Kishore Sansi
Managing Director & CEO

श्री बी.एस.रामा राव
कार्यकारी निदेशक
Shri B.S. Rama Rao
Executive Director

श्री संजय कुमार
सरकारी नामिती निदेशक
Shri Sanjay Kumar
Govt. Nominee Director

श्रीमती सुमा वर्मा
भा.रि.बैं. नामिती निदेशक
Smt. Suma Varma
R.B.I. Nominee Director

श्रीमती भारती राव
शेयरधारक निदेशक
Smt. Bharathi Rao
Shareholder Director

श्री पी.वैद्यनाथन
शेयरधारक निदेशक
Shri P. Vaidyanathan
Shareholder Director

श्री वाई.मुरलीकृष्णा
कामगार निदेशक
Shri Y. Muralikrishna
Workmen Director

इस वर्ष पदमुक्त हुए मंडल के निदेशक
Board of Directors who demitted office this year

श्री वी. कण्णन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Shri V. Kannan
Chairman & Managing Director

श्री वी.के.चोपड़ा
सरकारी नामिती निदेशक
Shri V.K. Chopra
Govt. Nominee Director

श्री पी.सी. नलवाया
गैर-अधिकारी नामिती निदेशक
Shri P.C. Nalwaya
Non-Official Director - CA Category

श्री अशोक गुप्ता
गैर-सरकारी निदेशक
Shri Ashok Gupta
Non Official Director

श्री एच.हरीश बल्लाल
अधिकारी-कर्मचारी निदेशक
Shri H. Harish Ballal
Officer-Employee Director

विषय वस्तु	पृष्ठ सं.	CONTENTS	Page No.
निष्पादन वैशिष्टय 2014-15	2	Performance Highlights 2014-15	128
निष्पादन की एक झलक	3	Performance at a glance	129
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश	4	Message from the MD & CEO	130
सूचना	6	Notice	132
निदेशकों की रिपोर्ट	7	Director's Report	133
कंपनी शासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	28	Report of the Board of Directors on Corporate Governance	156
कंपनी शासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र	57	Auditor's Certificate on Corporate Governance	184
तुलन पत्र	58	Balance Sheet	185
लाभ व हानि लेखा	59	Profit & Loss Account	186
तुलन पत्र व लाभ व हानि लेखे की अनुसूचियां	60	Schedules to Balance Sheet and Profit & Loss Account	187
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 2014-15	68	Significant Accounting Policies 2014-15	195
लेखों पर टिप्पणियां	75	Notes on Accounts	202
नकदी प्रवाह विवरण	100	Cash Flow Statement	230
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	102	Report of the Auditors	232
बेसल प्रकटीकरण दस्तावेज	104	Basel Disclosure Document	234
ईसीएस प्रारूप	259	ECS Format	260
प्रॉक्सी फॉर्म	261	Proxy Form	262

वार्षिक सामान्य बैठक	ANNUAL GENERAL MEETING
दिनांक : 22 जून, 2015 समय : 10.30 बजे	**Date : 22nd June, 2015 Time : 10.30 a.m.**
स्थान : मुल्की सुंदर राम शेट्टी सभागृह,	**Place :** Mulki Sunder Ram Shetty Auditorium,
विजया बैंक, प्रधान कार्यालय, 41/2, एम. जी. रोड, बेंगलुरु - 560 001	Vijaya Bank Head Office, M.G. Road, Bengaluru - 560001

लेखा परीक्षक AUDITORS	पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT
मेसर्स कर्रा एण्ड कं. M/s. Karra & Co. मेसर्स एन सी मित्तल एण्ड कं. M/s. N C Mittal & Co. मेसर्स केपीएमसी एण्ड असोसिएटस M/s. KPMC & Associates मेसर्स पीकेएफ श्रीधर एण्ड संतानम एलएलपी M/s. PKF SRIDHAR & SANTHANAM LLP	**मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** **M/s. Link Intime India Private Limited** **सी -13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड** C-13, Pannalal Silk Mills Compound, **एल.बी.एस.रोड , भांडूप (पश्चिम),** L B S Road, Bhandup (West) मुंबई - 400 078 Mumbai - 400 078 फोन Phone (022) 25963838, फैक्स Fax (022) 25946969 ई-मेल E-mail: mumbai@linkintime.co.in

विजया बैंक VIJAYA BANK

(भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय Head Office No. 41/2, एम.जी.रोड, M.G. Road, बेंगलूर Bengaluru - 560 001

फोन Phone : 080 - 2558 4066 (20 लाईन्स lines) फैक्स Phone : 080 - 25594737

वेबसाईट Website : www.vijayabank.com

निष्पादन वैशिष्ट्य : 2014–15

कारोबार वृद्धि

- बैंक का कुल कारोबार अभी तक के उच्चतम स्तर पर ₹ 214035 करोड रहा.
- जमाराशियां 31 मार्च, 2014 के ₹ 124296 करोड से बढकर 31 मार्च, 2015 को ₹ 126343 करोड रही.
- कासा 31 मार्च, 2014 के ₹ 22860 करोड से 12.52% की वृद्धि दर्शाते हुए 31 मार्च, 2015 को ₹ 25721 करोड रहा. कुल जमाराशियों में कासा जमाओं की प्रतिशतता भी 18.39% से बढकर 20.35% हो गयी.
- अग्रिम 31 मार्च, 2014 के ₹ 82425 करोड से 6.39% की वृद्धि दर्शाते हुए 31 मार्च, 2015 को ₹ 87692 करोड रहे.
- कुल खुदरा अग्रिम 31 मार्च, 2014 के ₹ 15617 करोड से 19.97% की वृद्धि दर्शाते हुए 31 मार्च, 2015 को ₹ 18735 करोड तक पहुंचा. खुदरा अग्रिम कुल अग्रिमों का 21.36% है.
- ऋण जमा अनुपात 31 मार्च, 2014 की 66.31% से बढकर 31 मार्च, 2015 को 69.41% रहा.

लाभ और लाभप्रदता

- वर्ष के दौरान बैंक का कुल ब्याज आय 14.64% से बढकर पिछले वित्तीय वर्ष के ₹ 10707 करोड से ₹ 12274 करोड हों गई.
- 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की गैर ब्याज आय में 23.80% की वृद्धि हुई अर्थात् 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के ₹ 710 करोड से बढकर ₹ 879 करोड हो गयी.
- बैंक की कुल आय 15.20% की वृद्धि दर्शाते हुए वर्ष 2013–14 के ₹ 11417 करोड के प्रति वर्ष 2014–15 को ₹ 13153 करोड रही.
- 14.07% की वृद्धि दर्शाते हुए मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन लाभ ₹ 1259.03 करोड रहा तथा निवल लाभ 5.65% की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 439.41 करोड रहा.

आस्ति गुणवत्ता

- 31.03.2015 को बैंक का सकल एनपीए 2.78% रहा.
- 31.03.2015 को बैंक का निवल एनपीए अनुपात 1.92% रहा.
- 31.03.2015 को बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 64.01% रहा.

प्राथमिकता क्षेत्र परिचालन

- प्राथमिकता क्षेत्र संविभाग में 18.79% की बढोत्तरी हुई अर्थात् 31 मार्च, 2014 के ₹25855 करोड से बढकर 31 मार्च, 2015 को ₹ 30714 करोड हो गया.
- प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम 18.05% की वृद्धि दर्शाते हुए 31.03.2015 को ₹ 7546 करोड रहा.
- कमजोर वर्गों को अग्रिम में 20.39% की वृद्धि हुई तथा महिला हिताधिकारियों को अग्रिम में 26.93% वृद्धि हुई.

वित्तीय समावेशन

- बैंक ने आबंटित 3320 ग्रामों तथा 432 वार्डों को 289 शाखाओं तथा 827 बैंक मित्रों (बीसीए) के जरिए प्रावरित किया है.
- प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के एक भाग के रूप में, बैंक ने 12.19 लाख नए आधारभूत बचत बैंक खाते खोले तथा ₹ 63.63 करोड जमा संग्रहित किया और सभी खाताधारकों को रुपे कार्ड जारी किया.

प्रौद्योगिकी में प्रगति

- बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कई उत्पादों की शुरूआत की तथा वी–क्विकपे, वी–ज्ञान सागर, वी–अबकस, यूएसएसडी–एनयूयूपी, वी–ऑनलाइन एसबी, आदि विभिन्न नये उत्पादों/सुविधाओं द्वारा मौजूदा सेवाओं में सुधार किया.
- वर्ष के दौरान बैंक ने 15.40 लाख डेबिट कार्ड जारी किया है तथा कुल डेबिट कार्ड आधार 4459155 बन गया है.
- डेबिट कार्ड कारोबार 31 मार्च, 2014 के ₹ 464.96 करोड के प्रति 2014–2015 के दौरान बढकर ₹ 577.42 करोड हो गया.
- क्रेडिट कार्ड कारोबार में 31.03.2014 के ₹ 458.18 करोड के प्रति ₹ 514.57 करोड वृद्धि हुई.
- बैंक रुपे तथा वीसा के सहयोग से प्लैटिनम डेबिट कार्ड की शुरुआत की है.

पूंजी पर्याप्तता

- 8.28% के टियर–। अनुपात तथा 3.18% के टियर–।। अनुपात के साथ पूंजी तथा जोखिम भारित आस्ति का अनुपात 11.43% (बेसल–।।।) रहा.
- बैंक का सीआरएआर न्यूनतम निर्धारित 9% स्तर से अधिक है.
- वर्ष 2014–15 के दौरान, बैंक ने बेसल–।।। अनुपालक ₹ 1000 करोड की टियर–।। पूंजी तथा ₹ 500 करोड की बेमीयादी अतिरिक्त टियर–। पूंजी जुटायी.

निष्पादन की एक झलक

(₹ करोडों में)

प्रमुख मानदंड	2012–13	2013–14	2014–15
शाखाओं की संख्या	1359	1512	**1618**
आरक्षिति और अधिशेष	3863	5029	**5301**
सकल लाभ	1122	1104	**1259**
निवल लाभ	586	416	**439**
कुल जमाराशियां	97017	124296	**126343**
वृद्धि %	16.81	28.12	**1.65**
कासा जमाराशियां	20349	22860	**25721**
कुल जमाराशियों का %	20.54	18.39	**20.35**
सकल ऋण	70514	82425	**87692**
वृद्धि %	20.19	16.89	**6.39**
कुल कारोबार	167531	206721	**214035**
वृद्धि %	18.21	23.40	**3.47**
सकल एनपीए	1533	1986	**2443**
(%)	2.17	2.41	**2.78**
निवल एनपीए	910	1262	**1691**
(%)	1.30	1.55	**1.92**
निवेश	31285	42585	**44698**
प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम	19505	25855	**30714**
एएनबीसी के प्रति %	33.23	35.55	**35.97**
कुल कर्मचारी	12601	12822	**13617**
प्रति कर्मचारी कारोबार	13.87	16.74	**16.56**
प्रमुख अनुपात (%)			
जमा लागत	8.07	7.98	**8.10**
अग्रिमों पर आय	11.54	11.26	**11.34**
निवल ब्याज मार्जिन	2.13	2.02	**1.93**
आस्तियों पर आय	0.59	0.35	**0.33**
पूंजी पर्याप्तता अनुपात % (बेसल II)	11.32	10.97	**11.70**
पूंजी पर्याप्तता अनुपात % (बेसल III)	लागू नहीं	10.56	**11.43**

शेयरधारकों को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश

बैंक के परिचालनात्मक परिवेश को आयाम देनेवाली भारतीय अर्थ-व्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के महत्वपूर्ण विकास एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए हमारे बैंक के निष्पादन की समीक्षा आपके समक्ष रखते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है.

वर्ष 2014-15 में वैश्विक अर्थ-व्यवस्था में सुधार धीमा रहा. गत वर्षों में अभिहित अधोमुखी प्रवृत्ति के बाद, प्रमुख अर्थ-व्यवस्थाओं में अनिश्चितताओं और विभिन्न प्रवृत्तियों के होते हुए भी वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में लगातार सुधार होता रहा.

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान भारत की आर्थिक परिस्थितियों पर वैश्विक अनिश्चितताओं का संचयी प्रभाव, पिछली अर्थ व्यवस्था की नीति का दबाव तथा कमजोर निवेश मांग का प्रभाव रहा. बुनियादी आर्थिक संकेतक जैसे, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी), आयात और निर्यात में वृद्धि, सकल स्थिर पूंजी निर्माण आदि में सीमित सुधार दिखाई दिया. तथापि, वित्तीय वर्ष के दूसरे अर्ध-वर्ष में मुद्रास्फीति में गिरावट,आर्थिक मूलभूत तत्वों में सुधार और उच्च कारोबारी विश्वास के कारण संपूर्ण आर्थिक परिस्थिति में सुधार होने लगा. उपभोक्त मूल्य मुद्रास्फीति में मार्च 2014 के 8.25% की तुलना में मार्च 2015 के लिए अनुमानित 5.25% के साथ मुद्रास्फीति में संरचनात्मक अधोमुखी प्रवृत्ति दिखायी दी. हेडलाइन मुद्रास्फीति नकारात्मक प्रवृत्ति दिखाती हुई मार्च 2015 तक -2.30% रही.

भारतीय बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आर्थिक पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं तथा आर्थिक गतिविधियों के व्यापक पहलुओं में वृद्धि और विकास को बढावा दें. तथापि, वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को कमजोर आर्थिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप कई चुनौतियों का सामना करना पडा. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित करने के कारण उच्च ब्याज दर का दौर रहा. इससे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण एवं जमा की वृद्धि पर असर हुआ, जिसकी वजह से वित्तीय वर्ष की अधिकतर अवधि के लिए इनमें सीमित सुधार हुआ.

वर्ष 2014-15 में अनुसूचित वाणिज्य बैंक की कुल जमाराशियों में वर्ष दर वर्ष 11.4% की वृद्धि हुई तथा बैंक ऋण में 9.5% की वृद्धि हुई. मार्च 2015 के अंत में अनुसूचित वाणिज्य बैंक का ऋण-जमा अनुपात 76.46% रहा. ऋण की वृद्धि में मंद गति के कारण बैंकों की निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में गिरावट आई.

निरंतर आर्थिक मंदी के फलस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों की गुणवत्ता में गिरावट प्रमुख चिंता का विषय बन गया है, साथ ही बैंकों की सकल गैर निष्पादक आस्तियां तेजी से बढ रही है. अधिक संख्या में ऋण में चूक तथा एनपीए के बढते स्तर के कारण बैंकों की लाभप्रदता पर असर पडा.

वित्तीय वर्ष 2014-15 में चुनौतिपूर्ण कारोबार परिवेश में प्रतिस्पर्धात्मक रहकर और अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके तेजी से और सशक्त होकर आगे बढना, विजया बैंक के लिए प्रमुख चुनौतियां रहीं. वर्ष के दौरान, बैंक ने अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया, उत्पाद और सेवाओं का विकास करता रहा, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुपुर्दगी चैनल का विकास किया और भारत के प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में अपनी छवि बनाये रखने पर ध्यान केंद्रित किया. वित्तीय वर्ष 2014-15 में विजया बैंक का निष्पादन, मुख्यत: इन अपेक्षाओं के अनुरूप रहा.

इसी परिप्रेक्ष्य में, मैं वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक के निष्पादन वैशिष्ट्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं.

विजया बैंक ने सुगढित विकास, अनुशासन और लाभप्रदता का कारोबार मॉडल अपनाकर चुनौतिपूर्ण आर्थिक परिवेश का सामना किया ताकि सुदृढ परिचालनात्मक निष्पादन दे सके और भविष्य के विकास के लिए बैंक को पुन:प्रतिष्ठित किया जा सके. वर्ष के दौरान, चुनौतिपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद, बैंक ने अपने कारोबार संविभाग को और सशक्त बनाने के लिए कई पहल की और तुलन पत्र को सुदृढ बनाने के लिए अनुशासित और विवेकपूर्ण रणनीति, अनुकूल संरचना और जोखिम के प्रति सतर्क दृष्टिकोण अपनाने हेतु सक्रिय प्रयास किया.

मूल कारोबार में निरंतर सक्रियता तथा कुशल लागत नियंत्रण के कारण बैंक एक मजबूत आधार बनाए रखते हुए अपनी आमदनी को बरकरार रख सका. मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सकल लाभ 14.10% बढकर ₹ 1259 करोड रहा. ₹ 819.62 करोड के सभी आवश्यक प्रावधान करने के बाद वर्ष के लिए ₹ 439.41 करोड निवल लाभ प्राप्त हुआ है.

बैंक के कारोबार संविभाग को पुनर्संतुलन करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य और उच्च लागत अधिमान्य दर जमा और कम आयवाले अग्रिम को छोडने का सचेत निर्णय का कारोबार संविभाग पर मध्यस्थ प्रभाव पडा. तदनुसार, मार्च 2015 को बैंक का कुल कारोबार 3.54% की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 214035 करोड रहा.

बैंक की कुल जमाराशियां यथा 31 मार्च 2015 को ₹ 126343 करोड तक पहुँची, खुदरा मीयादी जमाराशियां 27.56% की ठोस वृद्धि हासिल करते हुए ₹ 39433 करोड रहीं. मार्च 2015 में, कुल जमाराशियों में अधिमान्य ब्याज दर की थोक जमा और जमा प्रमाण पत्रों का अनुपात कम होकर 14.14% रह गया. कासा (चालू और बचत बैंक जमा) जुटाने पर निरंतर ध्यान देने के फलस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2014-15 में बैंक की कासा जमाराशियां 12.52% वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 25721 करोड रहीं. मार्च 2015

को सकल जमाराशियों में कासा जमाराशियों का हिस्सा 196 बेसिक पाइंट बढकर 20.35 % हो गया.

बैंक का ऋण संविभाग बढकर ₹ 87692 करोड हो गया, वर्ष दर वर्ष 6.39% की वृद्धि दर्शायी गयी तथा ऋण-जमा अनुपात 69.41% रहा. बैंक के विविध ऋण संविभाग में अर्थ व्यवस्था के सभी उत्पादक क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, लघु, छोटे तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई), कंपनी तथा बुनियादी सुविधा क्षेत्रों को ऋण, अति लघु क्षेत्र तथा खुदरा ऋण आदि सम्मिलित हैं.

प्राथमिकता क्षेत्र में, कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम यथा मार्च 2014 के ₹ 25855 करोड से 18.79% वृद्धि दर्शाते हुए मार्च 2015 में ₹ 30714 करोड रहा. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम, समायोजित निवल बैंक ऋण का 35.97% रहा. बैंक का कुल कृषि अग्रिम पिछले वर्ष के ₹ 10527 करोड से 14% वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 11974 करोड रहा. शैक्षिक ऋण संविभाग 18.82% वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 903 करोड तक पहुंचा. कमजोर वर्गों को ऋण 20.39% वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 8685 करोड रहा तथा महिला हिताधिकारियों को ऋण में 26.93% वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 6438 करोड रहा.

भारतीय अर्थव्यवस्था के संभाव्य वृद्धिदायक के रूप में उभरते हुए लघु, छोटे तथा मध्यम उद्यम के कारण, हमारे बैंक का एमएसएमई संविभाग 15.62% की अच्छी वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 15165 करोड रहा. खुदरा उधार को बढाने के लिए बैंक ने वर्ष के दौरान कई उपाय किए तथा खुदरा उधार संविभाग के अधीन बकाया अग्रिम 19.96% बढकर ₹ 18735 करोड रहा जो सकल ऋण का 21.36% है.

बैंक की आस्ति गुणवत्ता उद्योग में अभी भी सबसे बेहतरीन में से एक है. आस्ति गुणवत्ता की बढती हुई चिंताओं का समाधान करने हेतु, बैंक ने ऋण संविभाग की स्थिति की सजग निगरानी तथा गैर निष्पादन आस्तियों की वसूली पर ध्यान दिया. बैंक ने गैर निष्पादन आस्ति क्षेत्र में अंतर्वाह का नियंत्रण करते हुए तथा गैर निष्पादन आस्तियों की वसूली करते हुए बेहतर तथा सक्षम गैर निष्पादन आस्ति प्रबंधन सुनिश्चित किया है. मार्च 2015 तक बैंक की सकल गैर निष्पादक आस्ति का स्तर ₹ 2443 करोड रहा जिसका अनुपात 2.78% रहा. निवल गैर निष्पादक आस्ति का स्तर ₹ 1691 करोड रहा तथा निवल एनपीए अनुपात 1.92% रहा. मार्च 2015 को प्रावधान कवरेज अनुपात 64.01% रहा.

ग्राहक की सुविधा को सर्वोच्च स्थान देते हुए और बैंक के नीतिगत संकेंद्रन के अनुरूप, अपनी स्थिति को सशक्त बनाने हेतु बैंक ने सुपुर्दगी चैनलों को और भी विकसित किया है. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 109 शाखाओं को जोडते हुए शाखाओं की कुल संख्या को 1618 तक बढाया है. यथा 31 मार्च, 2015 को बैंक के कुल एटीएम की संख्या 1383 रही.

देश की समावेशित वृद्धि ढांचे के अनुरूप, बैंक वित्तीय समावेशन कार्यसूची को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रहा है. इस दिशा में बैंक का लक्ष्य है वित्तीय सशक्तीकरण तथा ग्रामीण जनता तक बैंकिंग सेवाएं ले जाना. प्रधान मंत्री के आह्वान का अधिदेश लेकर, देश को समर्पित हुए एक-दो महीनों के अंदर ही, विजया बैंक ने प्रधान मंत्री जन धन योजना के अधीन 12.19 लाख खाते खोल दिये, जिनमें ₹ 63.63 करोड शेष राशि है.

सतत और लगातार विकास सुनिश्चित करने और बेसल ढांचे तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप जोखिम प्रबंधन पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विश्वस्तरीय उच्च व्यवहार संहिता को प्राप्त करने के लिए बैंक ने मजूबत जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार किया है. बैंक के प्रौद्योगिकी पहल और नवोन्मेषी कार्य विशिष्ट और सफल है तथा लागत को कम करने, दक्षता का निर्माण तथा कारोबार वृद्धि हासिल करने तथा ग्राहक सेवा को सर्वोत्कृष्ठ बनाने हेतु समर्थक के रूप में कार्य कर रहे हैं.

अग्रसर रहते हुए, बैंक प्रमुख कारोबारी कार्यक्षेत्र के विकास में तेजी लाने हेतु धारणीय कारोबार में निवेश जारी रखेगा और सुदृढ बुनियाद का निर्माण करेगा. बैंक ने नयी कार्यनीति योजना 'मिशन 2020' अपनाया है जो लाभप्रदता,परिचालनात्मक दक्षता,आस्ति गुणवत्ता, जोखिम प्रबंधन और पहुंच के विस्तार के आधार पर सुदृढ कारोबार मॉडल के निर्माण करने हेतु आवश्यक निविष्टियां और निर्देश उपलब्ध करायेगा.

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए हमने ₹ 1,45,000 करोड की जमाराशियां तथा ₹ 1,05,000 करोड के अग्रिम सहित ₹ 2,50,000 करोड का कारोबार लक्ष्य परिकल्पित किया है. 250 शाखाएं खोलकर और एटीएम की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करके नेटवर्क में और विस्तार करने का हमारा प्रस्ताव है. कारोबार के मिश्रण में हम खुदरा व्यापार पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि लाभप्रद वृद्धि सुनिश्चित की जा सके. आस्ति गुणवत्ता क्षेत्र में, हमारा कार्पोरेट लक्ष्य गैर-निष्पादक आस्तियों को राशिवार तथा प्रतिशत वार उत्तरोत्तर कम करना है.

बैंक को कॉर्पोरेट कारोबार संवेदनाओं और देशी आर्थिक परिवेश में संभाव्य सुधार से लाभ होगा. बैंक अपना कारोबार बरकरार रखते हुए विकास करता रहेगा तथा अवसरों का सही लाभ उठाने के लिए बैंक की स्पष्ट रणनीतियां हैं. आनेवाले वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु मैं प्रतिबद्ध रहूंगा. आपके निरंतर समर्थन तथा संरक्षण से, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा बैंक वर्तमान वर्ष के दौरान बुलंदियों को छू लेगा.

मैं, आप सभी महत्वपूर्ण शेयरधारकों को आपके निरंतर सहयोग तथा विश्वास के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं.

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

किशोर सांसी
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

विजया बैंक

प्रधान कार्यालय : बेंगलूरु

सूचना

ई–मतदान प्रणाली सहित 15 वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना शेयरधारकों को अलग से भेजी जा रही है.

निदेशकों की रिपोर्ट 2014–15

निदेशक मंडल, दिनांक 31 मार्च 2015 को लेखा परीक्षित तुलन–पत्र एवं 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लाभ–हानि लेखा सहित, बैंक की 35वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है.

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण

आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2014–15 में विश्व के विभिन्न क्षेत्र और अर्थ–व्यवस्था भिन्न–भिन्न प्रवृत्तियों से गुजर रही थी, जिससे वैश्विक अर्थ–व्यवस्था में सुधार धीमा रहा. पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष 2014–15 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के दृष्टिकोण में सुधार हुआ, जबकि उभरती बाजार और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विकास में गिरावट हुई. अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि(आईएमएफ) के अनुसार, वर्ष 2013 की वृद्धि दर की तुलना में, 2014 में विश्व अर्थ–व्यवस्था में 3.4% का धीमा सुधार हुआ. उन्नत अर्थव्वस्थाओं में वर्ष 2013 में 1.4% की तुलना में वर्ष 2014 में 1.8% वृद्धि हुई, उभरती अर्थव्यस्थाओं में वर्ष 2013 की 5.0% की तुलना में वर्ष 2014 में 4.6% की वृद्धि हुई. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना और तेल के कम मूल्यों के अनुरूप, वर्ष के दौरान वैश्विक मुद्रास्फीति का स्तर कम रहा. कई उन्नत और उभरती अर्थ–व्यस्थाओं की मौद्रिक नीति सहज प्रवृत्ति दिखा रही थी ताकि आर्थिक विकास को बढावा मिलें.

वर्ष 2014–15 के दौरान, भारतीय अर्थ–व्यवस्था ने मिश्रित प्रवृत्तियां दर्शायी और भारत का जीडीपी विकास पहले तीन तिमाहियों के दौरान क्रमबद्ध सुधार दर्शाया. तथापि, जीडीपी विकास में थोडी वृद्धि हुई क्योंकि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने आर्थिक उत्पादन के आकलन के उपाय में सुधार लाया. नई पद्धति के अनुसार, वर्ष 2013–14 की 6.9% की तुलना में वर्ष 2014–15 में 7.4% प्रत्याशित की गई.

थोक मूल्य और खुदरा मूल्य से नापी गई मुद्रास्फीति वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिकल्पित राह पर चली. थोक मूल्य सूचकांक से नापी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति नकारात्मक प्रवृत्ति दिखायी, जो मार्च 2015 में अभी तक के कम स्तर –2.33% तक गिर गई. खुदरा मुद्रास्फीति भी मार्च 2014 की 8.25% की तुलना में थोडा सुधार की प्रवृत्ति 5.25% रही.

विश्व बाजार की अनिश्चितताओं के प्रतिकूल प्रभाव के कारण भारत के विदेशी व्यापार का निष्पादन नरम रहा. वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी अनंतिम आंकडों के अनुसार, अप्रैल–मार्च 2014–15 के दौरान भारत का व्यापारिक निर्यात यूएस डालर 310.5 बिलियन रहा और व्यापारिक आयात यूएस डालर 447.5 बिलियन रहा .निर्यात में कम वृद्धि (–1.2%) तथा आयात (–0.6%) के कारण व्यापार घाटे में यूएस डालर 1.2 मिलियन नरम वृद्धि दर्शाते हुए यूएस डालर 137 बिलियन रहा.

निजी क्षेत्र और सरकार द्वारा निवेश में धीमी गति के कारण पूंजी निर्माण में मंद प्रवृत्ति दिखायी दी तथा चालू कीमत पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) दर कम होकर वर्ष 2014–15 में 28.6% रहा.

भारत के वित्तीय बाजार ने वैश्विक व देशी क्षेत्र में हो रहे समग्र विकास के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की. वित्तीय वर्ष 2014–15 की शुरुआत में जो मुद्रा आपूर्ति (एम3) 13.6% रही, आर्थिक गतिविधि और कम ऋण मांग के परिणाम स्वरूप वर्ष के दौरान धीमी वृद्धि दिखाते हुए मार्च 2015 के अंत में 11.1% रहा.

वर्ष 2014–15 के दौरान ईक्विटी व ऋण निर्गम घटने और कार्पोरेट बांड के निजी स्थानन बढने के कारण प्राथमिक बाजार के जरिए संसाधन संग्रहण ने मिश्रित प्रवृत्ति दर्शायी. तथापि, अनुषंगी बाजार में, वित्तीय वर्ष के दौरान बेंचमार्क सूचकांक,बीएसई सेंसेक्स तथा निफ्टी ने सामान्य ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति दिखायी.

वर्ष 2014–15 के दौरान निवल पूंजी/वित्तीय प्रवाह में, मात्रा और गुणवत्ता दोनों की दृष्टि से काफी सुधार हुआ. मार्च 2015 के अंत में भारत की विदेशी विनिमय आरक्षितियां बढकर यूएसडालर 341.4 बिलियन रहा.

सकारात्मक बाजार भावनाओं, कम मुद्रास्फीति स्तर, पण्य कीमतों में सुधार तथा सरकार द्वारा दी गई वित्तीय प्रतिबद्धताओं पर सकारात्मक विकास के मिश्रित प्रभाव के कारण वर्ष 2014–15 के दौरान 10 वर्ष सरकारी बांड प्रतिफल अधोमुखी रहा.

वर्ष 2014–15 की वैश्विक घटनाओं के प्रति रुपये ने पर्याप्त लचीलता दिखायी और वर्ष के दौरान ईक्विटी और बांड बाजार में एफडीआई और एफआईआई में अधिक इंफ्लो के कारण रुपया–यूएस डालर विनिमय दर ज्यादातर स्थिर रही. तथापि, बिंदुवार आधार पर मार्च 2014 के अंत तक रुपये का 4.3% मूल्यह्रास होकर ₹ 59.9 प्रति यूएस डालर से मार्च 2015 को ₹ 62.50 प्रति यूएस डालर बन गया.

वर्ष 2014–15 के दौरान सकल वित्तीय घाटा वर्ष 2013–14 की 4.5% की तुलना में जीडीपी के 4.1% परिकलित किया गया.

बैंकिंग परिदृश्य

वर्ष 2014–15 के दौरान भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को कई चुनैतियों का सामना करना पडा और वर्ष के दौरान भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सुधार धीमा रहा. बैंकिंग क्षेत्र में ऋण व जमा विकास में अधोमुखी प्रवृत्ति दिखायी दी. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समग्र जमाराशियां पिछले वर्ष की 15% वृद्धि की तुलना में 2014–15 में वर्ष–दर–वर्ष 11.4% वृद्धि दर्शायी है. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के गैर खाद्य ऋण पिछ्ले वर्ष की 14% वृद्धि की तुलना में 2014–15 में वर्ष–दर–वर्ष 9.5% वृद्धि दर्शाया है. कृषि और संबंध्द कार्यकलाप को छोडकर ऋण में वृद्धि व्यापक तौर पर धीमी रही.

क्षणिक तंग परिस्थितियों के अलावा वर्ष 2014–15 में तरलता परिस्थितियां ज्यादातर संतुलित रही. जमा संग्रहण की तुलना में ऋण में धीमी वृद्धि और

सरकार के नकद अधिशेष में कमी तथा ऋण व जमा वृद्धि में कम हो रहे अंतराल के कारण तरलता स्तर में सुधार आया.

वर्ष 2014-15 के दौरान विकास मुद्रास्फीति गतिशीलता को संतुलित करने हेतु मौद्रिक नीति का प्रयोग किया गया. भारतीय रिजर्व बैंक ने नीति संप्रेषण के लिए सांकेतिक अवलंब के रूप में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अपनाया है. भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने नयी मौद्रिक नीति ढांचा अपनाने हेतु सहमति व्यक्त की जिसमें भा.रि.बैं. ने लचीला मुद्रास्फीति लक्षित तंत्र अपनाया. वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, भा.रि.बैं. ने उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित किया और जनवरी 2015 तक नीति दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया. मुद्रास्फीति स्तरों में सुधार होने पर, भा.रि.बैं. ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन नीति रिपो दर को कम करके मौद्रिक नीति में सुधार का संकेत दिया. भा.रि.बैं. ने सांविधिक चलनिधि अनुपात(एसएलआर) को भी 50 आधार अंक कम किया अर्थात निवल मांग और मीयादी देयताओं के 22.0% से 21.5% तक कम किया. तथापि, 2014-15 में नीति दर में परिवर्तन के कारण बैंकों की जमा और उधार दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ.

पिछले दो वर्षों में घरेलू विकास में मंदी और विश्व बाजार में लगातार अनिश्चितताओं के कारण कम निर्यात, दोनों के कारण वर्ष के दौरान बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में तनाव का संकेत दिखायी देने लगा. वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल अग्रिम में से सकल गैर निष्पादक अग्रिमों के प्रतिशत में वृद्धि हुई. ऋण में कम वृद्धि और अदत्त ऋणों पर अधिक प्रावधान के कारण भी बैंकों की लाभप्रदता पर असर पडा.

दृष्टिकोण

वैश्विक विकास की संभावनाएं दृढ होने की प्रत्याशा है और वर्ष 2015 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में सतत सुधार की शुरआत की प्रत्याशा है. उन्नत अर्थ-व्यवस्थाओं में सुदृढ सुधार, उभरती बाजार अर्थ-व्यवस्थाओं में बदलाव, और ऊर्जा और पण्य सामग्री के मूल्यों में गिरावट के समर्थन से वर्ष 2015 और 2016 में वैश्विक विकास होगा. कच्चे पेट्रोलियम के अंतराष्ट्रीय मूल्य में गिरावट के कारण वैश्विक समग्र मांग में सुधार होने की प्रत्याशा है. अंतराष्ट्रीय मौद्रिक निधि ने अपने अद्यतन विश्व आर्थिक दृष्टिकोण में 2015 के लिए 3.5% और 2016 के लिए 3.8% वैश्विक विकास प्रक्षेपित किया है. तथापि, वैश्विक विकास के अधोमुखी जोखिम अधिक है, जो प्रमुखत: उभरती बाजार अर्थ-व्यवस्थाओं में मंद विकास और मुद्रा और पण्य के मूल्य के उतार-चढाव के असमान प्रभाव के कारण होगा.

आंतरिक अर्थ-व्यवस्था में, विकास दृष्टिकोण में सुधार, कम मुद्रास्फीति स्तर और बाह्य क्षेत्रों में सुधार के संकेत के कारण, व्यापक आर्थिक कमजोरियां वित्तीय वर्ष 2015-16 की शुरुआत में काफी कम हुई है. विकासशील मौद्रिक नीति और घरेलू मांग परिस्थितियों में सुधार के कारण वर्ष 2015-16 में भारत के जीडीपी विकास में सुधार की प्रत्याशा है. वैश्विक विकास संभावनाओं में प्रत्याशित सुधार और घरेलू नीति सुधार पहल भी जीडीपी के विकास के कारक है.

वर्ष 2015-16 में खुदरा मुद्रास्फीति 6% से कम प्रक्षेपित है, जो जनवरी 2016 के निर्धारित लक्ष्य के भीतर है, जो नीति दरों को कम करके भा.रि.बैं. समर्थित विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराता हैं. मुद्रास्फीति में व्यापक कमी, अनुकूल वितीय बाजार परिस्थितियां और निवेश को आकर्षित करने के लिए 'मेक इन इंडिया' अभियान सहित व्यापार परिस्थितियों में सुधार लाने हेतु सरकार की पहल घरेलू विकास को और बढावा देगा.

2015-16 में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे श्रेष्ठ अर्थ-व्यवस्था के रूप में उभरेगा और विश्व की तेजी से बढती हुई प्रमुख बाजार अर्थ-व्यवस्था के रूप में उभरेगा.

वर्ष 2015-16 के दौरान वैश्विक अर्थ-व्यवस्था से अपर्याप्त समर्थन, सामान्य से कम कृषि विकास से होनेवाले प्रभाव, कार्पोरेट तुलन पत्र की कमियां, अस्थिर रुपया और अर्थ-व्यवस्था में पर्याप्त पूंजी प्रवाह आकर्षित करना आदि प्रमुख चुनैतियां होंगी.

सकारात्मक घरेलू दृष्टिकोण और अनुकूल नीति वातावरण के कारण वर्ष 2015-16 के दौरान भारतीय बैंकिंग क्षेत्र से अच्छे निष्पादन की प्रत्याशा की जाती है.सेवा क्षेत्र में निरंतर वृद्धि, औद्योगिक विकास में प्रत्याशित सुधार, रुकी हुई परियोजनाओं की मंजूरी, बजट में मूल भूत सुविधाओं में निवेश हेतु सरकार द्वारा घोषित योजनाएं और समग्र व्यापार वातावरण में सुधार वर्ष 2015-16 के दौरान अधिक ऋण विकास में परिणामित होगा. व्यापक अर्थिक परिस्थितियों में सकारात्मक विकास से बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में भी सुधार अपेक्षित है.

सकारात्मक देशी दृष्टिकोण तथा अनुकूल नीतिगत माहौल के कारण भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में वर्ष 2015-16 में अच्छा निष्पादन करने की उम्मीद हैं.

वर्ष 2014 – 15 के दौरान बैंक का निष्पादन वैशिष्ट्य

पूंजी, आरक्षितियां तथा निवल मूल्य

बैंक की प्राधिकृत पूंजी संप्रति ₹ 3000 करोड है जो ₹ 10/- शेयर के 300 करोड पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयरों में विभाजित है. संप्रति, भारत सरकार, बैंक की 74.06% ईक्विटी शेयर पूंजी धारित करती है. बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी ₹ 859.12 करोड है.

वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने आरक्षितियां और अधिशेष में ₹ 271.84 करोड जोडा है तथा कुल आरक्षितियां और अधिशेष ₹ 5300.64 करोड है. बैंक का निवल मूल्य ₹ 5638.93 करोड से बढकर इस वर्ष ₹ 5923.24 हो गया है.

कार्यकरि परिणाम

वर्ष 2014-15 के लिए बैंक द्वारा दर्ज निवल लाभ 2013-14 के ₹ 416 करोड की तुलना में ₹ 439 करोड रहा. जमाराशियों के संदर्भ में जमाओं की औसत लागत 2013-14 के 7.98% से घटकर 2014-15 में 8.10% हो गई. वर्ष 2014-15 के लिए अग्रिमों पर अर्जन पिछले वर्ष के 11.26 % की तुलना में 11.34% रही.

बैंक के वित्तीय परिणामों की प्रवृतियां नीचे दी गई तालिकाओं में दर्शायी गई है :

(₹ करोडों में)

क्रम सं.	मद	2013-14	2014-15	वार्षिक वृद्धि (%)
1.	ब्याज आय	10707	12273	14.64
2.	ब्याज खर्च	8623	9981	15.74
3.	निवल ब्याज आय (1-2)	2084	2292	10.03
4.	गैर ब्याज आय	710	879	23.80
	i. निवेशों की बिक्री पर लाभ	190	299	57.37
	ii. अन्य गैर-ब्याज आय	520	580	11.54
5.	निवल कुल आय (3+4)	2794	3171	13.49
6.	परिचालन खर्च	1690	1912	13.14
	i. स्टाफ खर्च	1040	1166	12.12
	ii. अन्य परिचालन खर्च	650	746	14.77
7.	परिचालन लाभ	1104	1259	14.07
8.	परिचालन लाभ (खज़ाना लाभ को छोडकर)	914	960	5.03
9.	प्रावधान और आकस्मिक खर्च	688	820	19.16
10.	निवल लाभ	416	439	5.65

प्रमुख लाभप्रदता अनुपात

क्रम सं.	मद	2013-14 (%)	2014-15 (%)
1	निधि पर प्रतिफल	9.08	9.15
2	निधि लागत	7.31	7.44
3	ब्याज विस्तार (1-2)	1.77	1.71
4	अग्रिम पर प्रतिफल	11.26	11.34
5	जमा लागत	7.98	8.10
6	निवेश पर प्रतिफल - क्रय लाभ को छोडकर - क्रय लाभ सहित	 7.22 7.75	 7.50 8.17
7	औसत कार्यकारी निधि की तुलना में अन्य परिचालन खर्च	0.55	0.56
8	लागत-आय अनुपात	60.49	60.30
9	औसत कार्यकारी निधि की तुलना में स्थापना लागत	0.88	0.87

लाभांश

समग्र लाभप्रदता की स्थिति पर गौर करते हुए निदेशक मण्डल ने वर्ष 2014-15 के लिए प्रति शेयर ₹ 1.50 (15%) का लाभांश घोषित किया है. वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश कर सहित ईक्विटी लाभांश की देय कुल राशि ₹ 155.10 करोड है.

जमा संग्रहण

वर्ष के दौरान बैंक की कासा जमाराशियां बढकर ₹ 25721 करोड रही जो पिछले वित्तीय वर्ष के ₹ 22860 करोड की तुलना में 12.52% वृद्धि है. इनमें से बचत बैंक जमाराशियों में 12% वृद्धि हुई है और चालू जमाराशियों में 14% वृद्धि हुई है. कुल जमाराशियों में कासा प्रतिशत भी पिछले वर्ष के 18.39% बढकर 20.35% रहा. पिछले वित्तीय वर्ष की ₹ 124296 करोड की तुलना में कुल जमाराशियां ₹ 126343 करोड रही. वर्ष के दौरान जमा प्रमाणपत्र ₹ 12258 करोड रहा.

कर्मचारी उत्पादकता

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति कर्मचारी कारोबार ₹ 16.56 करोड रहा. बैंक का प्रति कर्मचारी लाभ मार्च 2015 को ₹ 0.03 करोड रहा.

शाखा नेटवर्क

वर्ष 2014-15 के दौरान 109 शाखाओं को खोलने के साथ कुल शाखाओं का नेटवर्क पिछले वित्तीय वर्ष के 1512 से 1618 हो गया है तथा 3 कार्पोरेट शाखाओं का विलयन किया गया है. वर्ष 2014-15 के अंत तक 49 विस्तार काउंटर तथा 2 सेटलाइट कार्यालय हैं. बैंक ने वर्ष 2014-15 के दौरान मीरठ से एक नया क्षेत्रीय कार्यालय भी खोला है, जिससे क्षेत्रीय कार्यालयों की कुल संख्या 27 हुई.

खुदरा ऋण

खुदरा उधार को व्यवहार्य कारोबार प्रस्ताव के रूप में देखा गया है तथा जोखिम फैलाव, बेहतरीन प्रतिफल तथा बडी मात्रा में ऋण मंजूरी जैसे निहित लाभ के कारण ऋण के विकास के लिए इसे प्रमुख क्षेत्र माना जाता है.

वर्ष के दौरान बैंक ने खुदरा ऋण के अधीन ₹ 9065 करोड का संवितरण किया और वर्ष-दर-वर्ष 19.96 % वृद्धि दर्ज करके यथा मार्च 2015 को बकाया राशि ₹ 18735 करोड रही. खुदरा ऋण संविभाग बैंक के सकल ऋण का 21.36 % बनता है.

यथा 31 मार्च 2015 को, आवास ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण व आभूषण ऋण योजनाओं के अधीन बकाया राशि क्रमश: ₹ 6526 करोड, ₹ 903 करोड, ₹ 2607 करोड तथा ₹ 3820 करोड रही.

वर्ष के दौरान बैंक ने ग्राहकों को आकर्षक लाभ जैसे प्रभार की छूट आदि सुविधाएं प्रदान करनेवाले विशेष अभियान जैसे 'ग्रांड फेस्टिवल कार्निवल' की शुरुआत की.

बैंक मौजूदा उत्पादों को नया रूप देकर खुदरा उधार उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु निरंतर प्रयास करता रहा है.

बैंक विशेषत: आवास ऋण ग्राहकों के लिए विजया टाप अप ऋण की भी शुरुआत की है.

बैंक ने वर्तमान बाजार परिस्थितियों का अनुसरण करके और प्रतिस्पर्धियों के समतुल्य, अपने प्रमुख खुदरा उत्पादों को भी नया रूप दिया है जो क्षेत्र

कार्यकर्ताओं को अधिक कारोबार जुटाने में सहायक होगी.

बैंक ने खुदरा ऋण आवेदनों का ऑनलाइन ट्रैकिंग भी शुरू किया है जो आवेदक और शाखा तथा क्षे.का/प्र.का द्वारा लंबित आवेदनों पर निगरानी रखने में मददगार होगी.

ऋण विस्तार

बैंक का कुल उधार 6.39 % की वृद्धि दर्ज करके यथा 31.03.2014 के ₹ 82425 करोड से बढकर यथा 31.03.2015 को ₹ 87692 करोड बन गया. आर्थिक परिदृश्य के गिरावट को ध्यान में रखकर बैंक, बडे ऋण प्रस्तावों के अनुमोदन में चयनात्मक रहा.

ऋण प्रस्तावों की जांच के लिए बैंक ने प्रस्ताव की प्राप्ति के स्तर पर ही दक्ष समुचित सावधानी प्रक्रिया बनायी है तथा इस संबंध में वित्तीय सेवाएं विभाग व भारतीय रिजर्व बैंक से समय-समय पर प्राप्त दिशानिर्देशों का पालन किया है. वित्त मंत्रालय के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक ने क्षेत्रीय कार्यालय व प्रधान कार्यालय स्तर में ऋण अनुमोदन हेतु समिति दृष्टिकोण को अपनाया है. ये समितियां जहां तक हो सके बारंबार मिलती हैं ताकि ऋण संबंधी निर्णय लेने के समय को कम किया जा सके. अच्छे मानक ऋण प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने हेतु बैंक ने सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस/एमबीए के व्यावसायिकों को भर्ती करने की रणनीति को जारी रखा.

बैंक के ऋण विभाग को ब्रिटिश स्टैंडर्ड संस्थान(बीएसआई) द्वारा सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ/आईईसी 27001:2005 प्रमाणीकीकरण से प्रत्यायित किया गया.

बाजार प्रवृत्ति के अनुसार, बैंक ने कई नए उत्पादों की शुरुआत की तथा ग्राहकों की आवश्कतानुसार मौजूदा उत्पाद भी परिष्कृत किए गए.

बडे और मझौले कॉर्पोरेट

यथा 31.03.2015 को बडे कॉर्पोरेट खंड, कुल उधार का 48% रहा. अधिक ध्यान केंद्रित करने हेतु तथा प्रस्ताव को निपटाने के समय को कम करने हेतु, विभिन्न भौगोलिक स्थानों में पांच विशेषीकृत कॉर्पोरेट बैंकिंग शाखाएं कार्य कर रही हैं. कॉर्पोरेट बैंकिंग शाखाओं के अलावा बुनियादी/गैर-बुनियादी परियोजनाओं सहित ग्राहकों की सभी कॉर्पोरेट आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए है 3 औद्योगिक वित्त शाखाएं कार्यरत है. इसके साथ साथ वित्तीयन मझौले कॉर्पोरेट व एसएमई ग्राहकों को उनके नकद प्रबंधन, फॉरेक्स, खजाना उत्पाद, व्यापार वित्त, जमाराशियां, खुदरा बैंकिंग, आदि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंकिंग की एसएमई शाखाएं देशभर में कार्यरत हैं.

बैंक के कार्पोरेट/एसएमई/आईएफबी बैंकिंग शाखाएं मीयादी ऋण, मांग ऋण, कॉर्पोरेट ऋण, अल्पावधि ऋण, कार्यकारी पूंजी सुविधाएं (निधि आधारित + गैर निधि आधारित) व्यापार वित्त उत्पाद, ब्रिज ऋण, समूहन ऋण, मूलभूत सुविधा ऋण, विदेशी मुद्रा ऋण, भावी पर्याप्य किराए के प्रति ऋण, जैसे कई ऋण उत्पाद व सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ और कॉर्पोरेट ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर और भी कई सुविधाएं प्रदान करती है. गत वर्षों में बैंक कई बहु-राष्ट्रीय देशी कारोबार घरों तथा प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ सुदृढ कारोबार संबंध स्थापित करने में विशेष प्रगति की है.

बुनियादी सुविधाओं के लिए वित्त

वर्ष के दौरान बैंक ने मूलभूत सुविधा संवर्ग के अधीन बिजली, दूर संचार, पत्तन, सडक आदि के लिए ₹ 7645 करोड निधि आधारित सीमा तथा ₹ 230.93 करोड गैर-निधि आधारित सीमाओं की मंजूरी दी है. कुल उधार में इन बुनियादी सुविधाओं में हमारा निवेश 28.84% है तथा ये निर्धारित क्षेत्रीय निवेश सीमा के अंतर्गत है.

परियोजना वित्त एवं समूहन

बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, बेंगलूर में परियोजना वित्त तथा समूहन कक्ष की शुरूआत की है. कक्ष का कार्य है परियोजना सूचना ज्ञापन की तैयारी, परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन तथा उद्यमियों की ऋण आवश्यकताओं हेतु समूहन का प्रबंध, आदि. इस समूहन कक्ष में वरिष्ठ कार्यपालक और पात्र व्यावसायिक सहित सक्षम श्रमशक्ति कार्यरत है.

खजाना तथा अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

निवेश एवं निधि प्रबंधन

बैंक का कुल निवेश संविभाग 31.03.2014 के ₹ 42833.78 करोड (एसएलआर निवेश : ₹ 33319.60 करोड तथा गैर-एसएलआर निवेश : ₹ 9514.18 करोड) से यथा 31.03.2015 को ₹ 44698.34 करोड (एसएलआर निवेश : ₹ 34933.00 करोड तथा गैर-एसएलआर निवेश : ₹ 9765.34 करोड) तक बढ गया.

31.03.2015 को 10 वर्ष न्यूनतम लाभ 7.74% रहा जबकि 31.03.2014 को 8.81% रहा.

वर्ष के दौरान निवेश पर औसत प्रतिफल (निवेश की बिक्री पर लाभ और आरआईडीएफ सहित) वित्तीय वर्ष 2013-14 के 7.75% के प्रति 8.17% रहा.

वर्ष के दौरान बैंक ने भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित सीआरआर/एसएलआर अपेक्षाओं का भी लगातार अनुपालन किया.

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

यथा 31.03.2015 को बैंक का निर्यात ऋण वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 23.79% वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 1571.39 करोड रहा. इसमें से, विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण की मात्रा यूएसडी 42.13 मिलियन रहा. यथा मार्च 2015 को, बैंक का विदेशी विनिमय कारोबार पण्यावर्त पिछले वित्तीय वर्ष से 0.51 % की वार्षिक वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 21172.17 करोड रहा.

बैंक ने भा.रि.बैं. की ई-बिज परियोजना, इलेक्ट्रानिक डाटा प्रसंस्करण व निगरानी प्रणाली का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है.

बैंक की कुल एनआरआई जमाराशियां यथा 31.03.2015 को 25.03% की वृद्धि दर्ज करते हुए, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक ₹ 2398.57

करोड के प्रति ₹ 2998.96 करोड रहा. वित्तीय वर्ष के दौरान, खाडी देशों से एनआरआई को भारत में हमारी किसी भी शाखाओं में उनके खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से निधि विप्रेषण करने हेतु बैंक ने यूएई विनिमय केंद्र एलएलसी, अल अनसारी विनिमय यूएई, वाल स्ट्रीट एक्सचेंज, यूएई एण्ड अल बदर एक्सचेंज, यूएई के लिए ''स्पीड/फ्लैश विप्रेषण'' सुविधा प्रदान की है. इसके अलावा, बैंक को भारत में अनुरक्षित खातों में रुपया प्रेषित करने हेतु ओमान युनाईटेड कंपनी एलएलसी, ओमान के साथ रुपया आहरण व्यवस्था भी है. बैंक द्वारा हमारे अनिवासी ग्राहकों के प्रश्नों के जवाब देने हेतु प्र.का., बेंगलूर में विशेष अनिवासी ग्राहक कक्ष की स्थापना की गयी. बैंक ने पाक्षिक ई-न्यूजलेटर, विजया एनआरई डाइजेस्ट की शुरूआत भी की है, जिसमें अनिवासियों की रुचि के अनुसार विभिन्न विषय शामिल किए गए हैं.

निर्यात व आयात ऋण

बैंक, देशी व विदेशी दोनों मुद्राओं में आयातकों व निर्यातकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सक्रिय रूप से कार्यरत है. देश के विभिन्न भागों में कार्यरत 47 शाखाएं विदेशी विनिमय कारोबार संभालने हेतु पदनामित की गई हैं.

आस्ति गुणवत्ता

बैंक नए फिसलन को रोकने तथा लगातार आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने पर ज़ोर देता रहा है. इस दिशा में बैंक ने विभिन्न उपायों को लागू किया है जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं :

- क्षीण संकेत दर्शानेवाले/देय राशि में चूक होनेवाले खातों को पहचाना गया और उन्हें विशेष निगरानी खाते की श्रेणी में रखा गया. जहां कहीं भी संभव था ऐसी आस्तियों की पुनर्संरचना की गयी, योग्य मामलों में आवश्यकता आधारित अतिरिक्त ऋण सीमाओं पर विचार किया गया ताकि नए फिसलन को रोका जा सके. एनपीए में फिसलन हुए एमएसएमई खातों के संबंध में लाभप्रदता अध्ययन किया जाना है तथा जहां कहीं संभव हो, निर्धारित समय सीमा में पोषण पर ध्यान दिया जाए.
- एनपीए खातों के व्यवस्थित अनुवर्तन हेतु क्षे.का. में विशेष वसूली कक्षों का गठन किया गया. जिन केंद्रों में ऋण वसूली प्राधिकरण कार्यरत हैं वहां नोडल अधिकारियों को पदनामित किया गया है जो मामलों के शीघ्र निपटान हेतु पीठासीन तथा बैंक के अधिवक्ता के साथ नियमित रूप से संपर्क रखते हैं.
- इरादतन चूककर्ताओं के मामले में प्रतिभूतिकरण जैसे कानूनी विकल्प सहित भा.रि.बैं. को नाम देना आदि कठोर वसूली उपाय तत्काल करते हैं.
- अनर्जक ऋणों की त्वरित वसूली हेतु लोक अदालत/डीआरटी अदालत की सेवाएं ली जाती है.
- क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ वीडियो कान्फरेंस के माध्यम से त्वरित वसूली के संबंध में उन्हें मार्गदर्शन देते हुए उच्च प्रबंधन द्वारा 10 लाख तथा उससे अधिक के सभी एनपीए खातों की समीक्षा करनी है.
- त्वरित वसूली की सुविधा हेतु, बैंक की वसूली नीति के अधीन विभिन्न केंद्र में शाखाओं के समूह के लिए नियमित रूप से विजया अदालत का आयोजन किया जाता है, जहां पर खातों का निपटान उसी जगह पर किया जाता है. वर्ष के दौरान 31.03.2015 तक ऐसे समझौते के जरिए बैंक द्वारा 5628 खातों के अधीन ₹ 109.88 करोड की वसूली की गयी.
- दीर्घकालिक ट्रैक्टर ऋण एनपीए खातों के लिए विशेष एकबारगी समझौता योजना की शुरूआत 01.01.2015 से हुई तथा यह योजना 31.03.2015 तक चली.
- एनपीए स्तर को कम करने के लिए, 01.01.2015 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए एनपीए वसूली अभियान-2015 शुरु किया गया.
- कम मूल्य के एनपीए की त्वरित वसूली हेतु, 8 क्षेत्र (कर्नाटक में 6 तथा आन्ध्र प्रदेश में 2) जहां बडी संख्या के एनपीए खाते हैं, उन पहचानित केन्द्रों में, 16 वसूली अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. वसूली अधिकारियों ने मार्च 2015 तक ₹ 38.27 करोड की वसूली तथा ₹ 53.78 करोड का उन्नयन किया है.
- शाखाओं के साथ परामर्श के साथ, हमने ₹ 10 लाख तथा उससे अधिक शेष के कुल ₹ 807.37 करोड राशि के उन्नयन किए जाने योग्य 769 एफपीए खातों को पहचाना है, जिनका उन्नयन म ार्च 2015 तक किया का सकता है. हमारे विभाग द्वारा संबंधित शाखाओं के साथ सतत रूप से इन खातों की अनुवर्ती कार्रवाई की गई हैं. मार्च 2015 तक ₹ 608.39 करोड वसूल की गई/उन्नयन किया गया.

यथा मार्च 2015 को कुल अग्रिमों के बैंक का सकल गैर-निष्पादन आस्ति 2.78 % रहा, जबकि निवल अग्रिमों से निवल एनपीए अनुपात 1.92% था. वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक को ₹ 931.42 करोड की कुल नकद वसूली हुई (ब्याज सहित) तथा ₹ 931.96 करोड के एनपीए का उन्नयन किया गया. आगे, बैंक ने यथा 31 मार्च 2015 को ₹ 71.35 करोड के अस्थिर प्रावधानीकरण के अलावा अप्रत्याशित चूक के लिए ₹ 698.40 करोड का प्रावधानीकरण भी किया. यथा मार्च 2015 को प्रावधान प्रावरण अनुपात (पीडब्ल्यूओ सहित) 64.01% रहा.

जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम

बैंक के कार्पोरेट लक्ष्य तथा बैंक की योजना के अनुरूप बैंक की ऋण नीति तथा ऋण जोखिम प्रबंधन को समय-समय पर संशोधित किया जाता है ताकि अन्य पहलुओं को जैसे जोखिम की प्रवृत्ति, जोखिम आधारित मूल्यन,

जोखिम विविधीकरण/निवारण कार्य नीति, यथोचित सीमाएं, पर्याप्त ऋण सीमाएं, समूह ऋण सीमाएं, रेटिंगवार ऋण सीमाएं, अधिमान्य क्षेत्र वृद्धि की कार्यनीति, ऋण अनुमोदन प्रक्रिया, प्रलेखन व सुरक्षा मानक, सुरक्षा मूल्यांकन आदि को शामिल किया जा सके.

स्ट्रेस टेस्टिंग पर भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुरूप ऋण संविभाग को एनपीए में वृद्धि , पुनर्संरचित मानक खातों की फिसलन, काउंटर पार्टी रेटिंग में गिरावट, संपार्श्विक की कमी, आदि स्ट्रेस के अंतर्गत परीक्षणाधीन करते हुए, बैंक की आईसीएएपी नीति के अनुसार अर्ध-वार्षिक आधार पर ऋण जोखिम पर स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है.

बैंक ने व्यापक जोखिम रेटिंग/स्कोरिंग प्रणाली बनायी है जो प्रतिपक्षी विविध जोखिम घटकों का एकल बिंदु सूचक है तथा स्थिर रूप से ऋण निर्णय लेने के लिए उपयोगी है. आवास व अन्य खुदरा क्षेत्रों के लिए अलग जोखिम स्कोरिंग मॉडल को भी तैयार किया है ताकि जोखिम रेटिंग कार्य का अधिकतम प्रावरण सुनिश्चित किया जा सके. ₹ 1.00 करोड से अधिक उधार के संबंध अर्ध-वार्षिक तौर पर अभिगमन विश्लेषण किया गया है. बैंक ने सभी खुदरा व गैर-खुदरा ऋण के जोखिम श्रेणीकरण के लिए सितंबर 2009 से क्रिसिल से पर्याप्त ऋण जोखिम श्रेणीकरण साफ्टवेयर, जो बेसल II समर्थक है, की शुरूआत की है. यह साफ्टवेयर बैंक के सभी प्रकार के ऋण को मंजूरी से पहले ऋण श्रेणीकरण के अधीन प्रावरित करता है, ताकि ऋण की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है और साथ ही बेसल II के एड्वान्सड एप्रोच कांप्लएंस की ओर अग्रेसर हो सकें.

आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) व बाज़ार जोखिम

बैंक के एएलएम तथा बाजार जोखिम का प्रबंधन आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तथा बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी) द्वारा किया जाता है. विभिन्न साम्यिक खंडों में असमानताओं के लिए उपयुक्त सहनशील सीमाएं निर्धारित की गयी हैं ताकि चल निधि व ब्याज दर जोखिम दोनों का प्रबंधन किया जा सके और पाक्षिक अंतराल में इसका अनुवर्तन किया जाता है और निदेशक मंडल को अवगत कराया जाता है.

बाजार जोखिम ऋण जोखिम पर मूल्य (वीएआर), एजीएल (कुल अंतर सीमा) तथा अवधि अंतर विश्लेषण जैसे साधनों से माप किया जाता है. देश जोखिम के प्रबंधन और निगरानी हेतु सभी देशों के लिए एकल निवेश सीमाएं निर्धारित किए गए हैं. खजाना परिचालन संबंधी मिड-आफिस रिपोर्टों जिसमें अपवादों, समीक्षाओं तथा अनुपालन आदि समाविष्ट है, को दैनिक आधार पर जोखिम प्रबंधन विभाग के महा प्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और प्रति माह एमआरएमसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है.

पूरे ब्याज दर जोखिम संविभाग को जोखिम पर अर्जन (ईएआर) के जरिए अभिज्ञप्त और मापित किया जाता है. शीर्षस्थ प्रबंधन द्वारा संवेदनशील विश्लेषण भी किया जाता है और समीक्षा भी की जाती है. आकस्मिकता निधि योजना, विवेकपूर्ण अनुपात/सीमाएं भी निर्धारित किए गए हैं और तरलता जोखिम प्रबंधन के अंग के रूप में वास्तविक स्थिति की भी निगरानी रखी जाती है. ब्याज दर जोखिम, तरलता जोखिम, विदेशी विनिमय आदि पर विभिन्न परिवेशों में तिमाही आधार पर स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है और एल्को को अवगत कराया जाता है. अल्पावधि तरलता पर निगरानी रखने के लिए बैंक दैनिक तौर पर संरक्षणात्मक तरलता की एएलएम विवरणी तैयार कर रहा है.

ब्याज दर मोड पर 200 आधार बिंदु शॉक का प्रयोग करते हुए ईक्विटी (नेटवर्थ) पर संभाव्य बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए अवधि अंतराल विश्लेषण का अनुपालन किया जाता है.

बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल एप्रोच (उन्नत दृष्टिकोण) को लागू करने के लिए बैंक ने भा.रि.बैं. से अनुमति मांगी है.

शाखा लाभप्रदता के वैधानिक निर्धारण के लिए निधि अंतरण मूल्यन जो अंतरण मूल्यन तंत्र का नया तंत्रज्ञान है, को क्रियान्वित किया गया है.

परिचालनात्मक जोखिम

प्रभावी ढंग से परिचालन जोखिम की पहचान, प्रबंधन तथा निपटान करने के लिए बैंक में एक उत्तम परिचालन जोखिम प्रबंधन की रूपरेखा है. बैंक में मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) के कार्यान्वयन के लिए भी आवश्यक रूपरेखा बनायी गई है. परिचालन जोखिम प्रबंधन का नियंत्रण परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) द्वारा किया जाता है, जो परिचालन जोखिम हानि संबंधित आंकडे, नए उत्पाद, बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और प्रणालियों की समीक्षा करता है और आंतरिक प्रणाली और प्रक्रियाओं को म जबूत करने के लिए सुधारात्मक / निवारक उपायों की सुझाव प्रदान करता है. परिचालन जोखिम को कम करने के लिए, ऋण और जमा संविभागों में की गई धोखाधडी के बारे में कई विषयगत अध्ययन आयोजित किए गए ताकि जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण से प्रणालीगत कमियों को पहचान सके. सुधारित दृष्टिकोण को अपनाने के क्रम में, बैंक ने जोखिम नियंत्रण स्व मूल्यांकन (आरसीएसए) और प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआईएस) के लिए रूपरेखा बनाई है. समीक्षा द्वारा आरसीएसए और केआरआई को मजबूत करने और परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए कवरेज क्षेत्र में सुधार लाने हेतु बैंक द्वारा कदम उठाई जा रही हैं.

मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए)) के अधीन परिचालनात्मक जोखिम पूंजी के आकलन हेतु बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त हई है. (मार्च 2015 से पैरलल रन प्रभावी)

बेसल II और बेसल III का अनुपालन

चूंकि कार्पोरेट ग्राहकों के मामले में भा.रि.बैं. द्वारा अनुमोदित रेटिंग एजेन्सियों के जोखिम श्रेणीकरण स्थिति की आवश्यकता होती है, बैंक ने सभी छः रेटिंग एजेन्सियों अर्थात क्रिसिल, आरसीआरए, सीएआरई, ब्रिकवर्क, एसएम ईआरए व फिच के साथ करार किया है ताकि उधारकर्ता प्रतिस्पर्धात्मक दर पर रेटिंग सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं और बैंक को भी रेटिंग की स्थिति के आधार पर कम पूंजी प्रभार का लाभ मिले. बैंक ने अपनी आईसीएएपी नीति बनाई है तथा उसे अर्ध-वार्षिक आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया जाता है.

भा.रि.बैं. दिशा निर्देशों के अनुरूप तथा ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण और परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण अपनाते हुए बैंक ने बेसल II मानदंडों का अनुपालन किया है और यथा 31 मार्च 2015 को समग्र पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.70 % बनता है जो निर्धारित न्यूनतम 9% मानदंड से अधिक है. बैंक ने बेसल III मानदंडों का अनुपालन किया है; और यथा 31 मार्च 2015 को समग्र पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.43 % बनता है जो निर्धारित न्यूनतम 9% मानदंड से अधिक है.

एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आईआरएमएस) परियोजना

बेसल ।। नियमों के सरल तथा प्रभावी ढंग से अनुपालन करने के उद्देश्य से बैंक एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आईआरएमएस) का कार्यान्वयन कर रहा है.

विशिष्ट आईआरएमएस परियोजना में छः समाधान हैं - जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन (सीआरएम); बाज़ार जोखिम प्रबंधन (एमआरएम),परिचालन जोखिम प्रबंधन (ओआरएम), ऋण जोखिम दर निर्धारण समाधान (सीआरआर) (खुदरा व गैर-खुदरा), आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) तथा निधि अंतरण मूल्य निर्धारण (एफटीपी) समाधान.

आईएसओ-27001 - जोखिम प्रबंधन विभाग को प्रमाणीकरण

इंफो सुरक्षा पत्रिका द्वारा सूचना सुरक्षा और बीसीपी पहल के लिए हमारे बैंक के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) को सूचना सुरक्षा मेस्ट्रो 2015 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

पूंजी पर्याप्तता

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने सफलतापूर्वक ₹ 500 करोड की अतिरिक्त टियर-I पूंजी और ₹ 1000 करोड की टियर-II (बेसल III अनुपालक) बांड जुटाया है. भारतीय रिजर्व बैंक के 9% मानदंड के प्रति पूंजी पर्याप्तता अनुपात बेसल II मानदंड के अधीन 10.97% (31.03.2014) की तुलना नें 11.70% (31.03.2015) तक सुधार हुआ तथा बेसल III मानदंड के अधीन 10.56% (31.03.2014) की तुलना नें 11.43% (31.03.2015) तक सुधार हुआ. 31.03.2015 को बैंक की टियर I पूंजी बेसल II के अधीन ₹ 6423.25 करोड है तथा बेसल III के अधीन ₹ 6414.63 है. बैंक की टियर II पूंजी बेसल II के अधीन ₹ 2687.81 करोड है तथा बेसल III के अधीन ₹ 2480.53 रहा. समग्र पूंजी बेसल II के अधीन ₹ 9111.06 करोड है तथा बेसल III के अधीन ₹ 8895.16 रहा.

राष्ट्रीय प्राथमिकता

प्राथमिकता क्षेत्र उधार

बैंक का कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम मार्च 2015 के अंत में ₹ 30714 करोड रहा. बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 35.97% रहा.

कृषि वित्त

बैंक का प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम मार्च 2015 को ₹ 7546 करोड रहा. कुल कृषि अग्रिम ₹ 11389 करोड रहा जो समायोजित निवल बैंक ऋण का 13.34 % बनता है.

वर्ष के दौरान बैंक ने 'फार्म हाउस निर्माण के लिए कृषकों को वित्तीय योजना' नामक एक विशेष ऋण योजना का प्रवर्तन किया जो स्वामित्व के फार्म/कृषि भूमि पर तथा कृषि उत्पादन संस्थाओं (एफपीओ) के वित्तीयन के लिए है.

कृषि के लिए संवितरण :

विशेष कृषि ऋण योजना के अधीन बैंक ने ₹ 8369 करोड के लक्ष्य के प्रति वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 8442 करोड का संवितरण किया.

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

भा.रि.बैं./भारत सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार, संशोधित वीकेसी योजना में उत्पाद ऋण (अल्पकालीन फसल ऋण) तथा निवेश ऋण (सावधि ऋण) दोनों के लिए प्रावधान है. कार्ड की वैधता 5 साल के लिए विस्तारित किया है तथा हितधारकों को एटीएम समर्थ किसानकार्ड जारी किया गया है.

वर्ष 2014-15 के दौरान विजया किसान कार्ड योजना के अधीन बैंक ने 73322 विजया किसान कार्ड जारी किए तथा ₹ 978 करोड संवितरित किए. यथा 31.03.2015 को वीकेसी का बकाया स्तर 135208 खातों के जरिए ₹ 2020 करोड रहा. बैंक के किसान कार्ड अब रुपे प्लैटफार्म के अधीन एटीएम समर्थित हैं तथा 97358 परिचालनात्मक वीकेसी खातों में से 88362 किसानों को एटीएम समर्थित किसान कार्ड जारी किए गए हैं.

सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों (एमएसएमई) का वित्तपोषण

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अग्रिम मार्च 2014 के ₹ 10690 करोड से बढकर मार्च 2015 को ₹ 13366 करोड हो गया जो वर्ष-दर-वर्ष 25% की वृद्धि दर्शाता है.

15.63 % की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाते हुए यथा मार्च 2014 को सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों को दिए गए अग्रिम ₹ 13115 करोड से बढकर मार्च 2015 में ₹ 15165 करोड हुए.

एमएसएमई के अंतर्गत प्रस्तावों के त्वरित निपटारे के लिए एमएसएमई ऋण आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण तथा ट्रैकिंग पद्धति उपलब्ध है. आगे, एमएसएमई उधारकर्ताओं को ऑनलाइन आवेदन भरने के तुरंत बाद एसएमएस अलर्टस द्वारा पावती मिलता है.

आगे ऋण आवेदनों की निगरानी व त्वरित कार्रवाई हेतु ऑनलाइन ट्रैकिंग पद्धति की भी शुरुआत की गयी है.

कमज़ोर वर्गों को अग्रिम

मार्च 2015 तक बैंक द्वारा कमज़ोर वर्गों को बकाया अग्रिम ₹ 8685 करोड रहा जो निर्धारित 10% मानदंड के प्रति एएनबीसी का 10.17% बनता

है. कमज़ोर वर्गों के अग्रिम मार्च 2014 से 20.39 % वृद्धि दर दर्शाते हुए ₹ 1471 करोड बढा.

स्व–सहाय समूह (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूह (जेएलजी)/ सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई)

स्व–सहाय समूह (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूह (जेएलजी)/सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) को अग्रिम देने की ओर बैंक ने प्राथमिकता दी और इन्हें ₹ 721 करोड वितरित किया. यथा 31.03.2015 को इस खंड के लिए दिए गए अग्रिमों का अतिदेयता स्तर ₹ 1115 करोड रहा.

किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भारत सरकार की ''भूमिहीन किसान योजना'' के अधीन, बैंक संयुक्त देयता कृषि समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है और ऐसे 983 जेएलजियों को ₹ 28.35 करोड का वितरण किया गया है.

महिला स्वयं सहायता समूहों को अग्रिम देने की ओर विशेष महत्व देते हुए बैंक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) योजना में बैंक सक्रिय रूप से भाग ले रहा है. प्रचलित एसजेएसआरवाई योजना के बदले भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) योजना का प्रवर्तन किया गया है और इस योजना को भी बैंक तत्परता से लागू कर रहा है.

वर्ष 2011–12 व 2012–13 के बैंक को ''स्वयं सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह (एसएचजी/ जेएलजी) लिंकेज'' के लिए श्रेष्ठ निष्पादन पुरस्कार से सम्मानित किया जिसे नाबार्ड, बेंगलूर द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान प्रदान किया गया.

महिला हिताधिकारियों को ऋण

महिला हिताधिकारियों को अग्रिम 26.93 % की वृद्धि दर दर्शाते हुए मार्च 2014 के ₹ 5072 करोड की तुलना में मार्च 2015 में ₹ 6438 करोड रहा. एएनबीसी के 5% के निर्धारित मानदंड के प्रति बैंक की उपलब्धि 7.54 % है.

अग्रणी बैंक योजना

हमारे बैंक को कर्नाटक राज्य के 3 जिलों अर्थात मण्ड्या, हुब्ली और हावेरी जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है. सभी तीन जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक संबंधित जिले की सभी बैंक शाखाओं के साथ समन्वय करके वार्षिक ऋण योजना, सरकार द्वारा प्रायोजित योजना, वित्तीय समावेशन सीधा लाभ अंतरण योजना आदि के अधीन लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं. अग्रणी बैंक योजनांतर्गत मार्च 2015 को इन तीन जिलों में वार्षिक ऋण योजना के ज़रिए हमारे बैंक के ऋण का हिस्सा ₹ 680 करोड लक्ष्य के प्रति ₹ 725 करोड रहा.

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत उधार

बैंक लगातार सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को लागू करने को महत्व देता आ रहा है. सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अधीन बैंक के उधार निम्नानुसार है:

(₹ करोडों में)

क्रम सं.	योजनाएँ	हिताधिकारियों की संख्या	मार्च 2015 को बकाया ऋण राशि
1	पीएमईजीपी	7991	117
2	एनआरएलएम	11736	257

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को अग्रिम

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को कुल अग्रिम मार्च 2014 के ₹ 1125 करोड के प्रति 21.51% वृद्धि दर्शाते हुए मार्च 2015 में ₹ 1367 करोड रहा.

अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण

मार्च 2015 को अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिमों की राशि ₹ 4225 करोड है और यह कुल प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का 13.76% बनता है.

विजया बैंक स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थाएं (वीआईबीएसईटीआई)

बैंक ने कर्नाटक राज्य के मंड्या व हावेरी जिलों में और मध्यप्रदेश राज्य के इंदौर में विजया बैंक स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं (वीआईबीएसईटीआई) की स्थापना की है. ये संस्थाएं विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल उन्नयन/जागरूकता कार्यक्रमों और उद्यमी विकास कार्यशालाएं आदि का आयोजन कर रही हैं. वर्ष 2013–14 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वीआईबीएसईटीआाई, मंड्या, हावेरी व इंदौर को 'एए' ग्रेड दिया है.

वर्ष 2014–15 के दौरान वीआईबीएसईटीआई द्वारा 88 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 2392 लाभार्थी प्रशिक्षित हुए. प्रारंभ से कुल 1343 कार्यक्रम आयोजित किए गए और 45909 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया और समग्र निपटान दर 74.88% रहा. 60 प्रतिभागियों के लिए वीआईबीएसईटीआई, मंड्या ने आकाशवाणी, मैसूर तथा वीआरडीएफ के सहयोग से भेड पालन (बन्नूर किस्म) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया. सितंबर, 2014 के दौरान हमारे वीआईबीएसईटीआई, मंड्याने आय निर्माण गतिविधियों को अपनाने हेतु 60 ट्रांसजंडर व्यक्तियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया.

विजया ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान (वीआरडीएफ)

कृषि प्रणालियों के आधुनिकीकरण, कौशल उन्नयन तथा विभिन्न उद्यमों संबंधी ज्ञान तथा समग्र सामाजिक – आर्थिक विकास के प्रति ग्रामीण जनता के ध्यानाकर्षण हेतु, बैंक द्वारा वर्ष 1990 में मंगलूर में विजया ग्रामीण

विकास प्रतिष्ठान का प्रवर्तन किया. ग्रामीण विकास परिषदों (वीडीसी) के जरिए, विभिन्न विषयों पर, वीआरडीएफ प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रमों, आदि विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है. वर्तमान में, ऐसे 33 वीडीसी, वीआरडीएफ के अधीन कार्य कर रहे हैं. वर्ष के दौरान वीआरडीएफ ने 143 कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 10845 व्यक्ति लाभान्वित हुए. ग्रामीण निर्धन के लाभार्थ, नि:शुल्क स्वास्थ्य कैंप का भी आयोजन किया गया. ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूल के निर्धन मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति मंजूर की गयी है. प्रतिष्ठान ने अपनी गतिविधियों को अन्य जिलों जैसे हावेरी, धारवाड और मंड्या में विस्तारित किया है जहां बैंक को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है.

संसदीय समिति का दौरा

1) संसदीय स्थाई वित्त समिति ने दिनांक 19.01.2015 को दौरा किया तथा 'वित्तीय समावेशन योजनाएं एवं उपलब्धियां' और 'भारतीय बैंकिंग क्षेत्र-चुनौतियां व भविष्य की राह' पर चर्चा की.

2) संसदीय सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण स्थाई समिति ने दिनांक 27.01.2015 को दौरा किया और अ.जा./अ.ज.जा., अ.पि.व., विभिन्न रूप से अशक्त व्यक्तियों व अल्प संख्यकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र वित्त के बारे में चर्चा की.

शिक्षा ऋण

बैंक शिक्षा ऋण को बहुत महत्व देता है क्योंकि इसे मानव पूंजी में निवेश के रूप में देखा गया है. वर्ष के दौरान, यह संविभाग निर्णीत रूप से यथा 31.03.2014 के 760 करोड से ₹ 143 करोड बढकर वर्ष-दर-वर्ष 19% वृद्धि दर्शाते हुए यथा 31.03.2015 को 903 करोड के स्तर तक पहुंचा.

क्योंकि शिक्षा ऋण राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय है, बैंक इसको आक्रामक तरीके से विपणन करने में लगा है. बैंक ने प्रवेश समय पर शिक्षा ऋण अभियान की भी शुरुआत की. कई नामी शिक्षा संस्थानों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के साथ शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन किया. बैंक ने प्रवेश समय पर कई प्रदर्शनियों तथा शिविरों में भाग लिया ताकि छात्र वर्ग के बीच शिक्षा ऋण सुविधा की उपलब्धता पर जागरूकता ला सकें.

वित्तीय समावेशन

देश के सभी बैंकरहित घरों और परिवारों को बैंकिंग के दायरे में लाने के उद्देश्य से माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 28.08.2014 को प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) की शुरुआत की गई जिसके अंतर्गत उन्हें बेसिक बैंक खाते, ₹ 1.00 लाख तक दुर्घटना बीमा प्रावरण सहित रुपे कार्ड, ₹ 30,000/- का जीवन बीमा प्रावरण और खाते में संतोषजनक लेनदेन के आधार पर ₹ 5000/- तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध कराया जाता है.

हमारा बैंक पीएमजेडीवाई योजना में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है. पीएम जेडीवाई के अधीन, हमारे बैंक को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने हेतु अखिल भारतीय आधार पर 1151 उप सेवा क्षेत्र आबंटित किये गये हैं जिसमें 3410 गांवों और 432 वार्ड शामिल हैं. हमने 289 शाखाओं और 827 बैंक मित्रों (बीसीए) के जरिए इन गांवों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की हैं. बैंक द्वारा सभी आबंटित एसएसए और वार्डों के घरों का सर्वे किया गया और सभी घरों को कम से कम एक खाते से प्रावरित किया गया है.

हमारे बैंक द्वारा पीएमजेडीवाई के अधीन 63.63 करोड कुल शेष के 12.19 लाख बेसिक बचत बैंक जमा खाते खोले गये हैं तथा सभी खाता धारकों को रुपे डेबिट कार्ड उपलब्ध कराया गया है. 7.27 लाख खातों में आधार संख्या की प्रविष्टि की गई है. बैंक द्वारा 21 पीएमजेडीवाई खाता धारकों को ₹ 0.66 लाख राशि की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी गई है.

बैंक द्वारा कर्नाटक राज्य के तीन जिलों में, मंड्या, धारवाड और हावेरी में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है. बैंक के सभी तीन अग्रणी जिलों ने घोषित किया है कि भारत सरकार द्वारा दी गई समयसीमा के अधीन सभी घरों को बैंक खाते से प्रावरित किया गया है और अभी खाता खोलने के लिए कोई भी घर शेष नहीं है.

वित्तीय साक्षरता

बैंक ने जिला और तालुक स्तर पर वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) को स्थापित तथा प्रबंधन करने के लिए सिंडिकेट बैंक के साथ ज्ञान ज्योति लिटरसी एण्ड क्रेडिट काउंसेलिंग ट्रस्ट (जेजेएफएलसीसीटी) का प्रवर्तन किया. हमारे बैंक के 3 जिला स्तर और 11 तालुक स्तर वित्तीय साक्षरता केंद्र है. सभी एफएलसी नियमित रूप से गांवों / स्कूलों में साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं.

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधान मंत्री जन धन योजना पर वित्तीय साक्षरता प्रदान करने हेतु, बैंक द्वारा खाता खोलने की शिविर और अन्य साक्षरता कार्यक्रमों पर प्रदर्शित करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पीएमजेडीवाई पर ऑडियो फिल्म तैयार की गई है. पीएमजेडीवाई खाता धारकों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने हेतु शाखाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में वित्तीय साक्षरता सामग्री भी प्रदान गई.

सीधा लाभ अंतरण

बैंक द्वारा 1 जनवरी 2015 से एलपीजी उपभोक्ताओं के खातों में आधार संख्या की प्रविष्टि करके, भारत सरकार का संशोधित डीबीटीएल कार्यक्रम का सक्रिय रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है.

नकद अंतरण अनुपालन प्रणाली के अधीन अधिकतम एलपीजी हिताधिकारियों को प्रावरित करने के प्रयास में, धारवाड, हावेरी और मंड्या में हमारे अग्रणी जिला प्रबंधक तेल विपणन कंपनियों के साथ समन्वय कर रहे हैं.

इलेक्ट्रानिक लाभ अंतरण

मंड्या जिले में बैंक ने ''एक जिला एक बैंक'' मॉडल के अधीन एक लाख से अधिक लाभार्थियों को कारोबार संपर्ककर्ता/हस्तधारित मशीनों के जरिए

कुल ₹ 6.20 करोड प्रति महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन संवितरित कर रहा है.

सूचना व प्रौद्योगिकी

कोर बैंकिंग समाधान व उसमें प्रगति

बैंक ने 100% सीबीएस प्राप्त किया है जिसके फलस्वरूप ग्राहकों को कहीं भी बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन लेनदेन आदि सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं. 100% सीबीएस के साथ बैंक अपने ग्राहकों को तत्काल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो रहा है. 184 स्थानों पर पासबुक कियोस्क शुरु किया गया है. नकद जमा कियोस्क 238 जगहों में कार्यान्वित किया गया है. भारत सरकार की सीधा नकद अंतरण परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु आधार समर्थ भुगतान प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया है. धोखाधडियों को कम करने हेतु सीबीएस उपयोगकर्ताओं हेतु सभी स्थानों में, बयोमेट्रिक एक्सेस शुरू किया गया है.

बैंक ने एकीकृत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, एकीकृत खजाना प्रबंधन प्रणाली तथा एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन किया है तथा इसे कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ एकीकृत किया है. मुंबई में डीआर सेटअप स्थापित करने के द्वारा आईटीएमएस परियोजना के सभी लक्ष्य हासिल किए जा चुके हैं. मुंबई में डीआर स्थापित करने के द्वारा एचआरएमएस में भी लगभग सभी उद्देश्य पूरे किए जा चुके हैं. वित्तीय वर्ष के अंत तक आईआरएमएस के पूर्णतः कार्यान्वित किए जाने की संभावना है.

एटीएम

वर्ष 2014-15 के दौरान 59 और एटीएम परिचालन में लाए गए जिससे यथा मार्च 2015 को एटीएम की कुल संख्या 1383 हो गई. बैंक के ग्राहक देश भर में नैशनल फिनान्शियल स्विच (एनएफएस) के अधीन कनेक्ट किए गए 1,90,000 एटीएम की सेवाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

आंतरिक नियंत्रण

बैंक ने आईटी व आईएस सुरक्षा, इन्टरनेट बैंकिंग नीति, आईटी खरीद नीति, इंटरनेट उपयोग नीति, ई-मेइल नीति, कारोबार निरंतरता नीति, डिसास्टर रिकवरी नीति, औटसोर्सिंग नीति जैसी नीतियों पर दस्तावेज़ तैयार कर लिए हैं जिसमें कई प्रकार के क्षेत्र स्तर व प्रशासनिक स्तर के कार्य शामिल है. इस प्रकार के प्रत्येक कार्यों से जुडे जोखिमों को दूर करने हेतु पर्याप्त नियंत्रण भी तैयार किए गए हैं. वर्ष 2013-14 के दौरान आईटी नीति व आईएस नीति संशोधित की गयी. आईएस सुरक्षा के एक भाग के रूप में घटना प्रबंधन, भेद्यता व पेनट्रेशन टेस्ट के लिए भी नीतियाँ तैयार की गई है.

नेटवर्किंग

बैंक ने अपनी सभी शाखाओं को विस्तार काउंटर तथा कार्यालयों को कॉर्पोरेट वैन के अधीन जोडा है तथा शाखाओं की 100% नेटवर्किंग हासिल की है. बैंक ने कनेक्टिविटी स्थापित करने हेतु अद्यतन तकनीक जैसे एमपीएलएस, रेडियो फ्रिक्वेंसी, वीएसएटीएस, सीडीएमए, आदि का प्रयोग किया है.

आरटीजीएस एवं एनईएफटी सेवाएं

सभी शाखाओं को कोर बैंकिंग समाधान के अधीन लाने के जरिए अब बैंक के ग्राहकों को आरटीजीएस व एनईएफटी सेवाएँ सभी शाखाओं में उपलब्ध है. चूँकि एसटीपी को आरटीजीएस व एनईएफटी में सक्षम किया गया है इसलिए ग्राहक तुरंत अंतर बैंक व बैंक के अंदर भी तुरंत निधि अंतरण सेवा का लाभ उठा सकते हैं.

केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली जैसे कि तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस) तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के लिए संप्रति सिर्फ सीधी सदस्यता उपलब्ध है. भा.रि.बैं. ने एनईएफ टी तथा आरटीजीएस प्रणालियों में भाग लेने हेतु उप-सदस्यता मार्ग को सभी लाइसेंसीकृत बैंकों को विस्तार करने का निर्णय लिया है. उप-सदस्य केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में अपने प्रायोजक बैंक के जरिए भाग लेंगे, जो केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली के सीधे सदस्य हैं. बैंक ने शिम्षा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर तथा लोकपावनी महिला सहकारी बैंक, मंड्या के साथ हमारी आरटीजीएस/एनईएफटी सेवाओं को उप-सदस्यों के रूप में प्रयोग करने के लिए व्यवस्था की है.

मिस्सड कॉल सेवाएं (फ्री बज्ज)

बैंक, अपने ग्राहकों के लिए मिस्सड कॉल सेवाएं उपलब्ध करा रहा है जिससे ग्राहक, खाता शेष व लघु विवरण प्राप्त कर सकते हैं. शून्य प्रभार से मिस्स्ड कॉल देने की सुगमता ग्राहकों के लिए बहुत ही लाभदायक है.

वी-फी हाईव

हमारी इन-हाउस सॉफ्टवेयर विकास टीम ने शैक्षिक संस्थाओं से शुल्क संग्रहण, अपार्टमेंट द्वारा मासिक रख-रखाव शुल्क संग्रहण तथा क्लबों द्वारा शुल्क संग्रहण के लिए एक विशेष एप्लिकेशन विकसित किया है. इसमें कुछ विशिष्टताएं हैं जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा इंटरनेट बैंकिंग आदि अन्य भुगतान चैनल को एकीकृत किया जा सकता है. आईआईएम-कालीकट, आर्मी पब्लिक स्कूल-दिल्ली, एनपोया कॉलेज-मंगलूर तथा माउंट कार्मेल कालेज-बेंगलूर जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं.

वी-ई पासबुक +:

हमारी इन-हाउस सॉफ्टवेयर विकास टीम ने मोबाइल एप्लिकेशन विकसित की है जिससे खाता विवरण/लेनदेन विवरण प्राप्त किया जा सकता है. इस एप्लिकेशन में अतिरिक्त ग्राहकोन्मुख विशिष्टताएं हैं जैसे प्रत्येक लेनदेन के लिए टिप्पणियां जोडने की सुविधा, विभिन्न वैयक्तिक खाता शीर्ष रखने की सुविधा तथा एक ही क्लिक से इन खातों में पासबुक लेनदेन जोडने की सुविधा, आदि. अद्यतन प्रस्तुतियां तथा सूचनाएं जैसे बैंक की ब्याज दर से युक्त पृष्ठ इसके जरिए बैंक की वेबसाइट में जाने की सुविधा तथा किसी दोस्त को परिचय कराने की सुविधा इस एप्लिकेशन में उपलब्ध है. आनलाइन पर पासवर्ड को रीसेट किया जाना, वित्तीय कैलेंडर बनाए रखना, हमारी शाखा/

एटीएम को पहचानना, हिन्दी/कन्नड भाषाओं में विवरण दर्शाया जाना, आदि जैसी आकर्षक विशेषताओं के साथ प्रचलित वर्ष के दौरान वी-ई पासबुक+2.00 का नया स्पांतरण जारी किया गया. यथा 31.03.2015 को यह सुविधा प्राप्त करने हेतु 1,47,694 ग्राहकों ने पंजीकृत किया है.

चेक ट्रंकेशन प्रणाली

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार हमारे बैंक ने सभी एमआईसीआर केंद्रों को कवर करते हुए उत्तरी, दक्षिणी व पश्चिमी ग्रिड में चेक ट्रंकेशन प्रणाली का कार्यान्वयन किया है. एमआईसीआर केंद्रों में अंतरण करने के बाद, भा.रि.बैं ने बैंकों को गैर एमआईसीआर केंद्रों को अंतरण करने का निदेश दिया है. यथा 31 मार्च 2015 को मौजूदा गैर एमआईसीआर समाशोधन की शाखाएं 30 स्थानों में सीटीएस समाशोधन पर सक्रिय हैं.

सुरक्षा परिचालन केंद्र

सुरक्षा सूचना व घटना प्रबंधन समाधान (एसआईईएम) एवं सह-संबंध टूल सहित सुरक्षा परिचालन केंद्र स्थापित किया गया जो आक्रमण को क्रियात्मक रूप से रोकने/कम करने में बैंक को मददगार होगा. हमारे बैंक ने सामान्य आरएफपी के तहत भारत सरकार की नयी पहल के अनुसार सुरक्षा परिचालन केंद्र के कार्यान्वयन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के 9 बैंकों के लिए सामान्य अधिप्राप्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया है तथा उक्त परियोजना सफलतापूर्वक पूर्ण की गई है.

आंतरिक निरीक्षण

बैंक ने सुपरिभाषित आंतरिक लेखा परीक्षा नीति लागू की है. मंडल की लेखा परीक्षा समिति लेखा परीक्षा कार्य की देखरेख करती है तथा सुधार लाने के लिए मार्गदर्शन देती है.

वर्ष 2014-15 के दौरान 1314 शाखाओं का जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण किया गया तथा लेखा परीक्षित शाखाओं में से 78.84% शाखाओं को 'कम जोखिम' दर्जा दिया गया. इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान 12 सेवा शाखाओं, 27 करेंसी चेस्ट, 15 आरएसीपीसीयों, 9 एमएसएमई कक्षों, 17 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा 07 प्रधान कार्यालय के विभागों का निरीक्षण किया गया. बैंक के 82.27% कारोबार समवर्ती लेखा परीक्षा के अधीन प्रावरित किया है जबकि भा.रि.बैंक मानदंड के अनुसार न्यूनतम 50% कारोबार को प्रावरित किया जाना है.

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), धन शोधन निवारण (एएमएल) तथा आतंकवाद को वित्तीयन की रोकथाम (सीएफटी)

बैंक ने 'अपने ग्राहक को जानिए', ' धन शोधन निवारण ' तथा 'आतंकवाद को वित्तीयन की रोकथाम' पर व्यापक नीति बनाई है और क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता हेतु प्र.का.स्थित केवाईसी कक्ष द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है. केवाईसी मानदंडों, एएमएल मार्गनिर्देशों तथा सीएफटी प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को आवश्यक अनुदेश दिए गए हैं, जो भा.रि.बैं., भारत सरकार तथा भा.बैं.सं. तथा अन्य नियामक प्राधिकार के अनुदेशों के आधार पर समय-समय पर अद्यतन/संशोधित किए जाते हैं. उच्च स्तर में यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवाईसी मानदंड के अनुदेश व अन्य मार्गनिर्देश सच्ची भावना से कार्यान्वित किए जा रहे हैं.

निगरानी किए गए अधिक मूल्य के लेनदेन घोषणा किए गए कारोबार / व्यवसाय के अनुरूप हो. आवश्यक अलर्ट सृजित करने हेतु एएमलॉक सॉफ्टवेयर का नियोजन किया गया है. नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर), संदेहजनक लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) तथा जाली करेंसी रिपोर्ट (सीसीआर), क्रास बार्डर वायर अंतरण (सीबीडब्ल्यूटी) तथा अधिक मूल्य के गैर-लाभार्जन संस्थाओं के नकद लेनदेनों को निर्धारित आवधिकता में एफआईयू-आईएनडी को प्रेषित किए जाते हैं. यूएन द्वारा उपलब्ध करायी गयी आतंकवादीयों की सूची से ग्राहकों के नाम का मिलान करने के लिए एक सिस्टम सहायता उपलब्ध करायी गयी है, जो आंतकवादियों तथा संबद्ध सत्व के खातों को न खोलने में सहायता करती है.

आंतरिक निरीक्षकों, समवर्ती लेखापरीक्षकों, सर्तकता निरीक्षकों तथा कार्यपालकों द्वारा शाखा निरीक्षण के दौरान केवाईसी मानदंडों तथा एएमएल मार्गनिर्देशों के कार्यान्वयन की जाँच की जाती है. बैंक द्वारा प्रस्तावित है कि केवाईसी/एएमएल जांच के लिए ग्राहक जैसे अन्य व्यक्तियों का भी प्रयोग में लाया जाएगा.

ऑफसाइट निगरानी यूनिट (ओएमयू)

निरंतर आधार पर अपवादस्वरूप लेनदेनों पर निगरानी रखने के लिए तथा महत्वपूर्ण मदों पर प्रबंधन सूचना प्रणाली की रिपोर्ट बनाने हेतु बैंक में ऑफ साइट निगरानी कक्ष गठित किया गया. उच्च, मध्यम तथा कम जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत की गई रिपोर्टों का विश्लेषण किया जाता है तथा आवश्यक कार्रवाई शुरु की जाती है. प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई तथा प्रतिपुष्टि हेतु सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में नोडल अधिकारियों को पहचाना गया. महत्वपूर्णता तथा निगरानी की आवश्यकताओं के आधार पर, बनाई जानेवाली तथा निगरानी की जानेवाली रिपोर्टों का एक सेट बैंक द्वारा पहचानित है. ओएमयू ब्याज का परिकलन, संसाधन प्रभार की वसूली, आदि जैसे मुख्य शर्त व निबंधनों के अनुपालन के संबंध में ऋण मंजूरी की जांच/वैधीकरण, राजस्व रिसाव का पता लगाना तथा डेटा क्लीनिंग कार्य भी करता है.

धोखाधडी निगरानी कक्ष : बैंक में एक स्वतंत्र धोखाधडी निगरानी कक्ष है, जो वर्गीकरण और प्रस्तुतीकरण से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करता है. वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 329 करोड मूल्य के 36 धोखाधडी के मामलों का पता लगाया गया. सभी धोखाधडी के मामलों की छानबीन व्यवस्थित रूप से की गई तथा कार्यप्रणाली एवं पद्धति के अनुसार विश्लेषित किए गए तथा समय पर नियामक प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए जाते हैं.

सभी धोखाधडी के मामलों के संबंध में पुलीस/सीबीआई मुकदमा दर्ज किए जाते हैं. ₹ 1 लाख से अधिक मूल्य के धोखाधडी के मामले मंडल

के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं तथा मंडल के अनुदेश/दिशानिर्देश का कार्यान्वयन किया जाता है. बडे मूल्य के धोखाधडीयों की समीक्षा आवधिक अंतराल पर मंडल की विशेष समिति के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है. सभी धोखाधडी के मामलों में नवीनतम स्थिति/प्रगति के संबंध में त्रैमासिक आधार पर भा.रि.बैं को रिपोर्ट करनी है. धोखाधडी हेतु कोशिश किए गए मामलों के संबंध में भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों का पालन करना है. धोखाधडी रोकथाम के उपाय तथा प्रणाली में सुधार पर आवधिक दिशानिर्देश/अनुदेश जारी किए जाते हैं.

सतर्कता

प्रधान कार्यालय में बैंक के सतर्कता विभाग की अध्यक्षता महा प्रबंधक स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी कर रहे हैं जो भारतीय स्टेट बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है. सतर्कता विभाग, बैंक का सारा सतर्कता कार्य केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुरूप करता है. इसके अतिरिक्त, सतर्कता विभाग निवारक सतर्कता उपाय के रूप में शाखाओं और नियंत्रक कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण भी करता है. ये क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं. एक ही प्रकार की धोखाधडियों को बार-बार होने से रोकने और निवारक सतर्कता उपायों को सशक्त बनाने के लिए मौजूदा प्रणाली में कमियों को हटाने के सभी प्रयास किए जाते हैं.

अनुपालन

मंडल अनुमोदित अनुपालन नीति, भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशानुसार अपेक्षित है तथा तदनुसार बैंक ने अनुपालन नीति अपनायी है. अनुपालन विभाग, प्र.का. सुनिश्चित करता है कि प्रधान कार्यालय में भारत सरकार, भा.रि.बैं., भा.बैं.सं. तथा दूसरों से प्राप्त विभिन्न संप्रेषण का अनुपालन किया जाता है जिसके लिए संबंधित परिचालनात्मक विभागों को अपेक्षित कार्रवाई के लिए ऐसे सभी संप्रेषण भेजे जाते हैं. अनुपालन विभाग की अध्यक्षता मुख्य अनुपालन अधिकारी कर रहे हैं जो महा प्रबंधक स्तर के है.

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया जो 12 अक्तूबर 2005 को लागू हुआ. यह अधिनियम प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना पाने/पहुंचने का हक प्रदान करता है. प्रशासन में तथा इससे संबंधित या प्रासंगिक मामले में खुलापन, पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाना ही इसका उद्देश्य है.

बैंक ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सभी शाखा प्रबंधकों को **सहायक जन सूचना अधिकारी**, सभी 27 क्षेत्रीय कार्यालयों की दूसरी पंक्ति के कार्यपालकों को **सार्वजनिक सूचना अधिकरि** तथा क्षेत्रीय प्रबंधकों को अपील प्राधिकारियों के रूप में पदनामित किया है. प्र.का. में उप महा प्रबंधक को **जन सूचना अधिकरि** तथा महा प्रबंधक को अपील प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया है. समग्र बैंक में, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 28 कार्यालयों को जन सूचना अधिकारी तथा अपील अधिकारी उपलब्ध कराए गए हैं.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2015 के अंतर्गत मांगी गयी सूचना निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रस्तुत की जाती है. वर्ष 2014-15 के दौरान, इस सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बैंक को 995 आवेदन व 133 अपील प्राप्त व निपटाए गए.

सुरक्षा व्यवस्था

बैंक की संगठनात्मक संरचना के अंतर्गत अधिकारों व जिम्मेदारियों का स्पष्ट प्रत्यायोजन युक्त, सुसंस्थापित सुरक्षा व्यवस्था बैंक में मौजूद है. विभाग द्वारा सभी मुद्राकोषों तथा बैंक शाखाओं की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा नियमित आधार पर की जाती है, क्योंकि गतिशील वातावरण में नए खतरे उभर सकते हैं जो विभिन्न सुपुर्दगी केंद्रों के लिए नई चुनौतियां बन सकती हैं. बैंक सुरक्षा को मजबूत बनाया गया है ताकि वह अधिक प्रभावी, आधुनिक और बाधारहित सुरक्षा प्रणाली हो सके. भा.रि.बैं./भा.बैं.सं. के दिशानिर्देशानुसार लगभग सभी शाखाओं में सभी जरूरी तथा अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्था की गयी है. सुरक्षित एवं भरोसेमंद बैंकिंग सुनिश्चित करने हेतु सभी शाखाओं में सिक्युरिटि अलार्म सिस्टम और सीसीटीवी निगरानी प्रणाली उपलब्ध कराया गया है. सुरक्षा की दृष्टि से भेद्य के रूप में वर्गीकृत शाखाओं को कार्य समय के दौरान सशस्त्र सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराये गये हैं.

क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी विद्यमान सुरक्षा व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करने तथा इन व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के उपायों पर सुझाव देने के लिए नियमित आधार पर शाखा निरीक्षण करते हैं. क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी कानून व्यवस्था लागू करने वाली ऐजन्सियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखते हैं. वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य में नयी चुनौतियों का सामना करने हेतु बैंक में सुरक्षा व्यवस्थाओं का अनवरत तौर पर सुदृढ किया गया है.

भा.रि.बैं. मार्गनिर्देशानुसार, बैंक के सभी मुद्राकोषों में एक्सेस कन्ट्रोल सिस्टम मजबूत बनायी गयी है, सभी नकद परिचालन सीसीटीवी निगरानी के अधीन किये जा रहे हैं. सुरक्षा अधिकारी / निरीक्षण अधिकारी द्वारा मुद्राकोषों के दौरे के दौरान सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करना अनिवार्य बनाया गया है. मुद्राकोषों के तिजोरी कक्ष में प्रवेश करनेवाले / से बाहर जानेवाले प्रत्येक व्यक्तिका प्रभावी और अचूक तरीके से तलाशी ली जाती है. एक्सेस नियंत्रण उपायों को सशक्त बनाने हेतु बैंक की सभी मुद्रा कोषों में बयोमेट्रिक एक्सेस नियंत्रण प्रणाली संस्थापित की गयी है.

मुद्राकोष/शाखाओं में नियोजित सशस्त्र सुरक्षा गार्डों को, वार्षिक आधार पर फाइरिंग अभ्यास सहित प्रशिक्षण दिया जाता है. सुरक्षा अधिकारियों के लिए वार्षिक तौर पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यशाला का भी आयोजन किया जाता है. क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय में गठित सुरक्षा समिति प्रत्येक सुपुर्दगी केंद्र की भेद्यता की समीक्षा व आकलन करने तथा शाखाओं/ मुद्राकोषों और एटीएम साइटों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को अधिक सशक्त बनाने हेतु सक्रिय कदम उठाने के लिए आवधिक तौर पर मिलती है.

मानव संसाधन विकास प्रबंधन

श्रमशक्ति

बैंक में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या मार्च 2014 के 12822 की तुलना में मार्च, 2015 में 13617 रही. कुल स्टाफ में से, 6271 अधिकारी, 4304 लिपिकीय कर्मचारी, 2349 अधीनस्थ कर्मचारी तथा अधीनस्थ संवर्ग में 693 अंशकालीन कर्मचारी हैं. मार्च 2015 के अंत तक बैंक के कुल 13617 कर्मचारियों में महिला कर्मचारियों की संख्या 3426 रही जिसमें 1469 अधिकारी और 1957 एवार्ड स्टाफ हैं. मार्च 2015 के अंत तक शारीरिक रूप से अक्षम वर्ग में 271 कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक वर्ग में 751 कर्मचारी रहे.

भर्ती

वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न श्रेणियों/वेतनमानों में 583 अधिकारियों तथा 277 परिवीक्षाधीन लिपिकों की भर्ती की. बैंक ने सशस्त्र गार्ड, चपरासी और अंशकालिक सफाई कर्मचारी के अधीनस्थ संवर्ग में 732 कर्मचारियों की भी भर्ती की.

पदोन्नतियां

वर्ष 2014-2015 के दौरान की गयी पदोन्नतियां निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	से पदोन्नति	तक पदोन्नति	कुल पदोन्नत
1	उ.का.श्रे.वे-VI	उ.का.श्रे.वे- VII	8
2	व.प्र.श्रे.वे-V	उ.का.श्रे.वे-VI	17
3	व.प्र.श्रे.वे-IV	व.प्र.श्रे.वे-V	46
4	म.प्र.श्रे.वे-III	व.प्र.श्रे.वे-IV	66
5	म.प्र.श्रे.वे-II	म.प्र.श्रे.वे-III	166
6	क.प्र.श्रे.वे-I	म.प्र.श्रे.वे-II	139
7	लिपिकीय	क.प्र.श्रे.वे-I	173
8	अधीनस्थ कर्मचारी	लिपिक	133

प्रशिक्षण

बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली को अतिरिक्त सक्षम श्रमशक्ति के जरिए सुदृढ किया गया है. कर्मचारियों के लिए वर्तमान तथा भविष्य के समनुदेशों को संभालने तथा उत्तम प्रतिस्पर्धी तकनीकी आधारित ग्राहकोन्मुखी बैंकिंग वातावरण में अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों को ठीक से निभाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को पुन: तैयार किया गया है. बैंक अपने कर्मचारियों को कुछ प्रतिष्ठित बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कुछ विशेषीकृत क्षेत्र जैसे ऋण, फॉरेक्स, खजाना प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, मानव संसाधन, विपणन आदि में भी प्रशिक्षण दिलवा रहा है. इस वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने 9579 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया जो कि कुल कर्मचारियों का 70.34% बनता है. इनमें से 8291 कर्मचारियों को बैंक की अपनी संस्थाओं में प्रशिक्षण दिलाया गया, 1288 को समुद्रपारीय संस्थाओं सहित प्रतिष्ठित बाह्य प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण दिलाया गया.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग कर्मचारि

मार्च 2015 के अंत तक कुल 13617 स्टाफ में से 2752 अनुसूचित जाति वर्ग के थे, 993 अनुसूचित जनजाति और 2816 अन्य पिछडे वर्ग के थे.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष

अ.जा./अ.ज.जा. कक्ष सभी 27 क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं तथा अ.जा./अ.ज.जा. के वरिष्ठ अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है. प्रधान कार्यालय में अ.जा./अ.ज.जा. कक्ष मुख्य संपर्क अधिकारी के अधीन कार्यरत है.

अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करके उन पर तुरंत निवारक कार्रवाई की जाती है. मुख्य संपर्क अधिकारी अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारी कल्याण संघ व उनके प्रतिनिधियों को प्रधान कार्यालय में मिलते हैं तथा यदि कुछ मामले हो तो प्र.का. के संबंधित विभाग को निवारण हेतु भेज देते हैं. इसी प्रकार क्षेत्रीय प्रमुख/संपर्क अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर शिकायतों का निवारण करते हैं.

आगे बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और अ.जा./अ.ज.जा. प्रतिनिधियों के बीच तिमाही बैठक नियमित तौर पर सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाती है. इन बैठकों में, अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों से संबंधित यदि कोई शिकायत हो तो, अ.जा./अ.ज.जा. कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया जाता है तथा निपटाया जाता है. सभी अभ्यावेदनों को एक रजिस्टर में प्रविष्टि की जाती है तथा प्रत्येक अभ्यावेदन पर की गयी कार्रवाई भी दर्ज की जाती है. रजिस्टर को समय-समय पर मुख्य संपर्क अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाता है.

इसी प्रकार सभी 27 क्षेत्रीय कार्यालयों व प्रधान कार्यालय में अ.पि.व. के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के अधीन, अलग से अ.पि.व. कक्ष कार्यरत है.

बैंक नियमित तौर से अ.जा/अ.ज.जा. व अ.पि.व. के लिए(अर्थात अधीनस्थ कर्मचारी,लिपिक तथा वेतनमान III तक के अधिकारियों के लिए) पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है.

हमारा बैंक अ.जा/अ.ज.जा., अ.पि.व. व अल्प संख्यक समुदाय के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार की सभी आरक्षण नीति का अनुपालन कर रहा है जिसमें शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति भी शामिल हैं.

स्टाफ संबंध

बैंक द्वारा व्यवहार्य एवं मानवीय दृष्टिकोण रखने के कारण बैंक को सकारात्म क परिणाम प्राप्त हुए और बैंक प्रबंधन तथा बैंक के कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों से बैंक लगातार प्रगतिशील वृद्धि दिखा रहा है. वातावरण सकारात्मक है तथा इसका परिणाम मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की निरंतर वृद्धि के रूप में परिलक्षित हुई. बैंक में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण तथा स्नेहपूर्ण रहा. वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा बैंक से संबंधित मुद्दों के लिए कोई आंदोलन अथवा अशान्ति नहीं रही. कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने तथा विवाद, यदि कोई, को सौहार्दपूर्ण तरीके से दूर करने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित अंतरालों पर सलाहकार समिति बैठक तथा समझौता समिति बैठकें आयोजित की जाती है तथा इन बैठकों में बैंक के शीर्ष कार्यपालक उपस्थित होते हैं .

खेलकूद गतिविधियां

बैंक की खेलकूद टीमों ने वर्ष 2014-15 के दौरान उत्कृष्ट निष्पादन दर्शाया है. हमारे बैंक की बॉस्केटबॉल टीम ने पेरियकुलम,तमिलनाडु में आयोजित अखिल भारतीय बॉस्केटबॉल टूर्नामेंट जीता. टीम ने कर्नाटक राज्य बास्केटबाल असोसियेशन द्वारा आयोजित विख्यात असोसियेशन कप तथा स्टेट सीनियर डिविजन लीग भी जीता. रसिडेंसी रोड, बैंगलूर शाखा में कार्यरत श्री. अरविंद ए. को गुडगांव में आयोजित इंडियन बास्केटबॉल टीम के प्रिपरेशन कैंप के लिए चुना गया. बैंक की बॉस्केटबाल टीम के चार सदस्य, श्री अरविंद.ए., श्री अनिल कुमार.बी.के., श्री राजेश उप्पर और श्री.रॉबी थामस वरिष्ठ राष्ट्रीय बॉस्केटबॉल चैम्पीयनशिप और 35 वीं राष्ट्रीय गेम्स में कनार्टक का प्रतिनिधित्व करने हेतु चुने गए.

बैंक की क्रिकेट टीम ने चेन्नै व कोच्ची में क्रमश: आयोजित अखिल भारतीय वाईएससीए क्रिकेट टूर्नमेंट और अखिल भारतीय बीपीसीएल कोच्ची रिफ ाइनरीज क्रिकेट टूर्नमेंट में द्वितीय स्थान हासिल किया . कोच्ची में आयोजित टूर्नमेंट में श्री. मुहम्मद अस्लम ए.पी.,लिपिक, शांतिनगर शाखा को श्रेष्ठ बल्लेबाज घोषित किया गया. हमारे बैंक की क्रिकेट टीम के सदस्य श्री. आर.विनय कुमार कर्नाटक रणजी टीम का वर्तमान कप्तान है, जिसने लगातार दूसरी बार रणजी ट्रॉफी टूर्नमेंट जीता है. श्री. सी.एम.गौतम, सहायक प्रबंधक, शांतिनगर शाखा जो कर्नाटक रणजी टीम का उप कप्तान भी है, टीम का अभिन्न अंग है. श्री.नियाज निसार,लिपिक, एन.आर.रोड शाखा ने वर्ष 2014-15 में रणजी ट्रॉफी में केरल का प्रतिनिधित्व किया.

बैंक की कब्बड्डी टीम ने भी उत्कृष्ट निष्पादन दर्शाया. कब्बड्डी टीम ने कोरटगेरे, गूलूर, आनेकल, मंगलूर और कर्कला में आयोजित 5 राज्य स्तर कब्बडी टूर्नामेंट जीता. बैंक की कब्बड्डी टीम ने मुधोल, कर्नाटक में आयोजित अखिल भारतीय कब्बडी टूर्नामेंट और हेबगोडी,कर्नाटक में आयोजित राज्य स्तर कब्बड्डी टूर्नामेंट में दूसरा स्थान प्राप्त किया. श्री.सेल्वराजन आर., सेवा शाखा, श्री. प्रशांत रै, इंदिरानगर शाखा, श्री.सुकेश हेग्डे, एचए एल तीसरा स्टेज और श्री. कीर्ती.एच.एस, नागप्पा ब्लॉक शाखा हमारी टीम के कुछ स्टार खिलाडी थे. श्री.सुकेश हेग्डे ने फुकेट,थाईलैंड में आयोजित बीच कब्बड्डी चैम्पीयनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया.

स्टाफ कल्याण उपाय

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुसार निवल लाभ के 3%, अधिकतम ₹15.00 करोड तक की राशि को बैंक के कर्मचारियों के कल्याण हेतु आबंटित किया जाना है.

बैंक में विभिन्न स्टाफ कल्याण योजनाएं हैं जैसे

1. कैंटीन अनुदान
2. समाचार पत्र प्रतिपूर्ति
3. वार्षिक स्वास्थ्य जांच
4. प्र.का. तथा एम.एस.आर. नगर, बैंगलूर में स्थित स्वास्थ्य क्लीनिक
5. अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वार्षिक चिकित्सा सहायता
6. रजत जयंती पुरस्कार प्रदान करना
7. स्टाफ सदस्यों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नकद प्रोत्साहन
8. वी-शक्ति, वी-सुबोधिनी, वी-प्रगति के अधीन बालिकाओं के लिए ₹ 5,000.00 की छात्रवृत्ति प्रदान करना
9. ग्रूप मेडिक्लेम इंश्यूरेंस

विजया बैंक स्टाफ कल्याण निधि न्यास

विजया बैंक स्टाफ कल्याण निधि न्यास को वर्ष 21.09.2002 से गठित किया है:

स्टाफ कल्याण निधि न्यास के अधीन बैंक की कई योजनाएं हैं जैसे

1. कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति देना
2. अस्पतालीकरण व्यय के दावे के शेष व्यय की प्रतिपूर्ति
3. चश्मे के व्यय की प्रतिपूर्ति
4. मृत कर्मचारी के आश्रितों को अंतिम संस्कार व्यय
5. अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देना
6. मानसिक रूप से अक्षम /स्पास्टिक बच्चों के माता-पिता, जो हमारे कर्मचारी है, उनको सहायता/छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने हेतु योजना
7. शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों/उनके बच्चों को कृत्रिम अंग / श्रवण उपकरण/बैसाखी आदि उपलब्ध कराने हेतु योजना
8. गोवा, दारजीलिंग, शिमला, तिरुपति, बेंगलूर, मैसूर, ऊटी, दिल्ली व मुंबई में हॉलिडे होम.

बैंक, परिवार कल्याण योजना भी चला रहा है जिसके अधीन योजना के सदस्यों से एकत्रित राशि मृतक स्टाफ सदस्य के परिवार के सदस्यों (नामितियों) को वितरित की जाती है.

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली

त्वरित निर्णय लेने की प्रक्रिया तथा कर्मचारियों से संबंधित त्रुटिमुक्त डाटा के प्रबंधन को सुचारू बनाने हेतु प्रधान कार्यालय के केंद्रीकृत स्थान में बैंक ने एचआरएमएस (पीपलसॉफ्ट) सॉफ्टवेयर को कार्यान्वित किया है.

एचआरएमएस सॉफ्टवेयर में, लाभों का प्रशासन, पे-रोल तथा प्रशिक्षण सहित कई मानव संसाधन कार्य को एक ही पैकेज में एकीकृत किया गया है.

आंतरिक शिकायत समिति

कार्यस्थान पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध, निवारण) अधिनियम, 2013 (आगे इसे अधिनियम कहा जाएगा) लागू हो गया है और इसे भारत के राजपत्र में असाधारण, भाग ।।, अनुभाग । दि. 23.04.2013 में 2013 के अधिनियम सं 14 के रूप में प्रकाशित किया गया है.

यह अधिनियम, कार्यस्थान पर महिलाओं का यौन उत्पीडन के प्रति सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा यौन उत्पीडन के मामलों से संबंधी शिकायतों के रोकथाम व निवारण तथा इस संबंधी या आनुषंगिक मामलों के लिए है.

उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन के अनुरूप, बैंक द्वारा कार्यस्थान पर लिंग भेद तथा यौन उत्पीडन से संबंधित स्टाफ सदस्यों से प्राप्त शिकायतों को निपटाने हेतु प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है.

प्रधान कार्यालय में गठित आंतरिक शिकायत समिति में निम्न सदस्य हैं:

1. श्रीमती निर्मला श्रीधर, महा प्रबंधक – अध्यक्ष
2. श्रीमती कमलाक्षी हेगडे, मु.प्र. – सदस्य
3. श्री कृष्ण कुमार, मु.प्र. – सदस्य
4. श्रीमती भानुमती रामसामी, प्रबंधक – सदस्य
5. श्रीमती संदीपा मुल्लत, प्रबंधक – सदस्य
6. श्रीमती गीता मेनन – एनजीओ – सदस्य

उक्त अधिनियम की धारा 22 में निर्धारित किया गया है कि नियोजक द्वारा इस अधिनियम के अधीन फाइल किए गए मामले, यदि हो और निपटाये गये मामलों की संख्या को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जाना है.

केंद्र सरकार ने भी इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यस्थान पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध, निवारण) नियम, 2013 तैयार की है. नियम 14 के अधीन नियोजक को वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी करते समय निम्न सूचना शामिल की जानी है:

क. वर्ष के दौरान प्राप्त यौन उत्पीडन की शिकायतों की संख्या

ख. वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या

ग. 90 दिनों से अधिक लंबित मामलों की संख्या

घ. यौन उत्पीडनों के प्रति जागरूकता हेतु आयोजित कार्यशाला या कार्यक्रमों की संख्या

ङ. नियोजक द्वारा ली गई कार्रवाई की प्रकृत्ति

तदनुसार, समिति द्वारा अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक प्राप्त शिकायतों का विवरण नीचे संलग्न है.

क्रम सं	वर्ष के दौरान प्राप्त यौन उत्पीडन की शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटाये गए शिकायतों की संख्या	90 दिनों से अधिक लंबित मामलों की संख्या	यौन उत्पीडन के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु आयोजित कार्यशाला या कार्यक्रम	नियोक्त या जिला अधिकारी द्वारा ली गई कार्रवाई की प्रकृति
1	7	6	**शून्य** (1 लंबित है > 90 दिन)	2 महिला शाखा प्रबंधकों के लिए विशेष कार्यक्रम महिला कर्मचारियों के लिए विशेष कार्यक्रम सदर्न इंडिया बैंक, एसटीसी, बैंगलूर में आयोजित 58 महिला अधिकारियों ने भाग लिया	6 मामलों में से – 4 मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया गया. 2 मामलों को कार्मिक विभाग (औ. सं.वि) को इस मामले में उचित कार्रवाई लेने हेतु निर्दिष्ट किया गया.

अन्य सेवाएं

व्यापारि बैंकिंग व सहायक गतिविधियां

बैंक, व्यापारी बैंकिंग गतिविधियां जैसे श्रेणी । व्यापारी बैंकर, निर्गम बैंकर, डिबेंचर ट्रस्टी, निक्षेपागार भागीदारी के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से पंजीकृत है. ब्लाक की गयी राशि द्वारा समर्थित एप्लिकेशनों (एएसबीए) के अधीन जारी आईपीओ/अधिकार स्वीकृत करने के लिए 'स्व प्रमाणित सिंडिकेट बैंक' के रूप में भी बैंक पंजीकृत है.

बैंक, ब्याज/लाभांश/कॉर्पोरेटों के धनवापसी आदेशों के भुगतान के लिए भुगतान बैंकर का कार्य भी करता है. बैंक अपने ग्राहकों को जमा निक्षेपी सेवाएं तथा ऑन-लाइन ट्रेडिंग भी प्रदान करता है.

सरकारि कारोबार

विभिन्न सरकारी कारोबार के अधीन बैंक अपनी 276 शाखाओं में प्रत्यक्ष कर की वसूली कर रहा है. बैंक ने वी-नेट बैंकिंग के जरिए अपने सभी ग्राहकों के लिए अपनी सभी शाखाओं में सीबीडीटी व सीबीईसी के करों का ऑनलाइन भुगतान शुरू किया है. बैंक की 888 शाखाएं लोक भविष्य निधि खाते खोलने के लिए पदनामित हैं. इसके अलावा, सभी शाखाएं केंद्रीय सिविल, रक्षा, टेलिकॉम पेंशन तथा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल व 4 मेट्रो शहरों के राज्य पेंशन संवितरित करने के लिए प्राधिकृत है. केंद्र सरकार पेंशनरों की पेंशन का केंद्रीकृत भुगतान करने के लिए प्र.का. में केंद्रीकृत पेंशन संसाधन कक्ष स्थापित किया गया है. एनपीएस स्वावलंबन योजना के अधीन अंशदान स्वीकृत करने हेतु 1487 शाखाओं को एनपीएस-लाइट संग्रहण केंद्र (एल-सीसी) के रूप में पदनामित किया गया है.

एलआईसी के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी

ग्राहकों की जीवन बीमा आवश्यकताओं के लिए बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था की है.

यूआईआईसी के साथ कार्पोरेट एजेंसी

ग्राहकों की गैर-जीवन बीमा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक ने यूनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लि. के साथ कार्पोरेट एजेन्सी करार किया है.

उधारकर्ताओं के लिए समूह बीमा कवरेज

बैंक ने वैयक्तिक उधारकर्ताओं के सामूहिक कवरेज हेतु मेसर्स बजाज अलायन्स लि. के साथ व्यवस्था की है.

निधि अंतरण सेवाएं (परंपरागत तथा ऑनलाइन)

बैंक, निधि अंतरण सेवाओं के लिए मनीग्राम तथा एक्सप्रेस मनी का सब-एजेंट है. मनीग्राम के अधीन, बैंक की यूएई विनिमय व वित्तीय सेवाएं तथा थॉमस कुक (इंडिया) लि. दोनों के साथ टाइ-अप व्यवस्था है. एनआरआई को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करते हुए ऑनलाइन निधि अंतरण हेतु (रेमिट 2 इंडिया) बैंक ने टाइम्स ऑफ मनी लि. के साथ टाइ-अप व्यवस्था की है. वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्स्फर सेवांएं के लिए बैंक ने स्पाईस ग्रुप कंपनी के वॉल स्ट्रीट फाइनैंस लिमिटेड के साथ टाई-अप व्यवस्था की हैं.

क्रेडिट कार्ड कारोबार

वित्तीय वर्ष के अंत तक बैंक द्वारा जारी कुल सक्रिय कार्ड 1,59,149 लाख है और यथा 31.03.2014 को ₹ 458.18 करोड क्रेडिट कार्ड पण्यावर्त की तुलना में क्रेडिट कार्ड पण्यावर्त ₹ 514.57 है. बैंक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए चिप आधारित कार्ड जारी कर रहा है.

यथा 31.03.2014 में 1293 प्रतिष्ठानों की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक द्वारा सूचीबद्ध किए गए व्यापारिक प्रतिष्ठानों की संख्या 917 है. जिन प्रतिष्ठानों ने 12 महीनों से अधिक समय के लिए कारोबार नहीं दिया है उन्हें विभाग ने सूची से निकाल दिया है. बैंक कॉर्डलेस कॉर्ड स्वाइपिंग मशीन भी उपलब्ध कराता है और ये टर्मिनल ईएमवी/यूकेपीटी/ टीएलई का अनुपालन करता है तथा PIN@POS समर्थ है. हमारी कोर बैंकिंग शाखाओं में खाता अनुरक्षित करनेवाले व्यापारियों को बैंक सीधा भुगतान करता है.

डेबिट कार्ड

डेबिट कार्ड जारी करने में अच्छी बढोत्तरी हुई है. यथा 31 मार्च 2014 में जारी 518809 कार्डों के प्रति वर्ष 2014-15 में जारी किए गए डेबिट/एटीएम कार्डों की संख्या 1539854 है. यथा 31.03.2014 को डेबिट कार्ड पण्यावर्त ₹ 464.96 करोड के प्रति 2014-2015 के दौरान डेबिट कार्ड पण्यावर्त ₹ 577.42 करोड रहा. बैंक जन-धन खाते खोल रहा है तथा रुपे तथा वीआईएसए के सहयोग के साथ मार्च 2015 में प्लाटिनम कार्ड जारी किया है.

निक्षेपागार भागीदारि खाता व ऑनलाइन ट्रेडिंग

विजया बैंक का निक्षेपागार भागीदारी खाता राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड के साथ है.

विजया बैंक निम्न निक्षेपागार सेवाएं प्रदान करता है.

- खाता खोलना
- प्रतिभूतियों का अमूर्तीकरण (शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, आदि)
- एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के साथ जुडे स्टॉक विनिमयों में व्यापार का इलेक्ट्रॉनिक निपटान
- बैंक ऋण के प्रति अमूर्त प्रतिभूति की गिरवी/दृष्टिबंधक
- सार्वजनिक निर्गम में आबंटित प्रतिभूतियों की इलेक्ट्रॉनिक जमा
- जब कभी आवश्यक हो खातों का रोक लगाना ताकि खाते से नामे की अनुमति न हो
- अमूर्त खातों के लिए नामांकन सुविधा
- पते, बैंक खाता विवरण में परिवर्तन, आदि से संबंधित सेवाएं
- प्रतिभूतियों का प्रेषण करना
- एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा

बैंक ग्राहकों को निक्षेपागार सेवाएं प्रदान करता है तथा ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रदान करने के लिए आईडीबीआई कैपिटल के साथ टाइ-अप किया है.

सरकारी कारोबार मॉड्यूल (जीबीएम)

सरकारी कारोबार मॉड्यूल को निम्न मॉड्यूलों के साथ कार्यान्वित किया गया है -

- ओल्टास मॉड्यूल, जो कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर की सेवाएं प्रदान करता है तथा नागपुर लिंक सेल के जरिए भा.रि.बैंक को कर रकम के प्रेषण का कार्य करता है.
- लोक भविष्य निधि - बैंक की पदनामित शाखाओं में पीपीएफ स्वीकृत की जाती है.

पेंशन का केंद्रीकृत भुगतान - प्रधान कार्यालय में एक समर्पित केंद्रीकृत पेंशन भुगतान संसाधन कक्ष की स्थापना की गई है. राज्य, केंद्रीय, सिविल, दूरसंचार, रक्षा, न्यायाधीश तथा स्वतंत्रता सेनानी पेंशन जैसे सभी प्रकार के पेंशन का भुगतान केंद्रीकृत रूप से सीपीपीसी कक्ष, प्रधान कार्यालय द्वारा किया जा रहा है.

बैंक में सरकारी मार्गनिर्देशों के अनुसार वरिष्ठ नागरिक बचत योजना भी कार्यान्वित की गई है.

विपणन ढांचा

बैंक के प्र.का. में स्थित विपणन कक्ष देशभर में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों, आरएसीपीसी व एमएसएमई कक्ष में कार्यरत सभी विपणन अधिकारियों की सक्रिय प्रतिभागिता से बैंक के विभिन्न उत्पादों के प्रचार व विपणन में सक्रिय रूप से कार्यरत है.

प्रचार तथा जनसंपर्क

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक व उसके उत्पादों की दृश्यता को संपूर्ण देश में बढाने हेतु अंग्रेजी, हिन्दी व क्षेत्रीय भाषाओं में प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया में बैंक ने कई प्रमुख विज्ञापन अभियान आयोजित किए. इस वर्ष बाह्य विज्ञापन मीडिया जैसे हवाई अड्डे तथा दिल्ली मेट्रो रेल्वे स्टेशन, कोलकाता मेट्रो स्टेशन में ट्रान्सलाइट आदि के जरिए प्रमुख प्रचार अभियान किए गए. मेट्रो शहरों में बाह्य विज्ञापन होर्डिंग लगाए गए, रेल्वे स्टेशन/बस अड्डे में ग्लो साइन/साइन बोर्ड विज्ञापन के जरिए प्रचार किया गया.

राजभाषा कार्यान्वयन

राष्ट्रीयकरण से बैंक भारत सरकार की राजभाषा नीति को सही भावना से कार्यान्वयन कर रहा है. स्टाफ सदस्यों के प्रयास से बैंक ने यथा 31.03.2015 को हिन्दी पत्राचार में 'क' क्षेत्र में 100% लक्ष्य के प्रति 90.07%, 'ख' क्षेत्र में 90% लक्ष्य के प्रति 80.64% तथा 'ग' क्षेत्र में 55% लक्ष्य में प्रति 61.49% हासिल किया है.

बच्चों के लिए बचत बैंक उत्पाद 'वी जेन यूथ' बैनर के अधीन सभी 27 क्षेत्रीय कार्यालयों व प्रधान कार्यालय द्वारा हाईस्कूल छात्रों के लिए वी-जेन यूथ हिन्दी गायन प्रतियोगिता/हिन्दी चित्रकला प्रतियोगिता/हिन्दी भाषण प्रतियोगिता, हिन्दी प्रश्न मंच प्रतियोगिता, आदि का आयोजन किया गया. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हिन्दी संगोष्ठी (आपसी संवाद कार्यक्रम) का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के अध्यापक व छात्रों, ग्राहकों तथा स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया.

कार्यपालकों/अधिकारियों एवं लिपिक वर्ग के कर्मचारियों के लिए आयोजित कुल 92 हिन्दी कार्यशालाओं में 1610 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया. इन कार्यशालाओं में यूनिकोड के प्रयोग को अधिक महत्व दिया गया.

दिनांक 08.01.2015 को संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नागपुर एवं सदस्य बैंकों के साथ विचार-विमर्श किया गया जिसमें हमारे क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर की सदस्य कार्यालय के रूप में सहभागिता रही.

दिनांक 07.02.2015 को संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने हमारी उगदमंडलम शाखा का निरीक्षण किया.

प्रधान कार्यालय में दिनांक 16.09.2014 को हिन्दी समारोह का आयोजन किया गया तथा इस अवसर पर बैंक में सभी स्टाफ सदस्यों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन हेतु राजभाषा सहायिका का विमोचन किया गया.

बैंक में ई-पासबुक/टेली बैंकिंग में हिन्दी/डाइबोल्ड मशीनों में हिन्दी में एटीएम पर्ची निकालने की सुविधा है. बैंक की विशेष इंट्रानेट राजभाषा वेबसाइट में सभी शाखाओं/कार्यालयों पत्रशीर्ष, कार्यालय नोट, पत्र, आदि उपलब्ध कराकर इसे स्टाफ सदस्यों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाया गया. बैंक की त्रिभाषा वेबसाइट का हिन्दी पाठ समय-समय पर अद्यतित किया जाता है. 'वी-ज्ञान केंद्र' द्विभाषी में उपलब्ध है.

बैंक के प्रधान कार्यालय, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों ने संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से राजभाषा कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2013-14 के लिए पुरस्कार जीता है - स्टाफ महाविद्यालय, बेंगलूर - प्रथम पुरस्कार ; क्षेत्रीय कार्यालय, हासन - प्रथम पुरस्कार ; मेयो हॉल शाखा -चौथा पुरस्कार ; कर्नालशाखा - सांत्वना पुरस्कार ; क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे को उत्कृष्ट निष्पादन हेतु पुरस्कार.

देश की विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के तत्वावधान में हमारे बैंक ने कई अंतर बैंक प्रतियोगिताएं आयोजित कीं तथा हमारे कई स्टाफ सदस्यों ने पुरस्कार भी जीता है.

वर्ष 2013-14 हेतु बैंक के आंतरिक राजभाषा शील्ड योजना के अंतर्गत प्रभावी राजभाषा कार्यान्वयन हेतु प्र.का. विभाग संवर्ग केअधीन कार्मिक विभाग को प्रथम पुरस्कार, योजना व विकास विभाग को द्वितीयपुरस्कार तथा केंद्रीय लेखा विभाग को तृतीय पुरस्कार मिला. उत्कृष्ट क्षेत्र संवर्ग के अधीन चंडीगढ को प्रथम पुरस्कार, लखनऊ को द्वितीय पुरस्कार तथा बेंगलूर (दक्षिण) को तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ.

वैकल्पिक सुपुर्दगी चैनल

ग्राहकों तथा बैंकों के आपसी लाभ के लिए प्रौद्योगिकी समर्थित वैकल्पिक सुपुर्दगी माध्यम का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यकलाप आयोजित किए गए हैं. ग्राहकों को मेल भेजे गए जिसमें वैकल्पिक सुपुर्दगी माध्यम के प्रयोग से जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड का उपयोग, ऑन-लाइन खरीद पर लाभ तथा आरटीजीएस/एनईएफटी के जरिए निधि अंतरण के लाभ पर प्रकाश डाला गया. कर्मचारियों को इन उत्पादों से परिचय कराने/ इसके प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कर्मचारी महाविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये सारी सुविधाएं व्यावसायिक तरीके से ग्राहकों तक पहुंचायी जाती है.

टेलि बैंकिंग सुविधा

टेलि बैंकिंग सुविधाएं वर्ष 2012-13 के दौरान शुरू की गयी तथा यह सुविधा 24×7 उपलब्ध है. टेलिबैंकिंग सुविधा तीनो भाषाओं में यानि अंग्रेजी, कन्नड तथा हिन्दी में उपलब्ध है. टेलि बैंकिंग ग्राहकों को निम्न सुविधाएं प्रदान करता हैं :

- खाता विवरण: इसमें खाता शेष पूछताछ, पिछले पांच लेनदेन के विवरण, ई-मेइल द्वारा खाता विवरण, क्रेडिट/डेबिट कार्ड के विवरण उपलब्ध होगा.
- चेक बुक के लिए अनुरोध, भुगतान स्थगन, चेक स्टेटस की जानकारी
- वित्तीय लेनदेन: इसमें स्वयं के खाते में निधि का आंतरण कर सकते है.
- ऋण खाते का विवरण तथा जमाराशि का विवरण
- इंटरनेट बैंकिंग सहायता तथा मोबाइल बैंकिंग सहायता
- खाते को आधार संख्या से जोडना.

इंटरनेट बैंकिंग

वी-नेट बैंकिंग, बैंक का इंटरनेट बैंकिंग चैनल है जिसमें खाता शेष पूछताछ, खाता विवरणी, एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए अंतर बैंक तथा अन्य बैंकों के साथ निधि अंतरण, एसएमएस अलर्ट से संबंधित लेनदेन, अप्रत्यक्ष/ प्रत्यक्ष कर का भुगतान, राज्य वाणिज्यिक कर, यूटिलिटी बिल भुगतान, मंदिरों को ऑनलाइन दान एवं प्रधान मंत्री राहत निधि के लिए ऑनलाइन दान तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध है. वी-नेट बैंकिंग में जोड दी गई विशेषताएं निम्नानुसार हैं.

- पासवर्ड को ऑनलाइन पुन: बनाया जा सकता है
- यूजर आईडी व पासवर्ड ऑनलाइन पर सृजित किया जा सकता है
- ग्राहक अपना पीपीएफ खाता देख सकते हैं तथा वी-नेट बैंकिंग सुविधा उपयोग करते हुए जुडे गए अपने परिचालनात्मक खातें से पीपीएफ खाते में निधि का अंतरण कर सकते हैं..
- ग्राहक अपने विजया बैंक क्रेडिट कार्ड विवरण देख सकते हैं.
- ग्राहक आयात एवं निर्यात सीमा शुल्क का भुगतान कर सकते है.

मोबाइल बैंकिंग

वी-मोबाइल बैंकिंग चैनल के जरिए बैंक, खाता शेष पूछताछ, खाता विवरणी, मोबाइल रीचार्ज, एनईएफटी द्वारा अंतर बैंक व बैंक की शाखाओं के बीच निधि अंतरण, एयरलाइन टिकेट बुकिंग, मूवी टिकेट बुकिंग, आदि प्रदान कर रहा है जो कि ग्राहक एसएमएस/जीपीआरएस संप्रेषण मोड के जरिए हैंडसेट से कर सकते हें. तत्काल भुगतान सेवा एनपीसीआई (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) द्वारा शुरू की गई पहल है जिसे मोबाइल बैंकिंग सेवाएं उपयोग करनेवाले ग्राहक के लाभार्थ कार्यान्वित किया गया है. अंतर बैंक मोबाइल भुगतान सेवा (आईएम पीएस) (पी2पी-व्यक्ति से व्यक्ति को) जिसके जरिए 24×7 एमएमआईडी (मोबाइल मनी आइडेंटिफायर) का प्रयोग करके बैंक के अंदर व बैंकों के बीच लेनदेन कर सकते हैं. हमारी मौजूदा मोबाइल बैंकिंग सेवाओं में आईएमपीएस (पी2ए-व्यक्ति से खाते को) कार्यान्वित है जहां ग्राहक एमएमआईडी का उपयोग किए बिना, हिताधिकारी का खाता संख्या तथा आईएफएससी कूट का प्रयोग करते हुए निधि अंतरण कर सकते हैं.

अब हमने वर्धित रूप और भावना के साथ मोबाइल बैंकिंग के नए रूपंतरण का शुभारंभ किया है, जिसमें अतिरिक्त सुविधाएं जैसे कि ग्राहक द्वारा बैंक से सूचनाएं प्राप्त की जाना, निधि आंतरण लेनदेन की टिप्पणी जोड़ना, स्वयं द्वारा आवेदन पासवर्ड उत्पन्न किया जाना और ग्राहकों के अनुकूल अन्य विकल्प उपलब्ध हैं.

एसएमएस अलर्ट्स/ई-मेल

बैंक एसएमएस अलर्ट सेवा भी प्रदान करता है. ₹ 100/- से अधिक सभी लेनदेन तथा चेक लौटाए जाने के संबंध में, चाहे राशि जितनी भी हो, संदेश भेजे जाते हैं. जिन खाताधारकों ने ई-मेल आइडी रजिस्टर किया है, उनको ई-मेल के जरिए खातों की मासिक विवरणी भेजने का कार्य शुरू किया गया है.

एसएमएस अलर्ट निम्न के लिए उपयोग किया जाता है -

- एसएमएस-ओटीपी (एक बारगी पासवर्ड) द्वारा हिताधिकारियों को वी-नेट बैंकिंग में जोडना.
- ऑनलाइन पर वी-नेट बैंकिंग एसएमएस-ओटीपी (एक बारगी पासवर्ड) रीसेट किया जा सकता है.
- अन्य सुरक्षा सुविधाओं के साथ-साथ खुदरा ग्राहक, एसएम एस-ओटीपी (एक बारगी पासवर्ड) द्वारा स्व-प्रयोक्ता बना सकतें है.

वी ज्ञानसागर:

वी ज्ञानसागर विजया बैंक द्वारा जनता के लिए वित्तीय साक्षरता के भाग के रूप में वित्तीय जानकारी प्रदान करने की एक अनूठी पहल है. वी ज्ञानसागर आंड्राइड मोबाइल अनुप्रयोग है, जो ग्राहक को वित्तीय, आर्थिक और बैंकिंग विषय पर दैनिक अद्यतन प्राप्त करने की सुविधा तथा वित्तीय और बैंकिंग शब्दों की व्याख्या प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है

वी अबैकस :

एक मिस कॉल देकर खाता खोलना और टैब बैंकिंग के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा कार्यांवित की गई है.

जो ग्राहक शाखा में आकर खाता नहीं खोल सकते, उनके लिए यह सुविधा उपयोगी है.

वी क्विकपे :

वी क्विकपे हमारे बैंक की एक अनूठी पहल है और अगली पीढ़ी की बिल भुगतान सेवा है, जहां क्यूआर कोड की स्कैनिंग द्वारा बिल का भुगतान किया जाता है. ग्राहक को हम से इस सुविधा का लाभ उठाए व्यापारियों द्वारा उत्पन्न बिल के क्यूआर कोड का स्कैन करना है तथा पीओएस मशीन पर क्रेडिट / डेबिट कार्ड स्वाइप किए बिना बिल के भुगतान करना है. इसमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड द्वारा और किसी भी बैंक के नेट बैंकिंग द्वारा भुगतान करने की सुविधा है. यह उत्पाद एक नया बिल भुगतान चैनल है, जो अब तक भारतीय बैंकिंग उद्योग में किसी भी बैंक द्वारा प्रदान नहीं किया गया है.

यूएसएसडी–एनयूयूपी :

मोबाइल बैंकिंग सेवाएं वर्ष 2009 में बैंक द्वारा शुरू की गई थी. तथापि, जिनके पास उच्च सुविधावाले हैंडसेट नहीं है, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से प्रदान की जानेवाली बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करना उनकी पहुंच से परे थी. अब सभी ग्राहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग सुलभ बनाने हेतु बुनियादी मोबाइल फोन पर भी मोबाइल बैंकिंग सेवाएं देने के लिए बैंक द्वारा टेल्कोस द्वारा प्रदान किए गए एनपीसीआई का असंरचित पूरक सेवा डाटा–यूएसएसडी–एनयूयूपी का उपयोग किया गया है.

वी ऑनलाइन बचत बैंक खाता:

हमारी वेबसाइट 'www.vijayabank.com' द्वारा ऑनलाइन बचत बैंक खाता खोलने का विकल्प पेश किया गया था. ग्राहक कों खाता खोलने के लिए अपनी सुविधानुसार अपनी पसंद का स्थान चुनना है. ग्राहक के अनुरोध के संबंध में शाखा एक स्वचालित मेल प्राप्त करती है; शाखा ग्राहक को बुलायेगी और आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रियाओं को सूचित करेगी. ग्राहक अपने द्वारा चुने दिनांक पर शाखा में जाकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके खाता खोलते हैं.

ग्राहक सेवा और शिकायतों का निपटान

- बैंक में एक सुस्थापित मजबूत शिकायत निवारण तंत्र है. शिकायतों को तुरंत निपटाया जाता है तथा सभी शिकायतों के समयबद्ध निपटान हेतु जोरदार प्रयास किए जा रहे हैं.
- ग्राहक की शिकायते तथा बैंक में ग्राहक सेवा सुधारने की सुझावों की चर्चा करने के लिए मंडल की ग्राहक सेवा समिति तथा ग्राहक सेवा पर स्थाई समिति आवधिकता पर प्रधान कार्यालय में मिलती हैं.
- मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) पहले से हमारे बैंक में है, जो ग्राहकों के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए आनलाइन पोर्टल है तथा इससे आगे की कार्रवाई का पता लगाया जा सकता है. विविध माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को ग्राहक शिकायतों के लिए एकीकृत सूचना प्रणाली बनाने हेतु तथा डिजिटलाइजड किया जाएगा. सभी शिकायतों को विभिन्न शीर्ष तथा उपशीर्षों में वर्गीकृत किया जाता है तथा सरल व समयबद्ध निपटान हेतु स्वत: संबंधित विभागों को भेजा जाता है.
- गुप्त निरीक्षण चालू वर्ष में भी जारी रखा गया है, जिसका उद्देश्य, निम्न बातों पर शाखाओं का मूल्यांकन करने के लिए है :

  1. शाखाओं का माहौल
  2. उत्पाद के बारे में स्टाफ का ज्ञान
  3. ग्राहक सेवा
  4. विनियामक निकाय जैसे भा.रि.बैं./बीसीएसबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवार्य प्रकटन की उपलब्धता

  प्रमुख क्षेत्रों के विश्लेषण करने तथा ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए अध्ययन के परिणामों का प्रयोग किया गया.

- **कॉल सेंटर :** सभी प्रकार के ग्राहकों की पूछताछ को निपटाने हेतु बैंक में व्यावसायिक तरीके से प्रबंधित कॉल सेंटर है. क्रेडिट और डेबिट कार्डधारकों के आपाती मामले जैसे कार्ड ब्लॉक करना/हॉटलिस्ट करना, गुमनाम लेनदेन को ट्रैक करना, आदि पर तुरंत सेवा उपलब्ध कराने हेतु बैंक का 24×7 विशेष हेल्प डेस्क है. बैंक सुनिश्चित करता है कि ग्राहक पूछताछ/मामलों को कम समय में ही निपटाया जाता है. इसके लिए बैंक द्वारा नेट बैंकिंग/वैकल्पिक सुपुर्दगी चैनल (सुबह 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक), कार्ड सेवा (24×7) एवं सामान्य बैंकिंग सुबह 8.00 बजे से शाम 8.00 बजे तक) विशेष कॉल सेंटर की स्थापना की गयी है.

भारतीय बैंकिंग संहिता व मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई)

बीसीएसबीआई का सदस्य होने के नाते भा.रि.बैं. द्वारा तैयार की गयी स्वैच्छिक संहिता को बैंक ने अपनाया है अर्थात (i) 'ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता' (ii) 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता'. बैंक ने बीसीएसबीआई के मार्गनिर्देशानुसार कई नीतियों को भी तैयार किया है तथा उनका अनुपालन किया है. संहिताओं के अक्षरश: अनुपालन के उद्देश्य से स्टाफ सामान्य बैंकिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संहिताओं के प्रावधानों को समाहित करते हुए ग्राहक सेवा पर एक सत्र को शामिल किया गया है. बीसीएसबीआई ने जनवरी 2014 में' ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता' को संशोधित किया है और बैंक द्वारा संशोधित दिशानिर्देशों को पालन करने हेतु कई कदम उठाये गये हैं.

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

हमारा बैंक सीएसआर गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है. तथापि, हमने दिनांक 01.02.2014 की सरकारी राजपत्र अधिसूचना के अनरूप औपचारिक सीएसआर कार्यकलापों को अपनाया है. वित्तीय वर्ष 2014-15 में अपनाए गए प्रमुख पहल इस प्रकार है :

- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में एक डाक्टर की सेवाएं उपलब्ध कराते हुए अपनाए गए गांवों को सहायता प्रदान करना तथा दवा निःशुल्क देना.
- ₹ 11,55,000/- की राशि मंजूर करते हुए बालिका अंगीकरण योजनांतर्गत हमने 16 बालिकाओं को अपनाया है और अपनाएं साल से स्नातक स्तर तक खर्च के प्रति इस राशि का उपयोग किया जाएगा.
- बस शेल्टर, ओवरहेड टंक, ट्रस्टो/अस्पतालों को एम्ब्युलेंस उपलब्ध कराने जैसे समुदायोन्मुख कार्यक्रमों के लिए दान दिए गए.
- श्री अरविंद भट को ओलम्पिक गेम्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गयी.
- सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी की टंकियां, वाटर प्यूरिफायर, बेंच, सोलार लाइट, पंखा, पुस्तकालय कक्ष आदि के लिए सहायता.
- दलित वर्ग विशेषतः अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व. के कल्याण हेतु विभिन्न न्यासों/प्रतिष्ठानों तथा अनाथाश्रम व वृद्धावस्था केंद्रों व वरिष्ठ नागरिकों को दान, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछडे समूहों द्वारा सामना किए जानेवाली असमानताओं को कम करने के उपाय के रूप में सहायता.
- दृष्टिहीनों के स्कूलों में रसोईघर की वस्तुएं फ्रीजर, मेज़, कुर्सियां जैसी वस्तुओं को उपलब्ध कराते हुए आर्थिक सहायता व श्रवण दोष वाले व्यक्तियों को श्रवण साधन प्रदान करना तथा अन्य प्रकार से असमर्थ व्यक्तियों को सहायता.
- हुद-हुद पीडितों के लिए अंशदान
- आश्रया, जैसी परियोजनाएं जो निराश्रित बालिकाओं के लिए भोजन, आवास तथा शिक्षा की सहायता प्रदान करता है, एनजीओ को समुदाय विकास हेतु कैन केर फाउण्डेशन जो मरीज और उनके परिवारवालों को वित्तीय एवं नैतिक राहत प्रदान करता है; लक्ष्मी नरसिंहा चैरिटेबल ट्रस्ट जो वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक रूप से अशक्त निवासियों को पेंशन के लिए आंशिक निधि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना.
- बैंक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार अवसर का निर्माण करता है.
- 84वे संस्थापन दिवस के उपलक्ष्य में सीएसआर कार्यकलाप के रूप में श्री तरळबाळु एजुकेशन सोसाइटी, सिरिगेरे, शिमोगा को हमने एम्ब्युलेंस दान दिया है.
- स्वच्छ विद्यालय कार्यान्वयन के उद्घोषणा पर प्रधान मंत्री के निदेशों के अनुक्रम में 84 सरकारी स्कूलों जिनमें सफाई सुविधा उपलब्ध नहीं है, स्वास्थ्य रक्षा सुविधा उपलब्ध कराने की गतिविधि शुरू की है. 84वें संस्थापक दिवस के उपलक्ष्य में इसके आगे शौचालय निर्माण कार्यपूरा किया है और बाकी में कार्य प्रगति पर है.
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला निराश्रितों के लिए कार्य कर रही 2 संस्थाओं को गद्दा, चादर, बाल्टी, तकिया आदि उपलब्ध कराए गए.
- देश के सकारात्मक प्रगति पर लक्ष्य केंद्रित करते हुए बच्चों की शिक्षा के प्रति मूल आवश्यकताओं आदि के लिए सहायता प्रदान करना.

पुरस्कार और उपलब्धियाँ

विभिन्न पहल की मान्यता में, बैंक को वर्ष 2014-15 के दौरान कई पुरस्कार और उपाधि प्रदान किए गए.

- डन एंड ब्रैडस्ट्रीट -पोलारिस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की मेजबानी में आयोजित समारोह में 'सर्वोत्तम आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन' शीर्षस्थ बैंक और बैंकिंग पुरस्कार 2014.
- नाबार्ड से स्वयं सहायता समूह / संयुक्त देयता समूह (एसएचजी / जेएलजी) लिंकेज के लिए 'सर्वोत्तम कार्य निष्पादन पुरस्कार'.
- उद्योग व्यापार और सेवाएं फेडरेशन द्वारा आयोजित समारोह में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम, भारत सरकार से ' पीएमजेडीवाई कार्य निष्पादन के लिए सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार'.

मंडल की बैठकें व मंडल की अन्य उप-समितियों की बैठकें

वर्ष 2014-15 के दौरान, निदेशक मंडल की 20 बैठकें हुई. समिति की बैठकों के विवरण निम्नानुसार है :

समिति का नाम	बैठकों की सं.
मंडल की प्रबंध समिति	16
मंडल की लेखापरीक्षा समिति	12
निदेशकों की पदोन्नति समिति	03
मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति	05
अधिक मूल्य की धोखाधडियों की समीक्षा समिति	05
मंडल की पारिश्रमिक समिति	01
मंडल की नामांकन समिति	02
मंडल की ग्राहक सेवा समिति	04

हितधारक संबंध समिति	04
शेयर अंतरण	07
प्रधान कार्यालय स्तर की ऋण अनुमोदन समिति	32
अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अंतिम आदेशों के प्रति कर्मचारी द्वारा दिए गए अपील पर विचार करने हेतु समिति	01
सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति	03
चुनाव में उम्मीदवार का समर्थन	शून्य
एनपीए का ऋण निगरानी वसूली प्रबंधन	05
एपीएआर समीक्षा समिति	01
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)	01
पहचान समिति तथा इरादतन चूककर्ताओं की पहचान तथा घाषणा हेतु शिकायत निवारण समिति	–
मानव संसाधन समिति	–

निदेशक मंडल में परिवर्तन

निदेशक मंडल में वर्ष 2014-15 के दौरान निम्नांकित परिवर्तन हुए :

1. दिनांक 31.12.2014 को श्री वी.कण्णन, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अधिवर्षिता प्राप्ति पर कार्यालय छोडने के फलस्वरूप श्री किशोर सांसी ने हमारे बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में दिनांक 01.01.2015 को कार्यग्रहण किया.
2. श्री वी.के.चोपडा, सरकारी नामिती निदेशक की अधिवर्षिता पर दिनांक 31.07.2014 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप श्री संजय कुमार, सरकारी नामिती निदेशक, हमारे बैंक के मंडल में दिनांक 12.09.2014 को शामिल हुए.
3. श्री प्रकाश चंद्र नलवाया, गैर-अधिकारी निदेशक, दिनांक 19.05.2014 को उनके 3 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर बैंक के निदेशक नहीं रहे.
4. श्री अशोक गुप्ता, गैर-अधिकारी निदेशक दिनांक 10.11.2014 को उनके 3 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर बैंक के निदेशक नहीं रहे.
5. श्री एच. हरीश बल्लाल, अधिकारी-कर्मचारी निदेशक, दिनांक 24.01.2015 को उनके 3 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर बैंक के निदेशक नहीं रहे.

यथा दिनांक को बैंक के निदेशक मंडल में निम्नांकित निदेशक हैं –

1. श्री किशोर सांसी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
2. श्री के.आर.शेणै, कार्यकारी निदेशक
3. श्री बी.एस.रामा राव, कार्यकारी निदेशक
4. श्री संजय कुमार, सरकारी नामिती निदेशक
5. श्रीमती सुमा वर्मा, भा.रि.बैं. नामिती निदेशक
6. श्री पी. वैद्यनाथन, शेयरधारक निदेशक
7. श्रीमती भारती राव, शेयरधारक निदेशक
8. श्री वाई.मुरलीकृष्णा, कामगार निदेशक

आभार

निदेशक मंडल संगठनात्मक विकास और उत्कृष्टता के प्रति ग्राहकों से प्राप्त संरक्षण, शेयरधारकों का सहयोग, सरकारी प्राधिकारियों और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग, समीक्षा वर्ष के दौरान अपने कार्यकाल को समाप्त किए निदेशकों को और सभी स्टाफ सदस्यों को अपने पूरे सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है.

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से,

प्रधान कार्यालय, बेंगलूर — **किशोर सांसी**

दिनांक : 12.05.2015 — प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

कंपनी शासन पर विजया बैंक के निदेशक मंडल की रिपोर्ट – 2014 – 15

कंपनी शासन

1. बैंक के कंपनी अभिशासन संबंधी सिद्धान्त

बैंक की परिभाषा में कंपनी अभिशासन से तात्पर्य है–बेहतरीन प्रबंधन पद्धति को लागू करना, कानून का शब्दों और भावों से पूर्ण रूप से अनुपालन, प्रभावकारी प्रबंधन व आस्तियों के वितरण के लिए नैतिक मानकों का अनुपालन तथा सभी शेयरधारकों के दीर्घकालीन विकास सामाजिक दायित्वों को निभाना अपनी उत्कृष्टता की खोज में बैंक संसाधनों का इष्टतम उपयोग करके सभी स्तरों पर निष्पादन सुनिश्चित करते हुए उच्चतम प्रतिलाभ पाने व शेयरधारकों के हित की रक्षा करते हुए उनकी मान्यता बढाने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखेगा. बैंक सांविधिक अपेक्षाओं को ही नहीं बल्कि स्वैच्छिक रूप से समर्थ कंपनी अभिशासन प्रणाली निर्धारित कर उनका अनुपालन भी करेगा.

अत: बैंक अपने शेयरधारकों के प्रति, अपने आपको न्यास मानता है तथा शेयरधारकों की संपत्ति को सृजित करना व उसे सुरक्षित रखना अपनी ज़िम्मेदारी समझता है. बैंक इसे प्रभावी कंपनी रणनीतियों, सक्रियात्मक कारोबार योजनाओं, नीतियों तथा प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनाता है जिससे नैतिक व विधिक ज़िम्मेदारियों की पूर्ति की जा सके.

कार्पोरेट कार्यों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा कार्पोरेट प्रशासन में शुरु की गई हरित पहल

कार्पोरेट कार्यों के मंत्रालय ने परिपत्र जारी कर शेयरधारकों को वार्षिक वित्तीय परिणामों की प्रतियां सहित दस्तावेज़/सूचनाएँ आदि भौतिक रूप से भेजने के बदले इलक्ट्रानिक रूप में प्रेषित करने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है. इससे समाज को, कागज की खपत कम किए जाने से लाभ पहुँचेगा और बदले में इससे वृक्षों की रक्षा होगी जिससे निरंतर हरित वातावरण का निर्माण हो सकेगा. इलक्ट्रानिक माध्यम से दस्तावेज़/सूचनाएँ प्रेषित करने से समय पर सूचना पहुँचाने तथा इनके रास्ते में नष्ट होने से बचने को भी सुनिश्चित किया जा सकता है. हमने अपने सभी शेयरधारकों से अनुरोध किया है कि वे अपने ई–मेल पता हमारे पास पंजीकृत करवाएँ ताकि हम भारत सरकार द्वारा शुरु की गई हरित पहल का अनुपालन कर सकें.

2. निदेशक मंडल

अच्छी कार्पोरेट प्रशासन उच्च स्तर पर निदेशक मंडल तथा उच्च प्रबंध वर्ग से शुरू होता है जो कि उचित निर्णय लेकर बैंक को उत्कृष्टता के उच्चतम मानक प्राप्त करने हेतु मार्गनिर्देश प्रदान करते हैं. बैंक के निदेशक मंडल और अन्य समितियों का गठन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1980, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980 एवं इस संबंध में भा.रि.बैं के निदेश / भारत सरकार के दिशानिर्देश आईसीएआई लेखांकन मानक के अनुसार किया गया है.

2.1 यथा दिनांक 31.03.2015 को निदेशक मंडल की संरचना

कार्यकारी	3
गैर कार्यकारी	3
गैर कार्यकारी स्वतंत्र	2
कुल	8

निदेशक, बैंक के विकास के लिए, अपने वैविध्य ज्ञान, अनुभव और अपने विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ अपना उत्कृष्ट योगदान देते रहे हैं.

2.2 यथा दिनांक 31.03.2015 को निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशक–पद का स्वरूप	पद संभालने की तारिख
1.	श्री किशोर सांसी	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	कार्यपालक	01.01.2015
2.	श्री के.आर.शेणै	कार्यकारी निदेशक	कार्यपालक	18.06.2012
3.	श्री बी.एस.रामा राव	कार्यकारी निदेशक	कार्यपालक	27.09.2013
4.	श्री संजय कुमार	सरकारी नामिती	गैर – कार्यपालक	12.09.2014
5.	श्रीमती सुमा वर्मा	भारतीय रिजर्व बैंक नामिती	गैर – कार्यपालक	30.07.2010
6.	श्रीमती भारती राव	नामिती – शेयरधारक	गैर – कार्यपालक स्वतंत्र	07.08.2014
7.	श्री पी.वैद्यनाथन	नामिती – शेयरधारक	गैर – कार्यपालक स्वतंत्र	07.08.2014
8.	श्री वाई.मुरलीकृष्णा	कामगार निदेशक	गैर – कार्यपालक	02.11.2013

वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति/कार्यकाल की समाप्ति

*1 श्री किशोर सांसी को दिनांक 01.01.2015 से प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है.

*2 श्री वी.कण्णन ने अधिवर्षिता प्राप्ति करने पर दिनांक 31.12.2014 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यालय छोडा.

*3 श्री संजय कुमार को दिनांक 12.09.2014 से भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

*4 श्री वी.के.चोपडा ने अधिवर्षिता प्राप्ति करने पर दिनांक 31.07.2014 को भारत सरकार के नामिती निदेशक का कार्यालय छोडा.

*5 श्री पी.सी.नलवाया ने अपने कार्यकाल समाप्त होने पर दिनांक 19.05.2014 को गैर–अधिकारी निदेशक का कार्यालय छोडा.

*6 श्री अशोक गुप्ता ने अपने कार्यकाल समाप्त होने पर दिनांक 10.11.2014 को गैर–अधिकारी निदेशक का कार्यालय छोडा.

*7 श्रीमती भारती राव को दिनांक 07.08.2014 से शेयरधारक नामिती निदेशक के रूप में पुनःनिर्वाचित किया गया है.

*8 श्री पी.वैद्यनाथन को दिनांक 07.08.2014 से शेयरधारक नामिती निदेशक के रूप में पुनःनिर्वाचित किया गया है.

*9 श्री हरीश बल्लाल ने दिनांक 24.01.2015 को उनके कार्यकाल समाप्ति पर अधिकारी कामगार निदेशक नहीं रहे.

2.3 वर्ष 2014–15 के दौरान नियुक्त निदेशकों का परिचय

नाम	**श्री किशोर सांसी**
जन्म तिथि	19.08.1957
उम्र	57 वर्ष
अर्हता	एम.एससी., एम.फिल., एम.टेक
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री किशोर सांसी को, दि.31.12.2014 की अधिसूचना सं.एफ.सं.4/4/2013--बीओ.ख (ळ) के ज़रिए राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 3 के उप–खंड (1) तथा खंड 8 के उप–खंड (1) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप–धारा (3) के खंड (क) के अधीन भारत सरकार द्वारा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है.

अनुभव	श्री किशोर सांसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एम.एससी. की और एम.फिल और आईआईटीई, नई दिल्ली से एम.टेक. की उपाधि हासिल की है. इन्होंने यूएस की आईएसएसीए से सीआईएसए भी प्राप्त किया हैं. इन्हें बैंकिंग में 35 वर्ष का उत्कृष्ट अनुभव है जिस दौरान इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों पुरस्कार और पहचान प्राप्त हुई हैं. वे 3 मई, 1980 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे. अगस्त 2013 में पंजाब एण्ड सिंध बैंक में कार्यकारी निदेशक के पद पर अलंकृत हुए. अपने प्रचुर शैक्षिक अर्हता के साथ-साथ इन्हें देश-विदेशों में विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण भी प्राप्त हुआ.

नाम	**श्री संजय कुमार**
जन्म तिथि	16.04.1971
उम्र	44 वर्ष
अर्हता	एम.ए.,एम.बी.ए. (वित्त)
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	भारत सरकार नामिती निदेशक
अनुभव	श्री संजय कुमार को, दि.12.09.2014 की अधिसूचना सं.एफ.सं.6/3/2012--बीओ.I के ज़रिए राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 3 के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के अधीन भारत सरकार द्वारा बैंक के भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. श्री संजय कुमार जी संप्रति वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग में उप-सचिव की हैसियत से कार्यरत हैं. वर्तमान में वे ऋण वसूली प्राधिकरण संभाल रहे हैं. श्री संजय कुमार जी 1997 बैच के सेंट्रल सेक्रेटेरियट सर्वीसस के अधिकारी हैं और जिन्हें केंद्र व राज्य सरकारी विभागों में 15 वर्ष का कार्यानुभव है.

2.4 मंडल की बैठकें :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, नीचे उल्लिखित तारीखों को मंडल की 16 बैठकें हुई, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 12 के अंतर्गत न्यूनतम 6 बैठकें बुलाई जानी थी.

21.04.2014	06.05.2014	26.05.2014	16.06.2014	27.06.2014	21.07.2014	28.07.2014	19.09.2014
31.10.2014	07.11.2014	01.12.2014	31.12.2014	17.01.2015	30.01.2015	14.02.2015	14.03.2015

मंडल की उपर्युक्त बैठकों के अतिरिक्त बैंक ने वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 10.07.2012 के निदेशों के अनुरूप प्रत्येक तिमाही के लिए मंडल की 4 विशेष बैठकों का आयोजन प्रमुख नीति तथा रणनीतियुक्त मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए किया है.

21.04.2014	21.07.2014	01.12.2014	14.02.2015

निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान हुई मंडल की बैठकों में उनकी उपस्थिति के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत है :

2.5 मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	2014–15 के दौरान हुई बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया	पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थिति
1.	श्री किशोर सांसी *[1]	01.01.2015 - 31.03.2015	5	5	लागू नहीं
2.	श्री वी.कण्णन *[2]	01.04.2014 - 31.12.2014	15	15	हां
3.	श्री के.आर.शेणै	01.04.2014 - 31.03.2015	20	20	हां
4.	श्री बी.एस.रामा राव	01.04.2014 - 31.03.2015	20	20	हां
5.	श्री संजय कुमार*[3]	12.09.2014 - 31.03.2015	11	9	लागू नहीं
6.	श्री वी.के.चोपडा*[4]	01.04.2014 - 31.07.2014	9	9	हां
7.	श्रीमती सुमा वर्मा	01.04.2014 - 31.03.2015	20	20	हां
8.	श्री पी.सी.नलवाया*[5]	01.04.2014 - 19.05.2014	3	3	हां
9.	श्री अशोक गुप्ता*[6]	01.04.2014 - 10.11.2014	12	9	हां
10.	श्रीमती भारती राव*[7]	07.08.2014 - 31.03.2015	20	18	हां
11.	श्री पी.वैद्यनाथन*[8]	07.08.2014 - 31.03.2015	20	17	हां
12.	श्री एच.हरीश बल्लाल*[9]	01.04.2014 - 24.01.2015	16	16	हां
13.	श्री वाई.मुरलीकृष्णा	01.04.2014 - 31.03.2015	20	20	हां

3. मंडल की समितियां :

एसईबीआई, भा.रि.बैं. और वित्त मंत्रालय की अपेक्षाओं/निदेशों के अनुरूप, मंडल ने निदेशकों की नीचे उल्लिखित समितियें का गठन किया है. ये समितियां, उनको सौंपे गए काम के अधीन आनेवाली गतिविधियों पर और निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार विशिष्ट व सकेंद्रित शासन प्रदान करती है:

1. प्रबंध समिति
2. लेखापरीक्षा समिति
3. हितकारक संबंध समिति
4. शेयर अंतरण समिति
5. जोखिम प्रबंधन समिति
6. उच्च मूल्य धोखाधडी की समीक्षा हेतु समिति
7. प्रधान कार्यालय स्तर की ऋण अनुमोदन समिति
8. निदेशकों की पदोन्नति समिति
9. ग्राहक सेवा समिति
10. पारिश्रमिक समिति
11. नामांकन समिति
12. शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में उम्मीदवार को समर्थन देने पर निर्णय लेने की समिति
13. सू.प्रौ. स्टीयरिंग समिति

[14] वसूली निगरानी हेतु समिति

[15] प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अंतिम आदेशों के प्रति कर्मचारी द्वारा दिए गए अपील पर विचार करने हेतु समिति

[16] एपीएआर समीक्षा समिति

[17] कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति

[18] इरादतन चूककर्ता के रूप में पहचानित उधारकर्ताओं से संबंधित समीक्षा समिति

[17] मानव संसाधन समिति

3.1 मंडल की प्रबंध समिति :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड – 13 का अनुसरण करते हुए मंडल की प्रबंध समिति का गठन किया गया है. मंडल की प्रबंध समिति के गठन का उद्देश्य है, तात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण कारोबार संबंधी विभिन्न मामलों पर विचार करना जैसे; नई जमा योजनाएं शुरू करने, सीमाओं की मंजूरी चाहे निधि आधारित हो या निधियेतर आधरित हो, समझौता/बट्टे खाते डालने, पूंजीगत और राजस्व खर्च की मंजूरी, परिसर, निवेश, दान आदि के लिए अनुमोदन प्राप्त करना. समिति उन अधिकारों का प्रयोग करती है जिसे, केंद्र सरकार के अनुमोदन से और भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति से उसे मंडल द्वारा दिया जाए.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी) की 16 बैठकें हुई. वर्ष के दौरान हुई, एमसीबी की बैठकों के ब्यौरे और निदेशक सदस्यों की उपस्थिति के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

21.04.2014	05.05.2014	26.05.2014	16.06.2014	27.06.2014	21.07.2014	26.08.2014	19.09.2014
13.10.2014	31.10.2014	22.11.2014	22.12.2014	17.01.2015	30.01.2015	14.02.2015	14.03.2015

3.1.1 एमसीबी की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	2014–15 के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री किशोर सांसी*[1]	अध्यक्ष	01.01.2015 – 31.03.2015	4	4
2.	श्री वी.कण्णन*[2]	अध्यक्ष	01.04.2014 – 31.12.2014	12	12
3.	श्री के.आर.शेणै	कार्यकारी निदेशक	01.04.2014 – 31.03.2015	16	16
4.	श्री बी.एस.रामा राव	कार्यकारी निदेशक	01.04.2014 – 31.03.2015	16	16
5.	श्रीमती सुमा वर्मा	सदस्य	01.04.2014 – 31.03.2015	16	15
6.	श्री पी.सी.नलवाया*[5]	सदस्य	01.04.2014 – 19.05.2014	2	2
7.	श्री अशोक गुप्ता*[6]	सदस्य	01.04.2014 – 10.11.2014	10	09
8.	श्रीमती भारती राव*[7]	सदस्य	07.08.2014 – 31.03.2015	14	11
9.	श्री पी.वैद्यनाथन*[8]	सदस्य	07.08.2014 – 31.03.2015	8	6
10.	श्री एच.हरीश बल्लाल*[9]	सदस्य	01.04.2014 – 24.01.2015	10	10
11.	श्री वाई.मुरलीकृष्णा	सदस्य	01.04.2014 – 31.03.2015	10	10

3.2 निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और सूची बनाने संबंधी करारनामों के अनुसार, मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया जाता है और उसके कामकाज तय किए जाते हैं. एसीबी, बैंक में लेखा परीक्षा से संबंधित सब प्रकार के कामकाज के संबंध में निर्देश देती है. इसमें शामिल हैं; बैंक के अंदर आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण का संगठनात्मक और गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण का अनुवर्तन.कंपनी के सभी सदस्यों को वित्त का अच्छा ज्ञान है.
लेखापरीक्षा समिति के कामकाज इस प्रकार हैं :

- बैंक की वित्तीय रिपोर्ट प्रक्रिया पर निगरानी रखना तथा वित्तीय जानकारी सही, पर्याप्त और विश्वसनीय प्रकटन सुनिश्चित करना;
- प्रबंध वर्ग के साथ, तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना और इस सिलसिले में इन बातों पर खास बल देना जैसे; लेखा नीतियां और परिपाटी, वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखा मानकों और अन्य कानूनी अपेक्षाओं का पालन करना, लेखा परीक्षा में निर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति करना, वित्तीय संस्थाओं, संबंधित पार्टी के लेन-देन आदि के बारे में शेयर बाजार के मार्गनिर्देशों और कानूनी अपेक्षाओं की पूर्ति करना.
- उन मामलों में, जहां धोखाधडी का शक हो अथवा अनियमिता या आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की नाकामी नजर आए, आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना तथा नियंत्रण तंत्र मजबूत करने के लिए सुझाव देना.
- वार्षिक/अर्ध-वार्षिक और तिमाही खातों और रिपोर्टों के अंतिम रूप से पहले केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार- विमर्श करना और खासकर लेखा नीतियों और परिपाटियों एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप में परिवर्तनों पर खास ध्यान देना.
- जमाकर्ताओं, शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों और लेनदारों, को किए जानेवाले भुगतान में काफी हद तक यदि कोई चूक हुई हो तो उसकी वजह जानना.
- प्रबंध वर्ग के साथ सांविधिक व आंतरिक लेखा परीक्षकों का कार्य निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की पर्याप्तता की समीक्षा, किसी महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर आंतरिक लेखा परीक्षकों से चर्चा व उस पर अनुवर्तन.
- यह समिति खासकर इनके अनुवर्तन पर ध्यान देती है :

  क) अंतर शाखा समायोजन खाते

  ख) अंतर शाखा खातों और नोस्ट्रो खातों में काफी लंबे समय से मिलान न की गई प्रविष्टियां

  ग) विभिन्न शाखाओं में बकाया पडा बहियों का संतुलन कार्य

  घ) धोखाधडी

  ङ) आंतरिक लेखा कार्य के प्रमुख क्षेत्र

बैंक ने, कंपनी शासन के बुनियादी तत्वों की कद्र करते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का अनुसरण करते हुए, मंडल की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है जिसमें 6 निदेशक हैं जिसके अध्यक्ष के रूप में गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक हैं जो सनदी लेखाकार हैं.

भा.रि.बैं. की अपेक्षानुसार, लेखापरीक्षा समिति की बैठकें सामान्यत : तिमाही में कम से कम एक बार और वर्ष में कम से कम छः बार बुलायी जानी चाहिए. वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की नीचे उल्लिखित तारीखों को 12 बैठकें हुई.

21.04.2014	05.05.2014	16.06.2014	21.07.2014	28.07.2014	25.08.2014
06.11.2014	07.11.2014	22.11.2014	22.12.2014	30.01.2015	14.03.2015

3.2.1 एसीबी बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	2014–15 के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री पी वैद्यनाथन*[8] शेयरधारक निदेशक – गैर–कार्यकारी	अध्यक्ष	07.08.2014 – 31.03.2015	12	10
2.	श्री पी सी नलवाया*[5] गैर–अधिकारी निदेशक – गैर–कार्यकारी (सनदी लेखाकार)	अध्यक्ष	01.04.2014 – 19.05.2014	2	2
3.	श्री के.आर.शेणै कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2014–31.03.2015	12	12
4.	श्री बी.एस.रामा राव कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2014–31.03.2015	12	12
5.	श्री संजय कुमार *[3] भारत सरकार नामिती – निदेशक गैर–कार्यकारी	सदस्य	12.09.2014 – 31.03.2015	6	2
6.	श्री वी के चोपडा*[4] भारत सरकार नामिती – निदेशक गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014 – 31.07.2014	5	5
7.	श्रीमती सुमा वर्मा भा.रि.बैं. नामिती निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–31.03.2015	12	11
8.	श्रीमती भारती राव*[7] शेयरधारक निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–31.03.2015	10	10

3.3 हितधारक संबंध समिति

बैंक ने, शेयरधारकों और निवेशकर्ताओं की, उनकी रुचि से जुडे हुए मामलों पर शिकायतों का निवारण करने के इरादे से, शेयरधारक/ निवेशकर्ता शिकायत समिति का गठन किया है.

यह समिति, शेयरों के अंतरण, प्रेषण, बैंक द्वारा जारी शेयरों को खंडित करने और समेकित करने तथा शेयरधारकों की किसी अन्य शिकायतों पर निगरानी रखती है. आगे, यह समिति निवेशकर्ताओं की शिकायतों के निवारण पर समयबद्ध ढंग से निगरानी रखती है. खंड 49 में अद्यतन संशोधन के अनुसार इस समिति को हितधारक संबंध समितिके रूप में पुन:नामित किया गया.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, समिति की नीचे उल्लिखित तारीखों को 4 बैठकें हुई :

21.04.2014	21.07.2014	13.10.2014	30.01.2015

3.3.1 हितधारक संबंध समिति के निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	2014–15 के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्रीमती भारती राव*7 शेयरधारक निदेशक – गैर–कार्यकारी	अध्यक्ष	01.04.2014–31.03.2015	4	4
2.	श्री के.आर.शेणै कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2014–31.03.2015	4	4
3.	श्री बी.एस.रामा राव कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2014–31.03.2015	4	4
4.	श्री पी.सी.नलवाया*5 गैर–अधिकारी निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–19.05.2014	1	1
5.	श्री अशोक गुप्ता*6 गैर–कार्यकारी निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–10.11.2014	2	1
6.	श्री पी.वैद्यनाथन*8 शेयर धारक निदेशक – गैर–कार्यकारी	अध्यक्ष	01.04.2014–31.03.2015	4	2
7.	श्री एच. हरीश बल्लाल*9 अधिकारी कर्मचारी निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014 - 24.01.2015	1	1
8.	श्री वाई.मुरलीकृष्णा कामगार निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–31.03.2015	1	1

3.4. शेयर अंतरण समिति

हितधारक संबंध की शिकायतों से संबंधित निदेशकों की उप–समिति के अलावा, बैंक ने, निदेशकों की शेयर अंतरण समिति का गठन किया है जिसके सदस्यों के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यकारी निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में) और दो गैर–सरकारी निदेशक हैं. समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 8 बैठकें हुई, जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं. इसके अलावा कुछ शेयर अंतरणों की कार्यसूचियां समिति को परिचालित करके अनुमोदित करवाया गया व बाद में नियमित बैठकों में इन्हें अनुमोदित व अनुसमर्थित करा लिया गया.

21.04.2014	16.06.2014	21.07.2014	26.08.2014
19.09.2014	13.10.2014	22.11.2014	14.03.2015

3.4.1 शेयर अंतरण समिति में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	2014–15 के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री किशोर सांसी*1 प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	अध्यक्ष	01.01.2015–31.03.2015	1	1

2.	श्री वी कण्णन*2 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.03.2014-31.12.2014	7	7
3.	श्रीमती भारती राव*7 शेयरधारक निदेशक - गैर-कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014-31.03.2015	6	5
4.	श्री पी.वैद्यनाथन*8 शेयरधारक निदेशक - गैर-कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014-31.03.2015	3	2
5.	श्री एच. हरीश बल्लाल*9 अधिकारी कर्मचारी निदेशक - गैर-कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014-24.01.2015	7	7

3.5. जोखिम प्रबंधन समिति

डॉ.गांगुली समिति की सिफारिशों के अनुसार, बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति और एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए रण नीति बनाने व बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन समितियों के साथ समन्वय करने के लिए बैंक ने 23.07.2003 को जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया.

समिति के कामकाज :

1. जोखिम प्रबंधन नीति और एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए रणनीति बनाना तथा बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन समितियों के साथ समन्वय करना.
2. जोखिम को मापने के लिए नीतियां और मार्गनिर्देश बनाना.
3. जोखिम के समस्त क्षेत्रों में प्रबंधन और रिपोर्टिंग.
4. यह सुनिश्चित करना कि जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया (लोग, पद्धति, परिचालन, सीमा और नियंत्रण सहित) से बैंक की नीति की तुष्टि होती है.
5. जोखिम आंकने के लिऐ वित्तीय मानकों को सदृढ बनाना और इस्तेमाल की जा रहीं समस्त पद्धतियों को कारगर बनाना.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 5 बैठकें हुई जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

26.05.2014	21.07.2014	19.09.2014	01.12.2014	14.02.2015

3.5.1 जोखिम प्रबंधन समिति के निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	2014-15 के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री किशोर सांसी*1 प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	अध्यक्ष	01.01.2015-31.03.2015	1	1
2.	श्री वी कण्णन*2 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2014- 31.12.2014	4	4
3.	श्री के.आर.शेणै कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2014-31.03.2015	5	5
4.	श्री बी.एस.रामा राव कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2014-31.03.2015	5	5

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	2014–15 के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
5.	श्रीमती भारती राव*7 शेयरधारक निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–31.03.2015	1	1
6.	श्री पी.वैद्यनाथन*8 शेयरधारक निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–31.03.2015	5	3
7.	श्री अशोक गुप्ता *6 गैर–अधिकारी निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–10.11.2014	3	2
8.	श्री एच. हरीश बल्लाल*9 अधिकारी कर्मचारी निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–24.01.2015	3	3
9.	श्री वाई.मुरलीकृष्णा कामगार निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014 – 31.03.2015	5	5

3.6. उच्च मूल्य की धोखाधडी से सबंधित मामलों की समीक्षा करने के लिए समिति

एक करोड व उससे अधिक रकम की धोखाधडी के मामलों पर निगरानी रखने पर विशेष ध्यान देने की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, मंडल की समिति का गठन किया गया है.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की 5 बार बैठकें, नीचे उल्लिखित तारीखों को हुई :

16.06.2014	21.07.2014	19.09.2014	17.01.2014	14.03.2015

3.6.1 उच्च मूल्य की धोखाधडी से संबंधित मामलों की समीक्षा करने के लिए समिति के निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	2014–15 के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री किशोर सांसी*1 प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	अध्यक्ष	01.01.2015–31.03.2015	2	2
2.	श्री वी कण्णन*2 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2014–31.12.2014	3	3
3.	श्री के.आर.शेणै कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2014–31.03.2015	5	5
4.	श्री बी.एस.रामा राव कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2014–31.03.2015	5	5
5.	श्री संजय कुमार*3 भारत सरकार नामिती निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	12.09.2014 – 31.03.2015	3	3

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	2014–15 के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
6.	श्री वी के चोपडा*4 भारत सरकार नामिती निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014 - 31.07.2014	2	2
7.	श्रीमती भारती राव*7 शेयरधारक निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–31.03.2015	3	3
8.	श्री पी.वैद्यनाथन*8 शेयरधारक निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–31.03.2015	5	4
9.	श्री एच.हरीश बल्लाल*9 अधिकारी कर्मचारी निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–24.01.2015	1	1
10.	श्री वाई.मुरलीकृष्णा कामगार निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–31.03.2015	4	4

3.7 प्रधान कार्यालय स्तर की ऋण अनुमोदन समिति (एचएलसीसी) :

भारत सरकार द्वारा प्रेषित पत्र सं.13/1/2006–बी.ओ.I दिनांक 05.12.2011 के ज़रिए जारी निर्देश के अनुसार दि.28.12.2011 को हुई बैठक में निदेशक मंडल ने मंडल की ऋण अनुमोदन समिति के गठन का अनुमोदन किया है. उक्त अधिसूचना के अनुसार, ₹ 3.00 लाख करोड या उससे ज्यादा कारोबारवाले वर्ग 'क' के बैंकों के मामले में ₹ 400.00 करोड तक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में ₹ 250.00 करोड तक के ऋण प्रस्तावों की मंजूरी के संबंध में समिति मंडल के अधिकारों का प्रयोग करेगी. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित बैंक के अधिकारियों के प्रत्यायोजित अधिकारों से अधिक ऋण प्रस्तावों को समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा. इस सीमा से अधिक ऋण प्रस्तावों को पहले की तरह निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति के समक्ष मंजूरी हेतु प्रस्तुत किया जाएगा. ऋण प्रस्तावों को मंजूर करने के अलावा (निधि व गैर–निधि आधारित) ₹ 4.00 करोड तक के ऋण समझौता/बट्टे खाते डालने के प्रस्तावों (धोखाधडी के मामलों को छोडकर जो कि पहले जैसा मंडल की प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे) को भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

वर्ष के दौरान एचएलसीसी की 35 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित हुई :

05.04.2014	15.04.2014	23.04.2014	06.05.2014	15.05.2014	22.05.2014	27.05.2014
05.06.2014	18.06.2014	26.06.2014	12.07.2014	21.07.2014	04.08.2014	13.08.2014
26.08.2014	03.09.2014	09.09.2014	19.09.2014	25.09.2014	29.09.2014	16.10.2014
23.10.2014	30.10.2014	10.11.2014	22.11.2014	02.12.2014	10.12.2014	17.12.2014
22.12.2014	29.12.2014	28.02.2015	13.03.2015	24.03.2015	27.03.2015	30.03.2015

3.7.1 एचएलसीसी बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	2014–15 के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री किशोर सांसी*1 प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	अध्यक्ष	01.01.2015–31.03.2015	5	5
2.	श्री वी कण्णन*2 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2014–31.12.2014	30	30

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	2014–15 के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
3.	श्री के.आर.शेणै कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2014–31.03.2015	35	35
4.	श्री बी.एस.रामा राव कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2014–31.03.2015	35	34
5.	श्री टी.जयंत पै महा प्रबंधक, ऋण (प)	सदस्य	01.04.2014–31.03.2015	11	11
6.	श्री बी.शशिधर हेग्डे महा प्रबंधक, ऋण (प)	सदस्य	01.04.2014 –31.01.2015	25	25
7.	श्री ए.एस.राजीव महा प्रबंधक, लेखा	सदस्य	01.04.2014–31.03.2015	19	19
8.	श्री एच.नारायण शेट्टी महा प्रबंधक, लेखा	सदस्य	01.04.2014–31.08.2014	15	13
9.	श्री प्रदीप नाइक महा प्रबंधक, ऋण (स व व)	सदस्य	01.09.2014–31.03.2015	11	11
10.	श्री उदय कुमार महा प्रबंधक, ऋण (स व व)	सदस्य	01.04.2014–31.08.2014	9	9
11.	श्रीमती निर्मला श्रीधर महा प्रबंधक, जो.प्र.वि.	सदस्य	17.05.2014– 31.03.2015	27	26
12.	श्री ए.सी.स्वाई महा प्रबंधक, जोखिम प्रबंधन	सदस्य	01.04.2014–31.03.2015	10	10
13.	श्री सतीश बल्लाल महा प्रबंधक, ऋण (खुदरा)	सदस्य	01.08.2014– 31.03.2015	13	13
14.	श्री जयराम शेट्टि.बी. महा प्रबंधक, ऋण (खुदरा)	सदस्य	01.04.2014–31.07.2014	5	5
15.	श्री सत्यनारायण उ.म.प्र., ऋण (स व व)	सदस्य	01.04.2014–31.03.2015	1	1

3.8 पदोन्नति संबंधी निदेशकों की समिति

वरिष्ठ प्रबंध श्रेणी – वेतन–मान – V और उससे ऊपर वेतन मान के कार्यपालकों के मामलों की समीक्षा करने के लिए, विजया बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 के विनियम 19(2) के नियमों के अनुसार एक विशेष समिति का गठन किया गया. यह समिति, अनुशासनिक मामलों और बैंक के शीर्ष कार्यपालकों(वेतन–मान VII) की पदोन्नति पर निगरानी रखती है.

55 वर्ष की उम्र होने पर या उसके बाद किसी भी समय अथवा 30 वर्ष की कुल सेवा पूरी करने के बाद किसी भी समय, अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की समीक्षा करने के उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया. इस समिति में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, सरकारी निदेशक और भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक हैं.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, इस समिति की 3 बैठकें हुईं :

16.06.2014	13.10.2014	17.01.2015

3.8.1 पदोन्नति संबंधी निदेशकों की समिति में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	2014–15 के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री किशोर सांसी*[1] प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	अध्यक्ष	01.01.2015–31.03.2015	1	1
2.	श्री वी.कण्णन*[2] अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2014–31.12.2014	2	2
3.	श्री के.आर.शेणै कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2014–31.03.2015	3	3
4.	श्री बी.एस.रामा राव कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2014–31.03.2015	3	3
5.	श्री संजय कुमार*[3] भारत सरकार नामिती निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	12.09.2014–31.03.2015	2	2
6.	श्री वी के चोपडा*[4] भारत सरकार नामिती निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–31.07.2014	1	1
7.	श्रीमती सुमा वर्मा भा.रि.बैं. नामिती निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–31.03.2015	3	3

3.9 ग्राहक सेवा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशें का अनुसरण करते हुए, मंडल ने, नीचे उल्लिखित सदस्यों के साथ 08.09.2004 को ग्राहक सेवा समिति का गठन किया.

मंडल की ग्राहक सेवा समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह :

1. ग्राहक सेवाओं से संबंधित प्रक्रियाओं और निष्पादन लेखा परीक्षा के बारे में बैंक की तदर्थ समिति के कामकाज पर निगरानी रखें.
2. व्यापक निक्षेप नीति बनाएं और उसमें इस तरह के मामले जोडें जैसे; जमाकर्ता की मृत्यु होने पर उसका खाता चलाने की रीति, उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया, जमाकर्ताओं की संतुष्टि का वार्षिक सर्वेक्षण और इन सेवाओं की तीन वर्ष में एक बार लेखा परीक्षा.
3. ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढाने के लिए नवोन्मेषी उपाय करना और
4. हमेशा सब प्रकार के ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार लाना.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकें हुई :

26.05.2014	26.08.2014	06.11.2014	14.02.2015

3.9.1 ग्राहक सेवा समिति के निदेशकों की उपस्थिति संबंधी ब्योरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	2014–15 के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री किशोर सांसी*[1] प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	अध्यक्ष	01.01.2015–31.03.2015	1	1

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	2014–15 के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
2.	श्री वी कण्णन*2 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2014–31.12.2014	3	3
3.	श्री के.आर.शेणै कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2014–31.03.2015	4	4
4.	श्री बी.एस.रामा राव कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2014–31.03.2015	4	4
5.	श्री पी. वैद्यनाथन*8 शेयरधारक निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–31.03.2015	1	1
6.	श्री अशोक गुप्ता*6 गैर अधिकारी निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–10.11.2014	2	2
7.	श्री एच.हरीश बल्लाल*9 अधिकारी कर्मचारी निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–24.01.2015	1	1
8.	श्री वाई.मुरलीकृष्णा*5 कामगार निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–31.03.2015	4	4
9.	श्री अमरनाथ हेग्डे ग्राहकों के प्रतिनिधि	सदस्य	01.04.2014–31.03.2015	4	3

3.10 पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार निदेशकों को पारिश्रमिक दिया जाता है. दि.09.03.2007 के भारत सरकार के पत्रांक एफ.सं.20/1/2005–बीओ.1 के अनुसार बैंक निदेशक मंडल ने दि.30.07.2007 को पारिश्रमिक समिति का गठन किया है. यह समिति बैंक के पूर्णकालिक निदेशक अर्थात अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक व कार्यकारी निदेशक के निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के मूल्यांकन तथा संगत वर्ष के यथा 31 मार्च को पात्र प्रोत्साहन देने हेतु गठित की गयी है.

वर्ष 2014–15 के दौरान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और कार्यकारी निदेशकों को निष्पादन से जुडी प्रोत्साहन राशि सहित पारिश्रमिक के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत हैं :

विवरण	श्री किशोर सांसी (प्र.नि. एवं सीईओ)	श्री वी.कण्णन (पूर्व अ.एवं प्र. नि.)	श्री के.आर.शेणै (का.नि.)	श्री बी.एस.रामा राव (का.नि.)
वेतन	₹ 4,68,855.00	₹ 14,41,491.30	₹17,06,509.80	₹ 16.56.778.50
सेवानिवृत्ति पर सा.छु. नकदीकरण	-------	₹ 6,38,528.41	-------	-------
भत्ते	-------	-------	-------	-------
भ.नि. पर अंशदान	₹ 22,650.00	₹ 69,309.00	₹ 82,149.00	₹ 79,755.00
अन्य – निष्पादन से जुडा हुआ प्रोत्साहन	-------	₹ 1,47,945.00	₹ 4,00,000.00	₹ 2,03,836.00

अन्य (छु.कि.रि., चिकित्सा, आदि)	-------	₹10,554.74	₹ 49,176.29	₹ 79,843.47
अन्य अनुलाभ	₹ 3740.00	₹ 16,830.00	₹ 19,200.00	₹ 19,200.00
कुल	₹ 4,95,245.00	₹ 23,24,658.45	₹ 22,57,035.09	₹ 20,39,412.97
स्टॉक विकल्प	-------	-------	-------	-------

गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार के निर्देशानुसार मंडल/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क, यात्रा व विराम व्यय को छोड़कर कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है. भारत सरकार के निदेशानुसार बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है.

समिति की समीक्षाधीन अवधि के दौरान 26.05.2014 को बैठक आयोजित की गई.

3.10.1 पारिश्रमिक समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	2014-15 के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री वी.के.चोपडा*4 भारत सरकार नामिती निदेशक - गैर-कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014-31.07.2014	1	1
2.	श्रीमती सुमा वर्मा भा.रि.बैं. नामिती निदेशक - गैर-कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014-31.03.2015	1	1
3.	श्री अशोक गुप्ता*6 गैर अधिकारी निदेशक - गैर-कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014-10.11.2014	1	1
4.	श्रीमती भारती राव*7 शेयरधारक निदेशक - गैर-कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014-31.03.2015	1	-

3.11. नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 01.11.2007 के पत्र सं डीबीओडी.सं बीसी.47/29.39001/2007-08 में दिए गए निदेशानुसार बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3)(आई) के तहत संप्रति चुने गए निदेशकों/निदेशकों के रूप में चुने जानेवाले व्यक्तियों की ''उपयुक्त व उचित स्थिति'' अध्यवसायी से निर्धारित करने के लिए मंडल की नामांकन समिति दिनांक 28.12.2007 को गठित की गयी. समिति में सदस्य के रूप में तीन निदेशक हैं.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान दिनांक 05.05.2014 और दिनांक 22.07.2014 को दो बार समिति की बैठक हुई तथा यह पाया गया कि चुने जाने वाले निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंड अनुसार ''उपयुक्त व उचित'' हैं.

3.11.1. नामिती समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	2014-15 के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री वी.के.चोपडा*4 भारत सरकार नामिती निदेशक - गैर-कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014-31.07.2014	2	2

2.	श्रीमती सुमा वर्मा भा.रि.बैं. नामिती निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–31.03.2015	1	1
3.	श्री पी सी नलवाया*5 गैर–अधिकारी निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–19.05.2014	1	1
4.	श्री अशोक गुप्ता*6 गैर–अधिकारी निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–10.11.2014	2	2

3.12 शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में उम्मीदवार को समर्थन देने पर निर्णय लेने की समिति

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के निदेशों के अनुरूप दि.31.05.2012 को आयोजित बैठक में मंडल ने शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में उम्मीदवार को समर्थन देने पर निर्णय लेने की समिति के गठन का अनुमोदन दिया, जहां बैंक ने इन कंपनियों के शेयरों में निवेश किया है.

समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक : समिति के अध्यक्ष
2. कार्यकारी निदेशक : सदस्य
3. एक गैर–सरकारी निदेशक : सदस्य

वर्ष के दौरान ऐसी कोई घटना न होने के कारण, समिति की बैठक नहीं हुई.

3.13 सू.प्रौ. कार्यनीति समिति :

भा.रि.बैं. द्वारा जारी मार्गनिर्देशों तथा भा.बैं.सं. की सिफारिशों के अनुसार, निदेशक मंडल ने दि.18.02.2012 को अपनी बैठक में, सू.प्रौ. कार्यनीति समिति का गठन किया, जिसमें बाह्य तकनीकी विशेषज्ञ विशेष अतिथि हैं तथा इसे आगे ए–94/12 दिनांक10.05.2012 तथा ए–172/14 दिनांक 24.11.2014 द्वारा पुनर्संरचित किया गया.

सू.प्रौ. कार्यनीति समिति के कार्य का ढांचा निम्नानुसार है :

1. सू.प्रौ. पर बैंक को रणनीतिक निर्देश देना तथा मंडल की ओर से सू.प्रौ. निवेशों की समीक्षा करना.
2. सू.प्रौ. रणनीति तथा नीति दस्तावेजों का अनुमोदन करना तथा कारोबार रणनीति को सू.प्रौ. रणनीति के साथ सरेखन सुनिश्चित करना.
3. यह पता लगाना कि प्रबंधन द्वारा उन प्रक्रिया तथा प्रणालियों का कार्यान्वयन किया गया है जो सुनिश्चित करता है कि सू.प्रौ. कारोबार में मूल्य प्रदान करता है.
4. रणनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सू.प्रौ. संसाधन को पहचानने के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लायी गयी प्रणाली को मॉनिटर करना तथा सू.प्रौ. संसाधन उपलब्ध कराने व प्रयोग करने संबंधी उच्च स्तरीय निर्देश देना.
5. सू.प्रौ. कार्यान्वयन में सू.प्रौ. जोखिम व प्रबंधन के निष्पादन का प्रबंधन द्वारा मानिटरिंग की प्रभाविता का मूल्यांकन करना.
6. जोखिम संबंधी उच्च स्तरीय नीति मार्गनिर्देश जारी करनी करना.

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें हुई :

09.06.2014	23.07.2014	22.12.2014	14.03.2015

3.13.1 सू.प्रौ. कार्यनीति समिति में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	2014–15 के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्रीमती भारती राव*7 शेयरधारक निदेशक – गैर–कार्यकारी	अध्यक्ष	01.04.2014–31.03.2015	4	3
2.	श्री किशोर सांसी*1 प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	सदस्य	01.01.2015–31.03.2015	1	1
3.	श्री वी.कण्णन*2 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2014–31.12.2014	3	3
4.	श्री के.आर.शेणै कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2014–31.03.2015	1	1
5.	श्री बी.एस.रामा राव कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2014–31.03.2015	4	4
6.	श्रीमती निर्मला श्रीधर महा प्रबंधक – सू.प्रौ.वि.	सदस्य	17.05.2014–31.03.2015	4	4
7.	श्री वाई.नागेश्वर राव महा प्रबंधक – योजना	सदस्य	01.04.2014–31.03.2015	4	4
8.	श्री ए.सी.स्वाई महा प्रबंधक – मा.सं.वि.	सदस्य	01.04.2014 – 31.03.2015	1	1
9.	श्री टी.जयंत पै महा प्रबंधक, ऋण (प)	सदस्य	01.04.2014 – 31.01.2015	1	1
10.	श्री बी.शशिधर हेग्डे महा प्रबंधक, ऋण (प)	सदस्य	01.04.2014 – 31.01.2015	3	2
11.	श्री प्रदीप नाइक महा प्रबंधक, ऋण (स व व)	सदस्य	01.09.2014 – 31.03.2015	1	1
12.	श्री उदय कुमार महा प्रबंधक, ऋण (स व व)	सदस्य	01.04.2014 – 31.08.2014	2	2
13.	प्रो.सदगोपन – सू.प्रौ. विशेषज्ञ	सदस्य	01.04.2014 – 31.03.2015	4	4

3.14 वसूली निगरानी हेतु समिति

वित्त मंत्रालय के दि.21.11.2012 के पत्र अनुरूप मंडल द्वारा वसूली की निगरानी हेतु समिति का गठन किया गया है, जो सामान्यतया एनपीए तथा विशेषत: ₹ 1 करोड या उससे अधिक उच्च मूल्य खातों की वसूली/प्रबंधन की प्रगति की समीक्षा/निगरानी करेगी.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति 5 बार मिली जिसका विवरण निम्नानुसार है :

21.04.2014	16.06.2014	17.01.2015	14.02.2015	14.03.2015

3.14.1 वसूली निगरानी हेतु समिति में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	2014–15 के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री किशोर सांसी*1 प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	अध्यक्ष	01.01.2015–31.03.2015	3	3
2.	श्री वी.कण्णन*2 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2014–31.12.2014	2	2
3.	श्री के.आर.शेणै कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2014–31.03.2015	5	5
4.	श्री बी.एस.रामा राव कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2014–31.03.2015	5	5
5.	श्री संजय कुमार*3 भारत सरकार नामिती निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	12.09.2014–31.03.2015	3	3
6.	श्री वी के चोपडा*4 भारत सरकार नामिती निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–31.07.2014	2	2

3.15 प्रशासनिक प्राधिकरि के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अंतिम आदेशों के प्रति कर्मचरि द्वारा दिए गए अपील पर विचार करने हेतु समिति

कर्मचारियों के हित की संरक्षा हेतु प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अंतिम आदेशों के प्रति कर्मचारी द्वारा दिए गए अपील पर विचार करने हेतु दिनांक 29.03.2010 को समिति का गठन किया गया. भारत सरकार के नामिति निदेशक, भा.रि.बैं. के नामिति निदेशक तथा गैर–कार्यकारी निदेशक (मंडल की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष) समिति के सदस्य हैं.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति ने एक बार दिनांक 28.07.2014 को मिली.

3.15.1 प्रशासनिक प्राधिकरि के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अंतिम आदेशों के प्रति कर्मचरि द्वारा दिए गए अपील पर विचार करने हेतु समिति में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	2014–15 के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री वी के चोपडा*4 भारत सरकार नामिती निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–31.07.2014	1	1
2.	श्रीमती सुमा वर्मा भा.रि.बैं. नामिती निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–31.03.2015	1	1

3.	श्री पी. वैद्यनाथन*8 शेयरधारक निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–31.03.2015	1	1

3.16 वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन (एपीएआर) समीक्षा समिति :

उ.का.श्रे.वे.–VII के कार्यपालकों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों (एपीएआर) की समीक्षा/रेटिंग के उन्नयन के लिए दिनांक 14.09.2013 को एक समिति बनायी गयी जिसे 31.10.2014 को पुनर्गठित किया गया.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की बैठक एक बार दिनांक 01.12.2014 को हुई थी.

3.16.1 एपीएआर समीक्षा समिति की उपस्थिति के ब्यौरे :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	2014–15 के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री किशोर सांसी*1 प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	अध्यक्ष	01.01.2015–31.03.2015	-----	-----
2.	श्री वी.कण्णन*2 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2014–31.12.2014	1	1
3.	श्री संजय कुमार*3 भारत सरकार नामिती निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	12.09.2014–31.03.2015	1	1
4.	श्रीमती भारती राव*7 शेयरधारक निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–31.03.2015	1	1

3.17 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समति :

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वों के कार्यक्षेत्र को सरकारी दिशानिदेशों के अनुरूप विस्तारित करने के लिए दिनांक 17.01.2014 को समिति का गठन किया गया.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की बैठक एक बार दिनांक 22.12.2014 को हुई.

3.17.1 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति की उपस्थिति के ब्यौरे :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	2014–15 के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री बी.एस.रामा राव कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2014–31.03.2015	1	1
2.	श्रीमती भारती राव*7 शेयरधारक निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–31.03.2015	1	1
3.	श्री एच.हरीश बल्लाल*9 अधिकारी कर्मचारी निदेशक – गैर–कार्यकारी	सदस्य	01.04.2014–24.01.2015	1	1

3.18 इरादतन चूककर्ता के रूप में पहचानित उधारकर्ताओं से संबंधित समीक्षा समिति :

इरादतन चूककर्ता के रूप में पहचानित उधारकर्ताओं की शिकायतों की समीक्षा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र आरबीआई/20114-15/73 दिनांक 01.07.2014 (07.01.2015 तक अद्यतन किया गया) के दिशानिर्देशों के अनुसार 17.01.2015 को समिति का गठन किया गया. समिति का अध्यक्ष प्रबंध निदेशक एवं सीईओ है तथा दो गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक इसके सदस्य हैं. समीक्षा के अवधि के दौरान इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई.

3.19 मानव संसाधन समिति :

प्रमुख मानव संसाधन संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में 14.02.2015 को समिति का गठन किया गया. समिति में निम्न सदस्य है :

1. प्रबंध निदेशक एवं सीईओ – समिति का अध्यक्ष
2. कार्यकारी निदेशक – सदस्य
3. कार्यकारी निदेशक – सदस्य
4. गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
5. गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक – सदस्य

समीक्षा अवधि के दौरान इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई.

4. यथा 31.03.2015 को गैर कार्यकारी /शेयरधारक निदेशकों के शेयरधारण के विवरण

निदेशक का नाम	धारित शेयरों की संख्या
1. श्रीमती भारती राव, शेयरधारक निदेशक	100
2. श्री पी वैद्यनाथन, शेयरधारक निदेशक	2,100

5. आचार संहिता

बैंक, सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित आचार संहिता का पालन कर रहा है. तद्नुसार सभी निदेशकों/उच्च प्रबंधन कार्यपालकों से वार्षिक आधार पर उसके अनुपालन संबंधी पुष्टीकरण प्राप्त की जाती है. आचार संहिता बैंक की वेबसाइट में दी गई हैं.

6. सामान्य बैठक

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :

दिनांक	समय	स्थान
29.06.2012	दोपहर 4.00 बजे	मुल्की सुंदर राम शेट्टी सभागृह, विजया बैंक, एम.जी.रोड, बेंगलूर
28.06.2013	दोपहर 4.00 बजे	
27.06.2014	सुबह 11.00 बजे	

चौदहवीं वार्षिक सामान्य बैठक में निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे. इन बैठकों में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया.

1.	श्री वी.कण्णन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री के.आर.शेणै	कार्यकारी निदेशक
3.	श्री पी सी नलवाया	गैर-अधिकरी निदेशक व एसीबी के अध्यक्ष
4.	श्रीमती भारती राव	शेयरधारक निदेशक

5.	श्री पी.वैद्यनाथन	शेयरधारक निदेशक
6.	श्री अशोक गुप्ता	गैर-अधिकरी निदेशक
7.	श्री हरीश बल्लाल	अधिकारी कर्मचारी निदेशक

श्री अशोक अगरवाल, अवर सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार प्रेक्षक के रूप में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए बैठक में उपस्थित थे.

7. शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकर्ताओं की शिकायतों का निवारण

हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के कार्यालय में शेयर अंतरण, लाभांश के भुगतान तथा निवेशकर्ता से संबंधित अन्य गतिविधियों पर गौर किया जाता है और उनका संसाधन किया जाता है.बैंक, यह सुनिश्चित करता है कि शेयरों के अंतरण का सारा काम, उनको प्रस्तुत किए गए दिन से एक महीने के अंदर पूरा किया जाता है. मंडल ने शेयरधारकों की शिकायतों के निवारण तथा शेयरों के अंतरण तथा अन्य संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए हितधारक संबंध समिति और शेयर अंतरण के लिए इन हाउस कार्यकारी समिति का गठन किया है. ये समितियां नियमित अंतराल में बैठती हैं और शेयरों के अंतरण की पुष्टि करने के अलावा निवेशकर्ताओं की शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती है.

बैंक ने अपने रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के रूप में मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया है जिसका कर्तव्य है, शेयरों का अंतरण करना, लाभांश का भुगतान करना, शेयरधारकों की दरख्वास्त दर्ज करना तथा शेयरें को जारी करने से संबंधित दूसरी गतिविधियों में निवेशकर्ताओं की शिकायतों का संकल्प पारित करना. निवेशकर्ता, अपने अंतरण विलेख/दरख्वास्त/शिकायतें, रजिस्ट्रार के पास, नीचे उल्लिखित पते पर भेज सकते हैः

मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(यूनिट : विजया बैंक)
सी -13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड
एल.बी.एस.रोड , भांडूप (पश्चिम),
मुंबई - 400 078
टेलीफोन: (022) 25963838, 25946970 - 78
फैक्स: (022) 25946969
ईमेल : mumbai@linkintime.co.in and rnt.helpdesk@linkintime.co.in

निवेशकर्ताओं की सहूलियत के लिए, शेयर अंतरण की उनकी दरख्वास्त तथा उनकी शिकायतें, बेंगलूर स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में नीचे उल्लिखित पते पर भी स्वीकार की जाती हैः

महा प्रबंधक
मंडल सचिवालय (शेयर प्रभाग)
विजया बैंक, प्रधान कार्यालय
41/2, एम.जी.रोड
बेंगलूर - 560 001
कर्नाटक
टेलीफोन: 080 25584066 विस्तार 514
फैक्स : 080 25594737
ई-मेल : sdigc@vijayabank.co.in
वेबसाईट: www.vijayabank.com

शेयरधारकों की शिकायतों पर तुरंत गौर करने और शिकायतों का फौरन निवारण करने पर बैंक, सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और उसे सुनिश्चित भी करता है.

शेयर अंतरण प्रणाली :

बैंक के ईक्विटी शेयरों का अंतरण हमारे शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा किया जाता है. जब कभी उन्हें शेयर अंतरण के अनुरोध प्राप्त होते हैं तो उन्हें संवीक्षा कर तथा सही पाये जाने पर संसाधित कर, बैंक के प्रधान कार्यालय में अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है.

शेयर अंतरण/अमूर्तिकरण/पुन: मूर्तिकरण/विभाजन/पुन: स्थापन/समेकन इत्यादि संबंधी अनुरोध मंडल की शेयर अंतरण समिति के समक्ष उनके अनुपालनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं. इस प्रयोजनार्थ शेयर अंतरण समिति की बैठक पाक्षिक आधार पर अयोजित की जाती है. मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शेयर अंतरण समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अंतरण, अमूर्तिकरण आदि करके शेयरधारकों को भेजता है. बैंक यह सुनिश्चित करता है कि प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित समयावधि के अंतर्गत उसे विधिवत रुप से अंतरित किया जाता है.

शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध करने संबंधी करार के खंड 47 के अनुसार आर व टी अभिकर्ता द्वारा किए गए शेयर अंतरण तथा शेयर अंतरण समिति द्वारा अनुमोदित शेयर अंतरण पर रिपोर्ट, बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष सूचना के लिए प्रस्तुत की जाती है.

प्राप्त, निपटायी गयीं और लंबित शिकायतों की संख्या

मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुबंई द्वारा शेयरधारक की सभी शिकायतें सीधे प्राप्त की जाती हैं और बैंक द्वारा प्राप्त सारी शिकायतें उनके पास भेजी जाती हैं. 2014-2015 के दौरान प्राप्त और निपटायी गयीं तथा 31.03.2015 को लंबित दरख्वास्तों / शिकायतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

विवरण	**01.04.2014** को लंबित	प्राप्त	निपटाई गई	31.03.2015 को लंबित
क) दरख्वास्तों की संख्या	कुछ नहीं	6224	6224	कुछ नहीं
ख) शिकायतों की संख्या	कुछ नहीं	2640	2640	कुछ नहीं

उक्त शिकायतों में से कोई भी शिकायत एक महीने से अधिक लंबित नहीं रही. यथा 31.03.2015 को, शेयर अंतरण के संबंध में हमारे पास कोई दरख्वास्त लंबित नहीं थी.

8. शेयरधारकों के साथ प्रकटीकरण, संप्रेषण और संबंध

बैंक के प्रवर्तकों/निदेशकों, प्रबंध वर्ग, उसके सहयोगी संस्थाओं और/उनके रिश्तेदारों के साथ बैंक का, तात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण, ऐसा कोई संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं है जिससे व्यापक रूप से बैंक के हितों को संभावित रूप से प्रभावित करे.

वित्तीय वर्ष 2014-15 में, बैंक ने, पूंजी बाजार से संबंधित मामलों के बारे में समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति की और बैंक पर, शेयर बाजारों, एसईबीआई, अथवा किसी दूसरे सांविधिक प्राधिकारियें ने कोई जुर्माना नहीं लगाया है, न ही कोई आक्षेप किया है. बैंक ने, सांविधिक समय सीमा के अंदर वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित की और पात्र शेयरधारकों को लाभांश अदा किया.

बैंक से संबंधित जानकारी, खास तौर पर वार्षिक रिपोर्टों के ज़रिए जिसमें अध्यक्ष का बयान, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखा, नकदी प्रवाह विवरण और समेकित लेखा आदि होते हैं, उपलब्ध कराई जाती है. शेयरधारकों को तिमाही, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक निष्पादन के बारे में जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशन, शेयर बाजारों को दी गई सूचना, प्रेस-विज्ञप्ति और वेबसाइट अर्थात् www.vijayabank.com के जरिए भी दी जाती है.

वित्तीय वर्ष के दौरान,तिमाही परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों जैसे बिजिनेस स्टैंडर्ड (अग्रेंजी), बिजिनेस लाइन (अंग्रेजी), इकनामिक टाइम्स (अंग्रेजी), दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस (अग्रेंजी), फाइनैंशियल एक्सप्रेस (अग्रेंजी), डेक्कन हेरॉल्ड (अग्रेंजी), प्रजावाणी (कन्नड), जनसत्ता (हिन्दी), उदयवाणी (कन्नड), कन्नड प्रभा (कन्नड) तथा विजया कर्नाटक (कन्नड) में प्रकाशित किए गए. परिणाम, बैंक की वेबसाइट www.vijayabank.com में भी प्रदर्शित किए गए.

9. अधिदेशात्मक और गैर–अधिदेशात्मक अपेक्षाएं

9.1 बैंक ने, शेयर बाजारों के साथ किए गए सूची बनाने संबंधी करारनामे के खंड 49 के प्रावधानों के अनुसार, समस्त लागू अधिदेशात्मक अपेक्षाओं की पूर्ति की.

नए गैर अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के कार्यान्वयन संबंधी जानकरि निम्ननुसार है :

	अपेक्षा	अनुपालन
9.1.1	मंडल सदस्यों का प्रशिक्षण	प्रतिष्ठित संसथाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में मंडल सदस्यों को प्रतिनियुक्त करते हुए प्रशिक्षण दिलवाया जाता है. प्रत्येक सदस्य को उनके उत्तरदायित्वों के संबंध में सरकारी दिशानिदेशों एवं आचार संहिता सहित समग्र परिदृश्य का बिजनेस माडल दिया गया है.
9.1.2	गैर कार्यकारी मंडल सदस्यों के निष्पादन के लिए व्यवस्था	मंडल निदेशकों का संयोजन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) बैंक अधिनियम, 1980 तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1980 के अधीन नियंत्रित है. अत: यह शर्त हमारे लिए लागू नही है.
9.1.3	विज़ल ब्लोअर नीति	एक जिम्मेदार सार्वजनिक क्षेत्र संस्था होते हुए बैंक निष्पक्ष तथा पारदर्शी रूप में व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार अपनाते हुए अपना कारोबार करने में विश्वास रखता है. बैंक एक ऐसी संस्कृति विकसित करने हेतु बद्ध है जिससे किसी भी स्तर पर कोई भी अस्वीकार्य / अनैतिक पद्धति अथवा कदाचार के संबंध में आवाज उठानेवाले सुरक्षित है. उत्पीडन अथवा विक्षुब्ध अनुशासनिक कार्रवाई की शिकार हुई आम जनता के खिलाफ ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक आचरण के उच्चतम मानक को सुनिश्चित करने व तत्संबंधी मामलों को सुलझाने के लिए सूचना देनेवालों की सद्भावपूर्ण चिंता की चाहे वे कर्मचारी हो या अन्य शेयरधारक के खिलाफ संरक्षा की मांग के लिए बैंक ने एक विजल ब्लोअर नीति बनायी है जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी वी सी) व एस ई बी आईद्वारा जारी दिशा निदेशों के अनुरूप है.

9.2 गैर–अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के कार्यान्वयन के बारे में जानकरि नीचे प्रस्तुत है :

	अपेक्षा	अनुपालन
9.2.1	गैर–कार्यपालक अध्यक्ष को, कंपनी के खर्चे पर अध्यक्ष का कार्यालय रखने का हक होना चाहिए और साथ ही उसे, अपने कर्तव्य निभाने में लगे खर्च की पूर्ति की जानी चाहिए.	बैंक के अध्यक्ष का कार्यभार, भारत सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष संभाल रहे हैं और इसलिए यह अपेक्षा लागू नहीं होती है.

9.2.2	पिछले छः महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सार सहित वित्तीय निष्पादन की अर्ध-वार्षिक घोषणा, प्रत्येक शेयरधारक के घर पर भेजी जानी चाहिए.	बैंक अपने सभी शेयरधारकों को वर्ष के दौरान हुई उल्लेखनीय गतिविधियों सहित सारांश के साथ वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रेषित करता है. बैंक के त्रैमासिक वित्तीय परिणाम, निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद समाचार पत्र, स्टॉक एक्सचेंज तथा बैंक की वेबसाईट में प्रकाशित किये जाते हैं.

10. शेयरधारकों की जानकारी के लिए :

बैंक, एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जिसका प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु में है. यथा 31.03.2015 को देशभर में फैली हुई 1618 शाखाओं के जरिए बैंक ने अपनी मौजूदगी कायम की है. बैंक के शेयरों को नीचे उल्लिखित प्रमुख शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया गया है :

1) **बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि.,**

कार्पोरेट रिलेशनशिप विभाग

पहली मंजिल, न्यू ट्रेडिंग रिंग

फिरोज जीजीबॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट

फोर्ट, मुंबई - 400 001

बीएसई कूट : 532401

2) **नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.**

एक्सचेंज प्लाजा, 5 वां तल

प्लाट सं सी/1, जी ब्लॉक

बांद्रा - कुर्ला कॉम्पलेक्स

बांद्रा(पूर्व), मुंबई - 400 051

एनएसई कूट : विजया बैंक ईक्यू एई बीई बीटी

नोट : बेंगलूर स्टॉक एक्सचेंज ने अपना स्वैच्छिक रूप से मान्यता हटाने हेतु प्रस्तुत किया है तथा तदनुसार सेबी ने बेंगलूर स्टॉक एक्सचेंज को निकासी आदेश जारी किया है. बैंक दिनांक 31.03.2015 से बेंगलूर स्टॉक एक्सचेंज की सूची से हटाया गया है.

शेयर बाज़ारों को, सूचीबद्ध करने संबंधी वर्ष 2014-2015 का वार्षिक शुल्क, नियत तारीख के अंदर अदा किया गया.

10.1 प्रतिभूतियों का अमूर्तीकरण

बैंकों के शेयरों का अमूर्तीकरण अनिवार्य नहीं है लेकिन बैंक ने राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपी लिमिटेड और केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपी लिमिटेड के पास अपने शेयरों का अमूर्तीकरण किया है. अमूर्त किए गए ईक्विटी शेयरों के लिए, बैंक को आईएसआईएन कूट सं. आईएनई 705अ01016 आबंटित की गई है. चूंकि बैंक के शेयरों का व्यापार दो शेयर बाज़ारों में किया जाता है इसलिए चल-निधि सामान्य है. बैंक ने, दोनों निक्षेपियों अर्थात्; एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास कुल स्वीकृत पूंजी एवं बैंक की जारी तथा सूचीबद्ध पूंजी के समाधान के लिए लेखा परीक्षा के संबंध में तथा अर्ह कंपनी सचिव द्वारा, एसईबीआई के निर्देशानुसार शामिल किए गए अन्य मामलों के संबंध में एसईबीआई की अपेक्षाओं की पूर्ति की है.

31.03.2015 को ईक्विटी शेयरधारकों द्वारा अमूर्त और मूर्त रूप में रखे गए शेयरों के ब्यौरे निम्नानुसार है

	कुल शेयरधारक	कुल शेयर	शेधर धारण का %
अमूर्त			
भारत के राष्ट्रपति	1	63,62,47,049	74.06
एनएसडीएल में अन्य	1,44,508	17,17,75,189	19.99
सीडीएसएल में अन्य	59,648	2,76,02,466	3.21
कुल		**83,56,24,704**	**97.26**
मूर्त			
अन्य	71,643	2,34,94,603	2.74
सकल योग	**2,75,800**	**85,91,19,307**	**100**

10.2 वर्ष 2014–15 के दौरान बैंक द्वारा भुगतान किया गया लाभांश :

वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के संबंध में शेयरधारकों को 10% लाभांश का भुगतान किया. बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 06.05.2014 को अयोजित मंडल की बैठक में लाभांश के लिए सिफारिश की और दिनांक 27.06.2014 को आयोजित चौदहवीं वार्षिक सामान्य बैठक में उसकी घोषणा की. वार्षिक सामान्य बैठक और वर्ष 2013-14 के लिए अंतिम लाभांश के भुगतान के लिए बही बंद करने के लिए दिनांक 24.06.2014 से 27.06.2014 तक की अवधि निर्धारित की गयी थी. दिनांक 15.07.2014 तक सभी लाभांश वारंटों को प्रेषित किया गया/ईसीएस जमा की गयी.

10.3 बैंक की शेयर पूंजी

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 3(2ए) के अनुसार केंद्रीय सरकार भारिबैं के साथ परामर्श कर तथा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्राधिकृत पूंजी को जैसा वह उचित समझती है बढा अथवा घटा सकती है और ऐसी बढोत्तरी अथवा कमी के बाद प्राधिकृत पूंजी तीन हजार करोड रुपयों से अधिक अथवा एक हजार पांच सौ करोड रुपयों से कम नहीं होगी.

दि.10.11.2009 की अधिसूचना के ज़रिए भारत सरकार ने बैंक की प्राधिकृत पूंजी य 1,500 करोड से ₹ 3,000 करोड वर्धित किया. तदनुसार, संप्रति बैंक की पूंजी ₹ 3,000 करोड है जिसे ₹ 10/- के 300 करोड पूर्ण प्रदत्त शेयरों में विभाजित किया है.

संप्रति भारत सरकार के पास बैंक की ईक्विटी शेयर पूंजी का 74.06% हिस्सा है तथा वह बैंक का प्रमुख शेयरधारक है. तदनुसार, बैंक की मौजूदा प्रदत्त पूंजी निम्नानुसार है :

(₹ करोडों में)

प्राधिकृत पूंजी :	
₹ 10/- के 300 करोड शेयर	₹ 3000.00
कुल प्रदत्त पूंजी :	
₹ 10 के 85,91,19,307 ईक्विटी शेयर	₹ 859.12
कुल प्रदत्त पूंजी :	**₹ 859.12**

सारणी 1 : यथा 31.03.2015 को शेयर धारण का संवर्गवार संवितरण :

	संवर्ग	धारित शेयरों की संख्या	शेयर धारण का प्रतिशत
ए	**प्रवर्तक का धारण**		
1	प्रवर्तक		
	– भारतीय प्रवर्तक (भारत सरकार)	63,62,47,049	74.06
	– विदेशी प्रवर्तक	–	–
2	सहमति द्वारा कार्य करने वाले व्यक्ति		
	उप–कुल	**63,62,47,049**	**74.06**
बी	**गैर–प्रवर्तक का धारण**		
3.	संस्थागत निवेशक		
	क) म्यूचुअल फंड व यूटीआई	–	–
	ख) बैंक, वित्तीय संस्थाएं , बीमा कंपनियां		8.12
	(केंद्र/राज्य संस्थाएं/गैर–सरकार संस्थाएं)	6,97,30,013	
	ग) एफआईआई/एफएमएफ	2,59,80,147	3.02
	उप–कुल	**9,57,10,160**	**11.02**
ग	**अन्य**		
	क) निजी कार्पोरेट निकाय	1,37,79,212	1.6
	ख) भारतीय जनता	10,95,36,850	12.75
	ग) एनआरआई/ओसीबी	29,75,336	0.35
	घ) अन्य कोई (समाशोधन सदस्य व मार्केट मेकर)	8,70,500	0.10
	ड.) विदेशी नागरिक	200	0.0001
	उप–कुल	**12,71,62,098**	**14.81**
	सकल योग	**85,91,19,307**	**100**

सारणी 2 : यथा 31.03.2015 को कुल विदेशी शेयर धारण :

क्रम सं.	विवरण	शेयरों की संख्या	शेयर धारण का प्रतिशत
1	जीडीआर तथा एडीआर धारण	– शून्य –	– शून्य –
2	विदेशी प्रवर्तक	– शून्य –	– शून्य –
3	विदेशी संस्थागत निवेशक	2,59,80,147	3.02
4	विदेशी म्यूचुअल फंड	– शून्य –	– शून्य –
5	एनआरआई	29,75,336	0.35
6	विदेशी बैंक	– शून्य –	– शून्य –
7	विदेशी राष्ट्रीय	200	0.0001
	कुल	**2,89,55,683**	**3.37**

सारणी 3 : यथा 31.03.2015 को बैंक के 1% से अधिक ईक्विटी शेयर धारण करनेवाले शेयर धारकों की सूची :

क्रम सं.	शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की संख्या	शेयर धारण का प्रतिशत	संवर्ग
1	भारत के राष्ट्रपति	63,62,47,049	74.06	भारतीय प्रवर्तक
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	4,92,61,826	5.73	सरकार द्वारा प्रायोजित वित्तीय संस्था

10.4 शेयर बाजार संबंधी आंकड़े

अप्रैल, 2014 से मार्च 2015 तक एनएसई और बीएसई में मासिक उच्च और निम्न कोटेशन और व्यापार किए गए शेयरों की मात्रा निम्नानुसार है

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज(एनएसई) ऑफ इंडिया लिमिटेड

माह		उच्च (₹)	निम्न (₹)	बंद (₹)	समाप्त तारिख	शेयरों के व्यापार की मात्रा	एनएसई निफ्टी
अप्रैल	2014	41.50	38.50	**41.15**	30.04.2014	15812079	6428.49
मई	2014	58.75	39.55	**50.20**	30.05.2014	60740247	29030.13
जून	2014	58.10	49.65	**55.45**	30.06.2014	49683484	27087.04
जुलाई	2014	57.35	48.20	**48.70**	31.07.2014	36318285	19217.62
अगस्त	2014	49.70	43.70	**45.15**	28.08.2014	14522304	6719.62
सितंबर	2014	49.90	44.55	**48.00**	30.09.2014	16623343	7777.29
अत्तूबर	2014	48.50	45.60	**47.60**	31.10.2014	8531048	4006.31
नवंबर	2014	53.05	47.75	**51.10**	28.11.2014	13908795	6975.57
दिसंबर	2014	51.75	44.50	**50.55**	31.12.2014	13772557	6703.18
जनवरी	2015	53.25	48.45	**49.70**	30.01.2015	13217679	6655.21
फरवरी	2015	51.20	47.35	**48.50**	28.02.2015	7172054	3525.24
मार्च	2015	49.20	43.60	**46.50**	31.13.2015	6688483	3087.48

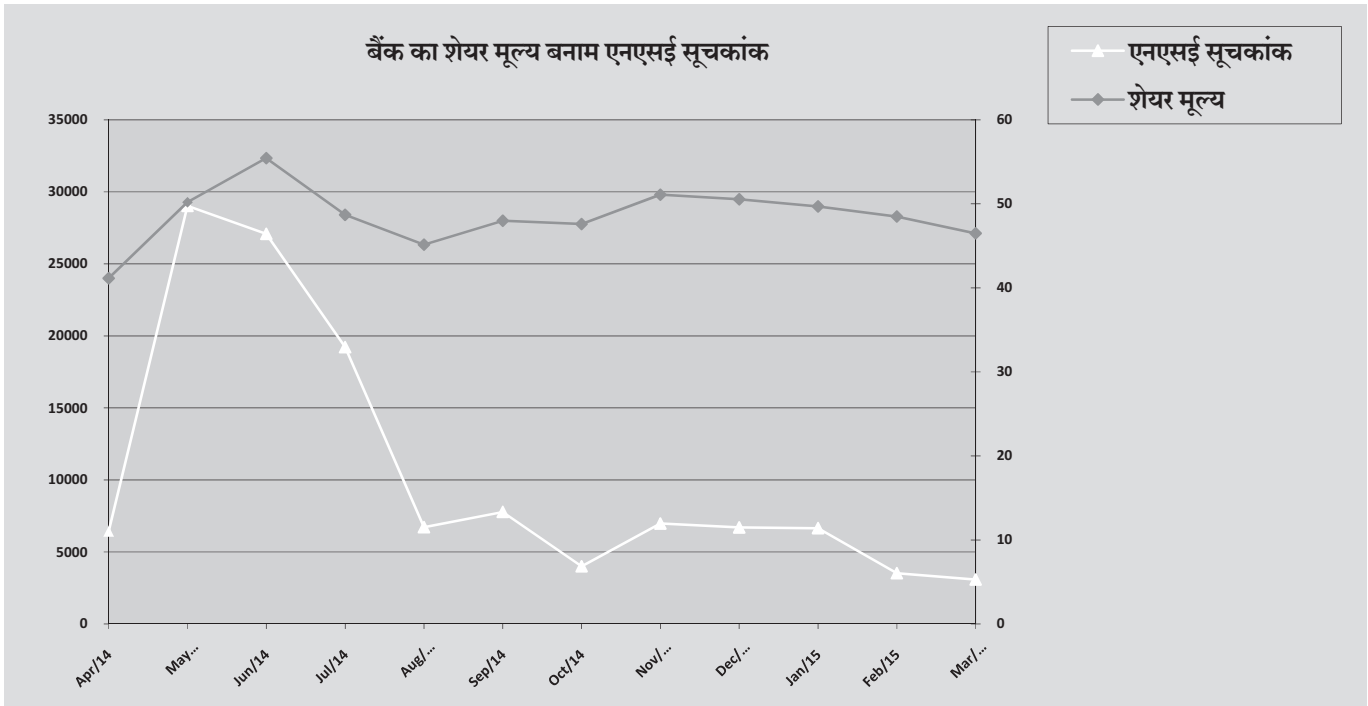

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)

माह		उच्च (₹)	निम्न (₹)	बंद (₹)	समाप्त तारिख	शेयरों के व्यापार की मात्रा	एनएसई निफ्टी
अप्रैल	2014	44.45	38.80	**40.95**	30.01.2014	3714949	1512.76
मई	2014	53.75	40.20	**50.05**	30.05.2014	15156805	7276.26
जून	2014	58.35	49.65	**55.40**	30.06.2014	12058568	6570.89
जुलाई	2014	57.35	48.15	**48.70**	31.07.2014	7933340	4179.06
अगस्त	2014	49.15	43.75	**45.10**	28.08.2014	2319595	1072.82
सितंबर	2014	49.60	44.50	**47.85**	30.09.2014	2765008	1294.59
अत्तूबर	2014	48.45	45.80	**47.60**	31.10.2014	1069219	503.17
नवंबर	2014	52.90	47.75	**51.00**	28.11.2014	3183133	1596.18
दिसंबर	2014	52.80	44.60	**50.15**	31.12.2014	2960836	1436.57
जनवरी	2015	53.15	47.55	**49.70**	30.01.2015	2565790	1291.19
फरवरी	2015	50.50	47.25	**48.15**	28.02.2015	1363909	668.84
मार्च	2015	50.70	43.75	**46.50**	31.03.2015	1235216	567.76

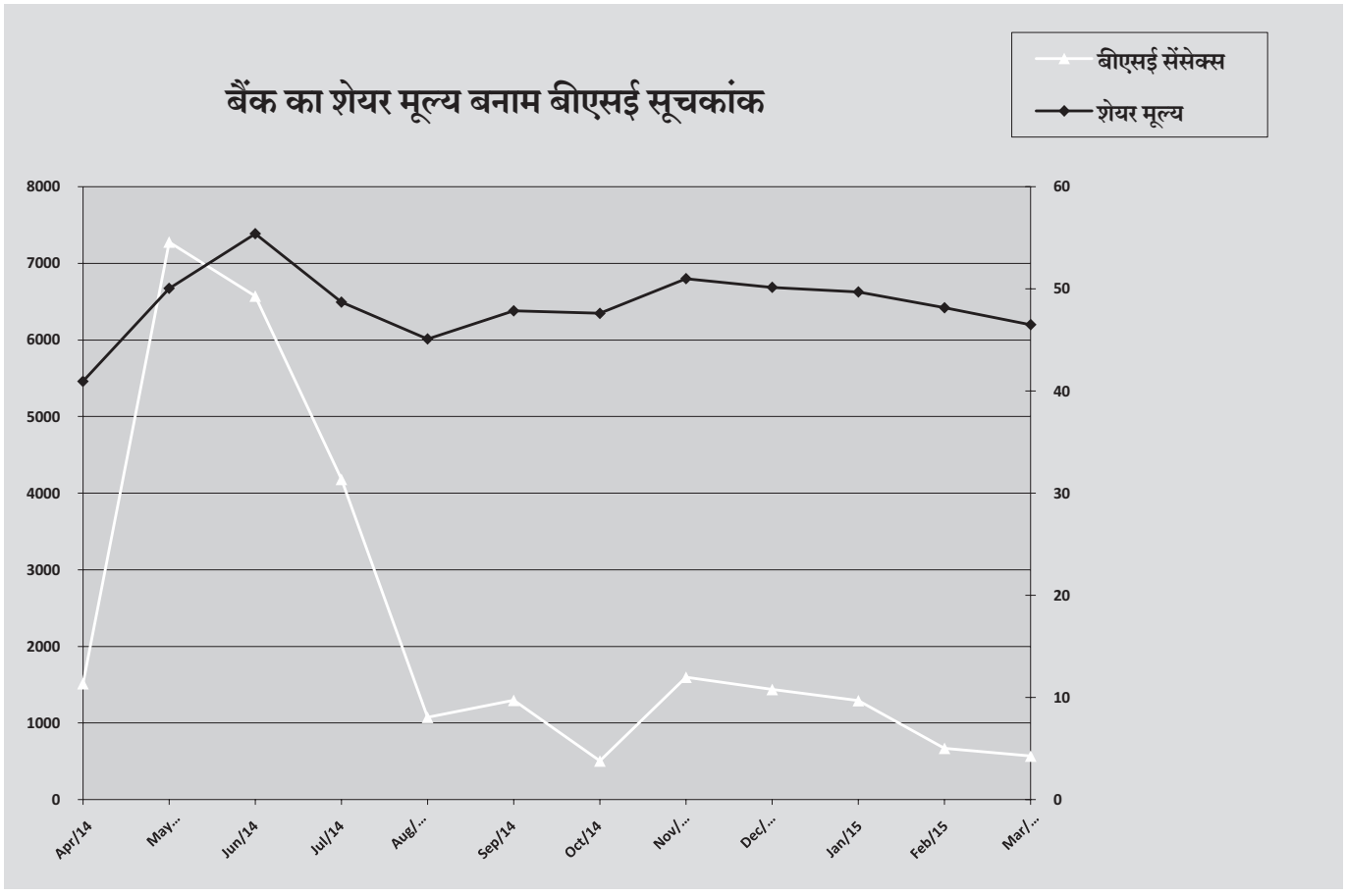

10.6 यथा 31.03.2015 को विजया बैंकके शेयरधारण का मूल्य–वार वितरण

अधिकृत मूल्य के शेयर – ₹	शेयरधारक		शेयर	
	संख्या	प्रतिशत	राशि ₹	प्रतिशत
1 से 500	239358	86.7868	382386560	4.4509
501 से 1000	23321	8.4558	201656110	2.3472
1001 से 2000	7857	2.8488	120574780	1.4035
2001 से 3000	1863	0.6755	47510060	0.5530
3001 से 4000	1020	0.3698	37350320	0.4348
4001 से 5000	634	0.2299	30128070	0.3507
5001 से 10000	973	.3528	72827560	0.8477
10001 व उससे अधिक	774	0.2806	7698759610	89.6122
कुल	**275800**	**100.00**	**8591193070.00**	**100.00**

किशोर सांसी
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

के.आर.शेणै
कार्यकारी निदेशक

बी.एस.रामा राव
कार्यकारी निदेशक

संजय कुमार
निदेशक

सुमा वर्मा
निदेशक

भारती राव
निदेशक

वाई.मुरलीकृष्णा
निदेशक

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 12.05.2015

कंपनी शासन के संबंध में लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में :

विजया बैंक के सदस्य.

हमने, शेयर बाज़ार के साथ बैंक के सूचीकरण करारनामे के संबंधित खंड 49 में यथा निर्दिष्ट 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए, विजया बैंक द्वारा कंपनी शासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है.

कंपनी शासन की शर्तों का अनुपालन, प्रबंध वर्ग की जिम्मेदारी है. हमारा परीक्षण, कंपनी शासन की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित था. यह न तो लेखा परीक्षा है न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिव्यक्त राय.

हम सूचित करना चाह हैं कि ङ्गनिदेशक मंडल, लेखापरीक्षा समिति/अन्य समितियों का गठन, निदेशकों के पारिश्रमिक, बोर्ड क्रियाविधि/संबंधित पार्टी लेनदेन/ विसिल ब्लोअर/प्रबंधन और अनुपालनङ्ग के संबंध में सूचीकरण करारनामे के खंड 49 के अधीन बैंक, जब कभी लागू हो, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1980, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 तथ भा.रि.बैं निदेश/भारत सरकार के दिशानिर्देश/आईसीएआई-लेखांकन मानक के अधीन निर्धारित प्रावधानों द्वारा शासित होगा. अत: बैंक ऊपर उल्लिखित सूचीकरण करारनामे में यथा निर्दिष्ट कंपनी शासन की शर्तों का उस हद तक पालन किया है कि ये भा.रि.बैं के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करता है.

हम यह उल्लेख करते हैं कि हितधारक संबंध समिति द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों और बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट द्वारा यथा प्रमाणित बैंक के प्रति, एक महीने से अधिक समय के लिए कोई भी निवेशक शिकायत लंबित नहीं है .

आगे हम उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन, बैंक की भावी व्यवहार्यता के बारे में न कोई आश्वासन है न ही बैंक का कामकाज चलाने में प्रबंध वर्ग की दक्षता अथवा क्षमता का संकेत है.

कृते मेसर्स एन.सी.मित्तल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.000237एन

कृते मेसर्स कर्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.001749एस

कृते मेसर्स केपीएमसी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.005359सी

कृते पीकेएफ श्रीधर एण्ड संतानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.0सी

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 12.05.2015

31 मार्च, 2015 का तुलन–पत्र

विवरण	अनुसूची संख्या	(₹ 000 छोड दिया गया है)	
		31.03.2015 की स्थिति	31.03.2014 की स्थिति
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1	**859 11 94**	859 11 94
आरक्षितियां और अधिशेष	2	**5300 63 50**	5028 80 44
जमाराशियां	3	**126343 35 06**	124296 15 93
उधार	4	**7278 19 36**	4744 79 86
अन्य देनदारियां तथा प्रावधान	5	**2861 79 31**	2429 73 11
जोड		**142643 09 17**	137358 61 28
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	6	**6534 29 47**	5540 20 76
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	**817 53 70**	3917 44 83
विनिधान	8	**44522 09 86**	42585 38 48
अग्रिम	9	**86695 86 33**	81504 03 21
अचल आस्तियां	10	**566 64 48**	528 94 55
अन्य आस्तियां	11	**3506 65 33**	3282 59 45
जोड		**142643 09 17**	137358 61 28
आकस्मिक देयताएं	12	**14092 25 19**	13130 99 95
वसूली के लिए बिल		2468 85 24	2227 43 58
लेखा नीतियां	17		
लेखों पर टिप्पणियां	18		

ऊपर संदर्भित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ एवं अनुसूचियाँ तुलन–पत्र का एक अभिन्न भाग बनती हैं.

किशोर सांसी
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

के आर शेणै
कार्यकारी निदेशक

बी एस रामा राव
कार्यकारी निदेशक

संजय कुमार
निदेशक

सुमा वर्मा
निदेशक

भारती राव
निदेशक

वाई मुरलीकृष्णा
निदेशक

ए.एस.राजीव
महा प्रबंधक

हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स कर्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.001749एस

(के. प्रेमकुमार)
साझेदार
सदस्यता सं.019170

कृते मेसर्स एन. सी. मित्तल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.000237एन

(एन.सी.मित्तल)
साझेदार
सदस्यता सं.14213

कृते मेसर्स केपीएमसी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.05359सी

(संजय मेहरा)
साझेदार
सदस्यता सं.075488

कृते मेसर्स पीकेएफ श्रीधर एण्ड संतानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 003990 एस/एस200018

(एस.राजेश्वरी)
साझेदार
सदस्यता सं.024105

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 12.05.2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा

	विवरण	अनुसूची संख्या	(₹ 000 छोड दिया गया है) 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	12273 52 65	10706 55 69
	अन्य आय	14	878 96 41	709 87 43
	जोड		13152 49 06	11416 43 12
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	9981 24 73	8623 14 76
	प्रचालन व्यय	16	1912 21 20	1689 55 33
	उपबंध और आकस्मिक व्यय		819 62 19	687 82 17
	जोड		12713 08 12	11000 52 26
III.	**लाभ / हानि**			
	वर्ष के लिए निवल लाभ		439 40 94	415 90 86
	जोडे. : आगे लाया गया लाभ		934 27 54	958 98 84
	घटाएं : धारा 36 (1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षण पर डीटीएल का सृजन		–	157 62 10
	जोडे. : सामान्य आरक्षिति से अंतरण		–	–
	जोड		1373 68 48	1217 27 60
IV.	**विनियोजन**			
	सांविधि आरक्षिति में अंतरण		109 85 24	103 97 72
	आय कर अधिनियम की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार विशेष आरक्षण में अंतरण		–	–
	पूंजी आरक्षिति में अंतरण		6 54 18	13 64 01
	सामान्य आरक्षिति में अंतरण		–	–
	अंतरिम लाभांश (कर सहित)		–	64 87 06
	प्रस्तावित लाभांश – ईक्विटी शेयर पूंजी (कर सहित)		155 10 28	100 51 27
	प्रस्तावित लाभांश अधिमान्य शेयर पूंजी (कर सहित)		–	–
	तुलन पत्र में आगे ले जाया गया शेष		1102 18 78	934 27 54
	जोड		1373 68 48	1217 27 60
	प्रति शेयर अर्जन– बेसिक (रु. में)		5.11	7.64
	– डाइल्यूटेड (रु. में)		5.11	7.64
	लेखा नीतियां	17		
	लेखों पर टिप्पणियां	18		

ऊपर संदर्भित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ एवं अनुसूचियाँ लाभ व हानि लेखा का एक अभिन्न भाग बनती हैं.

किशोर सांसी
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

के आर शेणै
कार्यकारी निदेशक

बी एस रामा राव
कार्यकारी निदेशक

संजय कुमार
निदेशक

सुमा वर्मा
निदेशक

भारती राव
निदेशक

वाई मुरलीकृष्णा
निदेशक

ए.एस.राजीव
महा प्रबंधक

हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स कर्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.001749एस
(के. प्रेमकुमार)
साझेदार
सदस्यता सं.019170

कृते मेसर्स एन. सी. मित्तल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.000237एन
(एन.सी.मित्तल)
साझेदार
सदस्यता सं.14213

कृते मेसर्स केपीएमसी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.05359सी
(संजय मेहरा)
साझेदार
सदस्यता सं.075488

कृते मेसर्स पीकेएफ श्रीधर एण्ड संतानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 003990 एस/एस200018
(एस.राजेश्वरी)
साझेदार
सदस्यता सं.024105

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 12.05.2015

तुलन पत्र व लाभ हानि लेखा की अनुसूचियाँ

(₹ 000 छोड दिया गया है)

विवरण	31.03.2015 की स्थिति	31.03.2014 की स्थिति
अनुसूची – 1 :		
पूंजी		
प्राधिकृत पूंजी	**3000 00 00**	3000 00 00
प्रति ₹ 10/- के 300,00,00,000 शेयर		
जारी अभिदत्त और मांगी गयी पूंजी		
प्रति ₹ 10/- के 85,91,19,307 ईक्विटी शेयर	**859 11 94**	859 11 94
(पिछले वर्ष प्रति ₹ 10/- के 85,91,19,307 ईक्विटी शेयर)		
प्रदत्त पूंजी		
(क) केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रति ₹ 10/- के 63,62,47,049 ईक्विटी शेयर	**636 24 71**	636 24 71
(पिछले वर्ष प्रति ₹ 10/- के 63,62,47,049 ईक्विटी शेयर)		
(ख) सार्वजनिक और अन्य द्वारा धारित प्रति ₹ 10/- के 22,28,72,258 ईक्विटी शेयर	**222 87 23**	222 87 23
(पिछले वर्ष प्रति 22,28,72,258 ईक्विटी शेयर)		
जोड	**859 11 94**	859 11 94
अनुसूची – 2 :		
आरक्षितियां और अधिशेष		
I. **सांविधिक आरक्षिति**		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**1337 71 96**	1233 74 25
जोड : वर्ष के दौरान परिवर्धन	**109 85 24**	103 97 71
जोड	**1447 57 20**	1337 71 96
II. **पूंजी आरक्षिति**		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**3518946**	338 25 45
जोड : वर्ष के दौरान परिवर्धन	**6 54 18**	13 64 01
जोड	**358 43 64**	351 89 46
III. **शेयर प्रीमियम**		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**1679 39 85**	592 97 88
जोड : वर्ष के दौरान परिवर्धन	**–**	1086 41 97
जोड	**1679 39 85**	1679 39 85
IV. **पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति**		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**248 99 27**	262 62 40
जोड : वर्ष के दौरान परिवर्धन	**–**	–
घटाएं : लाभ – हानि खाते से समायोजित मूल्यह्रास अवमूल्यन के प्रति कटौती	**12 47 60**	13 63 13
जोड	**236 51 67**	248 99 27

(₹ 000 छोड दिया गया है)

विवरण	31.03.2015 की स्थिति	31.03.2014 की स्थिति
अनुसूची – 2 (जारी...)		
V. **राजस्व और अन्य आरक्षितियां**		
(क) आय कर अधिनियम की धारा 36(1) (viii) के अनुसार विशेष आरक्षिति		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**463 72 74**	436 72 74
जोड : वर्ष के दौरान परिवर्धन	**–**	–
जोड	**463 72 74**	463 72 74
(ख) सामान्य आरक्षिति		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**12 79 62**	12 79 62
जोड/(घटाएँ) : वर्ष के दौरान अंतरण	**–**	–
जोड	**12 79 62**	12 79 62
(ग) लाभ-हानि लेखा में शेष राशि	**1102 18 78**	934 27 54
जोड	**1102 18 78**	934 27 54
जोड (क+ख+ग)	**1578 71 14**	1410 79 90
जोड { I+II+III+IV+V}	**5300 63 50**	5028 80 44
अनुसूची – 3 :		
जमाराशि		
भारत में जमाराशि		
I. **मांग जमा**		
i) बैंकों से	**17 74 14**	15 57 53
ii) अन्य से	**6690 78 01**	5881 67 32
II. **बचत बैंक जमाराशियां**	**19031 05 36**	16977 97 64
III. सावधि जमाराशियां		
i) बैंकों से	**44 00 95**	323 10 63
ii) अन्य से	**100559 76 60**	101097 82 81
जोड	**126343 35 06**	124296 15 93
अनुसूची – 4 :		
उधार		
I. **भारत में उधार**		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	**–**	350 00 00
ii) अन्य बैंक	**–**	–
iii) अन्य संस्था और अभिकरण	**4028 19 36**	2644 79 86

(₹ 000 छोड दिया गया है)

विवरण	31.03.2015 की स्थिति	31.03.2014 की स्थिति
अनुसूची – 4 (जारी...)		
iv) गौण ऋण – बांड		
1) 7.15% की दर से 10 वर्षीय व 3 महीने के बांड 2015	**250 00 00**	250 00 00
2) 9.25% की दर से 10 वर्षीय बांड 2016	**250 00 00**	250 00 00
3) 10.10% की दर से 15 वर्षीय बांड 2022	**300 00 00**	300 00 00
4) 9.50% की दर से 10 वर्षीय व 3 महीने के बांड 2017	**200 00 00**	200 00 00
5) 9.35% की दर से 10 वर्षीय व 4 महीने के बांड 2018	**200 00 00**	200 00 00
6) 9.45% की दर से 15 वर्षीय बांड 2023	**300 00 00**	300 00 00
7) 9.73% की दर से 10 वर्षीय बांड 2023	**250 00 00**	250 00 00
8) 9.15% की दर से 10 वर्षीय बांड 2024	**500 00 00**	–
9) 9.54% की दर से बेमियादी अतिरिक्त टियर I बांड 2024	**100 00 00**	–
10) 8.62% की दर से 10 वर्षीय बांड 2025	**500 00 00**	–
11) 10.40% की दर से बेमियादी अतिरिक्त टियर I बांड 2024	**400 00 00**	–
II. **भारत से बाहर उधार**	**–**	–
जोड	**7278 19 36**	4744 79 86
अनुसूची – 5 :		
अन्य देनदारियां व प्रावधान		
(i) देय बिल	**473 67 86**	417 15 42
(ii) प्रोद्भूत ब्याज	**289 16 55**	325 22 24
(iii) मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	**465 15 53**	424 01 53
(iv) अन्य [प्रावधानों सहित]	**1559 82 49**	1051 45 13
(v) अंतर कार्यालय समायोजन [निवल]	**50 88 95**	136 76 30
(vi) आस्थगित कर देयता [निवल]	**23 07 93**	75 12 49
जोड	**2861 79 31**	2429 73 11
अनुसूची – 6 :		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष		
I. हाथ में नकदी (विदेशी करेंसी नोटों सहित)	**493 80 86**	373 49 97
II. चालू खाते में भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	**6040 48 54**	5166 68 72
III. अन्य खातों में भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	**7**	2 07
जोड	**6534 29 47**	5540 20 76

(₹ 000 छोड दिया गया है)

विवरण	31.03.2015 की स्थिति	31.03.2014 की स्थिति
अनुसूची – 7 :		
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
I. **भारत में**		
(i) बैंकों में शेष		
(क) चालू खातों में	78 24 57	76 37 89
(ख) अन्य जमा खातों में	64	63
(ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
(क) बैंकों के साथ	3 00 00 00	22 48 13 61
(ख) अन्य संस्थाओं के साथ	1 71 40 25	8 79 43 25
जोड	549 65 46	3203 95 38
II. **भारत के बाहर**		
(क) चालू खातों में	12 19 53	97 09 76
(ख) अन्य जमा खातों में	255 68 71	616 39 69
जोड	267 88 24	713 49 45
जोड {I+II}	817 53 70	3917 44 83
* नॉस्ट्रो प्रतिरूप शेष में असमायोजित मद तथा विचाराधीन राशि शामिल है.		
अनुसूची – 8 :		
विनिधान		
भारत में विनिधान सकल	44698 33 78	42833 77 92
घटाएं : अवमूल्यन एवं अनिष्पादक निवेश के लिए प्रावधान	176 23 92	248 39 44
भारत में निवल विनिधान	44522 09 86	42585 38 48
विश्लेषण		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	34930 20 17	33263 69 52
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	2 66 87	2 53 17
iii) शेयर	197 37 66	188 24 54
iv) डिबेंचर और बांड	3842 37 01	3710 53 42
v) सह संस्थाओं में निवेश (ईक्विटी पद्धति पर)	–	–
vi) अन्य (यूनिट, किसान/ इंदिरा विकास पत्र, नाबार्ड-आरआईडीएफ, पीएसयू जमाराशियां)	5549 48 15	5420 37 83
जोड	44522 09 86	42585 38 48
अनुसूची – 9 :		
अग्रिम		
(क) i) खरीदे गए व भुनाए गए बिल	1588 15 73	1921 78 92
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर दिए ऋण	30329 62 18	32786 52 05
iii) सावधि ऋण	54777 83 44	46795 46 45
iv) कृषि ऋण छूट योजना – 2008 के अधीन प्राप्य दावे	24 98	25 79
जोड	86695 86 33	81504 03 21

(₹ 000 छोड दिया गया है)

विवरण				31.03.2015 की स्थिति	31.03.2014 की स्थिति
अनुसूची – 9 (जारी...)					
(ख)	i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के प्रति अग्रिम शामिल हैं)		**73497 63 47**	62369 86 51
	ii)	बैंक /सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित		**3141 63 22**	3732 86 76
	iii)	अप्रतिभूत		**10056 34 66**	15401 04 15
	iv)	कृषि ऋण छूट योजना – 2008 के अधीन प्राप्य दावे		**24 98**	25 79
		जोड		**86695 86 33**	81504 03 21
(ग)	**भारत में अग्रिम**				
	i)	प्राथमिकता क्षेत्र		**27537 65 85**	22070 55 72
	ii)	सार्वजनिक क्षेत्र		**3096 26 53**	15002 61 12
	iii)	बैंक		**457 48 93**	1173 01 69
	iv)	अन्य		**55604 20 04**	43257 58 89
	v)	कृषि ऋण छूट योजना – 2008 के अधीन प्राप्य दावे		**24 98**	25 79
		जोड		**86695 86 33**	81504 03 21

अनुसूची – 10 :	**31.03.2015**	31.03.2014		
अचल आस्तियां				
I. **परिसर**				
सकल ब्लाक (लागत पर/पुनर्मूल्यांकित राशि)				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**607 34 79**	591 25 90		
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**88 27**	16 08 89		
वर्ष के दौरान कटौतियां	**–**	–		
	608 23 06	607 34 79		
मूल्यह्रास				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**280 73 08**	263 67 20		
जोडें : वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास	**15 66 94**	17 05 88		
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	**–**	–		
अद्यतन मूल्यह्रास– पुनर्मूल्यांकन के निमित्त 22,47,874 हज़ार रकम सहित				
(पिछले वर्ष : 21,11,559 हज़ार)	**296 40 02**	280 73 08		
अवलिखित मूल्य			**311 83 04**	326 61 71
II. **अन्य अचल आस्तियां**				
फर्नीचर तथा जुडनार सहित				
सकल ब्लॉक (लागत पर)				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**633 67 81**	536 41 76		
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**106 16 09**	115 32 31		
	739 83 90	651 74 07		
वर्ष के दौरान कटौतियां	**11 22 01**	18 06 26		
	728 61 89	633 67 81		

(₹ 000 छोड दिया गया है)

विवरण			31.03.2015 की स्थिति	31.03.2014 की स्थिति
अनुसूची – 10 (जारी...)				
मूल्यह्रास				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**431 34 97**	387 26 80		
जोडें : वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास	**51 66 20**	60 91 88		
	483 01 17	448 18 68		
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	**9 20 72**	16 83 71		
अद्यतन मूल्यह्रास	**473 80 45**	431 34 97		
अवलिखित मूल्य *			**254 81 44**	202 32 84
जोड			**566 64 48**	528 94 55
अनुसूची 11 :				
अन्य आस्तियां				
i. प्रोद्भूत ब्याज			**1004 03 06**	895 61 50
ii. अग्रिम रूप से प्रदत्त /स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान का निवल)			**1750 70 80**	1685 73 94
iii. आस्थगित कर आस्ति (निवल)			**–**	–
iv. लेखन सामग्री और स्टैम्प			**1 59 90**	1 37 89
v. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंकिंग आस्तियां			**762**	762
vi. अन्य (प्रावधान का निवल)			**750 23 95**	580 67 25
vii. अपरिशोधन-ग्रेच्युटि व पेंशन			**–**	119 11 25
viii. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)			**–**	–
जोड			**3506 65 33**	3282 59 45
अनुसूची 12 :				
आकस्मिक देयताएं				
i. बैंक के खिलाफ़ दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है			**295 33 72**	77 84 56
ii. अंशत: प्रदत्त विनिधानों के लिए देयताएं			**–**	–
iii. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के प्रति देयताएं			**4249 74 07**	5098 90 86
iv. भारत में घटकों की ओर से दी गयी गारंटिया			**6267 85 12**	5210 36 72
v. प्रति-ग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं			**1301 01 28**	1403 25 72
vi. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है			**1949 71 37**	1314 50 86
vii. निष्पादित किए जाने के लिए बाकी पूंजीगत करार			**28 59 63**	26 11 23
जोड			**14092 25 19**	13130 99 95

(₹ 000 छोड दिया गया है)

विवरण		31.03.2015 की स्थिति	31.03.2014 की स्थिति
अनुसूची – 13 :			
अर्जित ब्याज			
i.	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	**8608 72 18**	7713 61 27
ii.	विनिधानों पर आय	**3346 86 54**	2605 01 89
iii.	भारतीय रिज़र्व बैंक के शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	**3 08 16**	3 04 91
iv.	अन्य	**314 85 77**	384 87 62
	जोड	**12273 52 65**	10706 55 69
अनुसूची – 14 :			
अन्य आय			
i.	कमीशन, विनिमय और दलाली	**116 21 59**	100 37 54
ii.	विनिधानों के विक्रय पर लाभ	**323 13 23**	234 15 97
	घटाएं : विनिधानों के विक्रय से हानि	**24 60 57**	43 90 98
		298 52 66	190 24 99
iii.	विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर निवल लाभ /(हानि)	**–**	–
	घटाएं : एचटीएम प्रतिभूतियों पर प्रीमियम का परिशोधन	**–**	–
		–	–
iv.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	**19 13**	16 79
	घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय से हानि	**69 61**	37 62
		– 50 48	– 20 83
v.	विनिमय लेनदेन पर लाभ	**54 35 95**	69 12 09
	घटाएं : विनिमय लेनदेन पर हानि	**9 12**	1 70
		54 26 83	69 10 39
vi.	विविध आय	**410 45 81**	350 35 34
	जोड { i+ii+iii+iv+v+vi }	**878 96 41**	709 87 43
अनुसूची – 15 :			
व्यय किया गया ब्याज			
i.	जमाराशियों पर ब्याज	**9699 60 32**	8355 53 12
ii.	भारतीय रिज़र्व बैंक /अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	**1 74 86**	1 32 37
iii.	अन्य	**279 89 55**	266 29 27
	जोड	**9981 24 73**	8623 14 76

(₹ 000 छोड दिया गया है)

विवरण			31.03.2015 की स्थिति	31.03.2014 की स्थिति
अनुसूची – 16 :				
प्रचालन व्यय				
i. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान			**1165 55 10**	1039 80 47
ii. किराया,कर और रोशनी			**147 79 73**	128 12 31
iii. मुद्रण और लेखन सामग्री			**13 71 61**	13 43 67
iv. विज्ञापन और प्रचार			**10 36 03**	10 90 49
	31.03.2015	31.03.2014		
v. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	**67 00 83**	77 77 74		
घटाएं : पुनर्मूल्यन आरक्षिति से समायोजित मूल्यह्रास	**12 47 59**	13 63 12	**54 53 24**	64 14 62
vi. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय			**57 08**	81 09
vii. लेखा परीक्षकों के शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित)			**10 77 27**	15 20 62
viii. विधि प्रभार			**74 16**	63 61
ix. डाक, तार और टेलिफोन आदि			**26 20 80**	21 14 62
x. मरम्मत और अनुरक्षण			**4 65 96**	3 66 03
xi. बीमा			**121 85 09**	94 70 33
xii. अन्य व्यय			**355 45 13**	296 97 47
जोड			**1912 21 20**	1689 55 33

किशोर सांसी
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

के आर शेणै
कार्यकारी निदेशक

बी एस रामा राव
कार्यकारी निदेशक

संजय कुमार
निदेशक

सुमा वर्मा
निदेशक

भारती राव
निदेशक

वाई मुरलीकृष्णा
निदेशक

ए.एस.राजीव
महा प्रबंधक

हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स कर्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.001749एस

(के. प्रेम कुमार)
साझेदार
सदस्यता सं.019170

कृते मेसर्स एन. सी. मित्तल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.000237एन

(एन.सी.मित्तल)
साझेदार
सदस्यता सं.14213

कृते मेसर्स केपीएमसी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.05359सी

(संजय मेहरा)
साझेदार
सदस्यता सं.075488

कृते मेसर्स पीकेएफ श्रीधर एण्ड संतानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 003990 एस/एस200018

(एस.राजेश्वरी)
साझेदार
सदस्यता सं.024105

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 12.05.2015

अनुसूची–17
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 2014–15

1. **लेखा परिपाटी :**

अन्यथा उल्लिखित बातों को छोडकर, वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं और वे भारतीय रिजर्व बैंक (भा. रि.बैं.) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ पठित लागू लेखा मानक के अनुकूल है तथा जहाँ तक लागू हो, कंपनी(लेखांकन मानक)नियम, 2006 के अनुसार है जो सांविधिक प्रावधानों तथा भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित व्यवहार के अनुरूप है.

सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांत के अनुकूल वित्तीय विवरणी तैयार करने के लिए प्रबंधन को रिपोर्ट की गयी आस्तियों की राशि, देयताएं, राजस्व, वित्तीय विवरणियों में व्यय तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करनेवाले अनुमान तथा आकलन करना जरूरी है. प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी में प्रयुक्त आकलन विवेकशील तथा उचित है. लेखा आकलन में किसी भी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य के लिए अभिज्ञप्त किया जाता है.

2. **विदेशी मुद्रा लेन–देन :**

(I) एफसीएनआर/ईईएफसी/आरएफसी खातों से भिन्न लेन–देन

(क) आस्तियों व देयताएं दोनों के अंतर्गत भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ विदेशी मुद्रा शेषराशि का बकाया तथा वायदा विनिमय संविदाओं का मूल्यांकन वर्षांत दरों से भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा निर्दिष्टानुसार किया गया है. परिणामी लाभ/ हानि को लाभ/हानि खाते के रूप में दर्शाया गया है.

(ख) आय और व्यय मदों को, लेन–देन की तारीखों को विद्यमान विनिमय दरों के अनुसार रखा गया है.

(ग) विदेशी मुद्राओं में जारी गारंटियों और साख पत्रों सहित स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और अन्य बाध्यताओं के निमित्त प्रासंगिक देयतओं का, जिन्हें तुलन–पत्र में दर्शाया गया है, वर्षांत में विद्यमान विनिमय दरों से मूल्यांकन किया गया है.

(II) एफसीएनआर/ईईएफसी/आरएफसी खातों से संबंधित लेन–देन :

उचित ब्याज सहित एफसीएनआर/ईईएफसी/आरएफसी खातों में विदेशी मुद्रा जमाराशियों तथा तदनुरूपी आस्तियों को बाज़ार से जुडी हुई काल्पनिक दरों के अनुरूप रखा गया है, जिनकी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है. वर्षांत में आस्ति व देयताओं को एफडीएआई द्वारा निर्धारित भाव पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है. परिणामी लाभ/ हानि को आय/हानि के रूप में दर्शाया जाता है.

3. **विनिधान**

(I) विनिधान को विनिधान वर्गीकरण व मूल्यांकन पर भारिबैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशानुसार लेखांकित किया जाता है तथा निम्न छह समूहों में वर्गीकृत कर तुलन–पत्र में पुन:दर्शाया गया है :

(क) सरकारी प्रतिभूतियां

(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

(ग) शेयर

(घ) डिबेंचर और बांड

(ङ) अनुषंगी संस्थाओं/संयुक्त उपक्रमों में विनिधान

(च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड की यूनिटें नाबार्ड–आरआईडीएफ, उद्यम पूंजी निधि आदि)

(II) बैंक के विनिधान संविभाग का निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(क) परिपक्व होने तक रखे गए

(ख) बिक्री के लिए उपलब्ध

(ग) व्यापार के लिए रखे गए

बैंक , अभिग्रहण के समय प्रत्येक की श्रेणी निश्चित कर और उसका तदनुसार वर्गीकरण करता है. अंतरण के दिनांक को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाज़ार मूल्य की निम्नतम दर पर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रतिभूतियों का अंतरण किया जाता है. ऐसे अंतरणों पर यदि कोई मूल्यह्रास हो तो उसके लिए पूरा प्रावधान किया जाता है एवं तदनुसार प्रतिभूति का बही मूल्य बदल दिया जाता है.

(III) मूल्यांकन

(क) परिपक्व होने तक रखे गए

(i) इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत विनिधानों का मूल्यांकन वर्षांत में अभिग्रहण लागत पर किया गया है परंतु जहां अभिग्रहण लागत अंकित मूल्य से अधिक हो वहां प्रीमियम को स्थिर लाभ प्रणाली के अनुसार अमूर्त किया जाता है.

(ii) अनुषंगी संस्थाओं/संयुक्त उपक्रमों में विनिधान के मामले में, मूल्य में कोई ह्रास होने पर अस्थाई से भिन्न विनिधान को पहचाना गया है और अलग–अलग रूप से प्रत्येक विनिधान के लिए प्रावधान किया गया है. आरआरबी तथा उद्यम पूंजी निधि में विनिधान का मूल्यांकन अभिग्रहण लागत पर किया गया है.

(iii) इस श्रेणी में विनिधान के बिक्री पर अर्जित लाभ को पहले लाभ–हानि लेखा में लिया गया है और तदनंतर 'पूंजीगत आरक्षिति खाते' में विनियोजित किया गया है.निवेश की बिक्री पर हुई हानि को लाभ–हानि खाते में दर्शाया गया है.

(ख) बिक्री के लिए उपलब्ध

क	सरकारी प्रतिभूतियाँ i) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	निर्धारित आय मुद्रा बाजार तथा भारतीय व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा प्रकाशित बाजार मूल्य/ वाईटीएम आवधिक आधार पर
	ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	एफआईएमएमडीए/भा.रि.बैं. मार्गनिर्देशों के अनुसार
ख	केन्द्र/राज्य सरकार पीएसयू बांड द्वारा गारंटी दी गई प्रतिभूतियाँ (अग्रिम के स्वरूप में नहीं)	एफआईएमएमडीए/भारिबैंक के मार्गनिर्देशानुसार परिपक्वता पर उचित आय के आधार पर
ग	खजाना बिल	ढुलाई लागत पर
घ	ईक्विटी शेयर	बाजार मूल्य पर, यदि भाव दिया जाता है,अन्यथा अद्यतन तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार शेयर के विच्छेदित मूल्य पर अन्यथा 1रु. प्रति कंपनी की दर से.
ङ	अधिमान्य शेयर	यदि भाव दिया जाता है तो बाजार मूल्य पर, अन्यथा भारिबैंक/एफआईएमएमडीए के मार्गनिर्देशानुसार प्रतिदेय मूल्य से अधिक न होते हुए परिपक्वता आधार पर उचित आय पर. अधिमान्य शेयरों के मामले में जहां अधिमान्य लाभांश में बकाया हो, वहां संचित लाभांश के लिए कोई जमा नहीं लिया जाता है और यदि बकाया एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए हो तो वाइटीएम के अनुसार निर्धारित मूल्य में न्यूनतम 15% बट्टा लगाया जाता है. उपरोक्तानुसार गैर–निष्पादित शेयरों के मामले में जहां लाभांश बकाया हो निर्धारित किए गए मूल्यह्रास/ प्रावधानीकरण आवश्यकताओं को अन्य निष्पादित अधिमान्य शेयरों के वर्धन के प्रति सेटआफ नहीं किया जाता है.
च	बांड एवं डिबेंचर (अग्रिम के स्वरूप का नहीं)	यदि भाव दिया जाता है तो बाजार मूल्य पर, अन्यथा भारिबैंक/एफआईएमएमडीए के मार्गनिर्देशानुसार परिपक्वता आधार के प्रति उचित आय पर
छ	म्यूचुअल फंड की यूनिटें	यदि भाव दिया जाता है तो शेयर बाजार भाव दर पर, यदि भाव नहीं दिया जाता है तो पुनः खरीद मूल्य/एनएवी पर.
ज	वाणिज्यिक कागज़ात	ढुलाई लागत पर.
झ	प्रतिभूति रसीद	आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा घोषित आस्ति के निवल आस्ति मूल्य पर.
ञ	उद्यम पूँजी निधि	वीसीएफ द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर.
ट	अन्य विनिधान	ह्रास मूल्य घटाकर ढुलाई लागत पर.

बिक्री के लिए उपलब्ध एवं व्यापार के लिए रखे गए श्रेणी में उपरोक्त मूल्यांकन स्क्रिप आधार पर किया जाता है तथा वर्गीकरण के लिए मूल्यह्रास/मूल्यवृद्धि का कुल किया जाता है. प्रत्येक वर्गीकरण के लिए मूल्यह्रास यदि हो तो उसके लिए प्रावधान किया जाता है तथा मूल्यवृद्धि छोड दिया जाता है.

निवल आधार पर मूल्यह्रास के कारण प्रावधान यदि अधिक हो तो पहले उसे लाभ व हानि खाते में लिया जाता है तथा बाद में भा.रि.बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशानुसार 'निवेश आरक्षिति खाते' में समायोजित किया जाता है.

एएफएस/एचएफटी वर्ग के निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते में लिया जाता है.

IV. विवेकपूर्ण मानदंड

(क) (i) केंद्र सरकार की गारंटी सहित प्रतिभूतियों को मूल धन/ब्याज भुगतानों की बकाया राशि पर ध्यान न देते हुए निष्पादक निवेश माने जाते हैं. तथापि, यदि ब्याज 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए वसूल नहीं किया जाता है तो उसे केवल नकदी आधार पर आय के रूप में पहचाना जाएगा.

(ii) प्रतिभूतियां जो राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत हैं, जहाँ मूलधन/ब्याज देय है परन्तु 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अदा नहीं किए गए हैं, अनुपयोज्य निवेश माने जाते हैं तथा उसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक मार्गनिर्देशानुसार प्रावधान किया गया है. आगे, राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गई प्रतिभूतियों के लिए जहाँ मूलधन/ब्याज देय है लेकिन 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए प्रदत्त नहीं है, ब्याज को केवल नकद आधार पर पहचाना जाता है.

(ख) प्रतिभूतियां जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अधिमान्य शेयरों द्वारा गारंटीकृत नहीं है : जहाँ मूलधन/ब्याज/निर्धारित लाभांश देय है परन्तु वर्ष के अंत में 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अदा नहीं किए गए हैं, ऐसे मदों को अनुपयोज्य निवेश माना जाता हैं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशानुसार प्रावधान किया गया है.

(ग) डिबेंचरों/बांडों के मामले में जहाँ मूलधन/ब्याज बकाया है, अग्रिमों के मामले में प्रावधान किया गया है.

(घ) यदि जारीकर्ता द्वारा बैंक से प्राप्त की गई कोई भी ऋण सुविधा गैर निष्पादक बने तो उनके द्वारा किसी प्रतिभूति से किए गए निवेश को अनुपयोज्य निवेश माना जाता है.

(ड.) अनुपयोजय निवेशों के संबंध में मूल्यह्रास/प्रावधान अपेक्षा अन्य निष्पादक निवेशों के मामले में वृद्धि के प्रति समायोजित नहीं किया गया है.

(च) ईक्विटी शेयरों के मामले में यदि भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशानुसार भावदर या अद्यतन तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी का शेयरों में निवेश के रु.1 की कीमत मानी जाती है तो ऐसे ईक्विटी शेयरों को भी मामले के अनुसार,अनुपयोज्य निवेश माना जाएगा.

(छ) अधिमान्य शेयरों के मामले में जहां अधिमान्य लाभांश में बकाया हो, वहां संचित लाभांश के लिए कोई जमा नहीं लिया जाता है और यदि बकाया एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए हो तो वाइटीएम के अनुसार निर्धारित मूल्य में न्यूनतम 15% बट्टा लगाया जाता है. उपरोक्तानुसार गैर-निष्पादित शेयरों के मामले में जहां लाभांश बकाया हो निर्धारित किए गए मूल्यह्रास/प्रावधानीकरण आवश्यकताओं को अन्य निष्पादित अधिमान्य शेयरों के वर्धन के प्रति सेटआफ नहीं किया जाता है.

4. व्युत्पन्न से संबंधित लेनदेन

व्युत्पन्न करारों को प्रतिरक्षा और व्यापार के रूप में नामोद्दिष्ट कर निम्नानुसार लेखाबद्ध किया गया है:

क. **प्रतिरक्षा विनिमय:** बाजार मूल्य या कम लागत पर या वित्तीय विवरण बाजार मूल्य पर धारित आस्ति या देयता से संबंधित विनिमय को छोडकर, ब्याज युक्त आस्ति व देयताओं की प्रतिरक्षा हेतु ब्याजदर विनिमय को प्रोद्भवित आधार पर लेखाबद्ध किया गया है. ऐसी स्थिति में विनिमय बाज़ार को अंकित किया गया है एवं परिणामी लाभ व हानि का नामोद्दिष्ट आस्ति या देयता को बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में अभिलिखित किया गया है.

समाप्त किए गए विनिमय के मामले में, लाभ व हानि को आस्थगित कर, विनिमय की शेष संविदागत अवधि या आस्ति/देयता की अवधि, जो भी कम हो, माना गया है.

ख. **प्रतिरक्षा मदों को पुनर्नामित करना :** यदि प्रतिरक्षा मदों को एक आस्ति/ देयता मद से दूसरे आस्ति/देयता मद के रूप में पुनर्नामोद्दिष्ट किया जाता है तो, उक्त कार्य को एक प्रतिरक्षा की समाप्ति एवं दूसरे का उपार्जन के रूप में लेखाबद्ध किया जाएगा. पुनर्नामोद्दिष्ट किए जाने की तारीख को विनिमय बाज़ार को अंकित किया जाता है और विनिमय की शेष अवधि या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार बाजार मूल्य के बही में अंकित करने के मूल्य परिशोधित किया जाता है. बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के प्रति संतुलन समायोजन को नए रूप से नामोद्दिष्ट आस्ति/देयता की प्रतिरक्षा पर प्राप्त या प्रदत्त प्रीमियम के रूप में माना जाएगा और पुनर्नामोद्दिष्ट आस्ति/देयता की अवधि या विनिमय की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार इनका परिशोधन किया जाएगा.

ग. **व्यापारी विनिमय :** व्यापारी विनिमय के संबंध में बाज़ार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और परिणामी लाभ या हानि को आय विवरण में अभिलेखित किया जाता है. विनिमय की समाप्ति पर प्राप्त लाभ या हानि को तात्कालिक आय या व्यय के रूप में अभिलिखित किया जाता है.

5. अचल आस्तियां/मूल्यह्रास

(I) अचल आस्तियां

(क) बैंक परिसर में शामिल है, पूर्ण स्वमित्ववाली संपत्ति और पट्टा-धृति संपत्ति. खरीदी गई और आबंटित भूमि और भवनों का, करारनामों/आबंटित पत्रों और वास्तविक कब्जों के आधार पर पंजीकरण किया गया है. अन्य अचल आस्तियों को उनके इस्तेमाल की तारीख से पूंजीकृत किया जाता है. मूल्यांकित परिसर और अन्य अचल आस्तियों को छोडकर परिसर और अन्य अचल आस्तियों को उनकी ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है. ऐसी अचल आस्तियों को पुनर्मूल्यांकित रकम के आधार पर दर्शाया गया है.

(ख) पट्टे पर /किराए पर ली गई संपत्ति के संबंध में पूंजीगत आस्तियों के अभिग्रहण के लिए किए गए अग्रिम भुगतान को 'अन्य आस्तियों' के अंतर्गत रखा गया है.

(II) मूल्यह्रास /परिशोधन

(क) कुछ संपत्तियों की सम्मिश्र लागत सहित जहां भूमि लागत का पृथककरण करना संभव नहीं है, कंप्यूटरों से भिन्न अचल आस्तियों का 'आय कर नियमों' के अंतर्गत ह्रासमान संतुलन पद्धति के आधार पर

निर्धारित दर से मूल्यह्रास किया गया है. कंप्यूटरों का मूल्यह्रास, सीधी रेखा पद्धति के आधार पर 33.33% प्र.व. की दर से किया गया है. खरीद के वर्ष में अमूर्त आस्तियों के रूप में माने गए अन्य सॉफटवेयर खर्चो को जिसे अमूर्त आस्ति के रूप में माना जाता है, 100% पर परिशोधित किया गया है. वित्तीय वर्ष के दौरान अचल आस्तियों में किए गए जोड पर मूल्यह्रास, निर्धारित मूल्यह्रास दर के 100% की दर से किया गया है बशर्ते कि वर्ष के दौरान आस्तियों का 180 दिन व उससे अधिक दिनों के लिए उपयोग किया गया हो और निर्धारित मूल्यह्रास दर के 50% की दर से उपयोग किया गया है बशर्ते कि वर्ष के दौरान आस्तियों का 180 दिनों से कम समय तक उपयोग किया गया हो. बिक्री/निपटान वर्ष में कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है.

(ख) परिसरों के संबंध में पुनर्मूल्यांकित राशि पर वृद्धिशील मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते से समायोजित किया गया है.

6. **पट्टे पर दी गई आस्तियां :**

लेखाकरण मानक 19 के अनुसार पट्टागत आस्त्यिों का लेखाकरण किया गया है. गैर- निष्पादक आस्तियों के संबंध में प्रावधान करते समय अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आस्तियों के वर्गीकरण से संबंधित मानदंड अपनाए गए हैं.

7. **गैर–बैंकिंग आस्तियां :**

गैर बैंकिंग आस्तियों को उनकी लागत पर दर्शाया गया है.

8. **अग्रिम:**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, अग्रिमों का वर्गीकरण अब तक की गयी वसूलियों को ध्यान में रखते हुए मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानिपरक आस्तियों के रूप में किया जाता है. गैर–निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार किया जाता है.

(क) भारतीय रिजव बैंक के मार्गनिर्देशानुसार, मूल धनराशि/ब्याज की वसूली के आधार पर अग्रिमों का 'निष्पादक', 'अनर्जक' आस्तियों के रूप में वर्गीकरण किया गया है तथा अग्रिमों को 90 दिनों के बकाया रकम अदा करने संबंधी मानदण्डों सहितअनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकरण किया गया है. राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों के संबंध में खातों का अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने के मामले में गारंटी लागू करने की अपेक्षा को पृथक कर दिया गया है. अनर्जक आस्तियों को प्रावधान की संगणना करने के लिए अवमानक संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

तुलन–पत्र में दर्शाए गए अग्रिम, (अस्थायी प्रावधानों सहित) अनर्जक अग्रिमों, उचंत ब्याज तथा प्राप्त ईसीजीसी/डीआईसीजीसी, दावों के संबंध में निवल प्रावधान है.

(ख) अग्रिमों में पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) में बैंक की सहभागिता/योगदान तथा/या अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के ऋण आस्तियों के आस्ति समर्थित समनुदेशन जहां बैंक ने जोखिम सहभागी आधार पर कार्य किया है.

(ग) पूर्व वर्षों में बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों के प्रति की गयी वसूली को लाभ व हानि खाते में डाला जाता है.

(घ) उधारकर्ता के वर्तमान स्तर के अनुरूप निष्पादक आस्ति के रूप में अब तक अपेक्षित नहीं समझे गए लाभ–हानि खाते में किए गए प्रावधान बट्टे खाते से वापस लाभ–हानि खाते में डाले जाते हैं.

(ड.) मानक अग्रिमों पर प्रावधान को 'अन्य देयताएं और प्रावधान' के अंतर्गत दर्शाया गया है.

(च) अग्रिमों पर प्रावधान, भा.रि.बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार निम्नानुसार किया गया है :

1. मानक आस्तियां : वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र को मानक अग्रिम का 1%, प्रत्यक्ष कृषि और लघु व मझौले उद्यम क्षेत्र के अधीन बकाया निष्पादक अग्रिमों का 0.25%, यथा 31.03.2014 को मानक संवर्ग के अधीन तथा 01.06.2013 से पहले पुनर्संरचित खातों के लिए 3.50%, 31.05.2013 के बाद पुनर्संरचित मानक संवर्ग के खातों के लिए 5% तथा अन्य सभी बकाया निष्पादक अग्रिमों पर 0.40%.

2. अवमानक आस्तियां : बकाया अग्रिमों के 15% की दर से यद्यपि, अवमानक आस्तियों के मामले में, जिसे प्रारंभ से 'अप्रतिभूत निवेश' के रूप में पहचाना गया है के लिए बकाया शेष के 25% का प्रावधान रखा गया है.

3. संदिग्ध आस्तियां : जितनी अवधि के लिए आस्तियां संदिग्ध रही हों उसके आधार पर प्रतिभूत अंश के 25% से 100% तक और डीआईसीजीसी योजना के संबंध में वसूल की गयी राशि का और ईसीजीसी योजना के अंतर्गत रक्षित वसूल की गई/करने योग्य गारंटी का निवल निकालने के बाद बकाया शेष राशि के गैर–जमानती अंश का 100%.

4. **हानिपरक आस्तियां :** बकाया अग्रिमों का 100%.

(छ) पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित खाते :

पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित खातों के संबंध में दि.27.08.2008 के परिपत्र तथा दि.02.07.2012 के मास्टर परिपत्र के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अग्रिमों की पुनर्संरचना के सामान्य ढांचे के अनुसार पुनर्संरचित मूल्य के उचित मूल्य में ह्रास को दूर करने के लिए प्रावधान किए गए हैं.

अग्रिमों के उचित मूल्य में ह्रास का परिकलन पुनर्संरचना के पूर्व तथा बाद में ऋण के उचित मूल्य के बीच के अंतर से किया जाता है.

पुनर्संरचना से पूर्व ऋण के उचित मूल्य का परिकलन पुनर्संरचना से पूर्व अग्रिम पर प्रभारित वर्तमान दर पर ब्याज प्रतिफलित करनेवाले नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य तथा मूलधन, पुनर्संरचना की तारीख को बैंक के आधार दर के सम दर पर बट्टागत तथा पुनर्संरचना की तारीख को उधारकर्ता श्रेणी के लिए उचित सावधि प्रीमियम तथा ऋण जोखिम प्रीमियम से किया जाता है.

पुनर्संरचना के बाद ऋण के उचित मूल्य का परिकलन पुनर्संरचना पर अग्रिम पर प्रभारित दर पर ब्याज प्रतिफलित करनेवाले नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य तथा मूलधन, पुनर्संरचना की तारीख को बैंक के आधार दर के सम दर पर बट्टागत तथा पुनर्संरचना की तारीख को उधारकर्ता श्रेणी के लिए उचित सावधि प्रीमियम तथा ऋण जोखिम प्रीमियम से किया जाता है.

उचित मूल्य में ह्रास का प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख पर पुन:परिकलन किया जाता है जबकि सभी चुकौती बाध्यताएं संतोषजनक तरीके से पूरी की जाती है तथा बकाया राशि की पूरी चुकौती की जाती है ताकि आधार दर, सावधि प्रीमियम तथा उधारकर्ता के ऋण संवर्ग में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य पर हुए परिवर्तन को शामिल किया जा सके.

जहां कहीं भी अनुमत है, पुनर्संरचित खातों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार विशेष वितरण, सहित किया गया है.

9. **राजस्व निर्धारण:**

नीचे उल्लिखित मामलों को छोडकर आय को उपचित आधार पर लेखाबद्ध किया गया है :

(क) अनर्जक आस्तियों के मामले में, भा.रि.बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार नकदी आधार पर आय का निर्धारण किया गया है. जहां अगर नियमन के रूप में एनपीए खातों की श्रेणी बढाने के लिए वसूली पर्याप्त न हो वहां ऐसी वसूली का सबसे पहले मूल धनराशि /बही शेषराशि के प्रति और बाद में ब्याज संबंधी देयताओं के प्रति विनियोग किया गया है. अनर्जक विनिधान के संबंध में उपर्युक्त लेखाकरण प्रणाली अपनायी जाती है.

(ख) म्यूउचल फंड यूनिटों,बीमा एवं निक्षेपागार सहभागी कारोबार पर कमीशन, व्यापारी बैंकिंग लेनदेन, सामान्य बीमा करोबार, मुद्रा अंतरण सेवाएं, म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री, लॉकर किराया, सरकारी करोबार पर कमीशन आदि से प्राप्त आय को नकद/वसूली आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है.

(ग) गैर-निधि आधारित कारोबार से अर्जित कमीशन अर्थात साख पत्र तथा बैंक गारंटियों का परिकलन नकद आधार पर किया जाता है.

(घ) प्रतिभूतियों पर देय परंतु 90 दिनों के बाद भी अदत्त ब्याज का, भा.रि.बैंक के मार्गनिर्देश के अनुसार वसूली आधार पर निर्धारण किया गया है.

(ङ) मुकदमा दायर खातों के मामलों में विधि प्रभार लाभ हानि खाते में डाला जाता है. इसी प्रकार ऐसे मुकदमा दायर खातों के मामलों में वसूला गया विधिक व्यय को आय के रूप में लिया जाता है एवं राशि को प्रत्यावर्तित किया जाता है.

10. **निवल लाभ**

निवल लाभ निर्धारित करने से पहले निम्नलिखित किए गए:

(क) सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार आय कर और धन कर के लिए प्रावधान

(ख) अग्रिम/विनिधान के लिए प्रावधान

(ग) विनिधान के मूल्य में समायोजन

(घ) प्रावधान और आकस्मिक व्यय में अंतरण

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदण्डों के अनुसार छ: माह से अधिक अवधि के लिए असमायोजित अंतर शाखा लेखों के लिए प्रावधान

(च) अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधान

11. **कर्मचारी संबंधी लाभ :**

(क) कर्मचारियों के संबंध में विवाद/समझौते से उत्पन्न होनेवाले दावों का अंतिम निपटान/निर्धारण वर्ष में लेखांकन किया जाता है.

(ख) जिन कर्मचारियों ने भविष्य निधि योजना चुनी है, उनके संबंध में बैंक द्वारा भविष्य निधि को मान्यता देने हेतु निर्धारित

यथानुपात अंशदान किया जाता है. दूसरों के मामले में, जिन्होंने पेंशन योजना अपनाई है उनके मामले में लेखाकरण मानक 15 के अनुसार, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पेंशन निधि में अंशदान किया जाता है.

(ग) उपदान निधि में अंशदान, लेखाकरण मानक 15 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है.

(घ) छुट्टी नकदीकरण, साधिकार छुट्टी के प्रति देयता लेखा मानक 15 बीमांकिक मूल्यांकन के आधार प्रदान किया जाता है.

विवरण निम्नानुसार हैः

दीर्घावधि कर्मचारी लाभः

दीर्घावधि कर्मचारी लाभ(कर्मचारी के सेवाकाल की अवधि के समापन से बारह माह के अंत में देय लाभ),तथा पद नियोजन लाभ (सेवाकाल के समापन के बाद देय लाभ),परियोजित इकाई ऋण प्रणाली द्वारा वार्षिक तृतीय पक्ष वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर,बट्टागत आधार पर दिया जाता है. बैंक वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार निम्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ प्रदान करता हैः

1. **छुट्टी भुनाईः** प्रत्येक वर्षांत तुलन पत्र तारीख को प्राप्त तृतीय पक्षकार वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित संबंधित कर्मचारियों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है उस वर्ष में छुट्टी भुनाने के प्रति आस्थगित पात्रता के कारण उपचित देयता के लिए बैंक प्रावधान करता है.

2. **पेंशनः** प्रत्येक वर्षांत तुलन पत्र तारीख को प्राप्त वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित पेंशन के लिए जिन कर्मचारियों ने विकल्प दिया है के कारण उपचित देयता के लिए बैंक प्रावधान करता है.

3. **ग्रैट्युटि:** प्रत्येक वर्षांत तुलन पत्र तारीख को प्राप्त वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित ग्रेट्युटि देयता के लिए बैंक प्रावधान करता है.

पेंशन तथा ग्रेट्युटि अंशदान स्वयं-व्यवस्थित न्यासों में अंतरित है.

12. कराधान के लिए प्रावधान :

कर व्यय में वर्तमान एवं आस्थगित कर शामिल है. वर्तमान आय कर का परिकलन आय कर अधिनियम 1961 के अनुसार कर प्राधिकारियों को भुगतान की जानेवाली अपेक्षित राशि से किया जाता है. आस्थगित आय कर में वर्ष के लिए कर योग्य आय तथा लेखांकन आय के बीच के समय वर्तमान वर्ष के समय अंतराल का प्रभाव तथा पूर्व वर्षों के समय अंतराल का प्रत्यावर्तन प्रतिफलित करता है. आस्थगित कर का परिकलन तुलन पत्र तारीख को अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों तथा कर कानून के आधार पर किया जाता है.

13. अनर्जक

प्रत्येक तुलन पत्र में बाह्य/आंतरिक तत्व पर आधारित अनर्जक की कोई सूचना के लिए आस्तियों की ढुलाई गई राशि की समीक्षा की जाती है. जब भी किसी आस्ति की ढुलाई गई राशि अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो तो अनर्जक हानि होती है.

14. खंड रिपोर्टिंग :

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशानुसार बैंक ने निम्नानुसार खंड रिपोर्टिंग शुरू की है.

1. **खजाना :** जिसमें सभी निवेश संविभाग, निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि, विदेशी विनिमय लेनदेनों पर लाभ/हानि, ईक्विटी, व्युत्पन्न तथा मुद्रा बाजार परिचालनों से आय शामिल है. इस खंड के व्यय में बाह्य स्रोतों व आंतरिक स्रोतों से उधार में लिए गए निधि पर ब्याज व्यय तथा परिपक्व होने तक धारित निवेश श्रेणी पर मूल्यह्रास/प्रीमियम का परिशोधन शामिल है.

2. **कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग** में कॉर्पोरेट ग्राहकों से उधार तथा जमाराशि तथा खंड के अभिज्ञप्त अर्जन तथा व्यय शामिल है.

3. **खुदरा बैंकिंग** में खुदरे ग्राहकों से उधार तथा जमाराशि तथा खंड के अभिज्ञप्त अर्जन तथा व्यय शामिल है.

4. **अन्य बैंकिंग** परिचालन में खजाना, थोक बैंकिंग तथा खुदरा बैंकिंग के अधीन शामिल नहीं किए गए अन्य सभी परिचालन शामिल है.

15. प्रति शेयर अर्जन :

प्रति शेयर अर्जन का परिकलन ईक्विटी शेयर धारकों के लिए निर्धारित अवधि के लिए निवल लाभ या हानि (अधिमान्य लाभांश तथा उस पर योग्य कर की कटौती के बाद) का अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयर के भारित औसत संख्या से विभाजित करते हुए किया जाता है. प्रति ईक्विटी शेयर कम हुए अर्जन का परिकलन ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या तथा वर्षांत में बकाया कम होने वाले संभावित ईक्विटी शेयर से किया जाता है.

16. **आकस्मिक देयताएं तथा प्रावधान :**

1. पूर्व घटना के फलस्वरूप हुए दायित्व के कारण प्रावधान को अभिज्ञप्त किया जाता है. यह एक संभावना है कि दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता है जिसके लिए विश्वस्त अनुमान लगाया जा सकता है. प्रावधानों का वर्तमान मूल्य से बट्टागत नहीं किया जाता है तथा तुलन पत्र तारीख को दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित सर्वोत्कृष्ट अनुमान के आधार पर परिकलन किया जाता है. प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को इनकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वोत्कृष्ट अनुमान परिलक्षित करने के लिए इनका समायोजन किया जाता है.

2. तुलन पत्र की तारीख को सरकारी प्रतिभूतियों तथा अन्य में निपटान हेतु लंबित लेनदेनों को तुलन–पत्र के बाह्य मदों के रूप में आकस्मिक आस्तियों तथा देयताएं शीर्ष के अधीन दर्शाया गया है.

17. नकदी प्रवाह विवरणी में नकदी तथा नकदी समतुल्य राशि में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गयी शेषराशि तथा बैंकों में शेषराशि व मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल है.

18. बैंक ने विनियामक परिवर्तन सहित, यदि कोई है, के अधीन पिछले वर्षों के समान लेखांकन नीति का पालन किया है.

अनुसूची – 18 : लेखों पर टिप्पणियां

1. अंतर शाखा और अन्य लेखों में 31.03.2015 को बकाया प्रविष्टियों का समाधान कर दिया गया है. अंतर शाखा और अंतर बैंक लेखों, ड्राफ्ट लेखों, उचंत लेखों, शाखा समायोजन लेखों, समाशोधन लेन-देन, निधि अंतरण, प्रदत्त/प्रदेय लाभांश/ब्याज भुगतान आदेशों से संबंधित शेषराशियों, आस्तियों के अर्जन हेतु प्रदत्त अग्रिमों आदि सहित अंतर शाखा और अंतर बैंक लेखों में बकाया प्रविष्टियों के मिलान का कार्य 31.12.2014 तक समाप्त हो चुका है तथा शेष अवधि के लिए प्रक्रिया जारी है. बैंक की राय में राजस्व/आस्तियों/देयताओं पर ऊपर उल्लिखित बातों का परिणामी प्रभाव, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा.
2. बैंक द्वारा खरीदे गए कुछ परिसरों के संबंध में जिनकी लागत ₹ 4.88 करोड है (पिछले वर्ष ₹ 5.43 करोड रुपए) विविध विवाद या अन्य औपचारिकताओं के लंबित होते हुए प्रलेखन/पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी है.
3. उन शाखाओं के संबंध में जिनकी लेखा परीक्षा नहीं हुई है, संबद्ध शाखाओं द्वारा पेश की गई विवरणियों/अग्रिमों का वर्गीकरण अपनाया गया है.
4. ईसीजीसीआई लि. के पास लंबित तथा विचारार्थ प्रेषित ₹ 32.85 करोड के दावे भी (पिछले वर्ष ₹ 205.73 करोड), प्रावधान का परिकलन करने की दृष्टि से वसूली योग्य समझे गए हैं.
5. बैंक के पक्ष में निर्णयों को ध्यान में रखते हुए विवादास्पद कर देयताओं के संबंध में प्रबंधन द्वारा किए गए प्रावधानों को छोड़कर किसी अन्य प्रावधान को आवश्यक नहीं समझा गया है. आगे, प्राप्त विधिक मत के आधार पर आयकर अधिनियम के अधीन कुछ दावों के संबंध में कर प्रावधानों का परिकलन करते समय कुछ कटौतियों पर विचार किया गया है.
6. भारतीय बैंक संघ के पत्र सं.लीगल/सीआईआर दिनांक 03 मार्च, 2015 के अनुसार, कंपनी कार्य मंत्रालय ने परामर्श दिया है कि जहां तक बैंक कंपनी के रूप में पंजीकृत नहीं है और राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबंध में, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व लागू नहीं होते, क्योंकि वे कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत नहीं है.
7. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गेनर्देशों के अनुसार निम्नलिखित प्रकटन किए जाते हैं :

i) **पूंजी** (₹ करोडों में)

क्रम सं.	**विवरण**	**31.03.2015**	31.03.2014
1.	सीआरएआर (%)		
	बेसल II	**11.70**	10.97
	बेसल III	**11.43**	10.56
2.	सीआरएआर - टियर I पूंजी (%)		
	बेसल II	**8.25**	8.30
	बेसल III	**8.24**	8.12
3.	सीआरएआर -टियर II पूंजी (%)		
	बेसल II	**3.45**	2.67
	बेसल III	**3.19**	2.44

बेसल III (₹ करोडों में)

क्रम सं.	**विवरण**	**31.03.2015**	31.03.2014
i)	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	**7.60**	8.12%
ii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	**8.24**	-
iii)	टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	**3.19**	2.44%
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	**11.43**	10.56%
v)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारत सरकार की शेयरधारिता की प्रतिशतता	**74.06**	74.06%
vi)	जुटाए गए ईक्विटी पूंजी की राशि (₹ करोडों में) (मद सं.10 का संदर्भ लें)	**--**	363.58
vii)	जुटाए गए अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि जिनमें से पीएनसीपीएस : 0.00 पीडीआई : 500.00	**500.00**	शून्य
	जुटाए गए टियर 2 पूंजी की राशि जिनमें से ऋण पूंजी लिखत (₹ करोडों में) : अधिमानी शेयर पूंजी लिखत : बेमियादी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)/ प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस)/प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)	**1000.00** शून्य	250.00 शून्य

ii) **निवेश** (₹ करोडों में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1.	निवेश का मूल्य		
	निवेश का सकल मूल्य	44,698.34*	42833.78*
	भारत में	44,698.34*	42833.78*
	भारत के बाहर	शून्य	शून्य
	मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान (गैर-निष्पादक निवेश)	176.24	248.39
	भारत में	176.24**	248.39**
	भारत के बाहर	शून्य	शून्य
	निवेश का निवल मूल्य	44,522.10	42585.38
	भारत में	44,522.10	42585.38
	भारत के बाहर	शून्य	शून्य
2.	निवेश पर मूल्यह्रास के प्रति धारित प्रावधानों का उतार-चढाव		
	अथशेष	235.93	207.79
	जोड : i) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.00	0.00
	ii) निवेशों के शिफ्टिंग में कमी	0.26	77.08
	घटाएं - वर्ष के दौरान अधिक प्रावधान को अपलिखित करना/प्रतिलेखित करना	77.04	48.94
	इति शेष	159.15	235.93

* यथा 31.03.2015 को ₹ 2100.00 करोड (पिछला वर्ष ₹ 575.00 करोड) का बकाया एलएएफ रिपो तथा ₹ शून्य (पिछला वर्ष ₹ 450.00 करोड) का बकाया एमएसएफ सहित

** एनपीआई के ₹17.09 करोड (पिछला वर्ष ₹ 12.47 करोड) के प्रावधान सहित

iii) **रिपो लेनदन के विवरण (एलएएफ रिपो के अधीन भा.रि.बैंक से प्राप्त सहित) निम्नानुसार है :**

(₹ करोडों में)

ब्यौरे	वर्ष के दौरान बकाया			31.03.2015 को
	न्यूनतम	अधिकतम	दैनिक औसत	
रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
1) सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	4869.83	698.41	3798.29
2) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रिपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
1) सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	11682.98	2691.06	171.40
2) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ब्यौरे	वर्ष के दौरान बकाया			31.03.2014 को
	न्यूनतम	अधिकतम	दैनिक औसत	
रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
1) सरकारी प्रतिभूतियां	शून्य	2800.00	634.08	1025.00
2) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रिपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
1) सरकारी प्रतिभूतियां	शून्य	14981.99	3224.50	879.43
2) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iv) **गैर–एसएलआर निवेश संविभाग**

गैर–एसएलआर निवेश की जारीकर्त्ता संरचना – 31.03.2015 (₹ करोडों में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	राशि	असार्वजनिक नियोजन की सीमा	निवेश श्रेणी से निम्न प्रतिभूतियों की सीमा	''श्रेणी रहित'' प्रतिभूतियों की सीमा***	'' सूची रहित '' प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	पीएसयू	2679.66	2587.73	1502.79	914.37	0.00
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ **	4403.94	351.19	58.00	3831.46	48.00
(iii)	बैंक	1553.47	169.76	10.00	41.53	0.00
(iv)	निजी कंपनी	714.72	552.92	132.78	145.96	31.27
(v)	अनुषंगी/संयुक्त उपक्रम	–	–	–	–	–
(vi)	अन्य	413.55	375.55	–	413.55	–
(vii)	मूल्यह्रास/एनपीआई के प्रति धारित प्रावधान	176.11	×××	×××	×××	×××
	कुल	**9589.22**	**4037.15**	**1703.57**	**5346.87**	**79.27**

नोट : उपरोक्त कॉलम 4, 5, 6 तथा 7 के अधीन रिपोर्ट की गयी राशि परस्पर अनन्य नहीं हो सकती हैं.

** में आरआईडीएफ के अधीन ₹ 3763.98 करोड का निवेश भी शामिल है.

गैर–एसएलआर निवेश की जारीकर्त्ता संरचना – 31.03.2014 (₹ करोडों में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	राशि	असार्वजनिक नियोजन की सीमा	'निवेश श्रेणी से निम्न' * प्रतिभूतियों की सीमा	'श्रेणी रहित' प्रतिभूतियों की सीमा	'सूची रहित' प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	पीएसयू	2749.58	2684.07	2313.72	177.10	0.00
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ **	4358.21	675.06	50.50	3683.14	50.50
(iii)	बैंक	1919.17	209.93	25.00	53.56	–
(iv)	निजी कंपनी	355.11	226.60	162.23	112.01	–
(v)	अनुषंगी/संयुक्त उपक्रम	–	–	–	–	32.67
(vi)	अन्य	132.10	15.83	0.00	132.10	–
(vii)	मूल्यह्रास/एनपीआई के प्रति धारित प्रावधान	195.02	×××	×××	×××	×××
	कुल	**9319.15**	**3811.49**	**2551.45**	**4157.91**	**83.17**

नोट :

* उपरोक्त कॉलम 4,5,6 तथा 7 के अधीन रिपोर्ट की गयी राशि परस्पर अनन्य नहीं हो सकती हैं.

** में आरआईडीएफ के अधीन ₹ 3615.57 करोड का निवेश भी शामिल है.

v) **क) गैर निष्पादक गैर–एसएलआर निवेश** (₹ करोडों में)

ब्यौरे	**राशि 31.03.2015**	**राशि 31.03.2014**
अथशेष	**17.12**	11.27
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**6.53**	5.85
उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती	**0.00**	0.00
इतिशेष	**23.65**	17.12
कुल धारित प्रावधान	**17.09**	12.47

ख) गैर–निष्पादक विनिधान के लिए प्रावधान में उतार–चढाव (₹ करोडों में)

ब्यौरे	**31.03.2015**	31.03.2014
अथशेष	**12.47**	11.27
जोड : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**4.62**	1.20
घटाएँ : अधिक प्रावधान को अपलिखित करना/प्रतिलेखन करना	**–**	0.00
इतिशेष	**17.09**	12.47

vi) **एचटीएम संवर्ग को/से बिक्री का अंतरण – शून्य**

vii) **व्युत्पन्न :**

क) वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप **(₹ करोडों में)**

ब्यौरे		**31.03.2015**	**31.03.2014**
क.	स्वैप करार के आनुमानिक मूल धनराशि	**शून्य**	शून्य
ख.	इन करारों के अधीन यदि प्रतिपार्टियां अपने दायित्वों को नहीं निभाते हैं तो होनेवाली हानि	**शून्य**	शून्य
ग.	स्वैप में प्रवेश करने के लिए बैंक को आवश्यक संपार्श्विक	**शून्य**	शून्य
घ.	स्वैप से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का केंद्रीकरण	**शून्य**	शून्य
ड.	स्वैप बही का उचित मूल्य	**शून्य**	0.02

1) ब्याज दर स्वैप, आस्ति/देयताओं पर ब्याज दर जोखिम की रक्षा और व्यापार के उद्देश्य से की गयी थी.

2) स्वैप की शर्तें स्थिर ब्याज दर की तुलना में अस्थिर ब्याज दर तथा अस्थिर ब्याज दर की तुलना में स्थिर ब्याज दर प्राप्त करने के लिए है.

3) स्वैप के लिए प्रतिपक्षी पार्टी बैंक है और प्रत्येक बैंक की जोखिम निहित ऋण, अनुमोदित ऋण जोखिम सीमा के अंदर है.

ख) विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न (₹ करोडों में)

क्रम सं.	**ब्यौरे**	**31.03.2015**	**31.03.2014**
(i)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानित मूल राशि (प्रपत्र–वार)	**शून्य**	शून्य
(ii)	31 मार्च 2015 को बकाया विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानित मूल राशि (प्रपत्र–वार)	**शून्य**	शून्य
(iii)	बकाया विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानित मूल राशि (प्रपत्र–वार) व मअधिक प्रभावीफ नहीं है (प्रपत्र–वार)	**शून्य**	शून्य
(iv)	बकाया विनिमय व्यापारित ब्याज दर का बाज़ार मूल्य व जो 'अधिक प्रभावी' नहीं है (प्रपत्र–वार)	**शून्य**	शून्य

viii) **व्युत्पन्न में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण**

क) गुणात्मक प्रकटीकरण :

बैंक ने मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित, भा.रि. बैंक के मार्गेनिर्देशों के अनुरूप जोखिम प्रतिरक्षा, व्यापार तथा ग्राहक सेवा के लिए व्युत्पन्न लेनदेन करने के लिए एक व्यापक व्युत्पन्न नीति तैयार की है. नीति में व्युत्पन्न लेनदेन के लिए समुचित सीमा सहित प्रकार, दायरा और प्रयोग संबंधी दिशानिर्देश दिए गए हैं. परिचालनात्मक दक्षता और जोखिम संबंधी चूक को मद्दे नज़र रखते हुए व्युत्पन्न कार्य फ्रंट आफीस,मिड आफीस और बैक आफीस में वर्गीकृत किया गया है तथा प्रत्येक का संविभाग स्पष्ट निर्धारित है. नीति के अनुसार प्रभावी निष्पादन के लिए प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और जोखिम कम करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं.

ख) परिमाणात्मक प्रकटीकरण (₹ करोडों में)

क्रम सं.	ब्यौरे	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
i)	व्युतपन्न (आनुमानिक मूल राशि)		
	क) प्रतिरक्षा के लिए	**शून्य**	शून्य
	ख) व्यापार के लिए	**शून्य**	शून्य
ii)	बाजार स्थिति में अंकित (1)		
	क) आस्ति (+)	**शून्य**	शून्य
	ख) देयता (-)	**शून्य**	शून्य
iii)	ऋण जोखिम (2)	**शून्य**	शून्य
iv)	ब्याज दर में 1% परिवर्तन होने पर संभावित प्रभाव (100 * पीवी 01)		
	क) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर	**शून्य**	शून्य
	ख) व्यापार व्युत्पन्न पर	**शून्य**	शून्य
v)	वर्ष के दौरान पायी गयी अधिकतम व न्यूनतम 100 * पीवी 01		
	क) प्रतिरक्षा पर - अधिकतम	**शून्य**	शून्य
	- न्यूनतम	**शून्य**	शून्य
	ख) व्यापार पर - अधिकतम	**शून्य**	शून्य
	- न्यूनतम	**शून्य**	शून्य

ix) **आस्ति गुणवत्ता**

क) गैर निषादक आस्ति (₹ करोडों में)

ब्यौरे		31.03.2015	31.03.2014
(i)	निवल अग्रिमों के प्रति निवल गै.नि.आ. (%)	**1.92**	1.55
(ii)	गै.नि.आ. का आवाजाही (सकल)		
	अथशेष	**1985.86**	1532.94
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	**2826.85**	2173.87
	वर्ष के दौरान हुई कमी	**2369.50**	1720.95
	इतिशेष	**2443.21**	1985.86

ब्यौरे		31.03.2015	31.03.2014
(iii)	निवल गै.नि.आ. में आवाजाही		
	अथशेष	**1262.37**	909.69
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/कमी	**397.34**	352.68
	इतिशेष	**1659.81**	1262.37
(iv)	गै.नि.आ. के लिए प्रावधान का आवाजाही*		
	अथशेष	**709.92**	619.24
	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**788.88**	400.29
	बट्टा खाता डालना	**729.05**	309.61
	इतिशेष	**769.75**	709.92

(* मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोडकर व अस्थिर प्रावधान को जोड कर)

ख) पुनर्संरचना हेतु ऋण आस्तियों के विवरण (₹ करोडों में)

क्रम सं.	ब्यौरे	31.03.2015	31.03.2014
क.	पुनर्संरचना, पुनर्व्यवस्था, पुन:बातचीत हेतु ऋण आस्तियों की कुल राशि	**6193.08**	4234.51
	उनमें से सीडीआर के अधीन	**1469.60**	1505.42
ख.	पुनर्संरचना, पुनर्व्यवस्था, पुन:बातचीत हेतु मानक आस्तियों की राशि	**5285.85**	3979.17
	उनमें से सीडीआर के अधीन	**941.84**	1381.38
ग.	पुनर्संरचना, पुनर्व्यवस्था, पुन:बातचीत हेतु अवमानक आस्तियों की राशि	**406.83**	71.71
	उनमें से सीडीआर के अधीन	**259.66**	52.73
घ.	पुनर्संरचना, पुनर्व्यवस्था, पुन:बातचीत हेतु संदिग्ध आस्तियों की राशि *	**500.40**	183.63
	उनमें से सीडीआर के अधीन	**268.10**	71.31
	नोट: (क = ख + ग + घ)		

एमएसएमई खातों के लिए ऋण पुनर्संरचना		31.03.2015	31.03.2014
क	पुनर्संरचना के अधीन एमएसएमई की आस्तियों की कुल राशि (ख + ग + घ)	**393.53**	115.03
ख	पुनर्संरचना के अधीन एमएसएमई की मानक आस्तियों की राशि	**233.17**	31.67
ग	पुनर्संरचना के अधीन एमएसएमई की अवमानक आस्तियों की राशि	**81.75**	8.39
घ	पुनर्संरचना के अधीन एमएसएमई की संदिग्ध आस्तियों की राशि *	**78.61**	74.97

ग) मानक पुनर्संरचित खातों के विवरण, जिनके लिए उच्चतर पुनर्संरचना प्रावधान किया जाना है :

(₹ करोडों में)

क्रम सं.	विवरण		सीडीआर तंत्र के अधीन (भाग ग)					एसएमई ऋण पुनर्संरचना तंत्र के अधीन					अन्य (भाग क व ख)					कुल				
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	यथा 01.04.2014 को पुनर्संरचित खाते (31 मार्च 2010 से पहले पुनर्संरचित खातों को छोडकर)	उधारकर्ताओं की सं.	47	1	14	0	62	285	37	1223	153	1698	5263	249	3001	158	8671	5595	287	4238	311	10431
		बकाया राशि	1381.38	52.73	71.32	0	1505.43	31.66	8.39	24.07	50.9	115.02	2566.14	10.59	31.64	5.71	2614.08	3979.16	71.71	127.03	56.61	4234.51
		उस पर प्रावधान (आर्थिक हानि)	165.4	8.66	5.38	0	179.44	0.19	0.13	0.15	0.01	0.48	31.65	0.09	0.85	0.02	32.61	197.23	8.88	6.38	0.03	212.52
2	वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान नए सिरे से पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की सं.	14	0	0	0	14	45	4	1	0	50	324	4	0	0	328	383	8	1	0	392
		बकाया राशि	267.29	0	0	0	267.29	150.07	9.81	0.74	0	160.62	1513.35	0.31	2.76	0	1516.42	1930.71	10.12	3.5	0	1944.33
		उस पर प्रावधान	40.03	0	0	0	40.03	3.93	0.01	0	0	3.94	45.07	0	0.06	0	45.13	89.03	0.01	0.06	0	89.1
3	वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान पुनर्संरचित मानक संवर्ग में उन्नयन	उधारकर्ताओं की सं.					0	7	0	22	1	30	335	41	23	1	400	342	41	45	2	430
		बकाया राशि					0	0.19	0	0.53	0.04	0.76	24.31	4.52	3.73	0	32.56	24.5	4.52	4.26	0.04	33.32
		उस पर प्रावधान					0.00	0.00	0.00	0.27	0.04	0.31	0.11	0.10	0.11	0.00	0.32	0.11	0.10	0.38	0.04	0.63
4	पुनर्संरचित मानक अग्रिमों जो वित्तीय वर्ष 2015 के अंत तक अधिक प्रावधान तथा/या अतिरिक्त जोखिम भार आकर्षित न करता है और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रारंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है (31 मार्च 2013 से पहले पुनर्संरचित खाते)	उधारकर्ताओं की सं.	29				29	60			0	60	3245				3245.00	3334	0	0	0	3334
		बकाया राशि	391.15				391.15	6.02			0	6.02	1476.21				1476.21	1873.38	0	0	0	1873.38
		उस पर प्रावधान	54.07				54.07	0.02			0	0.02	23.53				23.53	77.62	0	0	0	77.62
5	वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की सं.	2	4	1	0	7	5	4	0	0	9	192	92	14	0	298.00	199	100	15	0	314
		बकाया राशि	30.5	310.96	64.17	0	405.63	0.136	1.27	0	0	1.406	49.57	113.37	41.4	0	204.34	80.206	425.6	105.57	0	611.38
		उस पर प्रावधान	7.07	82.31	3.7	0	93.08	0.006	0.052	0	0	0.058	37.84	0.18	2.1	0	40.12	44.916	82.542	5.8	0	133.26
6	वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान पुनर्संरचित खातों का बट्टे खाते डालना	उधारकर्ताओं की सं.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
		बकाया राशि	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
7	यथा वित्तीय वर्ष 31.03.2015 को पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की सं.	30	-3	13	0	40	272	37	1246	154	1709	2869	202	3010	159	6240	3171	236	4269	313	7989
		बकाया राशि	1227.02	-258.23	7.15	0	975.94	175.764	16.93	25.34	50.94	268.974	2677.16	-97.95	-3.27	5.71	2581.65	4079.944	-339.25	29.22	56.65	3826.56
		उस पर प्रावधान	144.29	-73.65	1.68	0	72.32	4.094	0.088	0.42	0.05	4.652	15.46	0.01	-1.08	0.02	14.39	163.844	-73.552	1.02	0.07	91.36

घ) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 27 अगस्त, 2008 के विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी स्पष्टीकरण/दिशानिर्देशों के अधीन पुनर्संरचित अग्रिमों के मामले में बैंक ने, अग्रिमों के उचित मूल्य पर मूल्यह्रास के लिए ₹ 57.26 करोड (पिछले वर्ष के ₹ 84.42 करोड) की राशि का प्रावधान किया है, बैंक की राय में इस प्रकार की संरचना, ऐसे पुनर्संरचित अग्रिमों पर ब्याज दर के उर्ध्वमुखी संशोधन को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त है. कथित परिपत्र में पुनर्संरचना के लिए निहित शर्तों का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है.आगे एक कॉर्पोरेट एनपीए खाते के उचित मूल्य पर मूल्यह्रास के लिए ''आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान'' के अधीन ₹31 करोड की राशि उपलब्ध करायी गयी है.

ड.) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) पुनर्संरचना (आरसी) कंपनी को बेची गयी आस्तियों के विवरण (₹ करोडों में)

क्रम सं.	**विवरण**	**31.03.2015**	31.03.2014
1	खातों की संख्या	**9**	9
2	प्र.कं./पु.कं. को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	**47.22**	37.68
3	कुल प्रतिफल	**73.91**	110.36
4	पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	**शून्य**	शून्य
5	निवल बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि	**32.62**	72.68

च) प्रतिभूतीकरण कंपनी/पुनर्संरचना कंपनी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री (₹ करोडों में)

विवरण	**अंतर्निहित के रूप में बैंक द्वारा बेची गयी आस्तियां जो एनपीए से समर्थित है**		**अंतर्निहित के रूप में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गयी आस्तियां जो एनपीए से समर्थित है**		**कुल**	
	वि.व. 2013-14	**वि.व. 2014-15**	**वि.व. 2013-14**	**वि.व. 2014-15**	**वि.व. 2013-14**	**वि.व. 2014-15**
प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश का बही मूल्य	48.47	357.05	शून्य	शून्य	48.47	357.05

छ) प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटन :

बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूकीकृत आस्तियों की बकाया राशि और न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता (एमआरआर) के अनुपालन हेतु तुलनपत्र की तारीख पर बैंक द्वारा प्रतिधारित एक्सपोजर की कुल राशि : शून्य

ज) ऋण चूक स्वैप : **शून्य**

झ) खरीदे/बेचे गए अनिष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

i) खरीदे गए अनिष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण (₹ करोडों में)

विवरण		**31.03.2015**	31.03.2014
1.	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	**शून्य**	शून्य
	(ख) कुल बकाया	**शून्य**	शून्य
2.	(क) इसमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खाते	**शून्य**	शून्य
	(ख) कुल बकाया	**शून्य**	शून्य

ii) बिक्री किए गए अनिष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण (₹ करोडों में)

	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1.	बिक्री किए गए खातों की संख्या	**9**	9
2.	कुल बकाया	**69.64**	83.34
3.	प्राप्त कुल प्रतिफल	**73.91**	110.36

ऐसा कोई भी मामला नहीं हैं, जहाँ बैंक ने इस कमी को दो वर्ष से अधिक समय के लिए बनाकर रखा हैं.

ञ) मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान (₹ करोडों में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	**465.16**	424.02
कुल	**465.16**	424.02

ट) कारोबार अनुपात (₹ करोडों में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
कार्यकारी निधि प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	**9.15%**	9.08%
गैर–ब्याज आय कार्यकारी निधि प्रतिशत के रूप	**0.66%**	0.60%
परिचालनात्मक लाभ कार्यकारी निधि प्रतिशत के रूप में	**0.94%**	0.94%
औसत आस्तियों पर प्राप्तियां	**0.33%**	0.35%
प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (जमाराशियां + अग्रिम)	**14.96**	13.82
प्रति कर्मचारी निवल लाभ	**0.03**	0.03

x) **आस्ति देयता प्रबंधन :** आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरुप : (₹ करोडों में)

	1 दिन	2–7 दिन	8–14 दिन	15–28 दिन	29 दिनों से 3 महीने	3 महीनों से अधिक व 6 महीनों तक	6 महीनों से अधिक व 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	334.78	2964.58	1724.19	3402.95	26876.55	13583.22	36462.24	11399.99	27328.16	2266.71	126343.37
अग्रिम *	1065.50	672.56	953.44	1315.03	6883.28	4620.68	5236.40	43900.47	10981.87	11066.64	86695.87
निवेश *	224.22	220.42	323.84	309.79	1727.57	1467.85	2372.55	8056.27	9217.50	20602.08	44522.09
उधार **	0.00	2707.88	1019.74	300.00	250.00	0.32	0.13	450.12	200.00	2350.00	7278.19
विदेशी मुद्रा अस्तियां	133.40	246.61	5.94	98.79	60.25	84.87	11.81	0.00	0.00	0.00	641.67
विदेशी मुद्रा देयताएं	375.23	4.31	4.12	1.53	17.89	25.37	67.09	52.07	94.06	0.00	641.67

आस्तियों और देयताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार प्रबंधन द्वारा वर्गीकृत किया गया है और लेखापरीक्षकों द्वारा इस पर भरोसा किया गया है.

* आंकडे स्थूल रूप से निवल प्रावधान है.

** भारत में उधार

xi) **संवेदनशील क्षेत्र को उधार**

क) स्थावर संपदा क्षेत्र को उधार (₹ करोडों में)

			विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1)	प्रत्यक्ष उधार				
	क.		आवासी बंधक		
		(i)	आवासीय संपदा पर बंधक के रूप में पूर्ण रूप से प्रतिभूत उधार जिसमें उधारकर्ता रहेगा या उसे किराए पर देगा	**8759.47**	7659.72
		(ii)	प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में शामिल किए जाने के लिए पात्र अलग-अलग आवास ऋण (उपरोक्त में शामिल किए गए)	**4889.91**	4627.85
	ख.		वाणिज्यिक स्थावर संपदा		
			वाणिज्यिक संपदा पर बंधक के रूप में प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु उद्देश्य वाणिज्यिक परिसर,बहु परिवार आवासीय भवन, बहु किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या भण्डार जगह, होटेल, भू-स्वाधीन, विकास तथा निर्माण आदि) जोखिम में गैर निधि आधारित सीमा भी शामिल होंगे.	**3820.73**	3583.95
	ग.		अन्य उत्पन्न करनेवाली स्थावर संपदा	**2758.13**	2141.36
	घ.		बंधक के रूप में दी गयी प्रतिभूतियां तथा अन्य प्रतिभूत जोखिम में निवेश		
		(i)	आवासीय	**शून्य**	शून्य
		(ii)	वणिज्यिक स्थावर संपदा	**शून्य**	शून्य
2)	अप्रत्यक्ष उधार				
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवासीय वित्तीय कंपनी (एचएफसी) पर निधि आधारित गैर-निधि आधिारित उधार			**3578.55**	3820.73
स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल जोखिम				**18916.88**	17207.67

ख) पूंजी बाज़ार को उधार (₹ करोडों में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
(i)	ईक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर व ईक्विटी उनमुख म्यूचुअल फंड के यूनिट जिसकी मूल निधि का अनन्य रूप से कंपनी कर्ज में निवेश नहीं किया गया है.	**196.54**	229.18
(ii)	शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अग्रिम या निर्बंध आधार पर व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर व ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों में निवेश करने के लिए अग्रिम.	**शून्य**	0.07
(iii)	किसी भी अन्य कार्य के लिए अग्रिम जहाँ शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	**शून्य**	शून्य

(iv)	किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए शेयर या परिवर्तनीय बाँड परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के जैसे संपार्श्विक प्रतिभूति से प्रतिभूत अग्रिम जहाँ शेयर/परिवर्तनीय बाँड/परिवर्तनीय डिबेंचर/ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति से पूर्ण रूप से रक्षित नहीं है.	**शून्य**	शून्य
(v)	शेयर दलाल को प्रतिभूत व अप्रतिभूत अग्रिम एवं शेयर दलाल और शेयर संतुलनकर्ता की ओर से जारी गारंटी.	**50.00**	50.00
(vi)	संसाधन जुटाने के उद्देश्य से नई कंपनियों के ईक्विटी में प्रवर्तक का अंशदान चुकाने के लिए निर्बंध आधार पर या शेयर/बांड/डिबेंचर के ज़मानत के प्रति कंपनियों को मंजूर ऋण.	**शून्य**	शून्य
(vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कंपनियों को तात्कालिक ऋण	**शून्य**	शून्य
(viii)	बैंकों द्वारा शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड यूनिटों के संबंध में ली गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं	**शून्य**	शून्य
(ix)	मार्जिन व्यापार के लिए शेयर दलालों का वित्तपोषण.	**शून्य**	शून्य
(x)	जोखिम पूंजी निधियों (पंजीकृत व पंजीकृत न की गई दोनों) को किए गए सब प्रकार के निवेश	**18.44**	15.83
	पूंजी बाज़ार को कुल निवेश	**264.98**	295.01

xii) **जोखिम वर्ग–वार देश उधार**

(₹ करोडों में)

जोखिम का वर्ग	**31.03.2015 को उधार (निवल)**	31.03.2015 को धारित प्रावधान	31.03.2014 को उधार (निवल)	31.03.2014 को धारित प्रावधान
नगण्य	**594.98**	शून्य	1022.08	शून्य
कम	**237.76**	शून्य	234.16	शून्य
मध्यम	**44.49**	शून्य	43.54	शून्य
बहुत	**28.61**	शून्य	14.98	शून्य
अत्यधिक	**0.00**	शून्य	1.62	शून्य
सीमित	**0.00**	शून्य	0.00	शून्य
ऋण से पृथक	**0.00**	शून्य	0.00	शून्य
कुल	**905.84**	शून्य	1316.38	शून्य

प्रत्येक देश के साथ बैंक का विदेशी विनिमय लेन-देन के संबंध में दिए गए निवल निधिक उधार बैंक के कुल आस्तियों के 1% के अंदर हाने के कारण उसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 19.02.2003 के परिपत्र डीबीबोडी/बीसी.71/21.04.103/2002-03 के साथ पढे दिनांक 17.06.2004 परिपत्र डीबीबोडी/बीसी.96/ 21.04.103/2003-04 के अनुसार प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है.

xiii) **ऋण निवेश के ब्यौरे जहाँ वर्ष के दौरान बैंक द्वारा विवेकपूर्ण निवेश से अधिक निवेश किया गया : शून्य**

2014-15 : शून्य

2013-14 : इंडियन फार्मर्स फर्टीलाइजर को-ऑपरेटिव लि. (आईएफएफसीओ)

xiv) **जमाराशियों, अग्रिम, ऋण जोखिम तथा एनपीए का केंद्रीकरण** (बैंक द्वारा समेकितानुसार)

क) जमाराशियों का केन्द्रीकरण (₹ करोडों में)

20 बडे जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	16876
बैंक की कुल जमाराशियों की तुलना में 20 बडे जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	13.36%

ख) अग्रिमों का केन्द्रीकरण (₹ करोडों में)

20 बडे उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	16425.22
बैंक के कुल अग्रिम की तुलना में 20 बडे उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	18.73%

ग) जोखिमों का केन्द्रीकरण (₹ करोडों में)

20 बडे उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल जोखिम	17831.75
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल जोखिमों की तुलना में 20 बडे उधारकर्ताओं/ग्राहकों के जोखिम का प्रतिशत	16.63%

घ) एनपीए का केन्द्रीकरण (₹ करोडों में)

कुल जोखिम की तुलना में शीर्ष 4 एनपीए खाते	477.59

xv) **क्षेत्रवार अग्रिम (सकल)**

क्रम सं.	क्षेत्र *	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के प्रति सकल एनपीए की प्रतिशतता	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के प्रति सकल एनपीए की प्रतिशतता
क	**प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां	11974.00	338.39	2.83	10527.00	322.61	3.06
2	प्राथमिकता क्षेत्र उधारी के रूप में पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम	4976.00	207.70	4.17	3093.00	102.32	3.31
3	सेवाएं	8241.00	146.07	1.77	7536.00	165.79	2.20
4	वैयक्तिक ऋण	5523.00	94.71	1.71	4699.00	183.62	3.91
	उप-कुल (क)	30714.00	786.87	2.56	25855.00	807.34	3.12
ख	**गैर-प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
2	उद्योग	40014.36	1577.55	3.94	21143.00	414.40	1.96
3	सेवाएं	1859.65	54.78	2.95	13104.00	162.50	1.24
4	वैयक्तिक ऋण	15103.53	24.01	0.16	22322.75	601.62	2.70
	उप-कुल (ख)	**56977.54**	**1656.34**	**2.91**	**56569.75**	**1178.52**	**2.08**
	कुल (क + ख)	**87691.54**	**2443.21**	**2.79**	**82424.75**	**1985.86**	**2.41**

* बैंक उक्त फार्मेट में यह भी प्रकटित कर सकते हैं, जिन उप क्षेत्रों में बकाया अग्रिम उक्त क्षेत्र के बकाया कुल अग्रिम के 10% से अधिक हो. उदाहरण के लिए, खान उद्योग में बैंक का बकाया अग्रिम 'उद्योग'क्षेत्र के बकाया कुल अग्रिम के 10% से अधिक हो तो, उक्त फार्मेट में 'उद्योग क्षेत्र' के अधीन खान उद्योग में बकाया अग्रिम के विवरण को अलग से प्रकटन करना है.

xvi) **एनपीए का चलन** (₹ करोडों में)

विवरण	**31.03.2015**	31.023.2014
1 अप्रैल को सकल एनपीए (अथशेष)	**1985.86**	1532.94
वर्ष के दौरान जोड (नए एनपीए)	**2826.85**	2173.87
उप–कुल (क)	**4812.71**	3706.81
घटाएं :		
(i) उन्नयन	**931.96**	989.15
(ii) वसूली (उन्नयन किए गए खातों से की गयी वसूलियों को छोडकर)	**646.35**	435.94
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से डाले गए बट्टे खाते	**776.24**	293.36
(iv) उक्त के अलावा डाले गए बट्टे खाते	**14.95**	2.50
उप–कुल (ख)	**2369.50**	1720.95
31 मार्च को सकल एनपीए (क – ख)	**2443.21**	1985.86

xvii) **तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए और उस पर की गयी वसूलियां :** (₹ करोडों में)

विवरण	**31.03.2015**	31.03.2014
तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से डाले गए बट्टे खाते का अथशेष	**1525.28**	1337.62
जोडें.: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से डाले गए बट्टे खाते	**776.24**	293.36
उप कुल	**2301.52**	1630.98
घटाएं : वर्ष के दौरान पहले ही तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से डाले गए बट्टे खातों से की गयी वसूलियां	**133.23**	94.30
इतिशेष	**2168.29**	1525.28

xviii) **समुद्रापारीय आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व : शून्य**

xix) **प्रायोजित तुलन पत्र से इतर एसपीवी प्रायोजित(जिनका लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना अपेक्षित है)**

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशी	**समुद्रपारीय**
शून्य	शून्य

xx) **प्रावधान कवरेज अनुपात :** 31 मार्च, 2015 को कवरेज अनुपात भा.रि.बैं. मार्गनिर्देशानुसार 64.01% है (पिछले वर्ष 64.05% था). तथापि, बैंक ने भारिबैं परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी. 87-21.048/2010-11 दिनांक 21.04.2011 के अनुसार कथित पीसीआर हासिल कर लिया है.

xxi) **अप्रतिभूत अग्रिम :** बैंक में कोई अप्रतिभूत अग्रिम नहीं है जबकि अमूर्त प्रतिभूतियों को संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में लिया गया है.

xxii) कोल ब्लॉक के रद्दीकरण के कारण, बैंक के संविभाग में प्रतिभूति ममूल्यांकन के रूप में प्रभाव, यदि कोई हो और बैंक द्वारा वित्तीयन की गयी परियोजनाओं की व्यावहार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाए गए दंड के प्रभाव, यदि कोई हो तो, उस पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि इस चरण पर इसका पता नहीं लगाया जा सकता.

xxiii) वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने भारत में यूएसडी 23,77,34,988 राशि के निर्यात किए गए माल के संबंध में 366 आश्वासन पत्र जारी किए. ये आश्वासन पत्र बैंक के वित्तपोषण पर उससे पडनेवाले प्रभाव के विधिवत मूल्यांकन करने के बाद तथा बैंक के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किए गए. तुलन पत्र की तारीख को यूएसडी 12,06,60,271 (1 यूएसडी = य 62.50 की दर से लगभग य 754.13 करोड) के 178 आश्वासन पत्र बकाया है जिनका प्रबंधन के विचार से बैंक की वित्तीय स्थिति पर जिसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा.

xxiv) 2014-15 के दौरान बीमा कारोबार से शुल्क/ पारिश्रमिक

क्रम सं.	आय का स्वरूप	2014-15 (₹ लाखो में)	2013-14 (₹ लाखो में)
1	जीवन बीमा पालिसियों को बेचने के लिए	**3.43**	3.05
2	गैर-जीवन बीमा पालिसियों को बेचने के लिए	**3.01**	2.09
3	म्यूचल फंड उत्पादों को बेचने के लिए	**शून्य**	शून्य
4	अन्य (निर्दिष्ट करें)	**शून्य**	शून्य

8. **कार्पोरेट कार्य के मंत्रालय द्वारा कंपनी (लेखाकरण मानक) नियम, 2006 के अधीन अधिसूचित लेखाकरण मानकों के तहत प्रकटीकरण करने की सूचना का अनुपालन :**

i) पिछली अवधि की आय/व्यय से संबंधित ऐसी कोई भी मदें नहीं है जिसे "एएस-5" के अनुसार प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है.

ii) बैंक की लेखा नीति सं.9 के अनुसार कुछेक मदों को नकद आधार पर मान्यता दी जाती है. लेकिन प्रबंधन की यही राय है कि नियोजित रकम नगण्य होने के कारण "एएस-9" के अधीन उसे प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है.

iii) बैंक द्वारा एएस 11 के अनुसार लेनदेन की तारीख की दर पर नहीं बल्कि एफईडीएआई द्वारा निर्धारित पिछले महीने के अंतिम सप्ताह की साप्ताहिक औसत दर पर विदेशी मुद्रा लेनदेनों का निरंतर रूप से पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है. प्रबंधन की यह राय थी कि वर्ष के दौरान खातों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं है.

iv) एएस-15 के अधीन निम्नलिखित जानकारी प्रकट की गयी है :

(₹ करोडों में)

क्रम सं.	विवरण	पेंशन 31.03.15	पेंशन 31.03.14	पेंशन 31.03.13	पेंशन 31.03.12	पेंशन 31.03.11
I.	**मुख्य बीमांकित धारण**					
	बट्टागत दर	8.00%	8.50%	8.00%	9.00%	8.50%
	वेतन मूल्यवर्धन दर	5.50%	5.50%	5.50%	1.50%	4.25%
	ह्रास दर	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	0.75%
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल दर	8.95%	9.50%	8.70%	8.30%	8.30%
II.	**दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (पीवीओ)**					
	अवधि के आरंभ में पीवीओ	2132.84	2009.65	1908.35	1832.94	651.12
	ब्याज की लागत	161.87	161.48	146.22	158.98	50.37
	चालू सेवा लागत	268.84	268.90	307.99	18.55	35.81
	प्रदत्त लाभ	(218.99)	(219.72)	(161.16)	(132.97)	(102.84)
	दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि (समतुलन आंकडे)	62.58	(87.47)	(191.75)	30.85	120.17
	अवधि के अंत में पीवीओ	2407.14	2132.84	2009.65	1908.35	1832.94
III.	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**					
	अवधि के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2246.06	1963.99	1876.33	1739.28	541.35
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	201.02	186.58	163.24	144.07	96.49
	अंशदान	89.00	271.58	92.01	116.53	1238.37
	प्रदत्त लाभ	(218.99)	(219.72)	(161.16)	(132.97)	(102.84)
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	30.40	43.64	(6.43)	9.42	(34.09)
	अवधि के अंत में योजना आस्तियों पर उचित मूल्य	2347.50	2246.06	1963.99	1876.33	1739.28

क्रम सं.	विवरण	पेंशन 31.03.15	पेंशन 31.03.14	पेंशन 31.03.13	पेंशन 31.03.12	पेंशन 31.03.11
IV.	**योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल**					
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	201.02	186.58	163.24	144.07	96.49
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	30.40	43.64	(6.43)	9.42	(34.09)
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	231.43	230.22	156.81	153.49	62.40
V.	**अभिज्ञप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)**					
	अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - दायित्व	(62.58)	87.47	191.75	(30.85)	(120.17)
	अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - योजना आस्तियाँ	30.41	43.64	(6.43)	9.42	(34.09)
	अवधि के लिए कुल लाभ/(हानि)	(32.17)	131.11	185.32	(21.43)	(154.26)
	अवधि में अभिज्ञप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	(32.17)	131.11	185.32	(21.43)	(154.26)
VI.	**तुलन पत्र में अभिज्ञप्त राशि तथा संबंधित विश्लेषण**					
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	2407.14	2132.84	2009.65	1908.35	1832.94
	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2347.50	2246.06	1963.99	1876.34	1739.28
	निधिक स्थिति (अधिक/(कमी))	(59.64)	113.22	(45.66)	(32.02)	(93.66)
	तुलन पत्र में अभिज्ञप्त राशि	(59.64)	113.22	(45.66)	(32.02)	268.58
VII.	**लाभ तथा हानि विवरण में अभिज्ञप्त व्यय**					
	वर्तमान सेवा लागत	268.84	268.90	307.99	18.55	35.81
	ब्याज लागत	161.87	161.48	146.22	158.98	50.37
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	(201.02)	(186.58)	(163.24)	(144.07)	(96.49)
	वर्ष में अभिज्ञप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	32.17	(131.11)	(185.32)	21.43	154.26
	लाभ तथा हानि विवरण में अभिज्ञप्त व्यय	261.86	112.69	105.65	54.88	860.01
VIII.	**तुलन पत्र में अभिज्ञप्त देयताओं में उतार-चढ़ाव**					
	प्रारंभिक निवल देयता	(113.22)	45.66	32.02	93.67	109.77
	उपर्युक्त के अनुसार व्यय	261.86	112.70	105.65	54.88	860.01
	प्रदत्त अंशदान	(89.00)	(271.58)	(92.01)	(116.53)	(1238.36)
	अंतिम निवल देयता	59.64	(113.22)	45.66	32.02	(268.58)
IX.	**चालू अवधि के लिए राशि**					
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	2407.14	2132.84	2009.65	1908.35	1832.95
	योजना आस्तियाँ	2347.50	2246.06	1963.99	1876.34	1739.28
	अधिक/(कमी)	(59.64)	113.22	(45.66)	(32.02)	(93.67)
	योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन - लाभ (हानि)	(62.58)	87.47	191.75	(30.85)	(343.33)
	योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन - लाभ/(हानि)	30.40	43.64	(6.43)	9.42	34.09

क्रम सं.	विवरण	ग्रेच्यूटी 31.03.15	ग्रेच्यूटी 31.03.14	ग्रेच्यूटी 31.03.13	ग्रेच्यूटी 31.03.12	ग्रेच्यूटी 31.03.11
I.	**मुख्य बीमांकित धारण**					
	बट्टागत दर	8.00%	8.50%	8.00%	8.00%	8.20%
	वेतन मूल्यवर्धन दर	5.50%	5.50%	5.50%	4.00%	4.25%
	ह्रास दर	1.00%	1.00%	1.00%	1.50%	0.75%
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल दर	8.81%	8.50%	8.50%	8.30%	8.30%
II.	**दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (पीवीओ)**					
	अवधि के आरंभ में पीवीओ	315.93	343.85	392.95	400.74	241.22
	ब्याज की लागत	22.77	26.49	28.51	29.24	17.67
	चालू सेवा लागत	18.63	17.45	17.01	15.08	8.44
	प्रदत्त लाभ	(62.70)	(64.50)	(73.09)	(70.45)	(51.51)
	दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि)(समतुलन आंकडे)	3.54	(7.36)	(21.53)	18.34	53.04
	अवधि के अंत में पीवीओ	298.17	315.93	343.85	392.95	400.74
III.	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**					
	अवधि के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	354.14	368.24	402.80	407.96	263.06
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	31.20	31.30	34.24	31.70	26.63
	अंशदान	0.00	21.00	31.50	16.00	167.16
	प्रदत्त लाभ	(62.70)	(64.50)	(73.09)	(70.45)	(51.52)
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	3.67	(1.90)	(27.21)	17.59	2.63
	अवधि के अंत में योजना आस्तियों पर उचित मूल्य	326.31	354.14	368.24	402.80	407.96
IV.	**योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल**					
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	31.20	31.30	34.24	31.70	26.63
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	3.67	(1.90)	(27.21)	17.59	2.63
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	34.87	29.40	7.03	49.29	29.26
V.	**अभिज्ञप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)**					
	अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – दायित्व	(3.54)	7.36	21.53	(18.33)	(53.04)
	अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – योजना आस्तियाँ	3.67	(1.90)	(27.21)	17.59	2.63
	अवधि के लिए कुल लाभ/(हानि)	0.13	5.46	(5.68)	(0.74)	50.41
	अवधि में अभिज्ञप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.13	5.46	(5.68)	(0.74)	50.41

क्रम सं.	विवरण	ग्रेच्यूटी 31.03.15	ग्रेच्यूटी 31.03.14	ग्रेच्यूटी 31.03.13	ग्रेच्यूटी 31.03.12	ग्रेच्यूटी 31.03.11
VI.	**तुलन पत्र में अभिज्ञप्त राशि तथा संबंधित विश्लेषण**					
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	298.17	315.93	343.85	392.95	400.74
	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	326.31	354.14	368.24	402.80	407.96
	निधिक स्थिति (अधिक/(कमी))	28.14	38.21	24.39	9.85	7.22
	तुलन पत्र में अभिज्ञप्त राशि	28.14	38.21	24.39	9.85	104.18
VII.	**लाभ तथा हानि विवरण में अभिज्ञप्त व्यय**					
	वर्तमान सेवा लागत	18.63	17.45	17.01	15.08	8.44
	ब्याज लागत	22.77	26.49	28.51	29.24	17.67
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	31.20	31.30	(34.24)	(31.70)	(26.63)
	वर्ष में अभिज्ञप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.13)	(5.46)	5.68	0.75	50.42
	लाभ तथा हानि विवरण में अभिज्ञप्त व्यय	10.06	7.18	16.96	13.37	84.81
VIII.	**तुलन पत्र में अभिज्ञप्त देयताओं में उतार–चढ़ाव**					
	प्रारंभिक निवल देयता	(38.21)	(24.39)	(9.85)	(7.22)	(21.83)
	उपर्युक्त के अनुसार व्यय	10.06	7.18	16.96	13.37	84.81
	प्रदत्त अंशदान	–	(21.00)	(31.50)	(16.00)	(167.16)
	अंतिम निवल देयता	28.15	(38.21)	(24.39)	(9.85)	(104.18)
IX.	**चालू अवधि के लिए राशि**					
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	298.16	315.93	343.85	392.95	400.73
	योजना आस्तियाँ	326.30	354.14	368.24	402.80	407.96
	अधिक/(कमी)	28.14	38.21	24.39	9.85	7.22
	योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन – लाभ (हानि)	(3.54)	7.36	21.53	(18.33)	(77.05)
	योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन – लाभ/ (हानि)	3.67	(1.90)	(27.21)	17.59	2.63

नोट : बीमांकक से विवरण न मिलने के कारण, अगले वर्ष में प्रदत्त प्रत्याशित राशि का प्रकटन नहीं किया गया है.

विवरण न मिलने के कारण, बीमांकित मान्यताओं से संबंधित प्रावधान नीचे दिया गया है :

ब्याज दर : 8% प्र.व.

वेतन मुद्रास्फीति : 5.50% प्र.व.

मृत्यु दर : एलआईसीआई 1994-96

ह्रास दर : प्रति हजार 10 प्र.व.

सूत्र : प्रत्याशित इकाई ऋण विधि

v) वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए एएस-15 के अनुसार किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैं (₹ करोडों में)

क्रम सं.	अन्य दीर्घावधि लाभ	31.03.2015	31.03.2014
1	पेंशन (विपर्यय का निवल)	**305.29**	258.37
2	छुट्टी नकदी*	**-3.69**	शून्य
3	ग्रैच्युटी	**34.64**	31.74
4	बीमारी छुट्टी	**-**	-17.38

* नोट : लाभ व हानि खाते में ₹ 39.13 करोड (पि. व. ₹ 34.83 करोड) वास्तविक व्यय को वेतन व भत्ता खाते के नाम डालकर मान्यता दी गई हैं.

vi) भा.बैं.सं. के साथ 10वीं द्विपक्षीय समझौते के कारण होनेवाली वेतन में वृद्धि के प्रति बैंक ने ₹ 208 करोड का प्रावधान किया है, परंतु इसके फलस्वरूप ग्रैच्युटी, पेंशन और प्रतिपूरक अनुपस्थिति देयता में होनेवाली वृद्धि के प्रति कोई प्रावधान नहीं किया गया है. वेतन के विभिन्न संघटक चर्चा/निर्धारण के अधीन है. उससे संबंधित वृद्धि के विवरण के अभाव में, आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान की राशि अनियत है. बीमांकक मूल्यांकन में विचार की गयी वेतन वृद्धि इस वृद्धि को प्रावरित करने हेतु पर्याप्त है.

vii) वर्ष 2010-11 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन विकल्प देने को दुबारा खोलने तथा ग्रेच्युटी की सीमा में बढ़ोत्तरी- विवेकपूर्ण विनियामक उपचार हेतु दिनांक 09.02.2011 को परिपत्र सं.डीबीओडी.बीपी.बीसी. 80/21.04.018/2010-11 जारी किया है. उक्त परिपत्र के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 2010-11 में पहचानी गयी ₹ 596 करोड की राशि को अगले पाँच वर्षों की अवधि तक परिशोधित किया जाएगा. तदनुसार, ₹ 119 करोड (पिछले वर्ष के परिशोधन ₹ 596 करोड का पाँचवा हिस्सा) की राशि को इस वर्ष के लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया गया है. उपरोक्त के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में बैंक के लाभ में ₹ 119 करोड की कमी आयी है.

viii) **खंड रिपोर्टिंग (एएस-17)**

कारोबार खंड	खज़ाना		कंपनी/समग्र बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14
राजस्व	3960.49	3215.20	5733.16	5169.14	2879.20	2547.03	579.64	485.05	13152.49	11416.42
परिणाम	1024.09	560.77	(859.85)	(577.98)	673.56	786.38	475.76	398.71	1313.56	1167.88
अनाबंटित व्यय									54.53	64.15
परिचालनात्मक लाभ									1259.03	1103.73
प्रावधान व आकस्मिकताएं									859.13	655.78
कर के लिए प्रावधान									-39.51	32.04
असाधारण लाभ/हानि									शून्य	शून्य
निवल लाभ									439.41	415.91
अन्य जानकारी										
खंड आस्तियां	48522.37	49097.52	61125.48	59320.90	30308.13	26217.51	318.87	371.22	140274.85	135007.15
अनाबंटित आस्तियां									2317.35	2351.46
कुल आस्तियां									142643.09	137358.61
खंड देयताएं	47263.87	48842.99	59586.26	57239.30	29524.54	25173.54	3.70	2.98	136378.37	131258.81
अनाबंटित देयताएं									6264.71	6099.80
कुल देयताएं									142643.09	137358.61

एएस-17 की शर्तो के अनुसार खंड रिपोर्टिंग के लिए तथा भारिबैं मार्गनिर्देशों में निर्धारितानुसार बैंक के कारोबार को चार वर्गो में विखंडन किया गया है -
(क) खज़ाना परिचालन एवं (ख) कंपनी/थोक बैंकिंग (ग) खुदरा बैंकिंग व (घ) अन्य बैंकिंग परिचालन

चूंकि बैंक की कोई समुद्रपारीय शाखा नहीं है, भौगोलिक खंड के अधीन कोई रिपोर्टिंग नहीं की गयी है.

जहाँ कहीं, व्यय का खंड से, प्रत्यक्ष रूप से संबंध है, वहाँ उनका तदनुसार खंडों में आबंटन किया गया है और जहाँ कहीं प्रत्यक्ष संबंध नहीं है वहाँ खंड राजस्व के आधार पर आबंटन किया गया है.

जहाँ कहीं आस्ति व देयता का खंड से प्रत्यक्ष रूप से संबंध है वहाँ उनका तदनुसार खंडों में आबंटन किया गया है और जहाँ कहीं प्रत्यक्ष संबंध नहीं है वहाँ खंड राजस्व/खंड आस्ति अनुपात के आधार पर आबंटन किया गया है.

प्रधान कार्यालय में उपलब्ध आंकडों के आधार पर उपर्युक्त जानकारी संकलित की गयी है.

ix) **सापेक्ष्य पार्टी प्रकटन एएस–18 के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित को सापेक्ष्य पार्टी के रूप में अभिज्ञप्त किया है.**

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक :

1) श्री किशोर सांसी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

2) श्री वी.कण्णन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

3) श्री के.आर.शेणै, कार्यकारी निदेशक

4) श्री बी.एस.रामा राव, कार्यकारी निदेशक

वर्ष के दौरान संबंद्ध पार्टियों के साथ लेनदेन निम्नानुसार हैं :

क) i) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक को वर्ष के दौरान प्रदत्त मानदेय निम्नानुसार :

श्री किशोर सांसी, प्र.नि. एवं सीईओ (01.01.2015 से 31.03.2015 तक)	₹ 4,95,245/-
श्री वी.कण्णन, अ.व.प्र.नि. (01.04.2014 से 31.12.2014 तक)	₹ 23,24,658/-
श्री के.आर.शेणै, का.नि. (01.04.2014 से 31.03.2015 तक)	₹ 22,57,035/-
श्री बी.एस.रामा राव, का.नि. (01.04.2014 से 31.03.2015 तक)	₹ 20,39,413/-

ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदारों के साथ वर्ष के दौरान कोई लेनदेन नहीं हुआ है.

ग) अनुषंगी : शून्य

x) **पट्टे (एएस–19)**

क) परिचालन पट्टों के लिए प्रदत्त पट्टे किराए को संबंधित वर्ष के लाभ व हानि खाते के व्यय के रूप में पहचाना जाता है.

ख) परिचालन पट्टे के लिए देय भावी किराया : (₹ करोडों में)

विवरण	**31.03.2015**	31.03.2014
एक वर्ष के पहले	**94.87**	94.03
एक वर्ष के बाद परंतु 5 वर्ष के पहले	**478.96**	376.11
5 वर्षों के बाद	**481.51**	282.08
कुल	**1055.93**	752.22
लाभ व हानि खाते को प्रभारित राशि	**100.19**	95.24

ग) भावी पट्टे किराए तथा किराए की वृद्धि सहमति शर्तों के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

घ) प्रारंभिक पट्टे की अवधि की समाप्ति पर सामान्यत: बैंक को भावी पूर्व निर्धारित अवधि के लिए पट्टे का विस्तारण करने का विकल्प है.

ङ) बैंक में कोई वित्तीय पट्टा नहीं है.

xi) **प्रति शेयर अर्जन (एएस–20)**

बैंक, 'प्रति शेयर अर्जन' पर लेखाकरण मानक 20 के अनुरूप प्रति ईक्विटी शेयर पर मूल अर्जन रिपोर्ट करता है. इस अवधि के लिए प्रति शेयर मूल अर्जन का परिकलन करने के लिए वर्ष के दौरान कर पश्चात निवल लाभ को बकाया ईक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से विभाजित किया जाता है.

मूल प्रति शेयर अर्जन का परिकलन/डाइल्यूटीव		**31.03.2015**	31.03.2014
क.	ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (₹ करोडों में)	**439.41**	415.91
ख.	भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या (संख्या करोडों में)	**85.91**	54.47
ग.	मूल प्रति शेयर अर्जन डाइल्यूटीव (रुपयों में)	**5.11**	7.64
घ.	प्रति शेयर का नाममात्र मूल्य (रुपयों में)	**10**	10

xii) आय पर कर के लिए लेखाकरण (एएस–22)

बैंक ने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 22 'आय पर कर के लिए लेखा' के अनुपालन में आयकर के लिए लेखांकन किया है. तदनुसार आस्थगित आस्ति और देयता की पहचान की जाती है.

क) आस्थगित कर के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं : (₹ करोडों में)

क्रम सं.	**समय में अंतर**	**आस्थगित कर आस्ति**		**आस्थगित कर देयता**	
		31.03.2015	**31.03.2014**	**31.03.2015**	**31.03.2014**
1.	छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	**54.13**	54.42		शून्य
2.	स्थाई आस्तियाँ	**शून्य**	1.52	**0.88**	शून्य
3.	अपरिशोधित पेंशन	**शून्य**	शून्य		32.14
4.	अपरिशोधित ग्रेच्युटी	**शून्य**	शून्य		8.35
5.	पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान	**84.15**	67.04		शून्य
6.	आयकर अधिनियम की धारा 36(i)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि			**160.49**	157.62
	कुल	**138.28**	122.98	**161.37**	198.11

ख) एचटीएम वर्ग लिखतों के निवेश से होनेवाले समय के अंतर के लिए ₹230 करोड की आस्थगित कर देयता (डीटीएल) के लिए बैंक द्वारा प्रावधान नहीं किया गया है. यह आईसीएआई के ईएसी राय के अनुरूप नहीं है. बैंक का तर्क है कि उनको परामर्श दिया गया है और इस मामले में संबंधित प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण हेतु आईबीए से संपर्क किया है. अत: डीटीएल के लिए बैंक द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

ग) वर्ष के दौरान आय कर के लिए किए गए प्रावधान : (₹ करोडों में)

विवरण	**31.03.2015**	31.03.2014
आयकर के लिए प्रावधान	**106.81**	210.00*
आस्थगित कर के लिए प्रावधान	**(52.05)**	(67.96)
एमएटी ऋण हकदारी	**(94.27)**	(110.00)

* ₹ 90.00 करोड पूर्व अवधि के विवादित कर, आय कर प्रावधान में शामिल है.

xii) प्रबंधन की राय में, लेखाकरण मानक–28, क्षतिग्रस्त आस्ति के अनुसर बैंक की कोई भी अचल आस्ति भौतिक रूप से क्षतिग्रस्त नहीं है.

9. I. **ग्राहकों की शिकायतें :**

		31.03.2015
क.	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की सं.	44
ख.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	1838
ग.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	1845
घ.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	37

II. **एटीएम लेनदेन से संबंधित शिकायत के विवरण :**

		31.03.2015
क.	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की सं.	96
ख.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	12160
ग.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	12222
घ.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	34

10. **बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित फैसले :**

		31.03.2015
क.	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किए गए फैसलों की सं.	0
ख.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित फैसलों की सं.	3
ग.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित फैसलों की सं.	2
घ.	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए फैसलों की सं.	1

11. वर्ष 2013-14 के दौरान, दिसंबर 2013 में बैंक ने भारत सरकार को प्रति ₹10/- के 5,89,34,464 ईक्विटी शेयर प्रति शेयर ₹32.42 प्रीमियम पर जारी किया है. फरवरी, 2014 में बैंक ने भारत सरकार द्वारा धारित 1200 करोड के शाश्वत गैर-संचयी अधिमानी शेयर को प्रति ₹10/- के अंकित मूल्य के प्रति शेयर ₹29.39 प्रीमियम पर ईक्विटी शेयर पूंजी के रूप में परिवर्तित किया है.

12. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भा.रि.बैं. ने ₹5.16 लाख का जुर्माना लगाया है.

13. **प्रावधान व आकस्मिक व्यय के विस्तृत ब्यौरे** (₹ करोडों में)

लाभ व हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत 'प्रावधान व आकस्मिक व्यय' के विस्तृत ब्यौरे	**31.03.2015**	31.03.2014
निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	**(71.91)**	120.01
एनपीए के लिए प्रावधान	**800.21**	380.82
मानक आस्ति हेतु प्रावधान (पुनर्संरचित मानक सहित)	**87.07**	153.21
आयकर के लिए किए गए प्रावधान (निवल)		
i) चालू कर	**106.81**	210.00
ii) आस्थगित कर	**(52.05)**	(67.96)
iii) एमएटी ऋण हकदारी	**(94.27)**	(110.00)
अन्य प्रावधान व आकस्मिक व्यय		
i) आकस्मिक व्यय हेतु प्रावधान	**21.81**	42.68
ii) अन्य	**21.95**	(5.01)
iii) वापस लिया गया अधिक प्रावधान	**0.00**	(35.93)
कुल	**819.62**	687.82

कॉर्पोरेट एनपीए खाते के उचित मूल्य पर मूल्यह्रास के लिए ''आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान'' के अधीन ₹31 करोड की राशि उपलब्ध करायी गयी है.

13(क) अस्थिर प्रावधान (₹ करोडों में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
क.	अथ शेष	**142.71**	213.00
ख.	वर्ष के दौरान किए गए अस्थिर प्रावधान	**शून्य**	शून्य
ग.	वर्ष के दौरान आहरित राशि	**71.36**	70.29
घ.	इति शेष	**71.35**	142.71

भा.रि.बैं के परिपत्र सं डीबीआर सं बीपीसी 79/2014-048/2014-15 दि. 30.03.2015 के अनुसरण में बैंक ने यथा 31.12.2014 तक धारित अस्थिर प्रावधान के 50% का प्रयोग किया हैं.

नोट : अस्थिर प्रावधान का इस्तेमाल अनर्जक अग्रिमों के लिए आवश्यक प्रावधान के परिकलन के लिए किया गया है.

14. अंत: समूह एक्सपोजर :

क) अंत: समूह एक्सपोजर की कुल राशि : शून्य

ख) उच्च-20 अंत: समूह एक्सपोजर की कुल राशि : शून्य

ग) उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक का कुल एक्सपोजर के प्रति अंत: समूह एक्सपोजर की प्रतिशतता : शून्य

घ) अंत: समूह एक्सपोजर पर सीमा तोडने के विवरण तथा उस पर विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो : शून्य

15. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि को अंतरण (डीईएएफ) : (₹ करोडों में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
डीईएएफ को अंतरित राशि का अथशेष	**0.00**	0
जोडें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	**62.88**	0
घटाएं : दावे के प्रति डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की गयी राशि	**0.01**	0
डीईएएफ को अंतरित राशि का इतिशेष	**62.87**	0

16. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर :

(जहां तक बैंक ने उधारकर्ताओं से सुनिश्चित कर पाया है तथा बैंक द्वारा प्रमाणित किया गया तथा लेखापरीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया)

यथा 31.03.2015 को वृद्धिशील प्रावधानीकरण : ₹ 151 करोड

यथा 31.03.2015 को वृद्धिशील पूंजी आवश्यकता : ₹ 14.18 करोड

17(क) चलनिधि प्रावरण अनुपात : (₹ करोडों में)

		चालू वर्ष	
		कुल अभारित मूल्य (औसतन)	**कुल भारित मूल्य (औसतन)**
उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां			
1	कुल उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए)		14048.92
नकद बहिर्गमन			
2	खुदरा जमा तथा छोटे कारोबार ग्राहकों से जमा, जिसमें से	7908.32	764.13
(i)	स्थिर जमा	533.48	26.66
(ii)	कम स्थिर जमा	7374.84	737.47
3	अप्रत्याभूत थोक निधीयन, जिसमें से	37457.65	18410.05

		चालू वर्ष	
		कुल अभारित मूल्य (औसतन)	कुल भारित मूल्य (औसतन)
(i)	परिचालनात्मक जमा (सभी काउंटरपार्टी)	0.00	0.00
(ii)	गैर–परिचालनात्मक जमा (सभी काउंटरपार्टी)	37457.65	18410.05
(iii)	अप्रत्याभूत ऋण	0.00	0.00
4	प्रत्याभूत थोक निधीयन		
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	10579.82	1504.90
(i)	व्युत्पन्न एक्सपोजर तथा अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00
(iii)	ऋण तथा चलनिधि सुविधा	10579.82	1504.90
6	अन्य करारबद्ध निधीयन दायित्व	1051.47	1051.47
7	अन्य आकस्मिकताओं के निधीयन दायित्व	6071.68	303.58
8	कुल नकदी बहिर्गमन		22034.13
नकद आगमन			
9	प्रत्याभूत उधार (उदा. रिवर्स रिपो)	171.40	0.00
10	पूर्णत: निष्पादित एक्सपोजर से आगमन	0.00	0.00
11	अन्य नकद आगमन	1739.06	1151.75
12	कुल नकद आगमन	1910.46	1151.75
कुल समायोजित मूल्य			
21	कुल एचक्यूएलए		14048.92
22	कुल निवल नकद बहिर्गमन		20882.38
23	चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		67.276%

17(ख) एलसीआर से संबंधित गुणात्मक प्रकटन :

क. एलसीआर परिणाम के प्रमुख चालक और समय के साथ एलसीआर के गणना की निविष्टियों के योगदान का विकास ;

एलसीआर के प्रमुख चालक एचक्यूएलए है, स्वस्थ एचक्यूएलए से एलसीआर की प्रतिशतता में सुधार नहीं होगी साथ ही 30 दिनों तक तरलता आवश्यकता को पूरा करने हेतु बैंक की क्षमता में वृद्धि भी होगी.

अंतर – अवधि परिवर्तन तथा समय के साथ परिवर्तन : लागू नहीं

ख. एचक्यूएलए की संरचना : एचक्यूएलए की संरचना को स्तर 1 आस्ति और स्तर 2ए । स्तर 2बी में विभाजित किया गया है.

स्तर 1 आस्ति में निम्न शामिल हैं:

i. नकद जिसमें आवश्यक सीआरआर से अधिक नकद आरक्षिति शामिल है.

ii. न्यूनतम सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) आवश्यकता से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां

iii. अनिवार्य सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) आवश्यकता के अंतर्गत, मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा (एमएसएफ) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सरकारी प्रतिभूतियां

iv. विदेशी राज्यों द्वारा जारी या गारंटीकृत विपणनयोग्य प्रतिभूतियां जो निम्न शर्तों को पूरा करती है:-

क. ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन 0% जोखिम भार दिया जाता है.

ख. कम स्तर के केंद्रीकरण युक्त आस्तियां जिसे बडे, गहरे और सक्रिय रिपो और नकद बाजार में व्यापार किया जाता है; तथा तनावग्रस्त बाजार परिस्थितियों में भी बाजार(रिपो या बिक्री) में तरलता का विश्वसनीय स्रोत है.

ग. बैंक/वित्तीय संस्था/एनबीएफसी या इनके कोई भी संबद्ध इकाइयों द्वारा जारी न किया गया हो.

स्तर 2 आस्तियों (स्तर 2ए व स्तर 2बी आस्तियां शामिल है) को तरल आस्तियों के स्टॉक में शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि हेयरकट लागू करने के बाद एचक्यूएलए के समग्र स्टॉक के 40% से अधिक न हो.

स्तर 2ए व स्तर 2 बी आस्तियों में निम्नांकित शामिल हैं.

स्तर 2ए आस्तियों में निम्न शामिल है;

स्टॉक में धारित प्रत्येक स्तर 2ए आस्ति का वर्तमान बाजार मूल्य के लिए न्यूनतम 15% हेयरकट लागू करना है. स्तर 2ए आस्तियां निम्न तक ही सीमित है:

1. विपणनयोग्य प्रतिभूतियां जो विदेशी सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयां (पीएसई) या बहुपक्षीय विकास बैंक द्वारा गारंटीकृत दावा या पर दावे का प्रतिनिधित्व करता हो जिनको ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन 20% जोखिम भार समनुदेशित किया गया हो और जो बैंक/वित्तीय संस्था/एनबीएफसी या इनके कोई भी संबद्ध इकाइयों द्वारा जारी न किया गया हो.

2. कार्पोरेट बांड जो बैंक/वित्तीय संस्था/एनबीएफसी या इनके कोई भी संबद्ध इकाइयों द्वारा जारी न किया गया हो,जिन्हें पात्र ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा एए- या उससे अधिक रेटिंग दिया गया हो.

3. वाणिज्यिक पत्र जिसे बैंक/प्राथमिक डीलर(पीडी) /वित्तीय संस्था या इनके कोई भी संबद्ध इकाइयों द्वारा जारी न किया गया हो जिन्हें पात्र ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा एए- या उससे अधिक बडी अवधि रेटिंग के समनुरूप लघु अवधि रेटिंग दिया गया हो .

स्तर 2बी आस्तियों में निम्न शामिल है;

स्टॉक में धारित प्रत्येक स्तर 2बी आस्ति का वर्तमान बाजार मूल्य के लिए न्यूनतम 50% हेयरकट लागू करना है.और, स्तर 2बी आस्तियों में एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 15% से अधिक नहीं होना है. इन्हें समग्र स्तर 2बी आस्तियों में भी शामिल किया जाना है. स्तर 2ए आस्तियां निम्न तक ही सीमित है:

i. विपणनयोग्य प्रतिभूतियां जो विदेशी द्वारा गारंटीकृत दावा या पर दावे का प्रतिनिधित्व करता हो जिनका जोखिम भार 20% से अधिक हो परंतु 50% से अधिक न हो अर्थात 'बेसल III - पूंजी विनियमन' पर भा.रि.बैं का मास्टर परिपत्र के अनुसार बीबीबी- से कम ऋण रेटिंग न हो.

ii. सामान्य ईक्विटी शेयर जो निम्न शर्तों को पूरा करता हो:

क. जो बैंक/वित्तीय संस्था/एनबीएफसी या इनके कोई भी संबद्ध इकाइयों द्वारा जारी न किया गया हो;

ख. एनएसई सीएनएक्स निफ्टी सूचकांक और/या एस व पी बीएसई सेंसेक्स सूचकांक में शामिल किया गया हो.

ग. **निधीकरण श्रोतों का संकेंद्रण**; भा.रि.बैं /केंद्रीय बैंकों द्वारा प्राप्त की जानेवाली राशि

घ. **डेरिवेटिव एक्सपोजर और संभाव्य संपार्श्विक कॉल;** लागू नहीं

ङ. **एलसीआर में मुद्रा बेमेल** - लागू नहीं

च. **तरलता प्रबंधन के केंद्रीकरण के स्तर तथा समूह की इकाइयों के बीच बातचीत का विवरण;** और

खजाना प्रबंधन विभाग के निधि प्रबंधन डेस्क केंद्रीकृत तरलता प्रबंधन डेस्क है जो दो इकाइयों के बीच निधियों के प्रवाह का प्रबंधन करता है.

छ. **एलसीआर संगणना में अन्य आवा–जाही जिसे एलसीआर सामान्य टेंपलेट द्वारा कैप्चर नहीं किया गया है परंतु संस्था जिसे उनके तरलता प्रोफाइल के लिए प्रासंगिक समझता है.** – लागू नहीं

18. बैंक ने व्यपगत मांग ड्राफ्ट के भुगतान के लिए सामान्य आरक्षिति से ₹ शून्य आहरण किया है (पिछले वर्ष ₹ शून्य)जिसे भा.रि.बैं. के अनुमोदनानुसार पूर्व में सामान्य आरक्षिति में रखा गया था.

19. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन शामिल आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता के संबंध में बैंक के पास पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है. इस वजह से उक्त अधिनियम की धारा 22 के अधीन प्रकट की जाने वाली अपेक्षित सूचना नहीं दी गयी है.

20. चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने हेतु पिछले साल के अंकों को जहाँ कहीं आवश्यक हो पुन: समूहन/पुन:वर्गीकृत/पुन:व्यवस्थित किया गया है.

किशोर सांसी
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

के आर शेणै
कार्यकारी निदेशक

बी एस रामा राव
कार्यकारी निदेशक

संजय कुमार
निदेशक

सुमा वर्मा
निदेशक

भारती राव
निदेशक

वाई मुरलीकृष्णा
निदेशक

ए.एस.राजीव
महा प्रबंधक

हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स कर्रा एण्ड कं.	**कृते मेसर्स एन. सी. मित्तल एण्ड कं.**	**कृते मेसर्स केपीएमसी एण्ड एसोसिएट्स**	**कृते मेसर्स पीकेएफ श्रीधर एण्ड संतानम एलएलपी**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.001749एस	पंजीकरण सं.000237एन	पंजीकरण सं.05359सी	पंजीकरण सं. 003990 एस/ एस200018
(के. प्रेमकुमार)	**(एन.सी.मित्तल)**	**(संजय मेहरा)**	**(एस.राजेश्वरी)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं.019170	सदस्यता सं.14213	सदस्यता सं.075488	सदस्यता सं.024105

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 12.05.2015

31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(₹ 000 छोड दिया गया है)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर के बाद निवल लाभ	**439 40 94**	415 90 86
अचल आस्तियों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान	**54 53 24**	64 14 62
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ	**– 50 48**	– 20 82
चालू आस्थगित कर	**–52 04 56**	–67 95 82
आयकर के लिए प्रावधान	**106 81 00**	210 00 00
एमएटी ऋण हकदारी	**–94 27 00**	–110 00 00
गैनिआ / पुनर्संरचित अग्रिम के संबंध में प्रावधान	**846 14 48**	452 19 86
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	**41 14 00**	81 83 00
निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान	**–71 89 60**	120 01 15
गौण बांड पर ब्याज का भुगतान / प्रावधान	**189 08 09**	144 15 03
अन्य मदों के लिए प्रावधान	**43 73 87**	1 73 99
उप कुल :–	**1502 13 98**	1311 81 87
परिचालन आस्तियों व देयताओं में निवल परिवर्तन में समायोजन		
निवेश में गिरावट / (वृद्धि)	**–1864 81 78**	–11420 43 09
अग्रिमों में गिरावट / (वृद्धि)	**–6037 97 61**	–12190 46 85
जमाराशियों में वृद्धि / (गिरावट)	**2047 19 12**	27278 92 25
उधार में वृद्धि / (गिरावट)	**1033 39 50**	–1897 01 78
अन्य आस्तियों में गिरावट / (वृद्धि)	**–12 77 46**	–114 89 48
अन्य देयताओं व प्रावधानों मे वृद्धि / (गिरावट)	**292 59 32**	338 25 54
कर (प्रदत्त) / वापसी	**–171 77 86**	–390 20 53
परिचालात्मक गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी (क)	**–3212 02 79**	2915 97 94
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियां (निवल)	**–104 20 28**	–129 77 84
निवेश गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी (ख)	**–104 20 28**	–129 77 84
वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी का निर्गमन	**–**	–836 41 97
शेयर प्रीमियम	**–**	1086 41 97
जारी गौण बांड	**1500 00 00**	250 00 00
गौण बांड पर ब्याज	**–189 08 09**	–144 15 03
प्रदत्त अधिमानी लाभांश व उस पर प्रदत्त कर	**–**	–119 33 49
ईकिवटी लाभांश व उस पर प्रदत्त कर	**–100 51 27**	–144 93 90

विवरण	(₹ 000 छोड दिया गया है)	
	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रदत्त अंतरिम लाभांश व उस पर प्रदत्त कर	**–**	–64 87 06
वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी (ग)	**1210 40 64**	26 70 52
निवल नकदी और नकदी समतुल्य राशि (क + ख + ग)	**–2105 82 43**	2812 90 62
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य राशि	**9457 65 60**	6644 74 98
हाथ में नकदी	**373 49 97**	417 56 29
भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशि	**5166 70 79**	3500 13 42
बैंकों में शेष राशि व मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	**3917 44 84**	2727 05 27
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य राशि	**7351 83 17**	9457 65 60
हाथ में नकदी	**493 80 86**	373 49 97
भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशि	**6040 48 61**	5166 70 79
बैंकों में शेष राशि व मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	**817 53 70**	3917 44 84

बैंक के निदेशक मंडल ने दि. 12.05.2015 को हुई बैठक में उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण को अभिलिखित किया.

किशोर सांसी
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

के आर शेणै
कार्यकारी निदेशक

बी एस रामा राव
कार्यकारी निदेशक

संजय कुमार
निदेशक

सुमा वर्मा
निदेशक

भारती राव
निदेशक

वाई मुरलीकृष्णा
निदेशक

ए.एस.राजीव
महा प्रबंधक

हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स कर्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.001749एस

(के. प्रेमकुमार)
साझेदार
सदस्यता सं.019170

कृते मेसर्स एन. सी. मित्तल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.000237एन

(एन.सी.मित्तल)
साझेदार
सदस्यता सं.14213

कृते मेसर्स केपीएमसी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.05359सी

(संजय मेहरा)
साझेदार
सदस्यता सं.075488

कृते मेसर्स पीकेएफ श्रीधर एण्ड संतानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 003990 एस/एस200018

(एस.राजेश्वरी)
साझेदार
सदस्यता सं.024105

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 12.05.2015

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने यथा मार्च 2015 के विजया बैंक के संलग्न वित्तीय विवरणों का निरीक्षण किया है जिसमें 31 मार्च, 2015 के तुलन पत्र तथा उस दिनांक को समाप्त लाभ-हानि लेखा तथा समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है. इसमें हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 600 शाखाओं की विवरणियाँ समाविष्ट हैं. बैंक ने, हमारे द्वारा परीक्षित और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित शाखाओं का चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार किया है. तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा में उन 998 शाखाओं की विवरणियां सम्मिलित की गयी है, जिनकी लेखा परीक्षा नहीं की गयी है. ये गैर लेखा परीक्षित शाखाएं 7% अग्रिम का, 33% जमाराशियों का, 34% ब्याज पर आय और 26% ब्याज पर व्यय के बनते हैं.

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन उत्तरदायित्व

2. बैंक की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पढे गए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा कंपनी (लेखा मानक) नियम 2006 के अनुसार इन वित्तीय विवरणियों की तैयारी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है. इस उत्तरदायित्व में, वित्तीय विवरणियों की रूपरेखा, उसका कार्यान्वयन तथा विवरणियों को त्रुटिरहित, चाहे त्रुटि धोखाधडी से या गलती से हो, तैयार करने से संबंधी आंतरिक नियंत्रण का रख-रखाव शामिल है.

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

3. हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन विवरणियों पर राय जाहिर करना हमारी जिम्मेदारी है. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है. इन मानकों की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा योजना तैयार करके लेखापरीक्षा करें ताकि वित्तीय विवरणियों के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त हो कि इसकी सामग्री में गलत विवरण नहीं है. 'संयुक्त लेखापरीक्षक का दायित्व-कार्य विभाजन पर पैरा 2 व 3' पर एस ए 299 के अनुसार संयुक्त लेखापरीक्षक आपस में कार्य के विभाजन का निर्णय करेंगे और इकाई को सूचित करेंगे. चालू वर्ष के कार्य का विभाजन संयुक्त लेखापरीक्षकों से परामर्श किए बिना बैंक के प्रबंधन द्वारा किया गया. प्रबंधन का कहना है कि उक्त विभाजन भा.रि.बैं. के नियुक्ति पत्र के अनुसार किया गया है.

4. लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणियों में लिखित राशि तथा प्रकटीकरण के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं को शामिल करना है. चयन की गयी प्रक्रिया, लेखापरीक्षकों के निर्णय पर आधारित है जिसमें वित्तीय विवरणियों की त्रुटियों के जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल है, चाहे वे धोखाधडी के कारण हो या गलती से हो. ऐसे जोखिम मूल्यांकन करते समय, लेखापरीक्षक कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणियों की तैयारी व उचित प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करते हैं ताकि उस संदर्भ के लिए उचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार किया जा सके. लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा नीतियों की समुचितता का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किया गया लेखा प्राक्कलन की समुचितता तथा वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है.

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा जुटाए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे लेखापरीक्षा मत को दर्शाने हेतु पर्याप्त तथा उचित आधार है.

राय

6. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा बैंक की बहियों में दर्शाए गए अनुसार :

   i) भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुपालन करते हुए,टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र, पूर्ण एवं निष्पक्ष हैं, जिसमें आवश्यक सभी विवरण दिए गए हैं और इसे सही ढंग से तैयार किया गया है, ताकि 31 मार्च, 2015 तक बैंक के कारोबार का सही निष्पक्ष चित्र दर्शाया जा सके ;

   ii) भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुपालन करते हुए, टिप्पणियों के साथ पठित लाभ-हानि लेखा, लेखा से संबंधित वर्ष में अर्जित लाभ की सही शेष राशि दर्शाता है; तथा

   iii) नकदी प्रवाह विवरण, विवरण की अवधि के लिए नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाता है.

7. **मामले का महत्व**

अपनी राय दिए बिना, हम निम्नलिखितों पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं :

(i) नोट सं. 8(xii)(बी) में बताया अनुसार एटीएम वर्ग लिखतों में के निवेश से होनेवाले समय के अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर देयता (डीटीएल) के ₹ 230 करोड के लिए प्रावधान नहीं किया गया है.

(ii) वित्तीय विवरणों के नोट 8(vi) के अनुसार कर्मचारी संघ के साथ 10वीं द्विपक्षीय समझौते के कारण होनेवाली वेतन में वृद्धि के प्रति बैंक ने ₹ 208 करोड का प्रावधान किया है, परंतु इसके फलस्वरूप ग्रैच्युटी, पेंशन और प्रतिपूरक अनुपस्थिति देयता में होनेवाली वृद्धि के प्रति कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है. चूंकि वेतन के विभिन्न संघटक जो चर्चा/निर्धारण के अधीन है उससे संबंधित वृद्धि का विवरण उपलब्ध नहीं है. अतिरिक्त प्रावधान की राशि अनियत है. बैंक का मत है कि बीमांकक मूल्यांकन में विचार की गयी वेतन वृद्धि इस वृद्धि को प्रावरित करने हेतु पर्याप्त है.

(iv) वित्तीय विवरणी के नोट 8(vii) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने परिपत्र सं.डीबीओडी.बीपी.बीसी/80/21.04.018/2010-11 के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प खोलने तथा ग्रैच्यूटी सीमा में बढोत्तरी - विवेकपूर्ण विनियामक उपचार के फलस्वरूप लेखाकरण मानक (एएस) 15 के प्रावधानों को सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के लिए लागू करने में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गयी छूट के अनुकरण में चालू वर्ष को य 119 करोड तक बैंक की पेंशन तथा ग्रैच्यूटी देयता के अंतिम किश्त के प्रभार का विवरण देता है. भावी अवधि में प्रभारित करने हेतु आगे लाने के लिए और कोई राशि नहीं है.

अन्य विधि तथा विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

8. तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'ए'व 'बी' के अनुसार तैयार किया गया है.

9. उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 5 तक में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा की सीमा के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की अपेक्षानुसार और साथ ही उन बातों के अधीन, जिनको प्रकट करने पर इस अधिनियम में प्रतिबंध लगाया गया है, और आगे निम्न के अधीन :

क) हमने ऐसी सारी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार, लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उनको संतोषजनक पाया है.

ख) सरकारी विभाग तथा कार्पोरेट निकायों द्वारा खोले गए बचत बैंक खातों के सिवाय बैंक के जो लेन-देन हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक के अधिकारों के अंदर हैं.

ग) बैंक के कार्यालय और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त पायी गई हैं.

10. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ व हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण लागू लेखाकरण मानदंडों का अनुपाल करते हैं.

कृते मेसर्स कर्रा एण्ड कं.	**कृते मेसर्स एन. सी. मित्तल एण्ड कं.**	**कृते मेसर्स केपीएमसी एण्ड एसोसिएट्स**	**कृते मेसर्स पीकेएफ श्रीधर एण्ड संतानम एलएलपी**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.001749एस	पंजीकरण सं.000237एन	पंजीकरण सं.05359सी	पंजीकरण सं.003990 एस/एस200018
(के.प्रेम कुमार)	(एन.सी.मित्तल)	(संजय मेहरा)	(एस.राजेश्वरी)
साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं.019170	सदस्यता सं.14213	सदस्यता सं.075488	सदस्यता सं.024105

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 12.05.2015

31 मार्च 2015 को बेसल प्रकटीकरण दस्तावेज़

तालिका डीएफ – 1 जो बैंक समूह इकाइयाँ प्रकटन पर हैं, बैंक के लिए लागू नहीं.

तालिका डीएफ – 2

पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क) वर्तमान तथा भविष्य की गतिविधियों के समर्थन के लिए बैंक की अपनी पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण की पद्धति पर चर्चा का सारांश	भारिबैं के निदेशानुसार, हमारे बैंक ने 31.03.2009 से प्रभावी ऋ ण जोखिम के लिए 'मानकीकरण दृष्टिकोण', बाज़ार जोखिम के लिए 'मानकीकरण अवधि दृष्टिकोण' तथा परिचालन जोखिम के लिए 'मूल संकेत दृष्टिकोण' अपनाया है. मौजूदा तथा भविष्य के क्रियाकलापों के समर्थन हेतु अतिरिक्त पूंजी निर्धारण के लिए बैंक तैयार की गई आईसीएएपीये नीति को अपनाता है. कारोबार के भविष्य की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सतत आधार पर नियामक न्यूनतम से अधिक पर्याप्त पूंजी के रख-रखाव हेतु आईसीएएपी की अर्ध वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है.
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	**(₹ करोडों में)**
(ख) बेसल-II व बेसल-III के अधीन ऋ ण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएँ	
• मानक पद्धति के अधीन संविभाग	**₹ 6133.17** (अन्य आस्तियाँ सहित तथा प्रतिरूप पार्टी अरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम)
• प्रतिभूतिकरण जोखिम	**कुछ नहीं** - चूंकि प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत बैंक का कोई जोखिम नहीं है.
(ग) बाज़ार जोखिम मानकीकरण अवधि दृष्टिकोण के लिए पूंजी आवश्यकताएँ	
बेसल-II के अधीन	**₹ 496.59**
• ब्याज दर जोखिम	₹ 456.62
• विदेशी विनिमय जोखिम	₹ 1.35
• ईक्विटी जोखिम	₹ 38.62
बेसल-III के अधीन*	**₹ 491.86**
• ब्याज दर जोखिम	₹ 451.89
• विदेशी विनिमय जोखिम	₹ 1.35
• ईक्विटी जोखिम	₹ 38.62
* ₹ 451.89 करोड प्रतिधारिता समायोजन के बाद	
(घ) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएँ- मूल सूचक पद्धति बेसल-II व बेसल -III	
	बेसल-II / **बेसल-III**
आवश्यक पूंजी	**न्यूनतम पूंजी आवश्यकता** 7010.11 / 7005.38
रखी गयी पूंजी	**पूंजी निधि** 9111.06 / 8895.16
	(यथा 31.03.2015 को) * प्रतिधारण प्रतिपूर्ति के बाद बेसल-III के अधीन न्यूनतम पूंजी आवश्यकता
(ङ) कुल तथा टियर 1 पूंजी अनुपात	
• शीर्ष समेकित समूह के लिए	**बेसल-II** / **बेसल-III**
• महत्वपूर्ण बैंक अनुषंगियों के लिए	**सीआरएआर यथा 31.03.2015 को** 11.70% / 11.43%
	सामान्य ईक्विटी टियर 1: - / 7.60%
	टियर 1 पूंजी: 8.25% / 8.24%
	टियर 2 पूंजी: 3.45% / 3.19%
	लागू नहीं, चूंकि हमारे बैंक की कोई सहायक संस्था नहीं है.

तालिका डीएफ – 3

ऋण जोखिम – सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण		
(क)	ऋण जोखिम के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण जिसमें शामिल है • अतिदेय तथा अनर्जक की परिभाषा (लेखाकरण कार्य के लिए) • बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा	बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया, एक मज़बूत प्रणाली, कार्यपद्धतियां तथा नीति पर चलती है. जहाँ मंडल के निदेशक व जोखिम प्रबंधन समिति निदेश देती है वहीं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा संचालित ऋण जोखिम प्रबंधन समिति उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है. ऋण जोखिम प्रबंधन, संपार्श्विक प्रबंधन तथा ऋण जोखिम उपशामक (सीआरएम) दर निर्धारण आदि के लिए नीति दिशानिर्देश तैयार किये गए हैं जिसमें उद्देश्य, गुंजाइश तथा जोखिम रिपोर्ट करने का स्वरूप, उसकी माप प्रणालियाँ, नीतियाँ, सीआरएम के ज़रिए जोखिम का नियंत्रित/कम करने हेतु अपनाई जानेवाली रणनीतियाँ, प्रक्रियात्मक कदम, उपशामक के निरंतर प्रभाव के लिए विकास, संवीक्षा तथा पर्यवेक्षण यंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी है. बेसल II मानदंडों के उच्चतर दृष्टिकोण तक जाने के लिए बैंक ने ऋण जोखिम निर्धारण, ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालन जोखिम, एएलएम तथा एफटीपी के छः समाधानों के माध्यम से एकीकरण जोखिम प्रबंधन का कार्यान्वयन अपनाया है. **मानदंड पर बैंक की नीति आईआरएसी (आय निर्धारण तथा आस्ति वर्गीकरण)** भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी संशोधित दिशानिर्देशों के आधार पर है. आस्तियों को निष्पादक तथा गैर निष्पादक आस्तियों के रूप में वर्गीकरण करने हेतु 90 दिनों के चूक मानदंड अपनाया जाता है. आईआरएसी के संपूर्ण आंकडे लेखा परीक्षा के अधीन है. मानक आस्ति (निष्पादक) तथा गैर निष्पादक आस्ति दोनों पर निर्धारितानुसार पर्याप्त प्रावधान किया गया है. इसके अलावा पुनर्रचित आस्तियों के लिए बैंक ने सामान्य अस्थाई प्रावधान तथा अतिरिक्त प्रावधान सुनिश्चित किया है. **अनर्जक आस्तियों की परिभाषा (लेखाकरण उद्देश्य के लिए)** कोई आस्ति गैर निष्पादक तब बनती है जब उससे बैंक को कुछ आय प्राप्त न हो जैसे (क) जब ऋण का ब्याज व/या किस्त 'अतिदेय' बनता है (*) मीयादी ऋण के संबंध में 90 दिनों के अधिक की अवधि के लिए (ख) खाता तब 'आउट आफ आर्डर' बनता है जब वह (#) नकद ऋण जैसी परिचालन सीमाओं के संबंध में 90 दिनों तक अप्रचलित हो (ग) खरीदे गए बिल/भुनाए गए बिल के संबंध में यदि बिल 'अतिदेय' बन जाते हैं (घ) किसी भी तिमाही में प्रभारित ब्याज को तिमाही के अंत से 90 दिनों के अंदर वसूल न किया गया है (ङ) अल्पावधि फसल ऋणों के मामले में मूल राशि का किश्त या उस पर ब्याज दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय हो तथा दीर्घावधि फसल ऋणों के मामले में मूल राशि का किश्त या उसपर ब्याज एक फसल मौसम में अतिदेय रहता हो (च) जब गैर निधि आधारित राशियों के परिणति की तारीख से 90 दिन समाप्त होने पर. * 'अतिदेय' का तात्पर्य है किसी ऋण सुविधा के अधीन बैंक को देय कोई राशि, यदि वह देय नियत दिनांक को या गैर निधि आधारित राशि के परिणत होने पर भुगतान नहीं किया जाता. ● 'आउट आफ आर्डर' का तात्पर्य है बकाया शेष मंजूर सीमा/आहरण अधिकार से निरंतर रूप से अधिक रहता है या 90 दिन निरंतर रूप से आवश्यक राशि जमा नहीं की गयी या 90 दिनों से पहले नामे डाला गया ब्याज को प्रावरित करने हेतु खाते में काफी जमा न हो तो. **बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा :** बैंक ने एक व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन नीति का सूत्रपात किया है तथा ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, बेसल II कार्यकारी समूह आदि जैसी विभिन्न समितियों को गठित किया है ताकि कई प्रबंधन तकनीकों को सुधारा जा सके जिससे ऋण जोखिम पर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाले बाह्य तथा आंतरिक घटकों को हिसाब में लेते हुए ऋण जोखिमों की पहचान, मापन, संवीक्षा व नियंत्रण करने में बैंक को मदद मिले. बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियाँ तथा उधार नीति को और सुचारू बनाया है. इसमें ऋण मूल्यांकन नाम जैसे बेंचमार्क/प्रमुख वित्तीय संकेतकों पर रोक अनुपात,आंतरिक अधिकतम सीमा, बडे.ऋण प्रस्ताव के लिए विवेकपूर्ण मानदंड, ऋण संकेंद्रीकरण,

	ऋण समीक्षा संयंत्र/ऋण लेखा परीक्षा, उच्च मूल्य उधार खातों (व्यापक ऋण संवीक्षा रिपोर्ट) की विशेष समीक्षा, जोखिम, संकेंद्रीकरण/ जोखिम दर निर्धारण के आधार पर अनुवीक्षण व लागत निर्धारण तथा जोखिम दर निर्धारण के आधार पर समीक्षा शामिल है तथा इसमें समूह, दर निर्धारण और संवेदनशील क्षेत्र जैसे पूंजी बाज़ार, भू संपदा तथा पण्य क्षेत्र के लिए जोखिम उच्चतम सीमा भी प्रावरित है. बैंक की व्यापक वसूली नीति भी तैयार की गयी है तथा समय-समय पर संशोधित किया गया है.
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	**सकल ऋण जोखिम :**
(ख) सकल ऋण जोखिम – निधि आधारित व गैर निधि आधारित	निधि आधारित – सकल ऋण : ₹ 87691.54 करोड निवेश : ₹ 30186.63 करोड अन्य आस्तियां : ₹ 11612.08 करोड गैर निधि आधारित – बीजी/एलसी : ₹ 7568.84 करोड व्युत्पन्न तथा सीसीआइएल/एमसीएक्स : ₹ 3893.61 करोड अनाहरित : ₹ 10579.83 करोड **कुल : ₹ 151532.53 करोड**
(ग) ऋण जोखिम का भौगोलिक संवितरण – निधि आधारित व गैर निधि आधारित अलग-अलग • समुद्रपारीय • देशी	**समुद्रपारीय: निधि आधारित व गैर निधि आधारित: कुछ नहीं** **देशी :** निधि आधारित – सकल ऋण : ₹ 87691.54 करोड निवेश : ₹ 30186.63 करोड अन्य आस्तियां : ₹ 11612.08 करोड गैर निधि आधारित – बीजी/एलसी : ₹ 7568.84 करोड व्युत्पन्न तथा सीसीआइएल/एमसीएक्स : ₹ 3893.61 करोड अनाहरित : ₹ 10579.83 करोड **कुल : ₹ 151532.53 करोड**

सकल ऋण, एनएफबी तथा एचटीएम निवेशों का भौगोलिक-वार संवितरण निम्नानुसार है :

(₹ करोडों में)

राज्य	सकल ऋण	गैर-निधि आधारित	एचटीएम निवेश	कुल
अंदमान व निकोबार	39	3	0	43
आंध्र प्रदेश	2048	75	100	2223
अरुणाचल प्रदेश	99	8	0	107
असम	228	34	0	262
बिहार	146	13	36	195
चंडीगढ	183	18	0	201
छत्तीसगढ	217	35	44	295
दादरा तथा नगर हवेली	8	0	0	8
दिल्ली	12874	1168	27046	41088
गोवा	146	3	0	148
गुजरात	3675	358	383	4417
हरियाणा	1868	30	51	1949
हिमाचल प्रदेश	36	1	43	80
जम्मु व कश्मीर	12	1	56	69

(₹ करोडों में)

राज्य	सकल ऋण	गैर–निधि आधारित	एचटीएम निवेश	कुल
झारखंड	94	10	0	105
कर्नाटक	21263	798	544	22605
केरल	2626	36	157	2819
मध्य प्रदेश	494	21	38	553
महाराष्ट्र	23239	3436	439	27115
मणिपुर	32	1	10	43
मेघालय	90	15	18	123
मिजोरम	50	2	0	52
नागालैंड	83	2	0	85
ओडीसा	159	13	0	172
पांडिचेरी	68	2	0	71
पंजाब	1000	10	172	1183
राजस्थान	2110	47	109	2267
सिक्किम	13	1	0	14
तमिलनाडु	5520	471	775	6766
तेलंगाणा	4172	523	0	4695
त्रिपुरा	27	8	0	35
उत्तर प्रदेश	2520	107	79	2707
उत्तरांचल	82	1	0	83
पश्चिम बंगाल	2466	317	87	2869
कुल	**87692**	**7569**	**30187**	**125447**

प्रधान कार्यालय स्तर पर अन्य आस्तियों तथा व्युत्पन्नों का अनुरक्षण किया जाता है.

(₹ करोडों में)

(घ) ऋण का उद्योगवार संवितरण

ऋण का उद्योगवार संवितरण	
उद्योग	**ऋण**
ऊर्जा	15392.94
परिवहन	5065.75
संचार	664.65
सामाजिक व वाणिज्यिक बुनियादी सेवाएं	2423.56
पानी व स्वच्छता	434.21
इस्पात तथा इंजिनीयरिंग उद्योग	4074.29
सिमेंट उद्योग	123.27
वस्त्र उद्योग	679.46
अमूल्य रत्न तथा आभूषण	357.54
इलेक्ट्रॉनिक्स	715.71
चीनी उद्योग	183.62
रिफाइनरी	165.47
अल्यूमिनीयम	654.25
ऑटोमोबाइल तथा ऑटो पुर्जे	123.21
निर्माण	2213.79
फार्मास्यूटिकल्स	250.89
कृषि आधारित	48.45
डिस्टिलरी	293.25
अन्य उद्योग	29.13
कुल	**33893.44**

(ङ) यथा 31.03.2015 को आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन (₹ करोडों में)

अवधि	1 दिन	2–7 दिन	8–14 दिन	15–28 दिन	29 दिन– 3 महीने	3 महीनों से 6 महीने तक	6 महीनों से 12 महीने तक	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
एफ.सी. आस्तियाँ	133.40	246.61	5.94	98.79	60.25	84.87	11.81	0.00	0.00	0.00	**641.67**
अग्रिम	1065.50	672.56	953.44	1315.03	6883.28	4620.68	5236.40	43900.47	10981.87	11066.64	**86695.87**
निवेश	224.22	220.42	323.84	309.79	1727.57	1467.85	2372.55	8056.27	9217.50	20602.08	**44522.09**

31.03.2015 की स्थिति (₹ करोडों में)

(च)	एनपीए की राशि (सकल)	**2443.21**
	• अवमानक	1128.34
	• संदिग्ध 1	642.11
	• संदिग्ध 2	656.27
	• संदिग्ध 3	16.31
	• हानि	0.18
(छ)	निवल एनपीए	1659.81
(ज)	एनपीए अनुपात	
	• सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	2.78%
	• निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	1.92%
(झ)	एनपीए का उतार-चढ़ाव (सकल)	
	• अथशेष	1985.86
	• परिवर्धन	2826.85
	• कटौतियाँ	2369.50
	• इतिशेष	2443.21
	एनपीए का उतार-चढ़ाव (निवल)	
	• अथशेष	1262.37
	• परिवर्धन	397.44
	• कटौतियाँ	0.00
	• इतिशेष	1659.81
(ञ)	एनपीए हेतु प्रावधान का उतर-चढाव	
	• अथशेष	709.92
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	836.07
	• बट्टे खाता डालना	776.24
	• अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	0.00
	• इतिशेष	769.75
	(निपटाएं और भुगतान के लिए लंबित डीआईसीजीसी / ईसीजीसी दावें ₹ 11.77 करोड; एनपीए में प्राप्त आंशिक भुगतान जिसे ऊचंत खाते में रखा गया - ₹ 1.87 करोड व ब्याज उचंत के अधीन धारित शेष ₹ 0.01 करोड)	
(ट)	गैर-निष्पादन निवेशों की राशि (एचटीएम श्रेणी के अधीन)	9.25
(ठ)	गैर-निष्पादक निवेशों पर मूल्यऱ्हास के लिए प्रावधानों की राशि (एनपीआई)	17.09
(ड)	गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) पर मूल्यऱ्हास के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव	
	• अथशेष	12.47
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	4.62
	• बट्टे खाता डालना	0.00
	• अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	0.00
	• इतिशेष	17.09

तालिका डीएफ – 4

ऋण जोखिम – मानकीकरण दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क) मानकीकरण दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए:	
• प्रयुक्त ऋण का दर्जानिर्धारण एजेंसी के नाम तथा परिवर्तन के लिए कारण	बैंक ने भारिबैं द्वारा अनुमोदित बाह्य ऋण रेटिंग एजेंसियों जैसे सीआरआईएसआईएल/आईसीआरए/एफआईटीसीएच/एससीएआरई/एसएमईआरए/ब्रिकवर्क के ही दर निर्धारणों का उपयोग किया है. बाह्य दर निर्धारण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने तथा अपने निवेश के लिए ग्राहकों को बाह्य दर निर्धारण की माँग करने योग्य बनाने हेतु बैंक ने इन निर्धारण एजेंसियों के साथ एक अलग से समझौता करार किया है.
• ऋण जोखिम के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक ऐजेंसी का प्रयोग किया जाता है.	₹ 5 करोड. से अधिक सभी कार्पोरेट ऋण जोखिम तथा सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को ऋण जोखिम.
• सार्वजनिक निर्गम रेटिंग को बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों के अंतरण हेतु उपयोग में लाई गयी प्रक्रिया का विवरण	बैंक ने केवल उन बैंक दर निर्धारणों का उपयोग किया है जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है. इसके अलावा बैंक ने कोई सार्वजनिक निर्गम रेटिंग का उपयोग नहीं किया है.
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
(ख) मानकीकरण दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात ऋण जोखिम की राशियों के लिए निम्नलिखित तीन प्रमुख जोखिम समूहों और कटौती की गयी जोखिम राशि में बैंक की बकाया राशियाँ (रेटिंग सहित और रेटिंग रहित)	**ऋण जोखिम** ** (**₹ करोडों में**)
• 100% जोखिम भार से नीचे	97409.16
• 100% जोखिम भार	35047.27
• 100% से अधिक जोखिम भार	10722.50
• कटौती की गयी – वित्तीय संपार्श्विक	8353.60
कुल	**151532.53**
** में निम्नलिखित तुलन पत्र के बाह्य जोखिम भी शामिल है	
एनएफबी जोखिम ₹ 7568.84 करोड	
अनाहरित अंश ₹ 10579.83 करोड	
सीसीआईएल व एमसीएक्स ₹ 302.35 करोड	
एनएफबी निवेश ₹ 3591.26 करोड	
अन्य आस्तियाँ भी शामिल हैं ₹ 11612.08 करोड	

तालिका डीएफ – 5

ऋण जोखिम न्यूनीकरण : – मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत प्रकटन

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क) ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण में निम्न शामिल हैं :	
• तुलन पत्र की निवल अवधारणा में तथा उसके बाहर बैंक द्वारा उपयोग करने की सीमा तक तथा नीति तथा प्रक्रिया के लिए	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बेसल II अंतिम दिशानिर्देशों में सूचितानुसार ऋण जोखिम को कम करने के लिए सामान्य सिद्धांत जैसे विशिष्ट ग्रहणाधीकार रखना, आवश्यक न्यूनतम मार्जिन निर्धारण, मूल्यांकन, वैधिक निश्चितता, प्रलेखीकरण, आवधिक निरीक्षण, सुलभ तरलता आदि का उपयोग किया गया है. मुद्रा बेमेल तथा परिपक्वता बेमेल के लिए समायोजन सहित सभी निर्धारित मार्जिन लिए गए हैं. जोखिम भारिता को समनुदेशित करने से पहले ऋण जोखिम से उपलब्ध वित्तीय संपार्श्विकों को समायोजित किया जाता है. ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रभाव का दुहरी लेखाकरण नहीं किया जाता है.
• संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ.	सीआरएम के उद्देश्य के लिए वित्तीय संपार्श्विक में बैंक की अपनी सावधि जमाराशि, नकद मार्जिन, जीवन पॉलिसी, एनएससी, केवीपी, 99.99 शुद्धता आधार का सोना शामिल है.
• बैंक द्वारा ली गयी मुख्य प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियों के विवरण	गारंटी दिए गए ऋण जोखिम में केंद्र/राज्य सरकार, ईसीजीसी बैंक और सीजीएसटीएमई द्वारा गारंटी शामिल है.
• प्रतिपक्षी गारंटीकर्ता का मुख्य प्रकार तथा उनकी ऋण पात्रता	सीआरएम/गारंटी दिए गए ऋण जोखिम किसी भी बाज़ार उतार-चढाव के अधीन नहीं है तथा ये ऋण जोखिम विविधीकृत हैं.
• जोखिम न्यूनीकरण मदों के अंतर्गत अधिक जोखिम (बाज़ार या ऋण) संबंधी सूचना	

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(ख) प्रत्येक अलग से प्रकट किए गए ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र की निवल अवधारणा में तथा उसके बाहर जहां कहीं लागू होने के बाद) जो कि मार्जिन लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा प्रावरित
(अन्य आस्तियों के एक्पोजर को छोडकर : ₹ 11612.08 करोड)

(ग) प्रत्येक अलग से प्रकट किए गए संविभाग के लिए कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र की निवल अवधारणा में तथा उसके बाहर जहां कहीं लागू होने के बाद) जो कि गारंटी/ऋण व्युत्पन्न द्वारा प्रावरित (जब कभी भा.रि.बैं. द्वारा विशेष रूप से अनुमत)
(अन्य आस्तियों के एक्पोजर को छोडकर : ₹ 11612.08 करोड)

* तुलन पत्र के बाह्य जोखिम सहित

** अनाहरित सहित

(₹ करोडों में)

ऋण एक्सपोजर	ऋण व अग्रिम **	गैर-निधि आधारित	निवेश *	कुल
एक्सपोजर	98271.37	7568.84	34080.24	139920.45
सीआरएम (वित्तीय संपार्श्विक)	7495.21	167.50	0.00	7662.71
निवल ऋण जोखिम	90776.16	7401.34	34080.24	132257.74

(₹ करोडों में)

गारंटी की स्थिति	ऋण व अग्रिम **	गैर-निधि आधारित	निवेश * #	कुल
एक्सपोजर	98271.37	7568.84	34080.24	139920.45
केंद्र/राज्य सरकार	7539.02	0.00	26385.60	33924.62
ईसीजीसी/बैंक/ सीजीटीएसआई	2839.93	0.00	0.00	2839.93
कुल गारंटी	10378.95	0.00	26385.60	36764.55
निवल एक्सपोजर	87892.42	7568.84	7694.64	103155.90

\# इसमें केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी बांड/प्रपत्र तथा/या केंद्र सरकार द्वारा गारंटी शामिल है.

मानकीकृत पद्धति (निधि व गैरनिधि आधारित) के अधीन ऋण जोखिम संविभाग के लिए, कुल पात्र वित्तीय संपार्श्विक का परिकलन मार्जिन, जहां कहीं लागू हो, के बाद किया जाता है.

तालिका डीएफ – 6
प्रतिभूतिकरण
मानकीकृत प्रक्रिया हेतु प्रकटीकरण

बैंक ने 31.03.2015 को समाप्त अर्ध–वर्ष के दौरान बैंकिंग बही या ट्रेडिंग बही में किसी भी आस्ति का प्रतिभूतिकरण नहीं किया है.

तालिका डीएफ – 7
व्यापार बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क) मानकीकृत पद्धति द्वारा प्रावरित संविभाग सहित बाजार जोखिम के लिए सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता	बाजार जोखिम ब्याज दर, ईक्विटी मूल्य, विदेशी मुद्रा, पण्य मूल्य में बाजार चलन की वजह से संभावित जोखिम है. बेसल–II में बाजार जोखिम के लिए दो पद्धतियों का प्रस्ताव है यथा **मानकीकृत अवधि प्रक्रिया तथा आंतरिक मॉडल प्रक्रिया.** संप्रति बैंक ने '**मानकीकृत अवधि प्रक्रिया**' लागू किया है तथा आंतरिक मॉडल प्रक्रिया लागू करने जा रहा है. मानकीकृत अवधि प्रक्रिया में निम्न विशेष ाताएं हैं. 1. मानकीकृत प्रक्रिया के अधीन पूंजी अपेक्षा का परिकलन ब्याज दर जोखिम, ईक्विटी मूल्य जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम तथा पण्य जोखिम के आधार पर किया जाता है. 2. सामान्य बाजार जोखिम का परिकलन संशोधित अवधि तथा आय में परिवर्तन के आधार पर किया जाता है. 3. विशेष जोखिम का परिकलन बाह्य जोखिम दर निर्धारण, प्रपत्र की अवधि आदि के आधार पर किया जाता है.
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	पूंजी प्रभार के परिकलन के उद्देश्य के लिए बैंक ने 'मानकीकृत अवधि पद्धति' को अपनाया है जो निम्न प्रकार है: **31.03.2015 को बेसल – II के अधीन बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार का मूल्य** (₹ करोडों में)

(ख) निम्न के लिए पूंजी अपेक्षा

- ब्याज दर जोखिम
- ईक्विटी स्थिति जोखिम
- विदेशी विनिमय जोखिम

	जोखिम श्रेणी	**पूंजी प्रभार**
(क)	**एचएफटी के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार**	
	ब्याज दर (क +ख)	22.80
	क. सामान्य बाजार जोखिम	22.80
	(i) निवल स्थिति (समानांतर विचलन)	22.80
	(ii) सम स्तरीय अस्वीकृति (कर्वेचर)	0.00
	(iii) ऊर्ध्वस्थ अस्वीकृति (बेसिस)	0.00
	ख. विशिष्ट जोखिम	0.00
(ख)	**एएफएस के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए बाज़ार जोखिम हेतु पूंजी प्रभार**	
	ब्याज दर (क +ख)	433.82
	क. सामान्य बाजार जोखिम	309.21
	(i) निवल स्थिति (समानांतर विचलन)	309.21
	(ii) सम स्तरीय अस्वीकृति (कर्वेचर)	0.00
	(iii) ऊर्ध्वस्थ अस्वीकृति (बेसिस)	0.00
	ख. विशिष्ट जोखिम	124.61
(ग)	**एएफएस के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए वैकल्पिक कुल पूंजी प्रभार**	**152.97**
	I. ब्याज दर संबंधी लिखात {क+(ख या ग जो भी अधिक हो)}	**456.62**
	II. ईक्विटी (क+ख)	**38.62**
	क. सामान्य बाज़ार जोखिम	17.16
	ख. विशिष्ट जोखिम	21.46
	III. विदेशी विनिमय एवं स्वर्ण	**1.35**
	IV. बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार (I+II+III)	**496.59**
	कुल जोखिम भारित आस्तियां	**5517.61**

यथा 31.03.2015 को बेसल–III के अधीन बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार का कुल

(₹ करोडों में)

	जोखिम श्रेणी	पूंजी प्रभार
(क)	**एचएफटी के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार**	
	ब्याज दर (क +ख)	22.80
	क. सामान्य बाजार जोखिम	22.80
	(i) निवल स्थिति (समानांतर विचलन)	22.80
	(ii) सम स्तरीय अस्वीकृति (कर्वेचर)	0.00
	(iii) ऊर्ध्वस्थ अस्वीकृति (बेसिस)	0.00
	ख. विशिष्ट जोखिम	0.00
(ख)	**एएफएस के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार**	
	ब्याज दर (क +ख)	436.18
	क. सामान्य बाजार जोखिम	309.21
	(i) निवल स्थिति (समानांतर विचलन)	309.21
	(ii) सम स्तरीय अस्वीकृति (कर्वेचर)	0.00
	(iii) ऊर्ध्वस्थ अस्वीकृति (बेसिस)	0.00
	ख. विशिष्ट जोखिम	126.97
(ग)	**एएफएस के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए वैकल्पिक कुल पूंजी प्रभार**	**156.20**
	I. ब्याज दर संबंधी लिखत {क+(ख या ग जो भी अधिक हो)}	**458.98**
	II. ईक्विटी (क+ख)	**38.62**
	क. सामान्य बाज़ार जोखिम	17.16
	ख. विशिष्ट जोखिम	21.46
	III. विदेशी विनिमय एवं स्वर्ण	1.35
	IV. बाजार जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार (I+II+III)	**498.95**
	कुल जोखिम भारित आस्तियां	**5543.89**
	प्रतिधारित प्रतिभूतियों के लिए समायोजन (पूंजी से बट्टे खाते डालना) ₹ 7.09 करोड / 9%	78.81
	समायोजन के बाद कुल जोखिम भारित आस्तियां	**5465.08**

तालिका डीएफ – 8

परिचालन – जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बेसल II से संबंधित भारिबैं के अंतिम मार्गनिर्देशों में दर्शाया गयानुसार 'मूल सूचक पद्धति' के अनुरूप परिचालन – जोखिम के लिए बैंक पूंजी प्रभार परिकलन अपना रहा है. बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति की स्थापना की है जो सभी प्रकार के परिचालनात्मक जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी एवं नियंत्रण करेगी. साथ में यह समिति परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन (ओआरएम), लॉस डाटा, जोखिम व नियंत्रण स्व–मूल्यांकन (आरसीएसए), प्रमुख जोखिम सूचक (केआरआई), परिदृश्य विश्लेषण (एसए), कारोबार स्थिति प्रस्तुतीकरण (बीएलएम) नीति, कारोबार निरंतरता नीति (बीसीजी), कारोबार निरंतरता व आपदा से उभरने की योजना, आउटसोर्सड गतिविधियां, नया उत्पाद व गतिविधियों की समीक्षा, के कई से मानदंड और धन आदि संबंधी विस्तृत नीतिगत मार्गनिर्देशों के अनुपालन से इस प्रकार के जोखिमों के न्यूनीकरण के उपाय करेगी.

आगे बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम का प्रबंधन, नियंत्रण एवं न्यूनीकरण हेतु निम्न उपाय किया है :

- अनुदेश पुस्तिका/मैनुअल आवधिक अंतरालों पर अद्यतन करने के अलावा नियमित/वार्षिक स्तर पर समीक्षा के बाद विविध नीतियों का संशोधन किया जाता है.
- त्रैमासिक आधार पर परिचालनात्मक जोखिम हानि(धोखाधडी सहित व रहित डाटा) की सूचना परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति को दी जाती है.
- आईटी सुरक्षा नीति बैंक में बनाई गई है तथा विविध आईटी सुरक्षा समाधान जैसे डाटा केन्द्र एवं शाखाओं को एण्टी वैरस, फायर वाल, एनक्रिप्शन तकनीकी, इनट्रूशन डिटेक्शन प्रणाली, रौटर आधारित सुरक्षा नीति, नेटवर्क सुरक्षा नीति का अनुपालन किया. अप्लिकेशन एक्सेस नियंत्रण संबंधी नीति, पासवर्ड सुरक्षा, पासवर्ड का दुरुपयोग संबंधी मार्गनिर्देश आदि का कार्यान्वयन कोर बैंकिंग क्षेत्र में किया है. बैंक अपने नेटवर्क, डाटा केन्द्र, डिसासटर रिकवरी साइट, कारोबार सुविधा ईकाइयों के लिए सूचना सुरक्षा व नेटवर्क लेखापरीक्षा का आयोजन कर रहा है. बैंक महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाईल बैंकिंग, कोर बैंकिंग सोल्यूशन के लिए भेद्यता मूल्यांकन तथा भेदन परीक्षण कर रहा है ताकि कोई कमी हो तो उसे ठीक करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाएं. बैंक, तीसरी पार्टी के साफ्टवेयर अप्लिकेशन की आईएस लेखा परीक्षा कर रहा है ताकि गोपनीयता, समाकलन तथा इस के सभी आईटी स्रोतों की उपलब्धता में लगातार सुधार ला सकें.
- सिस्टम खराब होने की संभाव्यता को रोकने के लिए, जिसके कारण कारोबार में रुकावट हो सकती है, बैंक ने विविध स्तरों पर आपदा से उभरने एवं कारोबार की निरंतरता तंत्र एवं उपायों को कार्यान्वयन किया है. विशेषतया संवेदनशील अप्लिकेशन जैसे कोर बैंकिंग प्रणाली, नेटवर्क सुविधा, आईटीएमएस, आईआरएमएस, हेचआरएमएस के लिए.
- वर्ष 2008-09 में संशोधित आरबीआइए फार्मेट पर आधारित जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) सभी शाखाओं में कार्यान्वित किया गया है.
- बैंक ने 15 परिचालनात्मक क्षेत्रों जैसे खुदरा बैंकिंग, शाखा परिचालन, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम परिचालन, फारेक्स, करेन्सी चेस्ट, लॉकर, विप्रेषण, सूचना प्रौद्योगिकी, डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड परिचालन, खजाना परिचालन, लेनदेन तथा बिक्री (एएफएस/एचएफटी), वित्तीय समावेशन, भुगतान तथा समझौता और वाणिज्यिक बैंकिंग के अधीन अपनी कारोबार ईकाईयों को आरसीएसए प्रक्रिया के अधीन डाला है.
- भा.रि.बैं. द्वारा बैंक को मानकीकृत दृष्टिकोण(टीएसए) के अधीन परिचालनात्मक जोखिम पूँजी को आकलित करने अनुमति दी हैं. (पैरलल रन मार्च 2015 से प्रभावी).

परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

परिचालनात्मक जोखिम पर पूंजी प्रभार का परिकलन

पिछले 3 वर्षों के लिए सकल आय का औसतन

(₹ करोडों में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014
1	निवल लाभ	580.99	585.61	415.91
	जोडें			
2	प्रावधान एवं आकस्मिताएँ	649.07	536.42	687.82
3	परिचालन व्यय	1201.36	1362.97	1689.55
4	**उप-कुल**			
	घटाएँ			
5	एचटीएम संवर्ग में प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ/हानि	16.29	60.72	13.64
6	बीमा क्रियाकलाप तथा बैंक के पक्ष में बीमा दावों से प्राप्त आय	3.08	3.89	5.14

(₹ करोडों में)

	विवरण	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014
7	आय व व्यय की असाधारण/अनियमित मद	0.00	0.00	0.00
8	वर्ष के दौरान प्रावधान एवं बट्टे खाते में डाली गई राशि का प्रत्यावर्तन	0.00	0.00	0.00
9	चल व अचल संपत्ति मदों के निपटान से प्राप्त आय	0.29	-0.13	-0.21
10	बैंक के पक्ष में कानूनी समझौतों से प्राप्त आय	0.00	0.00	0.00
11	**उपकुल**	19.66	64.48	18.57
12	**सकल आय (क्रम सं.1 – क्रम सं.11)**	**2411.76**	**2420.52**	**2774.71**

3 वर्षों की सकल आय का औसतन	=	₹ 2535.66 **करोड**
परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार	=	**सकल आय का औसतन * आल्फा (15%)**
	=	₹ 380.35 **करोड**
समान जोखिम भारित आस्तियाँ	=	₹ 4226.11 **करोड**

तालिका डीएफ–9

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

साधारण गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता में आईआरआरबीबी की प्रकृति एवं मुख्य पूर्व धारणा, ऋण के पूर्व भुगतानों के संबंध में एवं अपरिपक्व जमा का व्यवहार तथा आईआरआरबीबी के बारंबार मापन.

ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

बैंक द्वारा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में कारोबार उद्देश्य, मुद्रा बाजार एवं ऋण पूंजी बाजार जिस में बैंक के परिचालन होते हैं को समझना तथा इन मानदण्डों के संदर्भ में बाजार जोखिम के लिए अपनी तैयारी को पहचानना व निर्धारित करना शामिल हैं.

तुलन पत्र में होनेवाले ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने के लिए बैंक दो प्रक्रियाओं/दृष्टिकोणों को अपनाता है.

1) पहला दृष्टिकोण पारंपरिक गैप विश्लेषण परिणामों के आधार पर तुलन पत्र पर आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम). इस में ब्याज दर पर बैंक के नज़रिए पर आधारित होकर आस्ति एवं देयताओं का समतुलन/पुन:समतुलन सावधानी पूर्वक करना भी शामिल है ताकि जोखिम भरे ब्याज आय को दूर कर सकें. उचित प्रकार की (प्रकार एवं परिपक्वता) आस्तियों एवं देयताओं की धारणा करते हुए जोखिम को न्यूनतम कर सकने के अभ्यास के ज़रिए कथित लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं तथा बैंक के कुछ लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं (जैसे लक्ष्य आय की प्राप्ति के साथ साथ जोखिम को कम करना)

2) बचाव व्यवस्था के जरिए तुलन पत्र से बाहर आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) करना दूसरा दृष्टिकोण है. बचाव व्यवस्था से तुलन पत्र के बाहर की स्थिति बनती है. ओटीसी व्युत्पन्नी उत्पाद जिसका प्रयोग बैंक द्वारा अपने व्यापार संविभाग की बचाव व्यवस्था के लिए किया जाता है एवं कुछ देयताएँ ब्याज दर के स्वैप होते हैं (आईआरएस).

तुलन पत्र प्रबंधन समूह बैठकों में विचार विमर्श के अलावा बाजार जोखिम प्रबंधन/आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एमआरएमसी/आल्को) अपनी मासिक बैठकों में आस्ति देयता प्रबंधन पद्धतियों पर विचार-विमर्श करती हैं.

बैंक द्वारा प्रयुक्त विश्लेषण

बैंक नियमित रूप से निवेश सूची की अवधि एवं आशोधित अवधि का विश्लेषण करता है तथा ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए अपनी निवेश सूची को पुन: संतुलन करता है. आल्को/एमआरएमसी द्वारा पाक्षिक अंतरालों पर तथा मंडल द्वारा मासिक अंतरालों पर कथित निवेश सूची के प्रबंधन की समीक्षा की जाती है.

वर्ष 1999 के आस्ति देयता प्रबंधन संबंधी मार्गनिर्देशों के अनुसार ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर विवरणी (आईआरएस) पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है. संवेदनशील आस्तियों की प्रतिशतता विविध दर-वार संवेदन अंतरों की मासिक अंतरालों पर मंडल द्वारा निर्धारित छूट-सीमाओं के प्रति एमआरएमसी/आल्को द्वारा निगरानी रखी जाती है.

छूट सीमा के उल्लंघन पर संबंधित परिचालनीय तुलन पत्र की मदों के परिपक्वता प्रोफाइल की पुनर्संरचना के अनुदेश के साथ या बगैर एमआरएमसी/आल्को कथित उल्लंघन का अनुसमर्थन करता है. ब्याज दर एवं बाज़ार की स्थिति के मद्दे नज़र समानुपातिक है. ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी तैयार करते समय निम्न पर किये गये व्यावहारिक विश्लेषण के परिणामों को ध्यान में रखा गया :

(i) बचत जमा के अस्थिर एवं कोर भाग

(ii) सीसी/ओडी खातों की पुन: मूल्यनिर्धारण विशेषता

(iii) निवेश सूची में अंत:स्थापन के विकल्प

जोखिम पर आय (ईएआर) :

3 महीने, 6 महीने तथा 1 वर्ष के समतल तक ब्याज दर संवेदनशील आस्ति देयता अंतरों की आय रेखा पर समांतर एवं असमांतर विचलन के कारण आय जोखिम की गणना की जाती है. यह विश्लेषण पाक्षिक आधार पर किया जाता है एवं एमआरएमसी/आल्को की मासिक बैठकों में और बाद में मंडल की मासिक बैठक में प्रस्तुत किया जाता है.

1 वर्ष तक गैप प्रोफाइल तथा बैंक की ब्याज दर के आधार पर, तुलन पत्र में या बाह्य बचाव सहित रणनीतियों के अनुसार आनेवाले जोखिम पर आय पर पाक्षिक आधारपर निगरानी रखी जाती है.

मात्रात्मक प्रकटीकरण

ऊर्ध्वमुखी एवं अधोमुखी दर के परिवर्तन के लिए आय एवं आर्थिक मूल्य (या प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपयुक्त मापन) में वृद्धि (अवनति) आईआरआरबीबी को मापने के लिए प्रबंधन द्वारा अपनाई गई पद्धति, मुद्रा के कारण छिन्न भिन्न हुआ (जहाँ कुल पण्यावर्त के 5% से अधिक पण्यावर्त है)

जोखिम पर आय (ईएआर) :

100 आधार बिन्दु के लिए, ब्याज दर में पूर्व निर्धारित वृद्धि, एनआईआई पर 1 वर्ष अंतर के समतल के कारण प्रभाव	₹ 72.36 **करोड**

बैंक ने सहन सीमा को ₹ 172 करोड में निर्धारित किया है.

आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण

आर्थिक मूल्य यानी आर्थिक मूल्य पर 200 आधार बिन्दुओं पर ब्याज दर में परिवर्तन के कारण पूंजी निधि पर प्रभाव का मूल्यांकन, भा.रि.बैंक मार्गनिर्देशों के आधार पर संशोधित अवधि अंतर पद्धति के ज़रिए किया जाता है. विवेकपूर्ण उपाय के रूप में आस्ति व देयताओं की निवल अवधि अंतर के लिए एक सीमा निर्धारित की गई तथा भा.रि.बैंक से प्राप्त मार्गनिर्देशों के आधार पर नियमित अंतरालों पर इस की निगरानी की जाती है.

तालिका डीएफ – 10

काउंटर पार्टी ऋण जोखिम से संबंधित निवेशों के लिए सामान्य प्रकटन

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क) व्युत्पन्न तथा सीसीआर से संबंधित सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकताओं में निम्नलिखित शामिल है : • आर्थिक पूंजी के समनुदेशन के लिए प्रयुक्त पद्धति तथा काउंटर पार्टी ऋण जोखिम के लिए ऋण सीमाएं संबंधी चर्चा • संपार्श्विक प्राप्त करने तथा ऋण की आरक्षितियां स्थापित करने के लिए नीतियों संबंधी चर्चा • गलत तरीके के ऋणों के जोखिमों के संबंध में नीतियों पर चर्चा • ऋण के दर्जा निर्धारण कम हो जाने से बैंक द्वारा प्रावधान की जानेवाली संपार्श्विक राशि से पडनेवाले नुकसान के संबंध में चर्चा	बैंकिंग काउंटर पार्टियों के लिए काउंटर पार्टी ऋण जोखिम सीमाएं आंतरिक मॉडल पर आंकी जाती है जिसमें निम्नलिखित पैरामीटर पर विचार किया जाता है जो काउंटर पार्टियों का ऋण दर्जा निर्धारण तथा उनका निवल मूल्य, बैंक का निवल मूल्य तथा कारोबार की आवश्यकताएं. अन्य सभी मामलों में, काउंटर पार्टी ऋण जोखिम सीमा को बैंक द्वारा ऋण नीति व अनुदेश पुस्तिका में दी गयी नीति के अनुसार ऋण आकलन प्रक्रिया अपनायी जाती है. प्रत्येक ऋण के लिए सीसीआर की सीमाएं राशि तथा समय के आधार पर निर्धारित की जाती है. सीसीआर ऋण के लिए पूंजी मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर आकलित किया जाता है. संप्रति बैंक के कोई ऋण व्युत्पन्न जोखिम नहीं है.
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
(ख) संविदा के सकल सकारात्मक उचित मूल्य नेट्टिंग के लाभ, नेट चालू ऋण जोखिम, धारित संपार्श्विक (प्रकार को शामिल करते हुए जैसे नकद, सरकारी प्रतिभूतियां, आदि) तथा निवल व्युत्पन्न ऋण निवेश. सीईएम के अधीन चूक पर जोखिम या जोखिम राशि के लिए रिपोर्ट उपाय. ऋण व्युत्पन्न प्रतिरक्षा के काल्पनिक मूल्य तथा ऋण जोखिम के प्रकारों में चालू ऋण जोखिम का संवितरण. (ग) सीसीआर को जोखिम सृजित करनेवाले ऋण व्युत्पन्न लेनदेन (काल्पनिक मूल्य), जिसे संगठन के अपने ऋण संविभाग तथा उसकी तत्काल गतिविधियों के लिए पृथक किया गया है जिसमें प्रयुक्त ऋण व्युत्पन्न उत्पाद के संवितरण शामिल है और इसे प्रत्येक उत्पाद समूह के अंतर्गत प्रतिरक्षा द्वारा विखंडित कर खारीदा व बेचा गया है.	बैंक द्विपक्षीय नेट्टिंग की पहचान नहीं करता है. व्युत्पन्न जोखिम मौजूदा जोखिम प्रणाली के आधार पर परिकलित किया जाता है तथा यथा 31.03.2015 को बकाया शेष नीचे प्रस्तुत है : (राशि ₹ करोडों में) **विवरण** | **काल्पनिक राशि** | **चालू निवेश** विदेशी विनिमय संविदाएं (अंतर बैंक) | 1472.83 | 42.65

तालिका डीएफ – 11 : पूंजी की संरचना
बेसल III – सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट

(₹ मिलियन में)

नियामक समायोजन के परिवर्तन के दौरान प्रयोग किए जानेवाले बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट (अर्थात 1 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017 तक)			पूर्व बेसल III के निरूपण के अधीन राशियां	संदर्भ सं. पूंजी की संरचना
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत तथा आरक्षितियां				
1	सीधे जारी किए गए अर्हक सामान्य शेयर पूंजी प्लस संबंधित स्टाक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	25385.18		क=ख+ग
2	प्रतिधारित आय	11021.88		घ
3	संचित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य आरक्षितियां)	22825.32		ङ=च+छ+झ+ट+ठ
4	सीधे निर्गमित पूंजी बशर्ते कि सीईटी1 से चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाता है (केवल गैर-संयुक्त स्टाक कंपनियों पर लागू)	–		
	1 जनवरी, 2018 तक ग्रैंडफादर्ड सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी अंतक्षेप	–		
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए सामान्य शेयर पूंजी तथा तीसरी पार्टियों द्वारा धारित (सीईटी 1 समूह में राशि अनुमत है)	–		
6	नियामक समायोजन के पहले सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	59232.38		
	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : नियामक समायोजनाएं			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	–		
8	सद्भाव (संबंधित कर देयता का निवल)	–		
9	बंधक सहायक अधिकारों के अलावा अन्य अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	–		
10	आस्थगित कर संपत्ति	–		
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षिति	–		
12	प्रत्याशित हानि के लिए प्रावधानों की कमी	–		
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ	–		
14	उचित मूल्य के देनदारियों पर खुद के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ एवं हानि	–		
15	निर्धारित-लाभ पेंशन निधि निवल संपत्तियां	0.00		=(भ+म)*60%
16	खुद के शेयरों में निवेश (यदि पहले ही, रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र के प्रदत्त पूंजी का निवल नहीं किया गया तो)	–		
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारण	35.15		
18	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं के पूंजी में, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, पात्र शार्ट पोजिशन के निवल में निवेश, जहां, बैंक, जारी शेयर पूंजी के 10% से अधिक का मालिक नहीं है (10% सीमा से ऊपर की राशि)	–		
19	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं, जो नियामक समेकन के दायरे से बाहर है, पात्र शार्ट पोजिशन के निवल के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश (10% सीमा से ऊपर की राशि)	–		
20	बंधक सेवा अधिकार (10% सीमा से ऊपर की राशि)	–		

नियामक समायोजन के परिवर्तन के दौरान प्रयोग किए जानेवाले बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट (अर्थात 1 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017 तक)			पूर्व बेसल III के निरूपण के अधीन राशियां	संदर्भ सं. पूंजी की संरचना
21	अस्थायी अंतरों से सृजित आस्थगित कर संपत्ति (10% सीमा से ऊपर की राशि, संबंधित कर देयता का निवल)	-		
22	15% सीमा से अधिक की राशि	-		
23	जिनमें से : वित्तीय संस्थाओं के सामान्य शेयरों में महत्वपूर्ण निवेश	-		
24	जिनमें से : बंधक सहायक अधिकार	-		
25	जिनमें से : अस्थायी अंतरों से सृजित आस्थगित कर संपत्तियां	-		
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ)	-		
26क	जिनमें से : असमेकित बीमा सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	-		
26ख	जिसमें से : असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	-		
26ग	जिसमें से : बहुसंख्या की स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाएं जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गयी हैं, उनकी ईक्विटी पूंजी में कमी.	-		
26घ	जिसमें से : अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	-		
	पूर्व बेसल III प्रतिपादन के अधीन राशियों के संबंध में सामान्य ईक्विटी टियर 1 को लागू विनियामक समायोजन	-		
	जिसमें से : (समायोजन का प्रकार सम्मिलित करें) उदाहरणार्थ : एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर अप्राप्त हानियों में से शोधित (भारतीय परिस्थिति में गैर-संबंध)	-		
	जिसमें से : (समायोजन का प्रकार सम्मिलित करें)	-		
	जिसमें से : (समायोजन का प्रकार सम्मिलित करें)	-		
27	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 तथा टियर 2 के कारण सामान्य ईक्विटी टियर 1 को लागू विनियामक समायोजन	0.00		=(भ+म)*40%
28	**सामान्य ईक्विटी टियर 1 के कुल विनियामक समायोजन**	35.15		
29	**सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)**	59197.23		
	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : लिखत			
30	प्रत्यक्ष रूप से जारी अर्हक अतिरिक्त टियर 1 लिखत + संबंधित शेयर अधिशेष (31+32)	5000.00		क1
31	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के अधीन ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी गैर-संचयी अधिमान्य शेयर)	-		
32	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के अधीन देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी ऋण लिखत)	5000.00		क1
33	अतिरिक्त टियर 1 से चरणबद्ध तरीके के तहत प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी लिखत	-		
34	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा तीसरी पार्टियों द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (तथा पंक्ति 5 में शामिल नहीं किए गए) सीईटी 1 प्रपत्र (समूह एटी1 में अनुमत राशि)	-		
35	जिसमें से : चरणबद्ध तरीके से समाप्ति के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी लिखत	-		
36	**विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	5000.00		

नियामक समायोजन के परिवर्तन के दौरान प्रयोग किए जानेवाले बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट (अर्थात 1 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017 तक)			पूर्व बेसल III के निरूपण के अधीन राशियां	संदर्भ सं. पूंजी की संरचना
	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
37	निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	–		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारण	51.05		
39	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के पूंजी में तथा पात्र शार्ट पोजिशन के निवल, में निवेश, जहां बैंक संस्था से जारी सामान्य शेयर पूंजी के 10% से अधिक का मालिक नहीं है (10% सीमा से अधिक की राशि)	–		
40	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं में महत्वपूर्ण निवेश, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है (पात्र शार्ट पोजिशन के निवल)	–		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41क+41ख)	–		
41क	असमेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	–		
41ख	बहुसंख्या की स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाएं, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गयी है, उनकी अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी	–		
	पूर्व बेसल III प्रतिपादन के अधीन राशियों के संबंध में अतिरिक्त टियर 1 को लागू विनियामक समायोजन	–		
	जिसमें से : (समायोजन का प्रकार सम्मिलित करें उदाहरणार्थ : डीटीए)	–		
	जिसमें से : (समायोजन का प्रकार सम्मिलित करें उदाहरणार्थ : मौजूदा समायोजन जो टियर 1 से 50% में काटे जा रहे हैं)	–		
	जिसमें से : (समायोजन का प्रकार सम्मिलित करें)	–		
42	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 को लागू विनियामक समायोजन	–		
43	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	**51.05**		
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)**	**4948.95**		
44क	**पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना में ली गयी अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	**4948.95**		
45	टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44क)	**64146.18**		
	टियर 2 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान			
46	प्रत्यक्ष रूप से जारी अर्हक टियर 2 लिखत + संबंधित स्टाक अधिशेष	12500.00		क2+क3+क4
47	अतिरिक्त टियर 2 से चरणबद्ध तरीके से समाप्ति के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी लिखत	15000.00		ड=ढ+ण+त+थ+द+ध+न
48	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा तीसरी पार्टियों द्वारा धारित टियर 2 की लिखतें (तथा पंक्ति 5 या 34 में शामिल न किए गए सीईटी 1 तथा एटी1 लिखत)(समूह टियर 2 में अनुमत राशि)	–		
49	जिसमें से : सहायक कंपनियों द्वारा चरणबद्ध तरीके से समाप्ति के अधीन जारी लिखत	–		
50	प्रावधान	5878.01		प=फ*.45+ब
51	विनियामक समायोजन के पूर्व टियर 2 पूंजी	33378.01		
	टियर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन			

नियामक समायोजन के परिवर्तन के दौरान प्रयोग किए जानेवाले बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट (अर्थात 1 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017 तक)			पूर्व बेसल III के निरूपण के अधीन राशियां	संदर्भ सं. पूंजी की संरचना
52	खुद के टियर 2 लिखतों में निवेश	–		
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारण	272.76		
54	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं के पूंजी में, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, पात्र शार्ट पोजिशन के निवल में निवेश, जहां, बैंक, संस्था से जारी सामान्य शेयर पूंजी के 10% से अधिक का मालिक नहीं है (10% सीमा से ऊपर की राशि)	–		
55	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं में महत्वपूर्ण निवेश, जो नियामक समेकन के दायरे से बाहर है, (पात्र शार्ट पोजिशन के निवल)	–		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56क+56ख)	–		
56क	जिनमें से : असमेकित सहायक कंपनियों की टियर 2 पूंजी में निवेश	–		
56ख	जिसमें से : बहुसंख्या की स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाएं जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गयी हैं, उनकी टियर 2 पूंजी में कमी.	–		
	पूर्व बेसल III प्रतिपादन के अधीन राशियों के संबंध में टियर 2 को लागू विनियामक समायोजन			
	जिसमें से : (समायोजन का प्रकार सम्मिलित करें उदाहरणार्थ मौजूदा समायोजन, जो टियर 2 से 50% में काटे जा रहे हैं)	8300		
	जिसमें से : (समायोजन का प्रकार सम्मिलित करें)	–		
57	**टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	**8572.76**		
58	**टियर 2 पूंजी (टी2)**	**24805.25**		
58क	**पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना में ली गयी टियर 2 पूंजी**	**24805.25**		
58ख	**टियर 2 पूंजी के रूप में गणना की गयी अतिरिक्त अत्यधिक टियर 1 पूंजी**	0		
58ग	**पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58क + 58ख)**	24805.25		
59	**कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58ग)**	88951.43		
	पूर्व बेसल III प्रतिपादन के अधीन राशियों के संबंध में जोखिम भारित आस्तियां			
	जिसमें से : (समायोजन का प्रकार सम्मिलित करें)	–		
	जिसमें से :	–		
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60क + 60ख + 60ग)**	**778375.6**		
60क	जिसमें से : कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	681463.7		
60ख	जिसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	54650.8		
60ग	जिसमें से : कुल परिचालनात्मक जोखिम भारित आस्तियां	42261.10		
	पूंजी अनुपात			
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित संपत्तियों की प्रतिशतता के रूप में)	7.60%		
62	टियर 1 (जोखिम भारित संपत्तियों की प्रतिशतता के रूप में)	8.24%		
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित संपत्तियों की प्रतिशतता के रूप में)	11.43%		

नियामक समायोजन के परिवर्तन के दौरान प्रयोग किए जानेवाले बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट (अर्थात 1 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017 तक)			पूर्व बेसल III के निरूपण के अधीन राशियां	संदर्भ सं. पूंजी की संरचना
64	संस्था विशिष्ट बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 की आवश्यकता + पूंजी संरक्षण तथा प्रति चक्रीय आवश्यकताएं, जोखिम भारित आस्तियों के रूप में व्यक्त की गयी)	5.50%		
65	जिसमें से : पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	0.00%		
66	जिसमें से : बैंक विशिष्ट प्रति चक्रीय बफर आवश्यकता	0.00%		
67	जिसमें से : जी-एसआईबी बफर आवश्यकता	0.00%		
68	बफर को पूरे करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित संपत्तियों की प्रतिशतता के रूप में)	2.10%		
	राष्ट्रीय मिनिमा (यदि बेसल III से अलग है तो)			
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	5.50%		
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	7.00%		
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	9.00%		
	कटौती के लिए सीमा से कम की राशियां (जोखिम भारित से पहले)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में नगण्य निवेश	-		
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टाक में उल्लेखनीय निवेश	-		
74	बंधक सहायक अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	-		
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर संपत्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	-		
टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने पर लागू उच्चतम सीमा				
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा को लागू करने के पूर्व)	5878.01		प
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने के लिए उच्चतम सीमा	8518.30		
78	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा को लागू करने से पूर्व)	लागू नहीं		
79	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने के लिए उच्चतम सीमा	लागू नहीं		
चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखत (केवल 31 मार्च, 2017 से 31 मार्च 2022 तक पात्र)				
80	चरणबद्धव्यवस्था के अधीन समाप्ति के शर्त पर सीईटी1 पर मौजूदा उच्चतर सीमा	लागू नहीं		
81	उच्चतर सीमा के कारण सीईटी1 में शामिल नहीं की गयी राशि (मोचन तथा परिपक्वताओं के बाद उच्चतर सीमा से अधिक)	लागू नहीं		
82	चरणबद्ध व्यवस्थाओं के अधीन समाप्ति की शर्त पर एटी1 लिखतों पर मौजूदा उच्चतर सीमा	लागू नहीं		
83	उच्चतर सीमा के कारण एटी1 में शामिल नहीं की गयी राशि (मोचन तथा परिपक्वताओं के बाद उच्चतर सीमा से अतिरिक्त राशि)	लागू नहीं		
84	चरणबद्ध व्यवस्थाओं के अधीन टी2 लिखतों पर मौजूदा उच्चतर सीमा	लागू नहीं		
85	उच्चतर सीमा के कारण टी2 में शामिल नहीं की गयी राशि (मोचन तथा परिपक्वताओं के बाद उच्चतर सीमा से अतिरिक्त राशि)	लागू नहीं		

तालिका डीएफ – 12 : पूंजी की संरचना – समाधान हेतु आवश्यकताएँ

(₹ मिलियन में)

देयताएं	यथा 31.03.2015 को समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	संदर्भ सं.
पूंजी		
ईक्विटी शेयर पूंजी	8591.19	ख
आरक्षितियां और अधिशेष	14475.72	
I सांविधिक आरक्षिति	3584.36	च
II पूंजी आरक्षिति	16793.98	छ
III शेयर प्रीमियम	2365.17	ग
IV पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	127.96	फ
V सामान्य आरक्षिति		ञ
VI राजस्व और अन्य आक्षितियां		
क विनिधान घट–बढ आरक्षिति	0.00	
ख विनिमय घट–बढ आरक्षिति	0.00	
ग आस्थगिम कर आरक्षिति	0.00	
घ अधिनियम 36(1)(viii) के अनुसार विशेष आरक्षण	4637.27	ट
ङ लाभ व हानि लेखा	11021.88	घ
कुल पूंजी, आरक्षितियां और अधिशेष	**61597.54**	
कुल जमा	**1263433.51**	
उधार		
(i) भा.रि.बैं. से	0.00	
(ii) अन्य बैंकों से	0.00	
(iii) अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	2299.00	
रेपो खाता	37982.94	
(vii) टियर II बांड	**27500.00**	
90 महीने बांड 2010 – 7.50%	0.00	ढ
123 महीने बांड 2015 – 7.15%	2500.00	ण
120 महीने बांड 2016 – 9.25%	2500.00	त
180 महीने बांड 2022 – 10.10%	3000.00	थ
123 महीने बांड 2017 – 9.50%	2000.00	द
124 महीने बांड 2018 – 9.35%	2000.00	ध
180 महीने बांड 2023 – 9.45%	3000.00	न
120 महीने बांड 2023 – 9.73%	2500.00	क2
120 महीने बांड 2024 – 9.15%	5000.00	क3
120 महीने बांड 2025 – 9.54%	5000.00	क4
(viii) अतिरिक्त टियर I बांड	5000.00	क1
कुल उधार	**72781.94**	

(₹ मिलियन में)

देयताएं	यथा 31.03.2015 को समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	संदर्भ सं.
अन्य देयताएं और प्रावधान		
i देय बिल	4736.79	
ii प्रोद्भूत ब्याज	2891.65	
iii वीआरएस बांड	0.00	
iv मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	4651.55	ब
v यूएफसीई के लिए प्रावधान	162.13	
vi अन्य (प्रावधान सहित)	15436.12	
कुल अन्य देयताएं	27878.24	
देयताओं का सकल कुल	1425691.23	
आस्तियां	**यथा 31.03.2015 को समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र**	**संदर्भ सं.**
भा.रि.बैं. में कुल नकद व बैंक शेष	65342.95	
बैंकों में कुल शेष और प्रतिदेय राशि	8175.37	
कुल विनिधान	445220.99	
कुल निवल अग्रिम	866958.63	
कुल अचल आस्तियां	5666.45	
अन्य आस्तियां		
i अंतर कार्यालय समायोजन (नामे)	-508.89	
ii प्रोद्भूत ब्याज	10040.31	
iii अग्रिम रूप से प्रदत्त कर	17507.08	
iv आस्थगित कर आस्तियां	-230.79	
v लेखनसामग्री और स्टैम्प	15.99	
vi गैर बैंकिंग आस्तियां	0.76	
vii ग्रेच्युटी परिशोधन	0.00	भ
पेंशन परिशोधन	0.00	म
viii अन्य	7502.40	
कुल अन्य आस्तियां (अनुसूची 11)	34326.84	
आस्तियों का सकल कुल	1425691.23	

तालिका डीएफ – 13 : विनियामक पूंजी लिखत की प्रमुख विशिष्टताएं

क्रम सं.	विवरण	ईक्विटि शेयर	एटी–1 बांड बेसल III	अप्पर टियर II 1	अप्पर टियर II 2	लोअर टियर II एस4	लोअर टियर II एस5	लोअर टियर II एस6	लोअर टियर II एस7	टियर II एस8 बेसल III	टियर II एस9 बेसल III	टियर II एस10 बेसल III
1	जारीकर्ता	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक
2	विशेष पहचानकर्ता	आईएनई 705ए01016	आईएनई 705ए08045 आईएनई 705ए08060	आईएनई 705ए09076	आईएनई 705ए09100	आईएनई 705ए09050	आईएनई 705ए09068	आईएनई 705ए09084	आईएनई 705ए09092	आईएनई 705ए08029	आईएनई 705ए08037	आईएनई 705ए08052
3	लिखतों पर नियमन करनेवाली विधि	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं
विनियामक उपचार												
4	संक्रमणकालीन बेसल III नियम	सामान्य ईक्विटी टियर 1	अतिरिक्त टियर 1	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	संक्रमणकालीनोत्तर बेसल III नियम	सामान्य ईक्विटी टियर 1	अतिरिक्त टियर 1	अनर्ह	अनर्ह	अनर्ह	अनर्ह	अनर्ह	अनर्ह	टियर 2	टियर 2	टियर 2
6	एकल/समूह में अर्हता	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल
7	लिखत का प्रकार	सामान्य शेयर	अतिरिक्त टियर 1 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में पहचानित राशि (यथा 31.03.2014 को ₹ करोडों में)	859.12	100 400	210	210	0	50	120	80	250	500	500
9	लिखत का सम मूल्य (₹ करोडों में)	लागू नहीं	100 400	300	300	250	250	200	200	250	500	500
10	लेखाकरण वर्गीकरण	शेयरधारकों की ईक्विटी	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता
11	जारी करने का मूल दिनांक	विभिन्न	02–02–2015 27–03–2015	20/03/2007	17/03/2008	15/03/2005	01/08/2006	31/07/2007	31/12/2007	23/12/2013	30–10–2014	18–02–2015
12	बेमियादी अथवा दिनांकित	बेमियादी	बेमियादी	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता दिनांक	कोई परिपक्वता नहीं	बेमियादी	20/03/2022	17/03/2023	15/06/2015	01/08/2016	31/10/2017	30/04/2018	23/12/2023	30–10–2024	18–02–2025
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता की मांग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
15	वैकल्पिक मांग दिनांक, अनुषंगी मांग दिनांक तथा मोचन राशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग दिनांक, यदि लागू हो तो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्रम सं.	विवरण	ईक्विटि शेयर	एटी–1 बांड बेसल III	अप्पर टियर II 1	अप्पर टियर II 2	लोअर टियर II एस4	लोअर टियर II एस5	लोअर टियर II एस6	लोअर टियर II एस7	टियर II एस8 बेसल III	टियर II एस9 बेसल III	टियर II एस10 बेसल III
	कूपन/लाभांश											
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन	लागू नहीं	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर तथा कोई संबंधित सूचकांक	लागू नहीं	9.54% 10.40%	10.10%	9.45%	7.15%	9.25%	9.50%	9.35%	9.73%	9.15%	8.62%
19	लाभांश रोककर्ता की मौजूदगी	लागू नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
20	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	मोचन के लिए स्टेप–अप अथवा अन्य कोई प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
22	असंचयी अथवा संचयी	असंचयी	संचयी	संचयी	संचयी	संचयी	संचयी	संचयी	संचयी	संचयी	संचयी	संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	लागू नहीं	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन के उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्ण अथवा आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनयोग्य प्रकार निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन किए जानेवाले लिखत के जारीकर्ता को निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशिष्टता	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां
31	यदि अवलेखन हो तो, अवलेखन के उत्पेरक	लागू नहीं	**हानि आमेलन विशिष्टताएं (अवलिखित तथा बढाना)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	** हानि आमेलन विशिष्टताएं (अवलेखन तथा बढाना)	** हानि आमेलन विशिष्टताएं (अवलेखन तथा बढाना)	** हानि आमेलन विशिष्टताएं (अवलेखन तथा बढाना)
32	यदि अवलेखन हो तो, पूर्णत: अथवा आंशिक	लागू नहीं	पूर्ण अथवा आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पूर्ण अथवा आंशिक	पूर्ण अथवा आंशिक	पूर्ण अथवा आंशिक

क्रम सं.	विवरण	ईक्विटि शेयर	एटी–1 बांड बेसल III	अप्पर टियर II 1	अप्पर टियर II 2	लोअर टियर II एस4	लोअर टियर II एस5	लोअर टियर II एस6	लोअर टियर II एस7	टियर II एस8 बेसल III	टियर II एस9 बेसल III	टियर II एस10 बेसल III
33	यदि अवलेखन हो तो, स्थायी अथवा अस्थाई	लागू नहीं	अस्थायी व स्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	अस्थायी व स्थायी	अस्थायी व स्थायी	अस्थायी व स्थायी
34	यदि अवलेखन हो तो, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	**हानि आमेलन विशिष्टताएं (अवलिखित तथा बढाना)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	** हानि आमेलन विशिष्टताएं (अवलेखन तथा बढाना)	** हानि आमेलन विशिष्टताएं (अवलेखन तथा बढाना)	** हानि आमेलन विशिष्टताएं (अवलेखन तथा बढाना)
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के उच्च आसन्न लिखत प्रकार निर्दिष्ट करें)	बेमियादी ऋण लिखत	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता
36	गैर–अनुपालन संक्रमण–कालीन विशिष्टताएं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हां तो, गैर–अनुपालन विशिष्टताएं निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	हानि आमेलन विशिष्टताएं नहीं है	हानि आमेलन विशिष्टताएं नहीं है	हानि आमेलन विशिष्टताएं नहीं है	हानि आमेलन विशिष्टताएं नहीं है	हानि आमेलन विशिष्टताएं नहीं है	हानि आमेलन विशिष्टताएं नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

तालिका डीएफ – 14 :

**** हानि आमेलन विशिष्टताएं**

बांड की अस्थायी अवलेखन/स्थायी अपलेखन विशिष्टताएं होंगी. जो भी विकल्प का प्रयोग किया जाता है, यह निर्गम के सभी बांड्धारक द्वारा किया जाएगा. अस्थायी अवलेखन किए गए बांड को तत्पश्चात बढाया जा सकता है बशर्ते कि :

(i) पूर्व निर्धारित ट्रिग्गर भंग होने के बाद बैंक द्वारा अपने सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के पहले भुगतान करने के कम से कम एक वर्ऱ्ष के बाद किया जाना है ;

(ii) एक वर्ष में बढाई गई सकल राशि, वर्ष के दौरान घोऋित लाभांश की प्रतिशत तक सीमित किया जाए, प्रतिशत अवलेखित बांड द्वारा सृजित ईक्विटी की कुल ईक्विटी का अनुपात जिससे में अवलेखित बांड द्वारा सृजित ईक्विटी को घटाया जाए ;

(iii) एक वर्ष में बढाई गई सकल राशि, भी प्रत्येक वर्ऱ्ष में सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के रूप में प्रदत्त राशि के 25% से अधिक न हो ;

(iv) बैंक टीयर 2 बांड के लिए लागू सामान्य नियमों के अनुसार वितरणयोग्य अधिशेष से बढाई गई राशि पर कूपन, जब कभी देय हो, भुगतान कर सकते हैं. तथापि, वर्ष में बढाई गई राशि और कूपन के रूप में प्रदत्त राशि, दोनों को पूंजी संरक्षण बफर ढांचे के अधीन परिकल्पित अनुसार संवितरित किये जा रहे अर्जन पर प्रतिबंध के अनुपालन हेतु संवितरित राशि के रूप में माना जाएगा ;

(v) यदि अस्थायी अवलेखन के बाद बैंक का समामेलन किया जाता है या दूसरे बैंक द्वारा अर्जित किया जाता है और समामेलन/अर्जन पर ईक्विटी धारकों को सकारात्मक क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है तो, अस्थायी रूप से अवलेखित बांड के धारक को भी उचित क्षतिपूर्ति दी जाएगी ;

(vi) यदि पहले आंशिक अवलेखन के बाद बैंक पूर्व–निर्धारित ट्रिग्गर स्तर हिट करता है तो एक बार से अधिक अवलेखन अनुमत किया जा सकता है. और, एक बार बढाए गए बांड को फिर से अवलेखित किया जा सकता है ;

(vii) बांड के अवलेखन के पहले यदि बैंक परिसमापन में चला जाता है तो, ये बांड वरिष्ठता के क्रम और प्रभार की प्राथमिकता को शासित सामान्य विधिक प्रावधानों के अनुसार हानियों का आमेलन करेंगे ;

(viii) बांड के अस्थायी अवलेखन के बाद यदि बैंक परिसमापन में चला जाता है परंतु अभी बढाना बाकि है तो, बांड के धारकों को अवलेखन की राशि के अनुपात में ईक्विटी धारक की सममात्रा पर परिसमापन की प्राप्तियों पर दावा होगा ;

(ix) बांड के स्थायी अवलेखन के बाद यदि बैंक परिसमापन में चला जाता है तो, बांड के धारकों को परिसमापन की प्राप्तियों पर कोई दावा नहीं होगा ;

(x) यदि बांड के अवलेखन के पहले बैंक किसी अन्य बैंक के साथ समामेलित हो जाता है तो, बांड विलयन के बाद जो नया बैंक उभरता है उसके नियामक पूंजी के तत्संबंधी वर्गों का भाग बन जाएगा ;

(xi) यदि बांड के अस्थायी अवलेखन के बाद बैंक किसी अन्य बैंक के साथ समामेलित हो जाता है तो,समामेलित इकाई अपने विवेकानुसार बांड की राशि को बढा सकती है ;

(xii) यदि गैर-ईक्विटी विनियामक पूंजी लिखतों के स्थायी अपलेखन के बाद बैंक किसी और बैंक के साथ समामेलित होता है तो, इसे समामेलित इकाई द्वारा बढाया नहीं जा सकता ;

(xiii) यदि संबंधित प्राधिकारी बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 धारा 45 के अधीन बैंक को पुनर्गठित या किसी अन्य बैंक के साथ समामेलित करने का निर्णय लेता है तो ऐसे बैंक को गैर-व्यवहार्य या गैर-व्यवहार्यता के नजदीक माना जाएगा और पूर्व-निर्धारित ट्रिगर और बांड के परिवर्तन/अवलेखन हेतु गैर-व्यवहार्यता की बिंदु पर ट्रिगर, दोनों को सक्रिय किया जाएगा. तदनुसार, लागू नियमों के अनुसार समामेलन/पुनर्गठन के पहले बांड का अपलेखन किया जाएगा ;

(xiv) जब संस्था घाटे में चल रही है तो बांड को उस क्रम में अवलेखन किया जाएगा जिसमें हानि का आमेलन किया जाएगा. ये बांड वरिष्ठता के क्रम और प्रभार की प्राथमिकता को शासित सामान्य विधिक प्रावधानों के अनुसार हानियों का आमेलन करेंगे ;

(xv) बांड की निम्न में से एक या अधिक विशिष्टताएं होंगी ;

क. जहां सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी निवेश न हो, वहां अस्थायी/स्थायी अपलेखन ; और

ख. जहां सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी निवेश हो, वहां स्थायी अपलेखन.

(xvi) अपलेखन किए जाने वाले बांड की राशि भारतीय रिझर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाएगी ;

(xvii) जब बैंक पीओएनवी ट्रिगर भंग करता है और ईक्विटी को अवलेखन/अपलेखन के जरिए पुन:पूर्ति की जाती है, ऐसी पुन:पूर्ति की गई ईक्विटी की राशि को, पूंजी संरक्षण बफर को बनाए रखने के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार अर्जन का जो अनुपात लाभांश के रूप में भुगतान करना है, इसे निर्धारित करने के लिए बैंक की कुल ईक्विटी में शामिल नहीं किया जाए. तथापि, बैंक द्वारा पुन:पूरित ईक्विटी पूंजी को शामिल किए बिना 8% की कुल सामान्य ईक्विटी अनुपात हासिल करने पर, उस समय से बैंक सभी प्रयोजन के लिए पुन:पूरित ईक्विटी पूंजी को शामिल कर सकते हैं ;

(xviii) जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित किया जाता है कि बैंक अव्यवहार्यता की ओर जा रहा है या अव्यवहार्यता तक पहुंच गया है, तब बांड के अस्थायी/स्थायी अवलेखन/अपलेखन संबंधी ढांचे को लागू किया जाएगा,परंतु भा.रि.बैं के दृष्टिकोण में ;

क. यह संभावना है कि पूंजी समर्थन के रूप में समय पर हस्तक्षेप से, अन्य समर्थन के साथ या के बिना, बैंक को बचाया जा सक्ता है ; और

ख. यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो, कमजोरियां बैंक को वितीय हानि पहुंचायेगी और, इस प्रकार, इसके सामान्य ईक्विटी स्तर में गिरावट पहुंचायेगी ;

(xix) बांड का अपलेखन का उद्देश्य बैंक के पूंजी स्तर को समर्थन देना होगा. बैंक की अव्यवहार्यता निर्धारित करने हेतु भा.रि.बैं द्वारा दो चरण का दृष्टिकोण अपनाया जाएगा. पहले चरण का मूल्यांकन केवल वस्तुनिष्ठ और परिमाण निर्धारण योग्य मापदंड होंगे जो यह सूचित करेगा कि प्रथमदृष्ट्या बैंक अव्यवहार्यता की ओर जा रहा है और,अत:, बैंक की वित्तीय परिस्थिति को सूक्ष्मता से जांच की जानी है. दूसरे चरण के मूल्यांकन में अनुपूरक व्यक्तिनिष्ठ मानदंड शामिल होंगे जो पहले चरण की सूचना के संयोजन से, यह निर्णय करने में सहायक होगा कि क्या बैंक अव्यवहार्य होने जा रहा है. इन मानदंडों को एक साथ मूल्यांकित किया जाना है न कि अलग-अलग से ;

(xx) पीओएनवी के पुष्टीकरण के बाद, अगले चरण में यह निर्णय लेना होगा कि क्या बैंक का बचाव केवल अपलेखन के जरिए होगा या अपलेखन के साथ सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निधियों के निवेश के संयोजन से होगा ;

(xxi) पीओएनवी पर ट्रिगर को समेकित और एक्ल, दोनों स्तर पर मूल्यांकित किया जाएगा और दोनों में से एक स्तर पर भी भंग होने से अवलेखन ट्रिगर होगा.

(xxii) क्योंकि पूंजी पर्याप्तता एक्ल और समेकित,दोनों स्तर पर लागू है, समुद्रपारीय सहायक कंपनियों सहित बैंक की सहायक कंपनियों द्वारा जारी पूंजी लिखतों से संबंधित अल्पसंख्यक हितों को बैंकिंग समूह की समेकित पूंजी में तभी शामिल किया जाएगा यदि इन लिखतों का पीओएनवी पर पूर्व-निर्धारित ट्रिगर / हानि आमेलन विशिष्टताएं होगी. इसके अलावा, यदि बैंक समेकित समूह पूंजी में उनकी सहायक कंपनियों द्वारा जारी लिखतों को शामिल करना चाहता है, उस लिखत के निबंधन और शर्तों में अतिरिक्त ट्रिगर ईवेंट को निर्धारित करना होगा.

PERFORMANCE HIGHLIGHTS: 2014-15

Business Growth

- Total business of the Bank reached all time high level of ₹ 214035 crore.
- Deposits increased from ₹ 124296 crore as on 31st March, 2014 to ₹ 126343 crore as on 31st March, 2015.
- CASA has increased from ₹ 22860 crore as of 31.03.2014 to ₹ 25721 crore as of 31.03.15, up by 12.52%. The percentage of CASA to total deposits also improved to 20.35% from 18.39%.
- Advances increased to ₹ 87692 crore as on 31st March 2015 from ₹ 82425 crore as on 31st March, 2014, up by 6.39%.
- Total Retail advances increased to ₹ 18735 crore as of 31.03.2015 from ₹ 15617 crore as of 31.03.2014 up by 19.97%. Retail advances accounts for 21.36% of total advances.
- Credit Deposit ratio has improved from 66.31% as of 31.03.2014 to 69.41% as of 31.03.2015.

Income and Profitability

- Total Interest income of the Bank grew by 14.64% to ₹ 12274 crore during the year from ₹ 10707 crore compared to last financial year.
- Non-interest income of the Bank for the year ended March, 2015 increased by 23.80% i.e., from ₹ 710 crore for the year ended March, 2014 to ₹ 879 crore.
- Total income of the Bank for the year 2014-15 increased to ₹ 13153 crore against ₹ 11417 crore for the year 2013-14, up by 15.20%.
- Operating profit for the year ended March'15 increased by 14.07% to ₹ 1259.03 crore and Net Profit increased by 5.65% to ₹ 439.41 crore.

Asset Quality

- Bank's Gross NPA ratio as on 31.03.2015 is 2.78%.
- Net NPA ratio of the Bank as on as on 31.03.2015 is 1.92%.
- Provision coverage ratio of the Bank is at 64.01% as on 31.03.2015.

Priority Sector Operations

- Priority Sector portfolio increased by 18.79% ie, from ₹ 25855 crore as of 31.03.2014 to ₹ 30714 crore as of 31.03.2015.
- Direct agriculture advances increased by 18.05% to ₹ 7546 crore as of 31.03.15.
- Advances to Weaker Section increased by 20.39% and Advances to Women beneficiaries increased by 26.93%.

Financial Inclusion

- The Bank has covered the 3320 allotted villages and 432 wards through 289 Branches and 827 Bank Mitras (BCAs).
- As the part of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Bank opened 12.19 lakh new Basic SB accounts and mobilised ₹ 63.63 crore deposits and all the account holders have been issued Rupay Cards.

InfoTech Progress

- The bank introduced several of IT based products and enhanced existing facilities to the customers through various new products / facilities like V – Quick Pay, V – Gyan Sagar, V – Abacus, USSD - NUUP, V- Online SB etc.
- Bank has issued 15.40 lakh Debit cards during the year and total debit cards base increased to 4459155.
- The Debit Card turnover grew to Rs 577.42 crore during 2014-2015 as against Rs 464.96 crore as on March 31, 2014.
- The Credit Card turn over grew to Rs 514.57 crore as against the turnover of Rs 458.18 crore as on 31.03.2014.
- The bank has launched Platinum Debit Card in association with Rupay & VISA.

Capital Adequacy

- Capital to risk weighted assets ratio is at 11.43% (Basel III) with Tier I ratio at 8.28% and Tier II ratio at 3.18%.
- CRAR of the bank is above the minimum stipulated level of 9%.
- During the year 2014-15, the Bank raised Basel III compliant Tier II capital of ₹ 1000 crore and perpetual Additional Tier I capital of ₹ 500 crore.

PERFORMANCE AT A GLANCE

(₹ in crore)

KEY PARAMETERS	2012-13	2013-14	2014-15
No: of Branches	1359	1512	**1618**
Reserves & Surplus	3863	5029	**5301**
Gross Profit	1122	1104	**1259**
Net Profit	586	416	**439**
Total Deposits	97017	124296	**126343**
% growth	16.81	28.12	**1.65**
CASA Deposits	20349	22860	**25721**
% to Total Deposit	20.54	18.39	**20.35**
Gross Credit	70514	82425	**87692**
% growth	20.19	16.89	**6.39**
Total Business	167531	206721	**214035**
% growth	18.21	23.40	**3.47**
Gross NPA	1533	1986	**2443**
(%)	2.17	2.41	**2.78**
Net NPA	910	1262	**1691**
(%)	1.30	1.55	**1.92**
Investments	31285	42585	**44698**
Advances to Priority Sector	19505	25855	**30714**
% to ANBC	33.23	35.55	**35.97**
Total Staff	12601	12822	**13617**
Business per Employee	13.87	16.74	**16.56**
KEY RATIO (%)			
Cost of Deposit	8.07	7.98	**8.10**
Yield on Advances	11.54	11.26	**11.34**
Net Interest Margin	2.13	2.02	**1.93**
Return on Assets	0.59	0.35	**0.33**
Capital Adequacy Ratio % (Basel II)	11.32	10.97	**11.70**
Capital Adequacy Ratio % (Basel III)	NA	10.56	**11.43**

MESSAGE FROM THE MANAGING DIRECTOR & CEO TO SHAREHOLDERS

It is my pleasure to share with you a review the key developments Indian economy and banking sector which shaped our Bank's operating environment and to review the performance of our Bank for the financial year 2014-15.

2014-15 was a year of fragile recovery for the global economy. After a marked downturn over the past few years, global economic conditions improved with uncertainties and divergent trends in major economies.

India's economic conditions during FY 2014-15 have been influenced by the cumulative impact of global uncertainties, past monetary policy tightening and weak investment demand. Basic economic indicators, such as, Index of Industrial Production (IIP), Exports and Imports growth, Gross Fixed Capital Formation etc. showed a moderate growth. However, the overall economic situation started recovering during the second half of the financial year with lowering inflation, improving economy fundamentals and higher business confidence. Inflation showed a structural downward shift with Consumer Price Inflation estimated at 5.25% March 2015 compared to 8.25% for March 2014. Headline inflation has trended down to negative zone and stood at -2.30% in March 2015.

Banks in India are expected to play a vital role in the economic revival and to promote growth and development across the broad spectrum of economic activities. However, Indian banking sector had to face number of challenges during FY 2014-15 as a result of subdued economic activity. The Reserve Bank of India's sharp focus on inflation has resulted in a high interest rate regime. This has impacted the credit and deposit growth of Scheduled Commercial Banks, showing moderate growth for most of the financial year.

Aggregate deposits of Scheduled Commercial Banks grew by 11.4% y-o-y in 2014-15 and bank credit grew by 9.5%. The credit-deposit (CD) ratio of SCBs stood at 76.46% as at end March 2015. Slowdown in loan growth weighted on the Net Interest Margins (NIMs) of the banks.

The deteriorating quality of assets of the banking sector as a result of the continued economic slowdown has emerged as a major concern with gross non performing assets of banks registering a sharp increase. The large number of defaults and high level of NPAs affected the profitability of Banks.

For Vijaya Bank, the main challenges in FY 2014-15 were to stay competitive in a challenging business environment and to capitalize on its strengths to grow faster and stronger. Over the course of the year, the Bank focused on its strengths, continuing to develop products and services and expanding delivery channels to meet the customer's needs and maintain our reputation as a premier nationalized bank in India. Vijaya Bank's performance in FY 2014-15 was broadly in line with these expectations.

Against this background, I would like to place before you the highlights of the Bank's performance during the year 2014-15.

Vijaya Bank responded to the challenging economic environment by adopting a business model based on measured growth, discipline and profitability to deliver strong operating performance and to reposition the Bank for future growth. During the year, despite challenging economic conditions, the Bank has taken several initiatives to further strengthen its business portfolio and made active efforts to strengthen the balance sheet with disciplined and prudent strategy, structure optimization, operational transformation and a cautious approach to risk.

Continued buoyancy in core business operations and efficient management of costs helped the Bank to sustain and enhance the topline earnings while maintaining a stronger bottomline. Gross profit for the year ended March 2015 increased by 14.10% to ₹ 1259 crore. Net profit for the year is ₹ 439.41 crore, after making all necessary provisions to the tune of ₹ 819.62 crore.

The Bank's strategic objective of rebalancing the business portfolio and its conscious decision to shed high cost preferential rate deposits and low yielding advances had a moderating impact on its business portfolio. Accordingly, total business of the Bank grew by 3.54% to reach ₹ 214035 crore as at March 2015.

Total deposits of the Bank stood at ₹126343 crore, as at 31st March, 2015. Retail term deposits grew by a robust 27.56% to reach Rs. 39433 crore. The proportion of Bulk deposits with preferential interest rate and CDs in total deposits brought down to 14.14% in March 2015. In response to the continued focus on augmenting CASA (current and savings bank deposits), the Bank's CASA deposits grew by 12.52% in FY 2014-15 to reach ₹ 25721 crore. The share of CASA deposits in total deposits moved up by 196 basis points to 20.35% in March 2015.

The Bank's credit portfolio increased to ₹ 87692 crore with a y-o-y growth of 6.39% with the credit-deposit ratio at 69.41%. The Bank's diversified credit portfolio includes all productive segments of the economy like agriculture, industry, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), exposure to corporate and infrastructure segments, tiny sector and retail credit.

On the Priority Sector front, total Priority Sector Advances have increased by 18.79%, from ₹ 25855 crore as at March 2014 to ₹ 30714 crore as at March 2015. The Priority Sector advances constituted 35.97% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC). Total Agricultural Advances of the Bank has increased by 14% to ₹ 11974 crore from ₹ 10527 crore last year. Education loan portfolio grew by 18.82% to reach ₹ 903 crore. Loans to weaker sections increased by 20.39% to ₹ 8685 crore and loans to women beneficiaries registered a growth of 26.93% to reach ₹ 6438 crore.

With Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) emerging as the potential growth drivers of the Indian economy, our Bank's MSME portfolio recorded a growth of 15.62% to reach ₹ 15165 crore. The Bank took several measures during the year to strengthen the retail banking proposition and outstanding advances under retail lending portfolio increased by 19.96% to reach ₹ 18735 crore, accounting for 21.36% of the gross credit.

The Bank's asset quality continues to be one of the best in the industry. To address the growing asset quality concerns, the Bank has laid emphasis on diligent monitoring of the health of credit portfolio and recovery of the non-performing assets portfolio. The Bank ensured a better and efficient NPA management by checking the inflow to NPA segment and recovery of non-performing assets. The gross NPA level of the Bank stood at ₹ 2443 crore at a ratio of 2.78% as at March 2015. The net NPA level was ₹ 1691crore and the net NPA ratio was at 1.92%. The Provision Coverage Ratio stood at 64.01% as at March 2015.

Keeping customer convenience at the forefront and in tune with the Bank's strategic focus, delivery channels have been further expanded to strengthen the Bank's position. The Bank added 109 branches in FY 2014-15, taking the total branch network to 1618 branches. As at 31st March 2015, the Bank had 1383 ATMs.

In line with the country's inclusive growth framework, the Bank has been actively pursuing the agenda of Financial Inclusion. The Bank's initiatives in this direction aim at financial empowerment and reaching banking services to the rural masses. Vijaya Bank has stood up-to the mandate of our Prime minister's call, by opening more than 12.19 Lakh accounts with the balance of ₹ 63.63 crore in the accounts under the Pradhan Mantri jan Dhan Yojana, within couple of months of its dedication to the country.

The Bank has developed prudent risk management architecture to ensure sustainable and consistent growth and to attain global best practices for effective implementation of risk management initiatives consistent with the Basle frameworks and RBI guidelines. The Bank's technology initiatives and innovations have been quite significant and rewarding and playing a dominant role in driving down costs, building efficiency and working as an enabler in achieving business growth and excellence in customer service.

Moving forward, the Bank will continue to invest in sustainable business and build on a strong foundation in order to accelerate growth across key business verticals. The Bank adopted a new Strategic Plan 'Mission 2020', which will provide necessary inputs and directions in building a sound business model based on profitability, operational efficiency, asset quality, risk management and expanding the reach.

For the financial year 2015-16, we have envisaged a business goal of ₹ 2,50,000 crore comprising ₹ 1,45,000 crore deposits and ₹ 1,05,000 crore advances. We propose to further increase the network by adding 250 branches and by substantially increasing the number of ATMs. We will continue the retail centric focus in our business mix so as to ensure a profitable growth trajectory. On the asset quality front, our corporate goal is to progressively bring down gross non-performing assets, amount-wise and percentage-wise.

The Bank will benefit from the positive corporate business confidence and from the improving domestic economic environment. The Bank will continue to grow its business sustainably and the Bank has a clear growth strategy in place to capitalize on the opportunities. I will remain committed to attain our objectives for the coming year. With your continued support and patronage, I am confident that our Bank would reach greater heights during the current year.

I sincerely thank all valued shareholders for your continuous support and trust.

With Best Wishes

Yours Sincerely,

KISHORE SANSI
Managing Director & CEO

VIJAYA BANK

HEAD OFFICE, BENGALURU - 560 001

NOTICE

The Notice of the 15th Annual General Meeting including the e-voting procedure is being sent to the Shareholders separately.

DIRECTOR'S REPORT 2014-15

The Board of Directors have pleasure in presenting the 35th Annual Report of the Bank along with the audited Balance Sheet as March 31, 2015 and the Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2015.

Management Discussion and Analysis:

Economic Scenario

For global economy, 2014-15 was an year of moderate recovery with diverging trends across the regions and economies. Relative to last year, the outlook for advanced economies improved during 2014-15, while growth in emerging market and developing economies showed deterioration. According to International Monetary Fund (IMF), global economy witnessed a moderate growth of 3.4% in 2014, as compared with the same growth rate in 2013. While advanced economies grew by 1.8% in 2014 compared to 1.4% in 2013, emerging economies grew by 4.6% in 2014 compared to 5.0% in 2013. Global inflation remained lower levels during the year, in tune with the lower international gold and oil prices. Monetary policies across several advanced and emerging economies were in an easing cycle in order to provide a fillip to economic growth.

During 2014-15, Indian economy exhibited mixed trends and India's GDP growth showed moderate growth during the first three quarters. However, GDP growth got a lift as the Central Statistical Organization (CSO) improved the way it measures economic output. According to the new methodology, GDP growth is expected to be 7.4% in 2014-15 compared with 6.9% in 2013-14.

Inflation measured by wholesale price and retail price traversed the envisaged path set by the Reserve Bank of India during the year. Headline inflation measured in terms of the Wholesale Price Index trended down to negative zone, slipping to all time low of -2.33% for March 2015. Retail inflation has also moderated significantly to 5.25% in March 2015 compared to 8.25% in March 2014.

India's foreign trade showed subdued performance in 2015-16 as a result of the adverse impact of uncertainties in the global markets. As per the provisional data released by the Department of Commerce, Government of India, during April-March 2014-15, merchandise exports of India stood at US $310.5 billion and merchandise imports stood at US$ 447.5 billlion. Lower growth in exports (-1.2%) and imports (-0.6%) resulted in modest increase in trade deficit by US$ 1.2 billion to US$ 137 billion.

Capital formation has showed decelerating trend with a slowdown in investment by both the private sector and government and the gross fixed capital formation (GFCF) rate at current prices has come down to 28.6% in 2014-15.

The financial markets in India responded to the overall developments witnessed in the global and domestic front. Money supply (M3), which was 13.6% at the beginning of the financial year 2014-15 moderated during the course of the year to 11.1% by end-March 2015 as a result of slowdown in economic activity and lower credit demand.

Resource mobilization through the primary market exhibited mixed trends during 2014-15 with equity and debt issues declining and private placements of corporate bonds increasing. However, in the secondary market, the benchmark indices, BSE Sensex and Nifty showed a general upward trend during the financial year.

Net capital/financial flows both in terms of quantum and quality improved considerably during 2014-15. India's foreign exchange reserves increased to US$ 341.4 billion at end March 2015.

The 10 year Government bond yield has been moving downwards during 2014-15 as a combined effect of positive market sentiments, lower inflation levels, corrections in commodity prices and positive developments on the fiscal commitments by the government.

Rupee has exhibited considerable resilience to global events in 2014-15 and the Rupee-US dollar exchange rate has broadly remained stable during the year due to the huge inflow of FDI and FII in the equity and bond markets. However, on point-to-point basis the rupee has depreciated by 4.3% from ₹ 59.9 per US dollar at end March 2014 to ₹ 62.50 per US dollar on 31 March 2015.

Gross Fiscal Deficit during 2014-15 is estimated at 4.1% of GDP compared to 4.5% during 2013-14.

Banking Scenario

Indian banking sector witnessed several challenges during 2014-15 and the growth of the Indian banking sector moderated further during the year. The banking sector has witnessed deceleration in credit and deposit growth. Aggregate deposits of Scheduled Commercial Banks registered 11.4% y-o-y growth in 2014-15 compared to 15% recorded last year. Non-food credit for Scheduled Commercial Banks (SCBs) registered a y-o-y growth of 9.5% in 2014-15 compared to 14% recorded last year. Slowdown in credit growth has been broad-based barring agriculture and allied activities.

Liquidity conditions have remained broadly balanced during 2014-15, except transient tight conditions. Slower paced growth in credit in comparison to deposit mobilization and lowering of government cash surplus and the narrowing gap between credit and deposit growth helped to ease liquidity conditions.

Monetary policy actions during 2014-15 were mainly sought to balance growth inflation dynamics. The Reserve Bank of India (RBI) adopted the Consumer Price Index as the measure of the nominal anchor for policy communication. The RBI and the government agreed upon a new monetary policy framework wherein the RBI adopted a flexible inflation targeting mechanism. Throughout the year financial year 2014-15, RBI maintained a sharp focus on the Consumer Price Inflation and kept policy rates unchanged till January 2015. With the easing of inflationary conditions, the RBI has signalled easing of monetary policy stance by reducing policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF). The RBI also reduced the statutory liquidity ratio (SLR) by 50 basis points from 22.0% of net demand and time liabilities (NDTL) to 21.5%. However, the transmission of changes in policy rate to deposit and lending rates of banks also remained muted in 2014-15.

Asset quality of banks showed signs of stress during the year as a combined effect of sluggish domestic growth during the last two years and continuing uncertainty in the global markets leading to lower exports. Gross non-performing advances of scheduled commercial banks as a percentage of total advances showed an increase during the year. Lower credit growth and higher provisioning on delinquent loans also affected the profitability of banks.

Outlook

Global growth prospects expected to strengthen and the year 2015 is expected to be the beginning of a sustainable recovery for the global economy. Global growth in 2015 and 2016 will be supported by stronger recovery in the advanced economies (AEs), turn around in Emerging Market Economies (EMEs) and soft energy and commodity prices. Lower international prices of crude petroleum are expected to boost global aggregate demand. The International Monetary Fund, in its latest World Economic Outlook, projected global growth at 3.5% for 2015 and 3.8% for 2016. However, downside risks to global growth remain elevated, mainly emanate from the slowdown in emerging market economies, and the uneven effects of currency and commodity price movements.

On the domestic front, macroeconomic vulnerabilities have abated significantly in the beginning of the financial year 2015-16, on the back of improvement in growth outlook, lower inflation levels and signs recovery in the external sector. India's GDP growth is expected to improve in 2015-16 in view of the expansionary monetary policy stance and improving domestic demand conditions. The expected improvement in global growth prospects and domestic policy reform initiatives also drive GDP growth.

Retail inflation is projected to remain below 6% in 2015-16, within the target set for January 2016, which will provide headroom for the RBI support growth by reducing policy rates. The broad-based decline in inflation, favourable financial market conditions, and the government's initiatives to improve the business climate including the 'Make in India' campaign to attract investment is expected to give further fillip to domestic growth.

Indian economy in 2015-16 is expected to emerge as one of the bright spot in the global landscape, and becoming one of the fastest-growing major emerging market economies in the world.

The major challenges during 2015-16 emanate from factors like inadequate support from the global economy, possible spill-overs of below normal agricultural growth, weaknesses in corporate balance sheets, volatile rupee and attracting sufficient capital inflows to the economy.

Indian Banking sector is expected to perform well in 2015-16 in view of the positive domestic outlook and favourable policy environment. The steady acceleration

in services sector, expected turnaround in industrial growth, clearance of stalled projects, plans announced by the Government in the Union Budget to step up infrastructure investment and improvements in overall business climate would result in higher credit growth during 2015-16. The asset quality of banks is also expected to improve with the positive developments in the macroeconomic conditions.

Indian Banking sector is expected to perform well in 2015-16 in view of the positive domestic outlook and favourable policy environment.

PERFORMANCE HIGHLIGHTS OF THE BANK DURING THE YEAR 2014-15

Capital, Reserves & Networth

The Authorized Capital of the Bank at present is ₹ 3000 crore divided into 300 crore shares of ₹ 10 each. At present, Government of India holds 74.06% Equity Share Capital of the Bank. The total paid up (equity share) capital of the bank is ₹ 859.12 crore.

During the Year 2014-15, Bank added ₹ 271.84 crore in to Reserves & surplus and the total Reserves and surplus is ₹ 5300.64 crore. The Networth of the bank increased from ₹ 5638.93 crore to ₹ 5923.24 crore this year.

Working Results

Net profit for the year 2014-15 is ₹ 439 crore as compared to ₹ 416 crore for 2013-14. On the deposit front, average cost of deposits increased from 7.98% in 2013-14 to 8.10% in 2014-15. Yield on advances for 2014-15 is 11.34% when compared to that of previous year 11.26%.

The trends in financial results of the Bank are highlighted in the tables below:

(₹ in crore)

Sl. No.	Item	2013-14	2014-15	Annual increase (%)
1.	Interest Income	10707	12273	14.64
2.	Interest Expenditure	8623	9981	15.74
3.	Net Interest Income (1-2)	2084	2292	10.03
4.	Non-interest income	710	879	23.80
	i. Profit on sale of investments	190	299	57.37
	ii. Other non-interest income	520	580	11.54
5.	Net Total Income (3+4)	2794	3171	13.49
6.	Operating expense	1690	1912	13.14
	i. Staff Expenses	1040	1166	12.12
	ii. Other operating expenses	650	746	14.77
7.	Operating profit	1104	1259	14.07
8.	Operating profit (excl. Treasury profit)	914	960	5.03
9.	Provisions and Contingencies	688	820	19.16
10.	Net profit	416	439	5.65

Important Profitability Ratios

Sl. No.	Item	2013-14 %	2014-15 %
1	Yield on funds	9.08	9.15
2	Cost of funds	7.31	7.44
3	Interest spread (1-2)	1.77	1.71
4	Yield on advances	11.26	11.34
5	Cost of deposits	7.98	8.10
6	Yield on investments - excluding Trading Profit - including Trading Profit	 7.22 7.75	 7.50 8.17
7	Other operating expenses to Average working funds	0.55	0.56
8	Cost-Income Ratio	60.49	60.30
9	Establishment cost to average working funds	0.88	0.87

Dividend

Taking into consideration the overall profitability, the Board of Directors has recommended a final dividend of ₹ 1.50 per share (15%), for the year 2014-15. The total amount of equity dividend including dividend tax for 2014-15 is ₹ 155.10 crore.

Deposit Mobilization

During the year, CASA deposit of the bank grew to ₹ 25721 crore, a growth of 12.52% compared to previous financial year which was ₹ 22860 crore. Out of which the Saving Bank deposit grew by 12% and Current Account deposit grew by 14%. The CASA % to total deposit also improved to 20.35% from 18.39% for the last year. The total deposit of the bank increased to ₹ 126343 crore compared to last financial year which was ₹ 124296 crore. The Certificate of Deposit stood at ₹12258 crore during the year.

Employees Productivity

Business per employee as at 31st March 2015 is ₹ 16.56 crore. Profit per employee stood at ₹ 0.03 crore as at March 2015.

Branch Network

With the opening of 109 branches during the year

2014-15, the network of branches reached the level of 1618 from 1512 during the previous fiscal and merged 3 Corporate banking Branches . There are 49 Extension Counters and 2 Satellite Offices at the end of the year 2014-15. The bank has also opened one new Regional Office at Meerut during the year 2014-15 with that total number of Regional Offices reached to 27.

Retail Credit

Retail Lending is viewed as a viable business proposition and continue to be the thrust area for credit expansion in view of its inherent advantages such as risk spread, better yield and large volume credit buildup.

The Bank has disbursed ₹ 9065 crore under Retail credit during the year & the amount outstanding as at March 2015 stood at ₹ 18735 crore, recording an Y-o-Y of 19.96 %. The Retail Credit Portfolio accounted for at 21.36 % of the Bank's Gross Credit.

The Balance outstanding under Housing loan, Education loan, Vehicle loan & Jewel Loan schemes, as on 31st March 2015, are ₹ 6526 crore, ₹ 903 crore, ₹ 2607 crore and ₹ 3820 crore respectively.

During the year, Bank launched special campaigns like 'Grand Festival Carnival' offering attractive benefits to customers like waiver of charges etc was introduced.

Bank is continuously striving to make the Retail lending products more competitive in the market by revamping the existing products.

Bank has also launched Vijaya Top Up Loan exclusively for housing loan customers.

Bank has also revamped major retail products by following the present market conditions and going on par with the competitors which will help the field staff in canvassing more business.

Bank has started Online tracking of Retail Loan applications which helps for monitoring the pending applications by the applicant and the branch as well as Regional Office / Head Office.

Credit Expansion

The gross Credit of the Bank registered a growth of 6.39 % from ₹ 82425 crore on 31.03.2014 to ₹ 87692 crore on 31.03.2015. Considering the economic down trend the Bank had been selective in the approval of big ticket credit proposals.

The Bank has put in place a perfect due diligence mechanism for screening of credit proposals and implementing the guidelines received from Department of Financial Services and Reserve Bank of India. In terms of extant guidelines from Ministry of Finance, the Bank is following committee approach for credit approvals at Regional Office and Head Office levels. The committees meet as frequently as possible to reduce turnaround time for credit decision. The Bank has continued with its strategy to recruit professionals from CA/ICWA/CS/MBA streams for ensuring good standard credit processing.

Bank's credit department is accredited with ISO/IEC 27001:2005 certification for information security management system by British Standard Institute (BSI).

In tune with market trends, Bank has come up with various new loans products and also fine tuned existing ones to suit the needs of customers.

Large & Mid Corporate

The Large Corporate segment constituted 48% share in total domestic advances as on 31.03.2015. In order to have more focused attention and to reduce turnaround time, five specialised corporate banking branches are functioning at different geographical locations. Apart from Corporate Banking Branches, three Industrial finance branches are catering to the needs of the corporate customers including financing for infra/non infra projects. In addition the Bank has SME branches spread across the country catering to the needs of mid-corporate and SME clients by offering services including cash management, forex, treasury products, trade finance, deposits, retail banking etc.

Bank's Corporate/SME/IFB Banking Division offers an array of loan products and services such as Term Loans, Demand Loans, Corporate Loan, Short-Term Loans, Working Capital Facilities (FB+NFB), Trade Finance Products, Bridge Loans, Syndicated Loans, Infrastructure Loans, Foreign Currency Loans, Loan Against Future Rent Receivables and many more to its corporate clients depending upon their needs. Over the years, Bank has made significant progress in establishing healthy business relations with several multinationals, domestic business houses and prime public sector companies.

Infrastructure Finance

During the year, the Bank has sanctioned fund based limits of ₹ 7645 crore and Non Fund Based limits of ₹ 230.93 crore under infrastructure category covering power, telecommunications, ports, roads etc. Our exposure to infrastructure sector is 28.84 % of gross advances and is well within the prescribed sectoral exposure cap.

Project Finance and Syndication Group

Project Finance and Syndication Cell Is functioning at its Head Office, Bengaluru. The functions of the Cell include preparation of Project Information Memorandum, arranging for Techno Economic Viability Study of the projects and Syndication for credit requirements of the entrepreneurs. This Syndication Cell is well equipped with good manpower including senior executives and qualified professionals.

TREASURY AND INTERNATIONAL OPERATIONS:

Investment and Fund Management

Total Investment portfolio of the Bank increased from ₹ 42,833.78 crore (SLR Investment: ₹ 33,319.60 crore & Non-SLR Investment: ₹ 9,514.18 crore) as on March 31, 2014 to ₹ 44,698.34 crore (SLR Investment: ₹ 34,933.00 crore & Non-SLR Investment: ₹ 9,765.34 crore) as on March 31, 2015.

The 10 year benchmark yield closed at 7.74 % as on March 31, 2015 against 8.81% as on March 31, 2014.

The average yield on investment (including profit on sale of investments and RIDF) during the year worked out to 8.17 % as against 7.75% in FY 2013-14.

The Bank also complied with CRR and SLR requirements as stipulated by RBI consistently during the year.

International Banking

Bank's export credit as at 31.03.2015 registered a Y-o-Y growth of 23.79% and stood at ₹ 1571.39 crore. Out of the above, quantum of export credit extended by the Bank in foreign currency was USD 42.13 million. As at March 2015, foreign exchange business turnover of the Bank stood at ₹ 21,172.17 crore, recording an annualized growth of 0.51 % over the previous financial year.

Bank has successfully implemented Electronic Data Processing and Monitoring System (EDPMS), e-BIZ projects of RBI.

Bank's total NRI deposits as at 31.03.2015 stood at ₹ 2998.96 crore, as against ₹ 2398.57 crore as at the end of previous financial year, thereby recording a growth of 25.03 %. During the financial year, the Bank has extended 'Speed/Flash Remittance' facility to UAE Exchange Centre LLC, Al Ansari Exchange UAE, Wall Street Exchange, UAE and Al Bader Exchange, UAE to enable the NRIs from Gulf Countries to electronically remit funds to their account with our branches anywhere in India. In addition to the above, the bank also has Rupee Drawing Arrangement (RDA) with Oman United Company LLC, Oman to facilitate rupee remittances to the accounts in India. The Bank has set up a NRI Customer Cell at Head Office, Bangalore exclusively for responding to the queries of our NRI customers. The Bank has also launched Vijaya NRI Digest, a fortnightly e-newsletter covering area of interest to NRIs.

Export & import credit

The Bank is active in meeting the importer and exporter client's financial requirements both in domestic and in foreign currency. Bank's 47 branches across the country are designated to handle foreign exchange business.

ASSET QUALITY

The Bank continued its focus on maintaining quality assets along with thrust on preventing fresh slippages. It initiated and continued to emphasize various measures in this direction, including the following:

- Accounts showing signs of stress / likely default in dues are identified and treated as Special Mention accounts and are closely monitored. Wherever feasible, such assets are restructured on merits, with additional need-based credit limits considered in deserving cases. Viability study is to be conducted in respect of SME accounts slipped to NPA and to be brought under nursing wherever feasible within a time frame.

- Special Recovery Cells are formed at RO's for systematic follow up of NPA accounts. Centres wherever DRT's are functioning, nodal Officers are designated, who keeps regular liaison with the presiding officer and the bank's advocate for speedy disposal of the cases.

- In case of willful defaulters, stringent recovery measures, including legal actions like Securitization and submitting the names to RBI are done.
- Services of Lok Adalats are resorted to for speedy recoveries of impaired assets.
- All 10 Lakhs and above NPA accounts are reviewed by the Top management through video conference with the Regional Heads and guiding them for the speedy recovery.
- To facilitate speedy recovery, 'Vijaya Adalats' under the Recovery Policy of the Bank are regularly conducted at various centres by involving a cluster of branches and accounts are settled on the spot. During the year, Bank could settle ₹ 109.88 crore in 5628 accounts by way of settlements till 31.03.2015.
- A special One Time Settlement Scheme for chronic tractor loan NPAs was reintroduced on 01.01.2015 and the same was in force upto 31.03.2015.
- NPA recovery campaign-2015 has been introduced for a period from 01.01.2015 to 31.03.2015 in order to reduce the NPA level.
- To speed up the recovery in small value NPAs, 16 recovery officers have been posted at identified centers with large number of NPA accounts in 8 regions (6 in Karnataka and 2 in Andhra Pradesh). Recovery officers have made recovery of ₹ 38.27 crore and Upgradation of ₹ 53.78 crore upto the month of March 2015.
- In consultation with the Branches, we have identified 769 Doable NPA accounts with balance of ₹ 10 Lakhs and above totaling ₹ 807.37 crore which can be upgraded by March 2015.These accounts are followed up by our Department with the Branches concerned on Continuous Basis. Upto the month of March 2015, ₹ 608.39 crore has been recovered/upgraded.

The gross Non-Performing Assets of the Bank as on March 2015 stood at 2.78% of total advances, while net NPA ratio was 1.92% of net advances. During the year 2014-15, Bank could effect total cash recovery of ₹ 931.42 (including interest) and upgraded NPAs amounting to ₹ 931.96 crore. Further, the Bank also made provision of ₹ 698.40 crore for the unexpected defaults, apart from having a floating provision of ₹ 71.35 crore as on March 31, 2015. The Provision Coverage Ratio (including PWO) as at March 2015 worked out to 64.01%.

RISK MANAGEMENT

Credit Risk:

Bank has put in place a Comprehensive lending Policy as well as Credit Risk Management Policy which encompass various aspects such as risk appetite, risk based pricing, risk diversification / mitigation strategy, prudential limit, substantial exposure ceiling, group exposure ceiling, Rating wise exposure ceiling, preferred sector growth strategies, credit approval process, documentation and security standards, security valuation etc these policies are revised periodically based on corporate goal and business plans of the Bank.

As per RBI Guidelines on Stress Testing, the stress tests for Credit Risk have been carried out on a half year basis which covers scenarios such as credit portfolio to stress like increase in NPAs, slippage of restructured standard accounts, downgrade in Counter-party rating, depletion in collateral, etc.

Further, Bank has put in place a comprehensive risk rating/ scoring system which serves as a single point indicator of diverse risk factors on the counterparty and to facilitate execution of proper and consistent credit decisions. Bank has evolved separate risk scoring models for Housing /other Retail lending sectors and endeavors higher coverage in risk rating exercise. Rating migration analysis in respect of credit exposures of ₹ 1.00 crore and above is conducted on half yearly basis. Since September 2009, Bank has been conducting risk rating of all retail and non retail loans by using CRISIL RAM software which is Basel II compliant. The software facilitates Bank to maintain the credit quality and also to support efforts of the Bank in translation towards advanced approach of Basel II by ensuring that prior to sanction of loans, all type of exposures is covered under risk rating process.

Asset Liability Management (ALM) and Market Risk:

ALM and Market Risk of the Bank is managed by the Asset Liability Management Committee (ALCO) and Market Risk Management Committee (MRMC) respectively. Appropriate tolerance limits have been

stipulated for mismatches in different time buckets, both for managing liquidity and interest rate risks. These are being monitored at fortnightly intervals and also appraised to the Board of Directors.

The market risk exposure is measured by tools like VaR (Value at Risk), AGL (Aggregate Gap Limit), and Duration gap analysis. Exposure limits for all countries have been put in place to manage and monitor the country risk. Mid-office reports on treasury operations are placed before the General Manager, Risk Management Dept., on a daily basis and before MRMC on a monthly basis, covering information about exceptions / reviews and compliance.

Interest Rate Risk on entire portfolio is identified and measured through Earnings at Risk (EaR). Sensitivity analysis is also conducted and reviewed by the top management. Contingency Funding Plans, Prudential Ratios / Limits have been set and actual position is monitored as part of Liquidity Risk Management. Stress Test on Interest Rate Risk, Liquidity Risk, Forex risk, etc on different scenarios are carried out on quarterly basis and appraised to Asset Liability Committee (ALCO). To monitor short term liquidity, the Bank is preparing the ALM statement of Structural Liquidity on daily basis.

The Duration Gap Analysis is implemented for assessing the possible impact on market value of equity (net worth) using 200 basis points shock on interest rate curve.

The bank has applied to RBI, seeking their approval to implement Internal Model Approach (Advanced Approach) for Market Risk.

The Funds Transfer Pricing, a new technology on transfer pricing mechanism, has been implemented for assessment of branch profitability in a scientific manner.

Operational Risk:

Bank has put in place a well defined Operational Risk Management Framework to effectively identify, measure, manage and address Operational risks. The Bank has also put in place a framework required for implementation of The Standardized Approach (TSA). The governance of Operational Risk Management is monitored by Operational Risk Management Committee (ORMC), which reviews the operational risk loss event data, new products, processes and systems adopted by the Bank and provides suggestions for taking corrective/preventive measures to strengthen the internal system and procedures. In order to mitigate Operational risks, several thematic studies have been conducted for frauds committed in loan and deposit portfolios, so as to identify systemic deficiencies from Risk Management angle. Further, in order to move towards advanced approaches, bank has put in place frameworks for Risk Control Self Assessment (RCSA) and Key Risk Indicators (KRIs). Bank has been taking steps to strengthen the RCSA and KRI by reviewing the same and improving the coverage area for management of Operational risk.

The Bank has been permitted by RBI to assess Operational risk capital under The Standardized Approach (TSA) – (Parallel run w.e.f March 2015).

Basel-II & Basel III Compliance:

As the Bank requires corporate clients' risk rating status awarded by rating agencies approved by RBI, the Bank has entered into MOU with all the six rating agencies viz CRISIL, ICRA, CARE, Brickwork, SMERA and Fitch so that borrowers can avail the rating services at a competitive fee and bank also derives benefits on lower capital charge depending on the rating status. The Bank has formulated its ICAAP policy which is revised from time to time and the ICAAP Document is submitted to RBI on half yearly basis.

In compliance to the RBI guidelines and adopting Standardised Approach for Credit Risk, Standardised Duration Gap for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk, Bank has complied with Basel II norms and the overall Capital Adequacy Ratio as at 31st March '2015 under Basel II works out to 11.70%, which is above the minimum stipulated norm of 9%. Bank has also complied with Basel III norms and the overall Capital Adequacy Ratio as at 31st March '15 works out to 11.43%, which is above the minimum stipulated norm of 9.00%.

Integrated Risk Management System (IRMS) Project:

In order to facilitate smooth and effective compliance of Basel-II norms, the Bank has taken up for implementation of Integrated Risk Management System (IRMS).

The unique IRMS Project consists of six solutions, viz. Credit Risk Management (CRM), Market Risk Management (MRM), Operational Risk Management (ORM), Credit Risk Rating Solution (CRR) (Retail & Non-Retail), Asset Liability Management (ALM) and Funds Transfer Pricing (FTP) Solution.

ISO – 27001- Certification for Risk Management Department

Chief Information Security Officer (CISO) of our Bank has been awarded Information Security Maestro 2015 awards for Information Security and BCP initiatives by Info security magazine.

Capital Adequacy

During current financial year, Bank has successfully raised Additional Tier- I Capital of Rs 500 crore and Tier- II (Basel III Compliant) Bonds of Rs 1000 crore. The capital adequacy ratio improved to 11.70% (in 31.03.2015) as compared to 10.97% (in 31.03.2014) under Basel II norms and 11.43% (in 31.03.2015) as compared to 10.56% (in 31.03.2014) under Basel III norms as on 31.03.2015 vis-à-vis the Reserve Bank of India norm of 9%. As on 31.03.2015, the Tier I capital of the Bank is ₹ 6423.25 crore under Basel II and ₹ 6414.63 crore under Basel III. The Tier II capital stood at ₹ 2687.81 crore under Basel II and ₹ 2480.53 crore under Basel III. The overall capital stood at ₹ 9111.06 crore under Basel II and ₹ 8895.16 crore under Basel III.

NATIONAL PRIORITY

Priority Sector Lending

Total Priority Sector advances of the bank stood at ₹ 30714 crore as at the end of March 2015. Priority Sector Credit of the bank constituted 35.97 % of the Adjusted Net Bank Credit.

Agricultural Finance

Direct Agricultural advances of the Bank as at March 2015 stood at ₹ 7546 crore. Total Agricultural advances stood at ₹ 11389 crore which formed 13.34 % of the Adjusted Net Bank Credit.

During the year, Bank has rolled out a special loan **"Scheme for financing farmers for construction of farm house"** on owned farm/agricultural land and a scheme for financing Farmer Producer Organizations (FPO).

Disbursements to agriculture:

Under Special Agricultural Credit Plan, Bank has disbursed ₹ 8442 crore during the year 2014-15, against the Target of ₹ 8369 crore.

Kisan credit card scheme:

In terms of the guidelines of RBI/GOI, the revised VKC scheme has provision for both production credit (Short term crop loans) and Investment Credit (Term loans). The validity of the card is 5 years and the beneficiaries are issued with ATM enabled Kisan cards.

Under Vijaya Kisan Card Scheme (VKC), during 2014-15, the bank has issued 73322 Kisan Cards amounting to ₹ 978 crore. The Outstanding level of VKCs stood at ₹ 2020 crore through 135208 accounts as at 31.03.2015. The Bank's Kisan Cards are ATM enabled under RuPay platform and out of 97358 operative VKC A/cs, 88362 farmers have been so far issued ATM enabled Kisan cards.

Financing Micro, Small & Medium Enterprises (MSME):

The advances to Micro and Small Enterprises increased to ₹ 13366 crore as at March 2015 from ₹ 10690 crore as at March 2014, signifying Y-o-Y growth of 25%.

The advances to Micro, Small and Medium Enterprises increased to ₹ 15165 crore as at March 2015 from ₹ 13115 crore as at March 2014, signifying Y-o-Y growth of 15.63%.

Online registration of MSME loan applications and tracking system is in place for speedy disposal of proposals under MSME. Further, MSME loan borrowers are also getting acknowledgement through SMS alerts as soon as they apply online.

Further online tracking system of loan applications is also introduced for monitoring and speedy Action.

Advances to Weaker Sections:

As at March 2015, the outstanding under weaker section advances of the Bank stood at ₹ 8685 crore, which constitutes 10.17 % of the ANBC against the norm of 10%. The Weaker Section advances grew by ₹ 1471 crore, registering a growth rate of 20.39 % over March 2014.

Self Help Groups (SHGs)/Joint Liability Group (JLGs) /Micro Finance Institutions (MFIs):

Bank has accorded top priority to lending to SHGs/ JLGs/MFIs. Bank has disbursed ₹ 721 crore to SHGs/ JLGs/MFIS, the outstanding level of advances to this segment stood at ₹ 1115 crore as at 31.03.2015.

Bank is financing Joint Liability Farming Groups to meet credit requirements of farmers under **"Bhoomiheen**

Kisan" scheme of Government of India and disbursed ₹ 28.35 crore to 983 such JLGs.

Bank is participating in the National Rural Livelihoods Mission (NRLM) Scheme by giving special thrust for lending to women SHGs. National Urban Livelihoods Mission (NULM) scheme has been launched by Govt. of India by replacing the existing SJSRY Scheme and Bank has been actively involved in implementing this scheme also.

The Bank received "Best Performance Award for Self Help Group/ Joint Liability group (SHG/JLG) linkage" for the year 2011-12 and 2012-13 which was presented during financial year 2014-15 by NABARD.

Credit to Women beneficiaries:

Advances to Women beneficiaries stood at ₹ 6438 crore as at March 2015 as against ₹ 5072 crore as at March 2014, registering a growth rate of 26.93 %. Against the stipulated benchmark level of 5% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC), the Bank's achievement stood at 7.54 %.

Lead Bank Scheme:

Our bank is having Lead Bank responsibility in three districts i.e. in Mandya, Dharwad and Haveri districts of Karnataka State. The Lead District Managers of all the three districts have been coordinating with all the bank branches in the concerned Districts to ensure achievement of targets under Annual Credit Plan, Government sponsored schemes, Financial Inclusion, Direct Benefit Transfer Scheme etc. In these three Districts, total credit share of our Bank through Annual Credit Plan is ₹ 725 crore against the target of ₹ 680 crore as at March 2015.

Lending under Government Sponsored Schemes:

Implementation of Government Sponsored Schemes receives the utmost attention of the Bank. The Bank's lending under various Government sponsored schemes is furnished below:

(₹ in crore)

Sl. No.	Schemes	No of beneficiaries	Loan amount outstanding as at March 2015
1.	PMEGP	7991	117
2.	NRLM	11736	257

Advances to SC / STs:

Total advances to SC / STs stood at ₹ 1367 crore as at March 2015, against ₹ 1125 crore as at March 2014, with a growth rate of 21.51%.

Credit to Minority Communities:

Advances to Minority Communities stood at ₹ 4225 crore as at March 2015, constituting13.76 % of total Priority Sector advances.

VIBSETIs (Vijaya Bank Self-Employment Training Institutes):

The Bank has established Vijaya Bank Self Employment Training Institutes [VIBSETIs] at Mandya and Haveri in Karnataka state and at Indore in Madhya Pradesh. The Institutes have been conducting various vocational training/skill upgradation / awareness programmes/ Entrepreneur Development Programmes etc. VIBSETIs at Mandya, Haveri & Indore have been graded 'AA' for the year 2013-14 by Ministry of Rural Development (MoRD).

During the current year 2014-15, VIBSETIs have conducted 88 programmes and trained 2392 beneficiaries. Since inception, totally 1343 programmes have been conducted, training imparted to 45909 beneficiaries with an overall settlement rate of 74.88%. VIBSETI, Mandya in collaboration with All India Radio, Mysore and VRDF has conducted training programme on sheep rearing (Bannur variety) for 60 members. During the Month of September 2014, our VIBSETI, Mandya had conducted a **special training programme for 60 Transgenders** to take up income generating activities.

Vijaya Rural Development Foundation (VRDF):

With a view to focus the attention of rural masses on the need to modernize agricultural practices, for up gradation of skills and knowledge in various ventures and for achieving all-round socio-economic development, Vijaya Rural Development Foundation (VRDF) was promoted by our Bank in the year 1990 at Mangalore. VRDF is conducting various activities like training /awareness programmes, covering a wide range of subjects, through the Village Development Councils (VDC). At present 33 such VDCs are functioning under VRDF. During the year, VRDF has conducted 143 programmes benefiting 10845 persons. Free health camps have also been organized for the benefit of rural poor. The Foundation has also

granted scholarships to poor meritorious students hailing from villages and studying in government schools. The Foundation has expanded its activities to other districts like Haveri, Dharwad and Mandya, where the Bank has Lead Bank Responsibility.

Visit of Parliamentary Committees:

1. Parliamentary Standing Committee on Finance visited on 19.01.2015 and discussed on "Financial Inclusion Schemes and Achievements" and "Banking Sector in India – Challenges & the Way Forward".

2. Parliamentary standing committee on Social Justice and Empowerment visited on 27.01.2015 and discussed about Priority sector lending to SC/STs, OBCs, Differently-abled persons & Minorities.

Education Loan

The Bank has provided utmost importance to education loan as it views this as an investment in human capital. During the year, the portfolio grew by ₹ 143 crore in absolute terms from a level of ₹ 760 crore as on 31.03.2014 to reach a level of ₹ 903 crore as on 31.03.2015 recording an Y-O-Y growth of 19%.

As it is a national priority, the Bank is aggressively marketing education loan. Bank also launched education loan campaign coinciding with the admission season. MoU was entered into with several reputed educational institutions/ colleges/universities for extending education loans. Bank participated in several expos and conducted camps during admission season to bring out the awareness amongst student community about the availability of education loan facility.

Financial Inclusion

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) was launched by the Hon'ble Prime Minister on 28.08.2014 with the objective of bringing all unbanked households/ families of the country into banking fold by providing them with Basic bank accounts, Rupay cards with accidental insurance coverage of ₹ 1.00 lakh, life insurance coverage of ₹ 30,000/- and overdraft facility upto ₹ 5000/- based on the satisfactory transactions in the account.

Our Bank is actively participating in PMJDY scheme. Under PMJDY, our Bank has been allotted with **1151 Sub Service Areas** comprising **3410 villages and 432 wards** on a PAN India basis to provide banking facilities. We have provided Banking Facilities to these villages through 289 branches and 827 Bank Mitras (BCAs). Bank has conducted household survey in all allotted SSAs and Wards and covered all the households with at least one bank account.

Our Bank has opened 12.19 **Lakh Basic Savings Bank Deposit** accounts under PMJDY with a total balances of ₹ 63.63 crore, and all the account holders are provided with Rupay debit cards. Aadhaar numbers have been seeded in 7.27 lakh accounts. Bank has sanctioned Overdraft facility in 21 PMJDY account holders amounting to ₹ 0.66 Lakhs.

Bank is having Lead Bank responsibility in 3 districts viz Mandya, Dharwad and Haveri in Karnataka State. All the three Lead districts of the Bank have declared the districts as Saturated by covering all the households with Bank accounts within the timeline of Govt. of India.

FINANCIAL LITERACY:

Bank has floated Jnana Jyothi Literacy & Credit Counseling Trust (JJFLCCT), jointly with Syndicate Bank to set up and manage Financial Literacy Centres (FLCs) at District and Taluk level. Our Bank has 3 District level and 11 Taluk level Financial Literacy Centres. All the FLCs are regularly conducting Literacy programmes in villages / schools.

To create Financial Literacy on Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana in Rural and Urban areas, Bank has prepared an Audio Film on PMJDY in regional languages for screening at account opening camps and other literacy programmes. Financial Literacy materials in regional languages were also provided to branches to impart financial literacy to PMJDY account holders.

DIRECT BENEFIT TRANSFER:

Bank is actively implementing the modified DBTL programme of the Govt. of India from 1st January 2015, by seeding Aadhaar number of LPG consumers into their accounts.

Our Lead District Managers in Dharwad, Haveri and Mandya are coordinating with the Oil Marketing Companies in their effort to cover maximum number of LPG beneficiaries under Cash Transfer compliance mode.

ELECTRONIC BENEFIT TRANSFER:

Bank is disbursing Social Security Pensions to more than one lakh beneficiaries in Mandya District through Business Correspondents Agents / Hand Held Machines under "one district one Bank Model" amounting to ₹ 6.20 crore per month.

INFORMATION & TECHNOLOGY

Core Banking solution and its progress

The Bank achieved 100% CBS which facilitates services like anywhere banking, Internet Banking, online transactions etc. to its customers. With 100% CBS, the Bank has moved closer to offer real time banking facilities to its customers. Passbook Kiosk has been implemented in 184 locations. Cash Deposit Kiosk has been implemented in 238 locations. Aadhaar Enabled Payment System was implemented for smooth implementation of GOIs Direct Cash Transfer Project. To minimize the frauds, bio-metric access for CBS users has been implemented at all locations.

The Bank has implemented Integrated Human Resources Management System, Integrated Treasury Management System and Integrated Risk Management System and are integrated with the Core Banking System. ITMS project has met all the objectives with the setting up a DR setup at Mumbai. HRMS has also met most of the objectives with the setting up a DR set up at Mumbai. IRMS is expected to be fully implemented by the end of this financial year.

ATMs

59 ATMs were operationalised during the year 2014-15, taking the number of ATMs to 1383 as at the end of March 2015. Bank's customers can also access over 1,90,000 ATMs connected under National financial Switch (NFS) across the country.

Internal Control

The Bank has well documented policies like IT & IS Security, Internet Banking Policy, IT Procurement Policy, Internet usage Policy, e-mail policy, Business Continuity Policy, Disaster Recovery Policy, Outsourcing Policy etc. covering wide range of functions at the field and administrative levels. Adequate controls are also built in to mitigate the risks associated with each of the activities. IT policy and IS policy was revised during 2013-14. Separate policies have been brought out for Incident management, Vulnerability and penetration test as part of IS Security policy.

Networking

Bank has brought all its branches, extension counters and offices under the corporate WAN and achieved 100 % networking of the branches. It has also used the latest technologies like MPLS, Radio frequency, VSATs, CDMA etc. for establishing connectivity.

RTGS & NEFT Services

Having brought all branches under Core Banking Solution, RTGS and NEFT services are available to the Bank's customers from all its branches. Since STP has been enabled in RTGS and NEFT, the customers can enjoy the benefit of immediate inter-bank and intra bank fund transfer facility.

The centralized payment systems, viz. Real Time Gross Settlement System (RTGS) and National Electronic Funds transfer (NEFT), currently provide for only direct membership. It has been decided by the RBI to expand the sub-membership route to enable all licensed banks to participate in NEFT and RTGS systems. The sub-member/s would participate in the centralized payment systems through their sponsor bank which is a direct member of the centralised payment system. Bank has entered into an agreement with ShimshaSahakara Bank Niyamitha, Maddur and LokapavaniMahilaSahakari Bank, Mandya for using our RTGS/NEFT services as sub-members.

Missed Call Services (FreeBuzz):

Bank is providing missed call services to the customers & enable them to know the account balance and mini statement. The ease of giving missed calls with zero charges provides a huge advantage to the customers.

V-Fee Hive:

Our in-house software development team has developed a unique application for collection of fees for Educational Institutions, collection of monthly maintenance fee by Apartments and collection of fees by Clubs, etc. It is equipped with unique features like integration of other payment channels like debit card, credit card and internet banking. Prestigious institutions like IIM-Calicut , Army Public School- Delhi, Yenepoya College- Mangalore and Mount Carmel College – Bangalore are presently availing this service.

V-epassbook+:

Our in-house software development team has developed mobile application for accessing account details / to get transaction details. The application is loaded with additional customer friendly features like facility to add notes to each transaction, facility to maintain various personal account heads and to add pass book transactions to these accounts on a single click,facility to add notes to each transaction, etc. A Page with latest offerings and information like interest rate of the bank with links to reach the website of the Bank and facility to refer us to a friend is also available in this application. New version of the software V-ePassbook+2.00 with attractive features like reset of password online, maintain financial calendar, locate our branch/ATMs, display details in Hindi/Kannada languages etc. released during the current year. Already 1,47,694 No of Customers have registered for availing this facility as on 31.03.2015 .

Cheque Truncation system:

As directed by the Reserve Bank of India, the Bank has implemented cheque truncation system in Northern, Southern and Western Grid covering all MICR centres. Subsequent to migration of MICR centres, RBI has directed banks to migrate Non-MICR centres, presently branches from Non-MICR clearing are live on CTS clearing in 30 locations as on 31st March 2015.

Security Operation Center

Our Bank established Security Operation Center with Security Information and Event Management Solution (SIEM) & Correlation tool, which will help the bank in block / mitigate the attacks procedurally.Our Bank has finalized the Common procurement process for 9 Public Sector Banks for implementation of SOC as per the new initiative of GOI under common RFP and the project has been successfully completed.

INTERNAL INSPECTION

The Bank has a well-defined Internal Audit Policy with the Audit Committee of the Board overseeing the audit functions and providing guidance for improvements.

During 2014-15, Risk Based Internal Audit (RBIA) of 1314 branches was conducted and 78.84% of the audited branches have secured “Low Risk”. In addition, inspection of 12 Service Branches, 27 Currency Chests, 15 RACPCs, 09 MSME Cells, 17 Regional Offices and 07 Head Office Departments was conducted during the year. 82.27 % of Bank’s business is covered under Concurrent Audit against RBI stipulation of a minimum 50%.

Know Your Customer (KYC), Anti Money Laundering (AML) and combating of Financial Terrorism (CFT):

Bank has formulated a Comprehensive policy on ‘Know Your Customer’, ‘Anti Money Laundering’ and ‘Combating of Financing of Terrorism’ which is being implemented by the KYC Cell at H.O. with required technical support for field functionaries. Detailed guidelines have been issued to the field functionaries for the implementation of KYC Norms, AML guidelines and CFT procedures which are uptaded / revised periodically based on instructions from RBI, GOI, IBA and other regulatory authorities. At the apex level it is being ensured that the KYC Norms and other guidelines are implemented in letter and spirit.

Large value transactions are monitored to be in line with the declared business/ profession. AMLock software is deployed for generating requisite alerts. Cash Transaction Report (CTR), Suspicious Transaction Report (STR), Counterfeit Currency Report (CCR), Cross Border Wire Transfer (CBWT) and large value transactions of Non-Profit Organisations (NTR) are submitted to FIU-IND as per the prescribed periodicity. A system support to check the customers’ names with the UN list of terrorists is made available to prevent opening of accounts by terrorists and connected entities.

The implementation of KYC Norms and AML guidelines is being checked by the Internal Inspectors, Concurrent Auditors, Vigilance Inspectors and Executives during their branch visits. Bank is proposing to also use decoy customers for KYC/AML checks.

Offsite Monitoring Unit (OMU)

Bank has established an Offsite Monitoring Unit (OMU) to monitor exceptional transactions on an ongoing basis and generate MIS reports on critical items. The reports, classified under High, Medium and Low Risk categories are analysed and requisite action initiated. Nodal Officers have been identified at all ROs for effective follow-up and feedback. Based on the criticality and monitoring needs Bank has identified a set of reports that are to be generated and monitored. OMU also undertakes checking / validation of credit sanctions with regard to adherence to major terms and conditions like interest calculation, collection of

processing charges, etc.; Detect Revenue Leakage and Sanitization and data cleaning.

Fraud Monitoring Cell:

Bank has an independent Fraud Monitoring Cell, functioning as per the RBI guidelines on Classification and Reporting. During the financial year, 36 frauds amounting to ₹ 329 crore were detected. All frauds are systematically scrutinized and analysed in terms of modus operandi and system lacuna are timely reports are submitted to the regulatory authorities.

Police / CBI cases are filed in respect of all fraud cases. Fraud cases exceeding ₹ 1 lakh are placed before the Board and Board instructions / guidelines are implemented. A review of large value frauds is also placed before the Special Committee of the Board at periodical intervals. Latest position / progress in all the fraud cases are reported to RBI on quarterly basis. Attempted frauds are dealt with in terms of RBI guidelines. Periodical guidelines / instructions are issued on fraud prevention measures and system improvements.

Vigilance

The Vigilance Department at Head Office is headed by Chief Vigilance Officer of the rank of General Manager who is on deputation from State Bank of India. The Vigilance Department overseas all vigilance works of the Bank as per the guidelines given by Central Vigilance Commission. In addition, Vigilance Department carries out surprise inspection of branches, and Controlling Offices, concentrating on preventive vigilance. These are done by field Vigilance Officers stationed at Regional Offices. All efforts are made to plug the loopholes in the existing system to prevent recurrence of similar frauds and to strengthen the preventive vigilance.

Compliance

Board approved Compliance Policy is a requirement under the extant RBI guidelines and accordingly, the Bank has adopted Compliance Policy. The Compliance Department, H.O. ensures compliance with various communications received at Head Office from Govt of India, Reserve Bank of India, IBA and others by sending all such communications to the concerned operational Departments for necessary action. The Compliance Department is headed by the Chief Compliance Officer who is of the Rank of a General Manager.

Right to Information Act 2005

Government of India enacted Right to Information Act, 2005 which came into force on October 12, 2005. The Act provides right to every citizen to secure/access to information under the control of Public Authorities. It aims to promote openness, transparency and accountability in administration and in relation to matter connected therewith or incidental thereto.

Bank has designated all the Branch Mangers as **Assistant Public Information Officers,** Second line Executives of all the 27 Regional Offices as **Public Information Officers** and Regional Head as **Appellate Authorities** under the Right to Information Act, 2005. At Head Office a Deputy General Manager is designated as **Public Information Officer** and a **General Manager** of the Bank as **Appellate Authority.** Bank as a whole 28 offices are provided with Public Information officer and Appellate Authority respectively under Right to information Act 2005.

Information sought under the RTI Act 2005 is being provided within the prescribed time frame. During 2014-15, bank as a whole has received and disposed of 995 **Applications** and 133 **Appeals** under the RTI Act 2005. ''

Security Arrangements

The Bank has a well established security set up within the Bank's organizational structure with clear cut delegation of authority and responsibility. Security arrangements at all bank branches, currency chests and ATM sites is being reviewed on an on-going basis, since in a dynamic environment, new threats may emerge posing new challenges to various delivery points. Bank security is being strengthened to be more effective, modern and an unobtrusive security system. Essential and mandatory security arrangements in terms of RBI/IBA guidelines are being provided to all branches. Security Alarm Systems and CCTV surveillance system have been provided at all branches for ensuring secure and reliable banking. Branches categorized as vulnerable from security point of view are provided with armed security guards during working hours.

The Regional Security Officers carryout branch inspection visits at regular intervals to assess the

security arrangements in vogue and suggest means for strengthening these arrangements. The Regional Security Officers maintain close liaison with the law enforcing agencies. The security arrangements in the Bank have been geared up to meet the prevailing security scenario.

Access Control measures at all banks currency chests have been strengthened in terms of RBI guidelines, all cash handling operations are being done under CCTV surveillance. Security Officers / inspecting officials to currency chest review CCTV footage as a mandatory requirement during their visit to the chest. Effective and fool proof system of frisking each & every person entering / leaving the vault room of the chest is being carried out. Biometric access control systems have been installed at all currency chest of the Bank to strengthen access control measures.

Training including firing practice for armed security guards deployed at currency chests/branches is imparted on an annual basis. Refresher training workshop for Security Officers is also being organized annually. Security Committees formed at Regional Offices and at Head Office meet periodically to review and assess vulnerability of each delivery point and for taking proactive measures for further strengthening security arrangements at branches/ chests and ATM sites.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Manpower:

The total staff strength of the Bank stood at 13617 in March 2015 as compared to 12822 in March 2014. Of the total staff, 6271 are Officers, 4304 Clerical Staff, 2349 Sub-staff, and 693 Part-time Employees in the subordinate cadre. The number of women employees as at the end of March 2015 stood at 3426 consisting of 1469 Officers and 1957 Award Staff constituting 13617 of total employees in the Bank. As at the end of March 2015, there were 271 employees belonging to Persons With Disabilities(PWD)Category and 751 employees belonging to Ex-Servicemen Category.

Recruitment:

During the year the Bank has appointed 583 Officers in different Grades/Scales and 277 Probationary Clerks. Bank has also appointed 732 employees in subordinate cadre of Armed Guards, Peons & Part Time Sweepers.

Promotions:

The promotions effected during the year 2014-2015 are furnished hereunder:

Sl. No.	Promotion from	Promotion to	Total promoted
1	TEGS-VI	TEGS-VII	8
2	SMGS-V	TEGS-VI	17
3	SMGS-IV	SMGS-V	46
4	MMGS-III	SMGS-IV	66
5	MMGS-II	MMGS-III	166
6	JMGS-I	MMGS-II	139
7	Clerical	JMGS-I	173
8	Sub staff	Clerk	133

Training:

The training system in the Bank has been strengthened by providing additional competent manpower. The courses have been redesigned keeping in mind the essential inputs required for the employees to effectively handle the present & future assignments and to perform their duties and responsibilities effectively in the highly competitive tech-based customer-driven banking environment. The Bank is also imparting training to its employees through reputed external training institutions in certain specialized areas like Credit, FOREX, Treasury Management, Risk Management, HR, Marketing, etc. During the financial year the Bank has imparted training to 9579 employees constituting 70.34 percent of the total employees. Out of which, 8291 employees had undergone training in the Bank's own establishments and 1288 were trained at the reputed external training institutions including some overseas institutions.

SC/ST/OBC Employees:

Out of the total manpower of 13617 as at the end of March-2015, 2752 employees belong to SC category, 993 to ST category and 2816 to OBC category.

SC/ST CELL:

SC/ST cell has been functioning at all the 27 Regional Offices and a Senior Officer belonging to SC/ST is designated as Liaison Officer. At Head Office, the Cell

is functioning under the control of Chief Liaison Officer.

The grievances of SC/ST employees are looked into and prompt remedial action is taken. The Chief Liaison Officer meets the SC/ST Employees Welfare Association and their representatives to hear their grievances at Head office and refers the matters if any, to the concerned department at Head office for redressal. Similarly Regional Heads/Liaison Officers are attending to their grievances at Regional Office Level.

Further Quarterly meeting of SC/ST representatives with the Managing Director & CEO of the Bank are held regularly in terms of Govt. guidelines. In these meetings, the grievances, if any, pertaining to SC/ST employees are discussed with the representatives of the SC/ST welfare Association and sorted out. All the representations received are entered in a Register showing therein the action taken on each representation. The Register is inspected by the Chief liaison Officer periodically.

In the similar manner, OBC Cell is also functioning separately at all the 27 Regional Offices & at Head Office under the control of Chief Liaison Officer appointed separately for OBCs.

Bank is arranging pre-promotion training for SCs/STs & OBCs regularly (i.e for sub-staffs, clerks and officers up to scale-III).

Bank is complying with all the Policy Guidelines laid down by the Govt. of India pertaining to reservation of posts for SC/ST employees, OBC & Minority employees including Persons with Disability.

Staff Relation:

The pro-active and humanistic approach undertaken by the Bank has yielded positive results and the Bank is showing progressive growth consistently with the collective efforts of the management and employees of the Bank. The climate is positive and the same is echoed in the form of continuous growth of the Bank during the financial year ending March 2015. The industrial relations in the Bank have been cordial and harmonious. There was no agitation or unrest during the year by the employees relating to issues pertaining to our Bank. The consultative committee meetings and negotiating committee meetings were held with the representatives of the recognized unions at regular intervals to sort out the grievances of the employees and settle the disputes, if any, amicably and the said meetings are attended by the top executives of the Bank.

Sports Activities:

Our bank's various sports teams have performed exceedingly well in the year 2014-15. Our Basketball team emerged winners in the All India Basketball Tournament held in Periyakulam, Tamil Nadu. The team also won the prestigious Association Cup and State Senior Division league held by the Karnataka State Basketball Association. Sri Arvind. A., working at Residency Road Branch, Bangalore was selected to attend the preparation camp of the Indian Basketball team in Gurgaon. Four members of Bank's Basketball Team viz., Sri Arvind.A., Sri Anil Kumar.B.K., Sri Rajesh Prakash Uppar and Sri Roby Thomas were selected to represent Karnataka in the Senior National Basketball Championships and in the 35th National Games.

The bank's Cricket team finished runners up in the All India YSCA Cricket Tournament and in the All India BPCL Kochi Refineries Cricket Tournament held in Chennai and Kochi respectively. Sri Muhammad Aslam.A.P., Clerk, Shanthinagar branch, was adjudged best Batsman of the tournament held in Kochi. Sri R. Vinay Kumar, member of our bank's Cricket team, is the current captain of the Karnataka Ranji team which has won the Ranji Trophy tournament for the second consecutive time. Sri C.M.Gautham, Asst. Manager, Shanthinagar branch, who is also the vice-captain of the Karnataka Ranji team has been an integral part of the team. Sri Niyas Nizar, Clerk, N.R.Road branch represented Kerala in the Ranji Trophy for the year 2014-15.

The Kabaddi team of our bank has also excelled during the year. The team won 5 State Level Tournaments held in Koratagere, Gulur, Anekal, Mangalore and Karkala. The bank's Kabaddi team also emerged runner up in the All India Kabaddi Tournament held at Mudhol, Karnataka and the State Level Kabaddi Tournament in Hebgodi, Karnataka. Sri Selvarajan.R., Service Branch, Sri Prashanth Rai, Indiranagar branch, Sri Sukesh, Hegde, HAL IIIrd Stage branch and Sri Keerthi.H.S., Nagappa Block branch, were some of the star performers for the team. Sri Sukesh Hegde represented India in the Beach Kabaddi Championships held in Phuket, Thailand.

Staff welfare measures:

As per the directions of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Government of India, 3% of net profit with the maximum ceiling of ₹ 15 crore is to be earmarked for the welfare of its employees.

The Bank is having various staff welfare schemes such as:

1. Canteen Subsidy.
2. Newspaper reimbursement.
3. Annual Health Checkup.
4. Health Clinic at HO and at MSR Nagar, Bangalore.
5. Annual Medical Aid to the employees retired on superannuation.
6. Grant of Silver Jubilee awards.
7. Cash incentive to meritorious wards of staff.
8. Awarding scholarship of ₹ 5000/- for the girl children under V-Shakti, V-Subodhini, V- Pragati.
9. Group Mediclaim Insurance.

The Vijaya Bank Staff Welfare Fund Trust

Vijaya Bank Staff Welfare Fund Trust has been formed since 21.09.2002 :

Various welfare schemes implemented under the Trust are :

1. Awarding scholarships to the wards of the employees.
2. Reimbursement of residual claim of hospitalization expenses.
3. Reimbursement of cost of spectacles.
4. Funeral expenses to the family members on death of the employees.
5. Cash incentives to retirees on superannuation.
6. Scheme for providing assistance /scholarships to the parent employees of mentally challenged / spastic children.
7. Scheme for providing artificial limbs /hearing aid /crutches to physically challenged staff members/their children.
8. Holiday Homes at Goa, Darjeeling, Shimla, Tirupati, Bangalore, Mysore, Ooty, Delhi & Mumbai.

The bank is also administering Family Welfare Scheme under which amounts collected from the members of the scheme are distributed among the family members (nominees) of deceased employees.

Human Resources Management System:

With a view to streamline the process of faster decision making and enable error-free data management pertaining to the employees at a centralized location at Head Office, the Bank has implemented HRMS (Peoplesoft) Software.

The HRMS software combines many human resources functions including Benefits Administration, Payroll, and Training integrated into a single package.

Internal Complaints Committee

The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (hereinafter called as the Act) has come into force and the same is published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section I dated 23.04.2013 as Act No. 14 of 2013.

This Act is to provide protection against sexual harassment of women at workplace and for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment and for matters connected therewith or incidental thereto.

In compliance with Section 4 of the Act, Bank has constituted the Internal Complaints Committee (ICC) at the Head Office and at all the Regional Offices of the Bank to deal with the complaints received from staff members pertaining to gender discrimination and sexual harassment at workplace.

The ICC constituted at Head Office consists of the following members:-

1.	Smt Nirmala Sridhar, GM	- Chairperson
2.	Smt Kamalakshi Hegde, CM	- Member
3.	Sri Krishna Kumar, CM	- Member
4.	Smt. Banumathi Ramasami, Manager	- Member
5.	Smt Sandeepa Mullath, Manager	- Member
6.	Smt. Geeta Menon – NGO	- Member

Section 22 of the said Act stipulates the employer to include in its annual report the number of cases filed, if any and the disposal of cases under the Act.

The Central Govt. in exercise of its powers conferred under the Act has also formulated "Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition & Redressal) Rules, 2013". Rule 14 of which provide the employer to include the following information in the preparation of the Annual report:

a) No. of complaints of sexual harassment received in the year.

b) No. of complaints disposed of during the year.

c) No. of cases pending for more than 90 days.

d) No. of workshops or awareness programme against sexual harassment carried out.

e) Nature of action taken by the employer.

Accordingly, the details of complaints received by the Committee for the year April 2014 to March 2015 is furnished below.

Sl. No.	No of complaints of sexual harassment received in the year	No. of complaints disposed off during the year	No. of cases pending for more than 90 days	No of workshops or awareness programme against sexual harassment carried out	Nature of action taken by the employer or Dist. Officer
1	**7**	**6**	**Nil** (1 pending >90 days)	**2** Special programme for women Branch Managers. Special programme for women employees. At Southern India Bank, STC, Bangalore. Attended by 58 lady officers.	Out of 6 cases – 4 cases, are resolved amicably. 2 cases, are referred to Personnel Dept. [IRD] for taking suitable action in the matter

OTHER SERVICES

Merchant Banking & Allied Activities:

The Bank is registered with Securities and Exchange Board of India (SEBI) for Merchant activities like: Category I Merchant Banker, Bankers to the Issue, Debenture Trusteeship and Depository Participant. The bank is also registered as Self Certified Syndicate Banks for accepting IPO/Rights issue applications under Applications Supported by Blocked Amount (ASBA).

The bank undertakes Payment Bankers Assignments for payment of Interest/Dividend/Refund orders of Corporates. Bank also offers Depository Services and online trading to its clients.

Government Business:

Among various Government business, Bank is collecting Direct tax through 276 branches. The bank has introduced online payment of taxes of CBDT&CBEC through V-net banking for all customers of all branches. 888 branches of the bank are designated to open Public Provident Fund accounts. Besides, all our branches are authorised to disburse Central Civil, Defence, Telecom pensions and State pensions in the states of Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala and 4 Metro Cities. A separate cell called Centralized Pension Processing Center/CPPC has been set-up in HO for centralized payment of pensions of Central Government pensioners. 1487 branches are designated as NPS-Lite collection center (NL-CC) to accept subscription under NPS- Swavalamban scheme.

Corporate Agency with LIC:

Bank has entered into the Corporate Agency agreement with LIC of India to cater to the life insurance needs of the customers.

Corporate Agency with UIIC:

Bank has entered into the Corporate Agency agreement with United India Insurance Company Limited to cater to the non-life insurance needs of the customers.

Group Insurance Coverage for borrowers:

Bank has entered into an agreement with M/s Bajaj Allianz Ltd for Group coverage of individual borrowers.

Money Transfer Services (Conventional and Online):

Bank is a sub-agent for money transfer services of Money Gram and Xpress Money. Under Money gram the bank has tie-up with both UAE exchange & financial services and Thomas cook (India) Ltd. Bank has entered into a tie-up with Times of Money Ltd for online transfer of funds (Remit2India) as an additional service to NRIs. The Bank has a tie up arrangement with Wall Street Finance Ltd of Spice Group company for Western Union money Transfer Services.

Credit Card Business

At the end of the financial year, the total active cards issued by the bank stood at 159149. The Credit Card turn over is Rs 514.57 Crore as against the turnover of Rs 458.18 crore as on 31.03.2014. To provide more security for our cardholders, the bank has introduced chip cards under Classic variety during the year. We have also facilitated our cardholders to view their card transactions at any time through V-Net banking.

The total number of merchants enrolled by the bank during the financial year 2014-2015 stood at 917 as against 1293 merchants as on 31.03.2014. The Department has delisted merchants who has not given business for more than 12 months. The bank is also providing cordless card swiping machines and the terminals are EMV/UKPT/TLE compliant and PIN @ POS enabled. The bank makes direct payments to merchants maintaining account at our Core Banking branches.

Debit Card

There has been considerable increase in the issue of Debit Cards. We have totally issued 1539854 Debit/ATM cards during 2014-2015 as compared to 518809 cards issued during the financial year as on March 31, 2014. The Debit Card turnover is Rs 577.42 crore during 2014-2015 as against Rs 464.96 Crore as on March 31, 2014. The bank is opening Jan Dhan accounts and has launched Platinum Cards in association with Rupay & VISA in the month of March 2015.

Depository participant account and Online trading:

Vijaya Bank, a Depository Participant (DP) with National Securities Depository Limited.

Vijaya Bank DP offers the following depository services.

- Account Opening.
- Dematerialization of securities (shares, Debentures, Mutual funds etc.,)
- Electronic settlement of trades in stock exchanges connected to NSDL and CDSL.
- Pledge/hypothecation of demat security holdings against bank loan.
- Electronic credit of securities allotted in public issues.
- Freezing of accounts whenever required so that debits from the account are not permitted.
- Nomination facility for demat accounts.
- Services related to change of address, bank account details etc.,
- Effecting transmission of securities.
- NSDL IDeAS facility.

The bank provides Depository Services to customers and Tied up with IDBI Capital for providing Online Trading.

Government Business Module (GBM)

Government Business module is implemented with the following modules.

- OLTAS Module which deals with Direct and Indirect Taxes and remittance of tax amount to RBI through link cell, Nagpur.
- Public Provident Fund - PPF is being accepted at the designated branches of the Bank.

Centralized Payment of Pension - A dedicated Centralized Pension payment processing cell has been created at HO. All types of pension like State, Central, Civil, Telecom, Defence, Judges and Freedom Fighters pension is being paid centrally by the CPPC cell at HO.

Senior Citizens Savings Scheme as per the government guidelines is also implemented in the Bank.

Marketing Setup

Marketing cell at the Bank's Head Office with active involvement of all Marketing officers posted across the country in various Regional Offices / RACPCs & MSME cell is actively engaged in popularizing and marketing of Bank's various products.

Publicity and Public Relations

During the F Y 2014-15, the bank has carried out several major advertisement campaigns in print & Electronic media in English, Hindi and in regional languages throughout the country to elevate the visibility of the bank and its products. This year major Publicity Campaigns were carried out through Outdoor Advertisement media such as translites at airports and Delhi Metro Railway station, Kolkata Metro Stations. Outdoor Advertisement hoardings were taken in metro cities, glow sign/sign board advertisements at Railway stations/Bus stands.

Implementation of Official Language

Bank is implementing the Government's Official Language Policy in letter and spirit since Nationalization. With the efforts of staff members Bank could achieve Hindi correspondence of 90.07 % in Region "A" against the target of 100%, 80.64 % in Region "B" against the target of 90% and 61.49 % in Region "C" against the target of 55% as on 31.03.2015.

Under the banner of "V-Gen Uth" all 27 Regional Offices & Head Office has conducted V-GenUth Hindi singing Competition/Hindi Drawing Competition/ Hindi Elocution Competition, Hindi Quiz Competition, etc. for High School students. Every Regional Office has conducted Hindi Symposium (Aapasi samvaad Programme) in which teachers & students of various Colleges/Universities, customers and staff members have participated.

92 Hindi workshops were conducted for Executives / officers and clerical staff employees members in which 1610 staff members were trained. Importance of use of Unicode was stressed in these workshops.

The Drafting & Evidence Sub-Committee of Parliamentary Committee on Official Language had a discussion programme with Town Official Language Implementation Committee, Nagpur and member banks on 08.01.2015 in which our Regional Office, Nagpur participated as a member bank.

The Third Sub-Committee of Parliamentary Committee on Official Language visited our Udhagamandalam Branch on 07.02.2015.

Hindi Day was celebrated by Head Office on 16.09.2014 and Rajbhasha Sahayika was released on the occasion to enable all staff members of the Bank to implement Official Language in the Bank.

E-Passbook/Tele Banking in Hindi/taking ATM slips in Hindi in Diebold Machines facility is available in the Bank. The exclusive intra-net Rajbhasha website has been made more user friendly for the staff members by providing letter heads of all branches/offices, office notes letters etc. The Hindi version of the trilingual website of the bank is updated from time-to-time. 'V-Gyan Kendra' is also made bilingual.

The Head Office along with various Regional Offices Bank have received prizes for Official Language Implementation for the year 2013-2014 awarded by the respective Town Official Language Implementation Committees, Staff College, Bangalore I prize, Regional Office, Hassan - I Prize; Mayo Hall Branch - Fourth Prize; Karnal Branch - Consolation Prize; Regional Office, Pune awarded for best performance in the field of O.L. Implementation.

Our Bank conducted inter-bank competitions under the aegis of various Town Official Language Implementation Committees all over India and a number of staff members have also won prizes.

Under the Bank's Internal Rajbhasha Shield Scheme for the year 2013-14 Personnel Department I Prize, Planning and Development Department was awarded II Prize and Central Accounts Department was awarded III Prize under HO Department Category for effective implementation of Official Language. Under Best Region Category Chandigarh was awarded I Prize, Lucknow Region II Prize and Bangalore (South) III Prize.

ALTERNATE DELIVERY CHANNELS:

A number of activities were undertaken to ensure that technology driven Alternate Delivery Channels are utilized to the mutual advantage of the customers and the Bank. Mailers were sent to customers highlighting the advantages of using Alternate Delivery Channels like internet banking, use of Debit Card, on-line purchases, and funds transfer through RTGS/NEFT etc. Training programmes are conducted by Staff College to familiarize/ sensitize the staff members with these products so that the facilities percolate to the customer in a professional manner.

TeleBanking Facility

TeleBanking facility was started during 2012-13 and available 24/7.Tele Banking facility is available in three languages ENGLISH, KANNADA AND HINDI. TeleBanking provides the following facilities for the benefit of customers:

- Account details: This includes balance enquiry, last five transaction details, statement of accounts by e-mail, credit/debit card details.
- Request for cheque book, stop payment, cheque status enquiry.
- Financial Transactions: This includes transfer of funds to self -account.
- Loan Account Details and Deposit Account Details.
- Internet Banking Assistance and Mobile Banking Assistance.
- Adhaar number linking to account.

Internet Banking:

V-Net Banking, an Internet Banking channel of the Bank is providing services like balance enquiry, account statement, intra-bank and inter-bank fund transfers through RTGS/NEFT, transactions related SMS alerts, payment of Indirect / Direct taxes, State commercial Taxes, utility bill payments, online temple donations & online donations to Prime Ministers Relief Fund (PMRF) and others. The add-on features of V-net banking are:

- Password can be reset online.
- Creation of User-id and Password credentials online.
- Customers can view their PPF account and transfer funds to PPF Account from their linked operative accounts using V-Net Banking facility.
- Customer can View their Vijaya Bank Credit Card statement.
- Customer can pay Import & Export custom duties.

Mobile Banking:

V-Mobile Banking, the channel of the Bank for performing banking activities like balance enquiry, account statement, mobile recharge, intra and interbank funds transfer using NEFT, Airline ticket booking, Movie Ticket booking etc., with their mobile handset using SMS/ GPRS modes of communication. "Immediate Payment Service" – IMPS (P2P-Person to Person), an initiative from NPCI (National Payment Corporation of India) has been implemented for the benefit of the customers using Mobile banking services to perform the transactions 24x7 within and across the banks using MMID (Mobile Money Identifier). IMPS (P2A – Person to Account) is implemented in our existing Mobile Banking services, wherein the customers can do funds transfer using beneficiary's A/c No. and IFSC code, without the use of MMID.

Now we have launched new version of Mobile Banking with enhanced look and feel, and additional features like facility for customers to receive notifications from the Bank, add remarks to fund transfer transactions, to generate application password by themselves, and a host of other customer friendly options.

SMS alerts/e-mail

The bank also offers SMS alert service. Messages are sent for all transactions of ₹ 100 and above and when cheques are returned with, irrespective of the amount. Monthly statement of account through e-mail to account holders who have registered the e-mail ID has been implemented.

SMS alert facility is also used for

- Adding beneficiaries in V-Net Banking through SMS - OTP(One Time Password).
- Online Resetting of Password in V-Net Banking SMS - OTP (One Time Password).
- Self User Creations for Retail Customers using SMS - OTP (One Time Password) along with other security features.

V-GyanSagar :

V-Gyansagar is an unique initiative by Vijaya Bank to impart financial information to the public as part of financial literacy. V-Gyansagar is an Android mobile application which provides the subscriber a facility for getting daily updates on Financial, Economic and Banking news and also explanation of Financial and Banking terms.

V- Abacus :

A facility to open account by giving a missed call and opening of account through Tab Banking was implemented.

This will be useful for the customers who could not come to branch and open an account.

V-QuickPay:

V-QuickPay is a unique initiative of our bank and is the next generation bill payment service where the Bill payment is made by scanning of QR code. Customer has to scan the QR code on the Bill generated by the merchant who has availed this facility from us, and proceed with the payment of the bill without having to swipe the Credit/Debit card on the POS machines. It facilitates Payment by way of Credit and Debit Cards and also net banking of any Bank. This product introduces a new bill payment channel, hitherto not provided by any Bank in the Indian Banking Industry.

USSD–NUUP:

Mobile Banking services were introduced by the bank in the year 2009. However availing even some of the basic banking services provided through Mobile Banking was beyond the reach of the people who did not possess a high end handset. Now NPCI's Unstructured Supplementary Services Data –USSD (NUUP) offered by Telcos has been exploited by the bank to give mobile banking services even on a basic mobile phone, making mobile banking accessible to all customers.

V-Online SB a/c:

An option to open online SB account was introduced through our website 'WWW.VIJAYABANK.COM' Customer has to choose account opening at his/her place of choice and at his/her convenience. Branch receives an automated mail with regard to the customer's request; branch will call the customer and informs the required documents and procedures. Customer will visit the branch on his / her chosen date and submits the necessary documents and opens the account.

Customer Service and Redressal of Complaints

- Our Bank has robust Customer Grievance Redressal Mechanism. Complaints received are attended immediately and vigorous efforts are made for a time bound resolution of all complaints.
- The Customer Service Committee of the Board and Standing Committee on Customer Service meets at Head Office periodically to discuss about the customer complaints and suggestions to improve customer service in the Bank.
- Standard Public Grievances Redressal System (SPGRS) has already been implemented in our Bank, which is an online portal for customers to lodge their complaints and track the same for its further developments. The complaints received from the multiple channels are being Registered and digitalized in order to have an integrated information system for customer grievances. All grievances are classified under various heads and sub-heads and automatically pushed to the concerned departments for easy and timely redressal.
- Incognito Visits are continued for the current year to evaluate branches in a discreet manner about the-
    1. Ambience of the branches.
    2. Product knowledge of the staff.
    3. Customer Service.
    4. Availability of mandatory disclosures as per the guidelines from the regulatory bodies like RBI / BCSBI.

The findings of the study were used to analyse the focus areas and to improve the customer service.

- **Call Centres:** - The bank is having a professionally managed call center to take care of all types of customers query. The bank has 24x7 exclusive Help Desk for Credit and Debit card holders to provide swift service on their emergency matters like blocking / hotlisting of cards, tracking of anonymous transactions etc. Bank takes care to see that customers' queries / issues are resolved within minimum turnaround time. For this bank has set up exclusive call centre for Net Banking / Alternative Delivery Channel (10.am to 6.pm), Card Service (24X7) and General banking (8.am to 8.pm).

Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI)

The Bank, being a member of BCSBI, has adopted the voluntary Codes formulated by BCSBI i.e. (i) 'Code of Bank's Commitment to Customers' (ii) 'Code of Bank's Commitment to Micro and Small Enterprises.' Bank has formulated and complied with several policies as per the guidelines of BCSBI. A session on Customer Service incorporating the provisions of the Codes has been included in the staff general banking training programmes in order to comply with the Codes in true letter and spirit. BCSBI revised 'Code of Bank's Commitment to Customers' in January 2014 and the

Bank has taken several steps to abide with most of the revised guidelines.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Our Bank has been actively involved in the CSR activities. However, we have adopted formal CSR activities as per Governmentt Gazette Notification dated 01.02.2014. Major initiatives during the Financial Year 2014-15 are:

- Providing support to the adopted villages by providing health facilities to people in rural areas by running Rural Health Centre in all these Villages by attaching the services of a Doctor and medicines to be provided free of cost;
- We have adopted 16 girl children under Girl Child Adoption Scheme sanctioning a sum of ₹ 11,55,000/-, the said expenditure to be utilized from the year of adoption till the completion of their graduation;
- We have provided donations to community oriented programmes like providing bus shelter, overhead tanks, ambulances to Trusts & Hospitals;
- Financial assistance to Mr. Aravind Bhatt, to attend Olympic games;
- Providing support to Government Schools for improvement of basic amenities like water tanks, water purifier, benches, solar lights, fans, library room etc.;
- Donation to different Trust/Foundations for the welfare of downtrodden, especially for SC/ST/ OBC category, and to orphanages and old age homes and support to senior citizens as a measure of reducing inequalities faced by socially and economically backward groups;
- Financial assistance to visually challenged school by way of providing kitchen items, freezer, desks and chairs, and providing hearing aids to hearing impaired and other assistances to differently abled persons;
- Contribution to Hudhud victims;
- Through donation to NGOs for part funding their community development oriented projects like Ashraya, which supports boarding, lodging and educating destitute girl child, Can Care Foundation, which provides relief both to the patients and their family members financially and morally, Laxminarasimha Charitable Trust, which supports pension to senior citizens, handicapped residents, etc;
- Bank is also providing training to unemployed youth, and creating self-employment opportunities;
- As CSR activity towards 84th Foundation day we have donated an ambulance to Sri Taralabalu Education Society, Sirigere, Shimoga;
- In furtherance to the directives of Hon. Prime Minister's announcement on implementation of Swachchh Vidyalay we have taken up the activity of providing sanitation facilities to 84 Govt Schools, which are not provided with sanitation facility, in commemoration of 84th Foundation day, and in furtherance to these we have already completed construction of toilets at few places and the rest are in progress;
- To commemorate I8nternational Women's Day, 2 homes working for the cause of women destitute was provided with mattresses, bedsheets, mugs, buckets, pillows;
- Support towards education of children by providing infrastructure, etc. aimed at positive development of the Nation.

Awards & Achievements

In recognition of varied initiative, the bank was conferred several awards and accolades during the year 2014-15.

- 'Best Asset Quality Management' in India Top Banks and Banking Award 2014 Ceremony hosted by Dun & Bradstreet - Polaris Financial Technology.
- "Best performance Award for Self Help Group/ Joint Liability group (SHG/JLG) linkage From NABARD.
- "Excellence Award for PMJDY performance" by Micro Small and Medium Enterprises, GoI, in a function organized by Federation of Industry Trade and Services.

BOARD MEETING AND MEETING OF OTHER SUB COMMITTEES OF THE BOARD

During the year 2014-15, the Board of Directors met

20 times. The details of Committee Meetings are as under:-

Name of the committee	No. of Meetings
Management Committee of the Board	16
Audit Committee of the Board	12
Directors' Promotion Committee	03
Risk Management Committee of the Board	05
Committee to review Large Value Frauds	05
Remuneration Committee of the Board,	01
Nomination Committee of the Board,	02
Customer Service Committee of the Board,	04
Stakeholders' Relationship Committee	04
Share Transfer	07
Head Office Level Credit Approval Committee	32
Special Committee to consider appeals preferred by employees against final orders passed by Chairman & Managing Director as Disciplinary Authority.	01
I.T Strategy Committee	03
Supporting candidates in the Election	Nil
Credit Monitoring recovery management of NPA	05
APAR Review Committee	01
Corporate Social Responsibility (CSR)	01
Review Committee in respect of Borrowers identified as Willful Defaulters	-
HR Committee	-

(b) **Changes in the Board of Directors**

During the year 2014-15, the following changes have taken place.

1. Shri Kishore Sansi has assumed charge as Managing Director & CEO of our Bank on 01.01.2015 consequent upon demission of office by earlier Chairman & Managing Director Shri V. Kannan on his attaining superannuation on 31.12.2014.
2. Shri Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director joined the Board of our Bank on 12.09.2014 consequent upon retirement of Shri V. K. Chopra, Govt. Nominee Director on attaining superannuation on 31.07.2014.
3. Shri Prakash Chandra Nalwaya, Non Official Director ceased to be the Director on completion of his three year term on 19.05.2014.
4. Shri Ashok Gupta Non Official Director ceased to be the Director on completion of his three year term on 10.11.2014.
5. Shri H. Harish Ballal, Officer-employee Director ceased to be the Director on completion of his three year term on 24.01.2015.

The Bank's Board as on date consists of the following Directors:-

1. Shri Kishore Sansi, Managing Director & CEO
2. Shri K. R. Shenoy, Executive Director
3. Shri B. S. Rama Rao, Executive Director
4. Shri Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director
5. Smt. Suma Varma, RBI Nominee Director
6. Shri P. Vaidyanathan, Shareholder Director
7. Smt. Bharati Rao, Shareholder Director
8. Shri Y. Muralikrishna, Workmen Director

Acknowledgment

The Board wishes to place on record its sincere appreciation to the customers for their patronage, to the shareholders for their support, to the Government authorities and the Reserve Bank of India for their valuable guidance and support, to the Directors, who completed their tenure during the financial year under review and to all the staff members for their full support in the pursuit of organisational growth and excellence.

For and on behalf of the Board of Directors

Head Office: Bengaluru
Dated the 12.05.2015

Kishore Sansi
Managing Director & CEO

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF VIJAYA BANK ON CORPORATE GOVERNANCE 2014-15

CORPORATE GOVERNANCE

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE

Bank defines Corporate Governance as the application of best management practices, compliance of law in true letter and spirit and adherence to ethical standards for effective management and distribution of wealth and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders. The Bank shall continue its endeavor to enhance its shareholders' value by protecting their interest by ensuring performance at all levels and maximizing returns with optimal use of resources in its pursuit of excellence. The Bank shall comply with not only the statutory requirements, but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices.

Thus bank considers itself as a Trustee of the Shareholders and Stakeholders and acknowledges the fiduciary responsibility towards them by creating and safeguarding their wealth. Bank adopts this through efficient corporate strategies, proactive business plans, policies and procedures to satisfy ethical and legal responsibilities.

Green Initiatives in Corporate Governance taken by Ministry of Corporate Affairs (MCA)

Ministry of Corporate Affairs has issued circulars giving clarification regarding service of documents/ notices including copies of Annual Financial Results to shareholders in electronic form rather than sending through physical mode. This will benefit the society at large through reduction in paper consumption and in turn protect our trees which would contribute towards a sustainable greener environment. Sending of documents / communications through electronic mode also ensure prompt communication and avoids their loss in transit. We have requested all our shareholders to register their e-mail address with us to enable us to comply with the Green Initiatives envisaged by the GOI.

2. BOARD OF DIRECTORS

Good Corporate Governance starts at the top, with the Board of Directors and the Top Management who takes appropriate decisions and guide the Bank in achieving highest standards of excellence. Constitution of Board of Directors and other committees in respect of our Bank are governed under the provisions of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980, Banking Regulation Act, 1949, Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and RBI Directrives / GOI Guildelines/ICAI - Accounting Standards on this regard.

2.1. Composition of Board of Directors as on 31.03.2015

Executive	3
Non-Executive	3
Non Executive Independent	2
TOTAL	8

The Directors have been contributing their diversified knowledge, experience and expertise in respective areas of their specialization for the development of the Bank.

2.2. Composition of Board of Directors as on 31.03.2015 was as under:

Sl. No.	Name of Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Assuming Office
1.	Shri Kishore Sansi	Managing Director & CEO	Executive	01.01.2015
2.	Shri K. R. Shenoy	Executive Director	Executive	18.06.2012
3.	Shri B. S. Rama Rao	Executive Director	Executive	27.09.2013
4.	Shri Sanjay Kumar	Government Nominee	Non Executive	12.09.2014
5.	Smt. Suma Varma	RBI Nominee	Non Executive	30.07.2010
6.	Smt. Bharati Rao	Nominee-Shareholders	Non Executive Independent	07.08.2014
7.	Shri P. Vaidyanathan	Nominee-Shareholders	Non Executive Independent	07.08.2014
8.	Shri Y. Muralikrishna	Workmen Director	Non Executive	02.11.2013

Appointment /Cessation of Directors during the year

*[1] Shri Kishore Sansi, has been appointed as Managing Director & CEO w.e.f. 01.01.2015.

*[2] Shri V. Kannan, has demitted the office of Chairman and Managing Director on 31.12.2014 on attaining superannuation.

*[3] Shri Sanjay Kumar, has been appointed as GOI nominee Director w.e.f. 12.09.2014.

*[4] Shri V. K. Chopra, has demitted the office of GOI nominee Director on 31.07.2014 on attaining superannuation.

*[5] Shri P. C. Nalwaya, has demitted the office of Non official Director on completion of his term on 19.05.2014.

*[6] Shri Ashok Gupta, has demitted the office of Non official Director on completion of his term on 10.11.2014.

*[7] Smt. Bharati Rao, has been re-elected as Nominee Share holders Director w.e.f. 07.08.2014.

*[8] Shri P. Vaidyanathan, has been re-elected as Nominee Share holders Director w.e.f. 07.08.2014.

*[9] Shri H Harish Ballal, Officer Employee Director has ceased to be Director of the Bank on completion of his term on 24.01.2015

2.3 Profile of Directors Appointed During the Year 2014-2015

NAME	**Shri Kishore Sansi**
DATE OF BIRTH	19.08.1957
AGE	57 Years
QUALIFICATIONS	M.Sc., M. Phil. M Tech.
NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	Managing Director & CEO Shri Kishore Sansi was appointed as Managing Director & CEO of the Bank by Government of India, under clause (a) of sub section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub-clause (1) of clause 3 and sub-clause (1) of clause 8 of the The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, vide notification No.F.No.4/4/2013-BO.I (i) dated.31.12.2014.

EXPERIENCE	Shri Kishore Sansi holds a M.Sc. and M. Phil from Delhi University and M.Tech. From IETE, New Delhi. He is also CISA qualified with ISACA, US. He has to his credit over 35 years of illustrious banking experience accredited with several rewards and recognition in diverse fields. He had joined Oriental Bank of Commerce on 3rd May 1980. He was elevated as the Executive Director of Punjab & Sind Bank in August 2013. He has undergone various training programme both within the country and abroad to add to his rich academic qualification.

NAME	**Shri Sanjay Kumar**
DATE OF BIRTH	16.04.1971
AGE	44 Years
QUALIFICATIONS	M A, MBA (Finance)
NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	GOI Nominee Director
EXPERIENCE	Shri Sanjay Kumar was appointed as GOI Nominee Director of the Bank by Government of India, under clause (b) of sub section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, read with sub-clause (1) of clause 3 of The Nationalized Banks (Managem ent and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, vide notification No.F.No.6/3/2012-BO.I dated 12.09.2014. Shri Sanjay Kumar is presently working as Deputy Secretary in Department of Financial Services, Ministry of Finance. He is presently handling Debt Recovery Tribunal. Mr. Sanjay Kumar is a 1997 batch Central Secretariat Services officer who has an overall experience of 15 years while working with Central and State Government across the departments.

2.4. Board Meetings:

During the year under review, 16 Board Meetings were held on following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

21.04.2014	06.05.2014	26.05.2014	16.06.2014	27.06.2014	21.07.2014	28.07.2014	19.09.2014
31.10.2014	07.11.2014	01.12.2014	31.12.2014	17.01.2015	30.01.2015	14.02.2015	14.03.2015

In addition to the above Board Meetings, Bank has conducted 4 Special Board Meetings one for each quarter as per the directions of the Ministry of Finance vide their letter dated 10.07.2012 as under for discussing major policy and strategic issues

21.04.2014	21.07.2014	01.12.2014	14.02.2015

The details of attendance of the Directors at the Board Meetings including Special Board Meetings held during their respective tenure are as under.

2.5. Details of Attendance of the Directors at the Board Meetings:

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during 2014-15	Meetings Attended	Attendance in last AGM
1.	Shri Kishore Sansi*[1]	01.01.2015 - 31.03.2015	5	5	NA
2.	Shri V. Kannan*[2]	01.04.2014 – 31.12.2014	15	15	YES
3.	Shri K. R. Shenoy	01.04.2014 – 31.03.2015	20	20	YES
4.	Shri B. S. Rama Rao	01.04.2014 – 31.03.2015	20	20	YES
5.	Shri Sanjay Kumar *[3]	12.09.2014 – 31.03.2015	11	9	NA
6.	Shri V. K. Chopra*[4]	01.04.2014 – 31.07.2014	9	9	YES
7.	Smt. Suma Varma	01.04.2014 – 31.03.2015	20	20	YES
8.	Shri P. C. Nalwaya*[5]	01.04.2014 – 19.05.2014	3	3	YES
9.	Shri Ashok Gupta*[6]	01.04.2014 – 10.11.2014	12	9	YES
10.	Smt. Bharati Rao*[7]	07.08.2014 – 31.03.2015	20	18	YES
11	Shri P. Vaidyanathan*[8]	07.08.2014 – 31.03.2015	20	17	YES
12.	Shri H. Harish Ballal*[9]	01.04.2014 – 24.01.2015	16	16	YES
13.	Shri Y. Muralikrishna	01.04.2014 – 31.03.2015	20	20	YES

3. COMMITTEES OF BOARD

In line with the requirements/ directions of SEBI, RBI and Ministry of Finance, the Board has constituted the following Committees of Directors. These Committees provide specific and focused governance for the activities falling within their terms of reference and as per the stipulated guidelines.

1. Management Committee
2. Audit Committee
3. Stakeholder's Relationship Committee
4. Share Transfer Committee
5. Risk Management Committee
6. Committee to Review High Value Frauds
7. Head Office Level Credit Approval Committee
8. Directors' Promotion Committee
9. Customer Service Committee
10. Remuneration Committee
11. Nomination Committee
12. Committee to decide on supporting candidates in election of shareholder directors
13. IT Steering Committee
14. Committee For Monitoring of Recovery
15. Committee to consider appeals preferred by employees against final orders by the chairman and managing director as Disciplinary Authority

16. APAR Review Committee:
17. Corporate Social Responsibility Committee
18. Review Committee in respect of borrowers identified as willful defaulters
19. HR Committee

3.1. Management Committee of Board:

The Management Committee of the Board is constituted in pursuance of Clause 13 of Nationalized Banks' (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, read with the directives of the Ministry of Finance, Government of India. Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like approval for introduction of new deposit schemes, sanction of limits whether fund based or non fund based, compromise/ write-off, sanction of capital and revenue expenditure, investments, donations etc. The Committee exercises such powers as may be delegated to it by the Board with the approval of Central Government and concurrence of Reserve Bank of India.

During the period under review, the Management Committee of the Board (MCB) met 16 times. The details of meetings of MCB held during the year & the attendance of Director Members are as detailed below:

21.04.2014	05.05.2014	26.05.2014	16.06.2014	27.06.2014	21.07.2014	26.08.2014	19.09.2014
13.10.2014	31.10.2014	22.11.2014	22.12.2014	17.01.2015	30.01.2015	14.02.2015	14.03.2015

3.1.1 Details of Attendance of the Directors at the MCB Meetings:

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during 2014-15	Meetings Attended
1.	Shri Kishore Sansi*[1]	Chairman	01.01.2015 - 31.03.2015	4	4
2.	Shri V. Kannan*[2]	Chairman	01.04.2014 – 31.12.2014	12	12
3.	Shri K. R. Shenoy	Executive Director	01.04.2014 – 31.03.2015	16	16
4.	Shri B. S. Rama Rao	Executive Director	01.04.2014 – 31.03.2015	16	16
5.	Smt. Suma Varma	Member	01.04.2014 – 31.03.2015	16	15
6.	Shri P. C. Nalwaya*[5]	Member	01.04.2014 – 19.05.2014	2	2
7.	Shri Ashok Gupta*[6]	Member	01.04.2014 – 10.11.2014	10	09
8.	Smt. Bharati Rao*[7]	Member	07.08.2014 – 31.03.2015	14	11
9.	Shri P. Vaidyanathan*[8]	Member	07.08.2014 – 31.03.2015	8	6
10.	Shri H. Harish Ballal*[9]	Member	01.04.2014 – 24.01.2015	10	10
11	Shri Y. Muralikrishna	Member	01.04.2014 – 31.03.2015	10	10

3.2 Audit Committee of the Board

The directives of Reserve Bank of India, provisions of Companies Act, 1956 and Listing Agreements govern the formation and functioning of Audit Committee of the Board (ACB). The ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function in the Bank comprising the organization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follows up the statutory/external audit of the Bank and inspections of Reserve Bank of India. All the members of the Committee are financially literate.

The functions of Audit Committee include the following:

- Overseeing the Bank's financial reporting process and ensuring correct, adequate and credible disclosure of financial information.
- Reviewing with the Management, Quarterly Financial Statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance of accounting standards and other legal requirements concerning financial statements, qualifications in the audit report, compliance with stock Exchange and legal requirements concerning financial institutions, related party transactions etc.
- Reviews the findings of investigation by the internal auditors into matters where fraud is suspected or irregularity or failure of internal control system is observed and suggests strengthening of control mechanism.
- Interacts with Statutory Central Auditors before the finalization of the annual / half yearly and quarterly accounts and reports, focusing on the changes in accounting policies and practices, qualification in the draft Audit Report etc.
- Looking into the reasons for substantial defaults in the payments to the depositors, shareholders, debenture holders and creditors, if any.
- Reviewing with the management, the performance of statutory and internal auditors and adequacy of internal control system, discussion with internal auditors of any significant findings and follow up there on.
- The Committee specially focuses on the follow up on:

  a) Inter Branch Adjustment Accounts

  b) Unreconciled long standing entries in Inter Branch Accounts & NOSTRO Accounts

  c) Arrears in balancing of books at various branches.

  d) Frauds

  e) Major areas of house keeping.

The Bank in its appreciation of the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of Reserve Bank of India has constituted an Audit Committee of the Board comprising of 6 Directors, with Non-Executive Independent Director, who is a Chartered Accountant as the Chairman of the Committee.

As per the requirements of RBI, the meetings of the Audit Committee should ordinarily be held at least once in a quarter and not less than six times in a year. During the year, the Audit Committee met 12 times on the following dates:

21.04.2014	05.05.2014	16.06.2014	21.07.2014	28.07.2014	25.08.2014
06.11.2014	07.11.2014	22.11.2014	22.12.2014	30.01.2015	14.03.2015

3.2.1. Details of Attendance of the Directors at the ACB Meetings:

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during 2014-15	Meetings Attended
1.	Shri. P. Vaidyanathan*8 Shareholder Director-Non Executive	Chairman	07.08.2014 – 31.03.2015	12	10

2.	Shri. P C Nalwaya*5 Non Official Director-Non Executive (Chartered Accountant)	Chairman	01.04.2014 – 19.05.2014	2	2
3.	Shri. K R Shenoy Executive Director	Executive Director	01.04.2014-31.03.2015	12	12
4.	Shri B S Rama Rao Executive Director	Executive Director	01.04.2014-31.03.2015	12	12
5.	Shri Sanjay Kumar*3 GOI Nominee Director-Non Executive	Member	12.09.2014 – 31.03.2015	6	2
6.	Shri V.K. Chopra*4 GOI Nominee Director-Non Executive	Member	01.04.2014 – 31.07.2014	5	5
7.	Smt Suma Varma RBI Nominee Director-Non Executive	Member	01.04.2014-31.03.2015	12	11
8.	Smt. Bharati Rao*7 Shareholder Director-Non Executive	Member	01.04.2014-31.03.2015	10	10

3.3 Stakeholer's Relationship Committee:

The Stakeholder's Relationship Committee was constituted by the Bank with the purpose of redressal of Shareholders' and Investors' complaints on matters of their interest.

The Committee monitors the shareholders' grievances with respect to transfers, transmission, splitting and consolidation of shares issued by the bank and any other grievances of the shareholders. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner. As per the latest amendment in Clause 49 the committee was renamed as Stakeholder's Relationship Committee.

The Committee met 4 times during the year under review on the following dates.

21.04.2014	21.07.2014	13.10.2014	30.01.2015

3.3.1. Details of Attendance of the Directors at the Stakeholder's Relationship Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during 2014-15	Meetings Attended
1.	Smt. Bharati Rao*7 Shareholder Director-Non Executive	Chairperson	01.04.2014 - 31.03.2015	4	4
2.	Shri K R Shenoy Executive Director	Executive Director	01.04.2014 - 31.03.2015	4	4
3.	Shri B S Rama Rao Executive Director	Executive Director	01.04.2014 - 31.03.2015	4	4

4.	Shri P C Nalwaya*[5] Non Official Director-Non Executive	Member	01.04.2014 - 19.05.2014	1	1
5.	Shri Ashok Gupta*[6] Non Official Director-Non Executive	Member	01.04.2014 - 10.11.2014	2	1
6.	Shri P. Vaidyanathan*[8] Shareholder Director-Non Executive	Chairman	01.04.2014 - 31.03.2015	4	2
7.	Shri H. Harish Ballal*[9] Officer Employee Director-Non Executive	Member	01.04.2014 - 24.01.2015	1	1
8.	Shri Y. Muralikrishna Workmen Director-Non Executive	Member	01.04.2014 - 31.03.2015	1	1

3.4. Share Transfer Committee:

Besides the Directors' Sub Committee on Stakeholders' Relationship Committee, the Bank has constituted a Share Transfer Committee of Directors with Managing Director & CEO or Executive Director (in the absence of MD & CEO) and two non-executive Directors as its members. The Committee met 8 times during the period under review with details as under. Further, some of the share transfers were approved by agendas sent to the Committee members by circulation, which were subsequently approved and ratified in the regular meetings.

21.04.2014	16.06.2014	21.07.2014	26.08.2014
19.09.2014	13.10.2014	22.11.2014	14.03.2015

3.4.1. Details of Attendance of the Directors at the Share Transfer Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during 2014-15	Meetings Attended
1.	Shri Kishore Sansi*[1] Managing Director & CEO	Chairman	01.01.2015 - 31.03.2015	1	1
2.	Shri V. Kannan*[2] Chairman & Managing Director	Chairman	01.04.2014 - 31.12.2014	7	7
3.	Smt. Bharati Rao*[7] Shareholder Director-Non Executive	Member	01.04.2014 - 31.03.2015	6	5
4.	Shri P. Vaidyanathan*[8] Shareholder Director-Non Executive	Member	01.04.2014 - 31.03.2015	3	2
5.	Shri H. Harish Ballal*[9] Officer Employee Director-Non Executive	Member	01.04.2014 - 24.01.2015	7	7

3.5. Risk Management Committee:

In terms of the recommendations of Dr. Ganguly Committee, the Risk Management Committee of the Board was constituted on 23.07.2003, to devise Bank's Risk Management Policies and strategies for Integrated Risk Management and to co-ordinate with different Risk management Committees in the Bank.

Functions of the Committee

1. To devise the Risk Management Policies and strategies for Integrated Risk Management and to co-ordinate with the different Risk Management Committees in the Bank.
2. Framing policies and guidelines for risk measurement.
3. Management and reporting in all the areas of risk.
4. Ensuring that risk management process (including people, system, operation, limit and control) satisfies Bank's policy.
5. Ensuring robustness of financial models and the effectiveness of all systems used to calculate risk.

The Committee met 5 times during the period under review with details as under.

26.05.2014	21.07.2014	19.09.2014	01.12.2014	14.02.2015

3.5.1. Details of Attendance of the Directors at the Risk Management Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during 2014-15	Meetings Attended
1.	Shri Kishore Sansi*[1] Managing Director & CEO	Chairman	01.01.2015 - 31.03.2015	1	1
2.	Shri V Kannan*[2] Chairman & Managing Director	Chairman	01.04.2014 - 31.12.2014	4	4
3.	Shri K. R. Shenoy Executive Director	Executive Director	01.04.2014 - 31.03.2015	5	5
4.	Shri B. S. Rama Rao Executive Director	Executive Director	01.04.2014 - 31.03.2015	5	5
5.	Smt. Bharati Rao*[7] Shareholder Director-Non Executive	Member	01.04.2014 - 31.03.2015	1	1
6.	Shri P. Vaidyanathan*[8] Shareholder Director-Non Executive	Member	01.04.2014 - 31.03.2015	5	3
7.	Shri Ashok Gupta*[6] Non Official Director-Non Executive	Member	01.04.2014 - 10.11.2014	3	2
8.	Shri H. Harish Ballal*[9] Officer Employee Director-Non Executive	Member	01.04.2014 - 24.01.2015	3	3
9.	Shri Y. Muralikrishna Workmen Director-Non Executive	Member	01.04.2014 - 31.03.2015	5	5

3.6. Committee to Review High Value Frauds

With a view to provide focused attention on monitoring of frauds involving amounts of Rupees one Crore and above, a Committee of the Board was constituted in terms of the guidelines of Reserve Bank of India.

The Committee met 5 times during the period under review, as under:

16.06.2014	21.07.2014	19.09.2014	17.01.2014	14.03.2015

3.6.1 Details of Attendance of the Directors at the Committee to Review High Value Fraud Cases

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during 2014-15	Meetings Attended
1.	Shri Kishore Sansi*[1] Managing Director & CEO	Chairman	01.01.2015 - 31.03.2015	2	2
2.	Shri V. Kannan*[2] Chairman & Managing Director	Chairman	01.04.2014 - 31.12.2014	3	3
3.	Shri K. R. Shenoy Executive Director	Executive Director	01.04.2014 - 31.03.2015	5	5
4.	Shri B. S. Rama Rao Executive Director	Executive Director	01.04.2014 - 31.03.2015	5	5
5.	Shri Sanjay Kumar*[3] GOI Nominee Director-Non Executive	Member	12.09.2014 - 31.03.2015	3	3
6.	Shri V. K. Chopra*[4] GOI Nominee Director-Non Executive	Member	01.04.2014 - 31.07.2014	2	2
7.	Smt. Bharati Rao*[7] Shareholder Director-Non Executive	Member	01.04.2014-31.03.2015	3	3
8.	Shri P. Vaidyanathan*[8] Shareholder Director-Non Executive	Member	01.04.2014-31.03.2015	5	4
9.	Shri H. Harish Ballal*[9] Officer Employee Director-Non Executive	Member	01.04.2014-24.01.2015	1	1
10.	Shri Y. Muralikrishna Workmen Director-Non Executive	Member	01.04.2014-31.03.2015	4	4

3.7 HEAD OFFICE LEVEL CREDIT APPROVAL COMMITTEE (HLCC)

Board of Directors in its meeting held on 28.12.2011 had approved the constitution of Credit Approval Committee of the Board as per the direction of Government of India vide communication bearing reference no 13/1/2006-BO.1 dated 5th December, 2011. As per the notification, the Committee shall exercise powers of Board with regard to sanction of credit proposals upto ₹ 400 Crore in case of category 'A' Banks having business of ₹ Three Lakh Crore or more and credit proposals upto ₹ 250 Crore in case of other nationalized Banks. Credit proposals exceeding the delegated powers of Officials of the Bank including C&MD shall be

placed to this Committee for approval. Credit proposals above this limit shall continue to be placed before the Management Committee of the Board for sanctions. Besides sanctioning the credit proposals (funded and non funded), loan compromise/ write off proposals upto an amount of ₹ 4 crore (excluding fraud cases which will continue to be placed to the MCB) will also be placed to this Committee.

During the year 35 meetings of HLCC were held on the following dates:

05.04.2014	15.04.2014	23.04.2014	06.05.2014	15.05.2014	22.05.2014	27.05.2014
05.06.2014	18.06.2014	26.06.2014	12.07.2014	21.07.2014	04.08.2014	13.08.2014
26.08.2014	03.09.2014	09.09.2014	19.09.2014	25.09.2014	29.09.2014	16.10.2014
23.10.2014	30.10.2014	10.11.2014	22.11.2014	02.12.2014	10.12.2014	17.12.2014
22.12.2014	29.12.2014	28.02.2015	13.03.2015	24.03.2015	27.03.2015	30.03.2015

3.7.1 Details of Attendance of the Members in HLCC meetings:

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during 2014-15	Meetings Attended
1.	Shri Kishore Sansi*[1] Managing Director & CEO	Chairman	01.01.2015 - 31.03.2015	5	5
2.	Shri V. Kannan*[2] Chairman & Managing Director	Chairman	01.04.2014 - 31.12.2014	30	30
3.	Shri K. R. Shenoy Executive Director	Executive Director	01.04.2014 - 31.03.2015	35	35
4.	Shri B. S. Rama Rao Executive Director	Executive Director	01.04.2014 - 31.03.2015	35	34
5.	Shri T. Jayanth Pai General Manager Credit (O)	Member	01.04.2014 - 31.03.2015	11	11
6.	Shri B. Shashidhar Hedge General Manager Credit (O)	Member	01.04.2014 - 31.01.2015	25	25
7.	Shri A. S. Rajeev General Manager Accts	Member	01.04.2014 - 31.03.2015	19	19
8.	Shri H. Narayan Shetty General Manager Accts	Member	01.04.2014 - 31.08.2014	15	13
9.	Shri Pradeep Naik General Manager Credit (R&R)	Member	01.09.2014 - 31.03.2015	11	11
10.	Shri Uday kumar Credit (R&R)	Member	01.04.2014 - 31.08.2014	9	9
11.	Smt. Nirmala Sridhar General Manager RMD	Member	17.05.2014 - 31.03.2015	27	26
12.	Shri A. C. Swain General Manager Risk Mgt	Member	01.04.2014 - 31.03.2015	10	10

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during 2014-15	Meetings Attended
13.	Shri Satish Ballal General Manager Credit (Retail)	Member	01.08.2014 - 31.03.2015	13	13
14.	Shri Jayaram Shetty B General Manager Credit (Retail)	Member	01.04.2014 - 31.07.2014	5	5
15.	Shri Sathyanarayana DGM Credit (R&R)	Member	01.04.2014 - 31.03.2015	1	1

3.8. Directors' Promotion Committee

A Special Committee was formed in terms of Regulation 19(2) of the Vijaya Bank (Officers') Service Regulations, 1982 to review the cases of executives in SMG Scale-V and above. The Committee oversees disciplinary cases and promotions of top executives (Scale VII) of the Bank.

It was constituted for the purpose of review and retirement of officer employees on or at any time after the completion of 55 years of age or at any time after completion of 30 years of total service. The membership comprises of CMD, Executive Directors, Government Director and RBI Nominee Director.

The Committee met 3 times during the period under review as under:

16.06.2014	13.10.2014	17.01.2015

3.8.1. Details of Attendance of the Directors at the Directors Promotion Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during 2014-15	Meetings Attended
1.	Shri Kishore Sansi*[1] Managing Director & CEO	Chairman	01.01.2015 - 31.03.2015	1	1
2.	Shri V. Kannan*[2] Chairman & Managing Director	Chairman	01.04.2014 - 31.12.2014	2	2
3.	Shri K. R. Shenoy Executive Director	Executive Director	01.04.2014 - 31.03.2015	3	3
4.	Shri B. S. Rama Rao Executive Director	Executive Director	01.04.2014 - 31.03.2015	3	3
5.	Shri Sanjay Kumar*[3] GOI Nominee Director- Non Executive	Member	12.09.2014 - 31.03.2015	2	2
6.	Shri V. K. Chopra*[4] GOI Nominee Director-Non Executive	Member	01.04.2014 - 31.07.2014	1	1
7.	Smt Suma Varma RBI Nominee Director-Non Executive	Member	01.04.2014 - 31.03.2015	3	3

3.9 Customer Service Committee

Pursuant to directives of RBI, Customer Service Committee has been constituted by the Board on 08.09.2004.

The Customer Service Committee of the Board is expected to:

1. Oversee the functioning of the Bank's Adhoc Committee on Procedures and Performance Audit on Customer Services.
2. Address the formulation of a Comprehensive Deposit Policy, incorporating issues such as the treatment of death of a depositor for operations of his account, product approval process, annual survey of depositor satisfaction and triennial audit of such services.
3. Introduce innovative measures for enhancing the quality of customer service and
4. Improve the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all times.

The Committee met 4 times during the period under review as under:

26.05.2014	26.08.2014	06.11.2014	14.02.2015

3.9.1 Details of Attendance of the Directors at the Customer Service Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during 2014-15	Meetings Attended
1.	Shri Kishore Sansi*[1] Managing Director & CEO	Chairman	01.01.2015 - 31.03.2015	1	1
2.	Shri V Kannan*[2] Chairman & Managing Director	Chairman	01.04.2014 - 31.12.2014	3	3
3.	Shri K. R. Shenoy Executive Director	Executive Director	01.04.2014 - 31.03.2015	4	4
4.	Shri B. S. Rama Rao Executive Director	Executive Director	01.04.2014 - 31.03.2015	4	4
5.	Shri P. Vaidyanathan*[8] Shareholder Director-Non Executive	Member	01.04.2014 - 31.03.2015	1	1
6.	Shri Ashok Gupta*[6] Non Official Director-Non Executive	Member	01.04.2014 - 10.11.2014	2	2
7.	Shri H. Harish Ballal*[9] Officer Employee Director-Non Executive	Member	01.04.2014 - 24.01.2015	1	1
8.	Shri Y. Muralikrishna Workmen Director-Non Executive	Member	01.04.2014 - 31.03.2015	4	4
9.	Shri Amarnath Hegde Representative of Customers	Member	01.04.2014 - 31.03.2015	4	3

3.10. REMUNERATION COMMITTEE

Remuneration to Whole Time Directors is paid as per Government of India guidelines. In terms of the GOI letter F.No.20/1/2005-BO.1 Dt.09.03.2007, Board of Directors of the Bank constituted the Remuneration

Committee on 30.07.2007. The Committee is formed to evaluate the performance linked incentives to whole time Directors, viz., Chairman & Managing Director and the Executive Director, and to award eligible incentive as on 31st March of the relevant year.

The details of remuneration including performance linked incentive paid to CMD, Managing Director & CEO and ED's during the year 2014-2015 are as detailed below:

Particulars	Shri Kishore Sansi (MD & CEO)	Shri V. Kannan (Ex- CMD)	Shri K. R. Shenoy (ED)	Shri B S Rama Rao (ED)
Salary	₹ 4,68,855.00	₹ 14,41,491.30	₹ 17,06,509.80	₹ 16.56.778.50
PI Encashment on Retirement	–	₹ 6,38,528.41	–	–
Allowances	–	–	–	–
Contribution on PF	₹ 22,650.00	₹ 69,309.00	₹ 82,149.00	₹ 79,755.00
Other-performance Linked Incentive	–	₹ 1,47,945.00	₹ 4,00,000.00	₹ 2,03,836.00
Other (LFC, Medical, etc.)	–	₹ 10,554.74	₹ 49,176.29	₹ 79,843.47
Other Perquisites	₹ 3740.00	₹ 16,830.00	₹ 19,200.00	₹ 19,200.00
Total	₹ 4,95,245.00	₹ 23,24,658.45	₹ 22,57,035.09	₹ 20,39,412.97
Stock Option	–	–	–	–

The Non Executive/Independent Directors are not being paid any remuneration, except the Sitting Fees, traveling and halting expenses for attending the meetings of the Board / Committees as per the guidelines of Government of India. The sitting fees are paid as per Government of India directives.

The Committee met once on 26.05.2014 during the period under review.

3.10.1. Details of Attendance of the Directors at the Remuneration Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during 2014-15	Meetings Attended
1.	Shri V K Chopra*[4] GOI Nominee Director-Non Executive	Member	01.04.2014-31.07.2014	1	1
2.	Smt Suma Varma RBI Nominee Director-Non Executive	Member	01.04.2014-31.03.2015	1	1
3.	Shri Ashok Gupta*[6] Non Official Director - Non Executive	Member	01.04.2014-10.11.2014	1	1
4.	Smt Bharati Rao*[7] Shareholder Director-Non Executive	Member	01.04.2014-31.03.2015	1	-

3.11. NOMINATION COMMITTEE

As directed by the Reserve Bank of India, vide their letter DBOD.No.BC.No.47/29.39001 /2007-08 dated 01.11.2007, the Nomination Committee of the Board was constituted on 28.12.2007, to undertake process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing elected Directors/the persons to be elected

as Directors under Sec.9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980. The Committee consists of three Directors as members.

The Committee met twice during the period under review on 05.05.2014 & 22.07.2014 and found that the persons elected as Directors fulfill the 'fit and proper' criteria stipulated by the Reserve Bank of India.

3.11.1. Details of Attendance of the Directors at the Nomination Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during 2014-15	Meetings Attended
1.	Shri V K Chopra*[4] GOI Nominee Director-Non Executive	Member	01.04.2014-31.07.2014	2	2
2.	Smt Suma Varma RBI Nominee Director-Non Executive	Member	01.04.2014-31.03.2015	1	1
3.	Shri P C Nalwaya*[5] Non Official Director-Non Executive	Member	01.04.2014-19.05.2014	1	1
4.	Shri Ashok Gupta*[6] Non Official Director-Non Executive	Member	01.04.2014-10.11.2014	2	2

3.12 COMMITTEE TO DECIDE ON SUPPORTING CANDIDATES IN ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTORS

In line with the Ministry of Finance, GOI directives, the Board in its meeting held on 31.05.2012, approved the constitution of the committee, to take a decision on supporting candidates in the election of shareholder directors, where the Bank has invested in the shares of those companies.

The committee consists of the following members:

1. Chairman & Managing Director- Chairman of the Committee
2. Executive Director/s- Member
3. One Non-Official Director- Member

During the year since there was no such event the Committee has not met.

3.13 IT STRATEGY COMMITTEE:

In line with the guidelines issued by the RBI and IBA recommendations, Board of Directors at its meeting held on 18.02.2012 has constituted the IT Strategy Committee with an outside technical expert as a special invitee and further reconstituted vide A-94/12 dated 10.05.2012 and A-172/14 dated 24.11.2014.

Scope of the functions of the IT Strategy Committee is as under:-

1. To advise the Bank on strategic direction on IT and to review IT investments on Board's behalf.
2. To approve IT Strategy and Policy documents and ensure that Business Strategy is aligned to IT Strategy.
3. To ascertain that management has implemented processes and practices that ensures that IT delivers value to the business.
4. Monitoring the method the management uses to determine the IT resources needed to achieve strategic

goals and provide high level direction for sourcing and use of IT resources.

5. To evaluate effectiveness of management's monitoring of IT risks and management's performance in IT implementation.

6. Issuing high level policy guidance related to risk.

During the year the Committee met 4 times as under:

09.06.2014	23.07.2014	22.12.2014	14.03.2015

3.13.1. Details of Attendance of the Directors at the IT Strategy Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during 2014-15	Meetings Attended
1.	Smt. Bharati Rao*[7] Shareholder Director-Non Executive	Chairman	01.04.2014-31.03.2015	4	3
2.	Shri Kishore Sansi*[1] Managing Director & CEO	Member	01.01.2015-31.03.2015	1	1
3.	Shri V. Kannan*[2] Chairman & Managing Director	Chairman	01.04.2014-31.12.2014	3	3
4.	Shri K. R. Shenoy Executive Director	Executive Director	01.04.2014-31.03.2015	1	1
5.	Shri B. S. Rama Rao Executive Director	Executive Director	01.04.2014 - 31.03.2015	4	4
6.	Smt. Nirmala Sridhar General Manager – DIT	Member	17.05.2014 - 31.03.2015	4	4
7.	Shri Y. Nageshwar Rao General Manager – Planning	Member	01.04.2014 - 31.03.2015	4	4
8.	Shri A. C. Swain General Manager HRD	Member	01.04.2014 - 31.03.2015	1	1
9.	Shri Jayanth Pai General Manager – Credit (O)	Member	01.04.2014 - 31.03.2015	1	1
10.	Shri B. Shashidhar Hegde General Manager – Credit(O)	Member	01.04.2014 - 31.01.2015	3	2
11.	Shri Pradeep Naik General Manager – Credit (R&R)	Member	01.09.2014 - 31.03.2015	1	1
12.	Shri Udayakumar General Manager – Credit (R&R)	Member	01.04.2014 - 31.08.2014	2	2
13.	Prof Sadagopan - IT Expert	Member	01.04.2014 - 31.03.2015	4	4

3.14 COMMITTEE FOR MONITORING OF RECOVERY

In line with the Ministry of Finance letter dated 21.11.2012; the Board has constituted the committee for Monitoring of recovery to monitor / review the progress in recovery/ management of NPAs in general and of high value accounts of ₹ 1 Crore and above in particular.

The Committee met 5 times during the period under review, as under:

21.04.2014	16.06.2014	17.01.2015	14.02.2015	14.03.2015

3.14.1 Details of Attendance of the Directors at the Committee for Monitoring of Recovery

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during 2014-15	Meetings Attended
1.	Shri Kishore Sansi*[1] Managing Director & CEO	Chairman	01.01.2015 - 31.03.2015	3	3
2.	Shri V. Kannan*[2] Chairman & Managing Director	Chairman	01.04.2014 - 31.12.2014	2	2
3.	Shri K. R. Shenoy Executive Director	Executive Director	01.04.2014 - 31.03.2015	5	5
4.	Shri B. S. Rama Rao Executive Director	Executive Director	01.04.2014 - 31.03.2015	5	5
5.	Shri Sanjay Kumar*[3] GOI Nominee Director-Non Executive	Member	12.09.2014 - 31.03.2015	3	3
6.	Shri V. K. Chopra*[4] GOI Nominee Director-Non Executive	Member	01.04.2014 - 31.07.2014	2	2

3.15 COMMITTEE TO CONSIDER APPEALS PREFERRED BY EMPLOYEES AGAINST FINAL ORDERS BY THE CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR AS DISCIPLINARY AUTHORITY

The Committee was formed on 29.03.2010 to consider appeals from employees against final order by the CMD as Disciplinary Authority to protect the interest of employees. The committee consists of GOI Nominee Director, RBI Nominee Director and Non official Director (Chairman of the Audit Committee of the Board)

The Committee met 1 time during the period under review on 28.07.2014

3.15.1 Details of Attendance of the Directors at the Committee to consider appeals preferred by employees against final orders by the Chairman and Managing Director as Disciplinary Authority

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during 2014-15	Meetings Attended
1.	Shri V. K. Chopra*[4] GOI Nominee Director-Non Executive	Member	01.04.2014 - 31.07.2014	1	1

2.	Smt. Suma Varma RBI Nominee Director-Non Executive	Member	01.04.2014 - 31.03.2015	1	1
3.	Shri P. Vaidyanathan*[8] Shareholder Director-Non Executive	Member	01.04.2014 - 31.03.2015	1	1

3.16 APAR REVIEW COMMITTEE:

The Committee was formed on 14.09.2013 for reviewing/upgrading the rating in Annual Performance Appraisal Reports (APAR) for Executives in TEGS-VII and the same was reconstituted on 31.10.2014.

The Committee met **once** during the period under review on 01.12.2014

3.16.1 Details of Attendance of the APAR Review Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during 2014-15	Meetings Attended
1.	Shri. Kishore Sansi*[1] Managing Director & CEO	Chairman	01.01.2015-31.03.2015	-----	-----
2.	Shri. V Kannan*[2] Chairman & Managing Director	Chairman	01.04.2014-31.12.2014	1	1
3.	Shri Sanjay Kumar*[3] GOI Nominee Director- Non Executive	Member	12.09.2014 – 31.03.2015	1	1
3.	Smt Bharati Rao*[7] Shareholder Director-Non Executive	Member	01.04.2014-31.03.2015	1	1

3.17 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE:

The Committee was formed on 17.01.2014 for enhancing the scope of work on Corporate Social Responsibility in line with Government guidelines.

The Committee met once during the period under review on 22.12.2014

3.17.1 Details of Attendance of the Corporate Social Responsibility Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during 2014-15	Meetings Attended
1.	Shri B S Rama Rao Executive Director	Executive Director	01.04.2014-31.03.2015	1	1

2.	Smt Bharati Rao*7 Shareholder Director-Non Executive	Member	01.04.2014-31.03.2015	1	1
3.	Shri. H. Harish Ballal*9 Officer Employee Director-Non Executive	Member	01.04.2014-24.01.2015	1	1

3.18 REVIEW COMMITTEE IN RESPECT OF BORROWERS IDENTIFIED AS WILLFUL DEFAULTERS:

The Committee was formed on 17th January 2015 as per the recent guidelines of the RBI vide Master circular RBI/2014-15/73 dated 1st July 2014 (updated upto 7th January 2015) to review the grievances of those borrowers identified as Willful defaulters. The committee comprised of MD & CEO as the Chairman and two Non Executive Independent as Members. During the period of review the committee has not met.

3.19 HR COMMITTEE

The Committee was formed recently on 14th February 2015 to address the critical HR issues. The committee comprises of the following members:

1. MD & CEO - Chairman of the Committee
2. Executive Director - Member
3. Executive Director - Member
4. Non Executive Independent Director - Member
5. Non Executive Independent Director - Member

During the period of review the committee has not met.

4. Particulars of Shareholdings of Non-Executive/Shareholder Directors as on 31.03.2015:

Name of Director	Number of shares held
1. Smt. Bharati Rao, Shareholder Director	100
2. Shri P. Vaidyanathan, Shareholder Director	2,100

5. CODE OF CONDUCT:

Bank has been following the Code of Conduct as stipulated in clause 49 of the Listing Agreement. Accordingly, confirmation has been obtained from all Directors/ top management personnel on an annual basis for compliance of the same. The code of conduct is hosted in Bank's Website.

6. GENERAL BODY MEETING

The details of the last three Annual General Meeting held are furnished below:

Date	Time	Venue
29.06.2012	4.00 P.M	Mulki Sunder Ram Shetty Auditorium, Vijaya Bank, M.G. Road, Bangalore.
28.06.2013	4.00 P.M	
27.06.2014	11.00A.M	

The following Directors were present during the Fourteenth Annual General Meeting. There was no Special Resolution passed in this meeting:

1.	Shri V. Kannan	Chairman & Managing Director
2.	Shri K. R. Shenoy	Executive Director
3.	Shri P. C.Nalwaya	Non Official Director & Chairman of ACB
4.	Smt. Bharathi Rao	Shareholder Director
5.	Shri P. Vaidyanathan	Shareholder Director
6.	Shri Ashok Gupta	Non Official Director
7.	Shri Harish Ballal	Officer Employee Director

Shri Ashok Agarwal, Under Secretary, Ministry of Finance, and Government of India was present at the Meeting as an Observer of the Government of India.

7. SHARE TRANSFER SYSTEM & REDRESSAL OF INVESTORS' GRIEVANCES:

Share transfers, dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Share Transfer Agent. The Bank ensures that all transfer of shares is duly effected within the stipulated period from the date of their lodgments. The Board has constituted Stakeholer's Relationship Committee and In house Executive Committee for share transfer to redressed Shareholder's Grievances and to consider transfer of shares and other related matters. The Committees meet at regular intervals and reviews the status of Stakeholder's Grievances besides confirming transfer of shares.

The Bank has appointed M/s Link Intime India Pvt Limited as its Registrar & Share Transfer Agent whose duty is to process share transfers, dividend payments, recording of shareholders' requests, and resolution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of shares. The Investors may lodge their transfer deeds/requests/complaints with the Registrar at the following address:

M/s Link Intime India Private Limited
(Unit: Vijaya Bank)
C-13, Pannalal Silk Mills Compound,
L.B.S.Road, Bhandup (West)
MUMBAI-400 078
Tel: (022) 25963838, 25946970-78
Fax: (022) 25946969
E-mail: mumbai@linkintime.co.in and rnt.helpdesk@linkintime.co.in

For the convenience of investors, requests for the share transfers and grievances / complaints from shareholders are also accepted at the Bank's Head Office in Bengaluru at the following address:

General Manager,
Board Secretariat (Shares Division)
Vijaya Bank, Head Office,
41/2, M.G.Road, Bengaluru
Karnataka – 560 001
Telephone : 080 25584066 Extn.514
Fax : 080 25594737.
e-mail : sdigc@vijayabank.co.in
website : www.vijayabank.com

The prompt response and immediate redressal of grievances of shareholders is the utmost concern of the Bank and is fully ensured.

Share Transfer System:

The transfers of Bank's Equity Shares are effected by our Share Transfer Agent- M/s Link Intime India Private Limited, Mumbai. The share transfer requests, as and when received by them, are scrutinized and if found in order, are processed and sent to Bank's Head Office for approval.

The lists of requests for share transfers/ dematerialization/ rematerialization/ split/ replacement/ consolidation etc., are placed before the Share Transfer Committee of the Board for approval. After getting the approval from the Share Transfer Committee, M/s Link Intime India Private Limited effects the transfers, demat etc., and sends it to the shareholders. The Bank ensures that all transfers of shares are duly effected within the stipulated period from the date of their lodgment.

As per Clause 47 of the Listing Agreement with Stock Exchanges, a report on share transfers effected by the R & T Agent and approved by the Share Transfer Committee is placed before the Board of Directors of the Bank for information.

Number of Complaints received, resolved and pending

All the complaints from shareholders are received directly by M/s. Link Intime India Private Limited, Mumbai and those received by the bank are forwarded to them. The details of requests / complaints received and resolved during 2014-2015 and pending as on 31.03.2015 are as follows:

Particulars	Pending As on 01.04.2014	Received	Resolved	Pending As on 31.03.2015
a) No. of Requests	NIL	6224	6224	NIL
b) No. of Complaints	NIL	2640	2640	NIL

None of the above complaints were pending for more than one month. As on 31.03.2015, no share transfer requests were pending at our end.

8. DISCLOSURE, COMMUNICATION AND RELATIONSHIP WITH SHAREHOLDERS

There are no materially significant Related Party Transactions of the Bank with its Promoters/ Directors, Management, their Subsidiaries and/or Relatives that would have potential conflict with the interests of the Bank at large.

The Bank has complied with all the requirements regarding capital market related matters and has not been imposed any penalty or stricture by the Stock Exchanges or SEBI or any other statutory authorities during the financial year 2013-14. The Bank has conducted the Annual General Meeting and paid dividend to the eligible shareholders within the statutory time frame.

Information relating to Bank is sent mainly through the Annual Report which includes the Chairman's Statement, the Directors Report, Audited Accounts, Cash Flow Statements etc. The shareholders are also intimated on the quarterly, half yearly and annual performances through publication in news papers, intimation to stock exchanges, press releases and also through Bank's website www.vijayabank.com.

During the financial year the quarterly financial results were published in leading newspapers namely Business Standard (English), Business Line (English), Economic Times (English), The New Indian Express (English), Financial Express (English), Deccan Herald (English), Jansatta (Hindi), Prajavani (Kannada), Udayavani (Kannada), Kannada Prabha (Kannada) and Vijaya Karnataka (Kannada). The results are also displayed on the web site of the bank www.vijayabank.com.

9. MANDATORY AND NON-MANDATORY REQUIREMENTS

9.1 The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges.

The extent of implementation of New Mandatory requirements is furnished hereunder:

	REQUIREMENT	COMPLIANCE
9.1.1	Training of Board Members	The Board Members are imparted training, by deputing them for training programmes conducted by Reputed Agencies. A complete overview of Business Model along with the Government Guidelines regarding their responsibilities and code of conduct is given to each Member.
9.1.2	Mechanism for evaluating non-executive Board Members	Composition of Board of Directors is regulated by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980 and the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) scheme, 1980. Hence this clause is not applicable for us.
9.1.3	Whistle Blower Policy	As a responsible public sector organization, the Bank believes in conducting its affairs in a fair and transparent manner by adopting the highest standards of professionalism, honesty, integrity and ethical behavior. The Bank is committed to develop a culture, where it is safe for all, who raise alarm about any unacceptable/ unethical practice or misconduct at any level. To ensure the highest standard of honesty, integrity and ethical behavior and to address the related issues, call for protection of bona fide concerns of informers, be it employees or other stakeholders including general public against victimization, harassment or vexed disciplinary proceedings, the Bank has formulated a Whistle Blower Policy of its own in line with the guidelines issued by Central Vigilance Commission (CVC) and SEBI.

9.2 The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished hereunder.

	REQUIREMENT	COMPLIANCE
9.2.1	A Non-Executive Chairman should be entitled to maintain the Chairman's office at the company's expense and also be allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	The Bank is headed by an Executive Chairman appointed by Government of India and as such this requirement is not applicable.

9.2.2	The half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, should be sent to each household of shareholders.	The Bank sends yearly financial results along with the summary of significant developments during the year, to all the shareholders. Bank's quarterly financial results are published through Newspapers, Stock Exchanges and also through Bank's Website, after approval of the same by the Board of Directors.

10. SHAREHOLDERS' INFORMATION:

The Bank is a Scheduled Commercial Bank having its Head Office at Bengaluru. The Bank has its presence in all parts of the country with 1618 network of Branches as on 31.03.2015. The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges:

1) **Bombay Stock Exchange Limited**
Corporate Relationship Department,
1st Floor, New Trading Ring,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort, Mumbai-400 001
BSE CODE: 532401

2) **National Stock Exchange of India Ltd**
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No.C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400 051
NSE CODE : Vijaya Bank EQ AE BE BT

Note: Bangalore Stock Exchange has submitted their voluntary de-recognition request and accordingly SEBI has issued an Exit order to BgSE. Bank stands delisted from BgSE as on 31.03.2015.

The annual listing fees to the Stock Exchanges for the year 2014-15 have been paid within prescribed due dates.

10.1. Dematerialisation of Securities:

Dematerialisation of shares of the Bank is not compulsory but the Bank has its shares Dematerialised with National Securities Depository Ltd and Central Depository Services (India) Limited. Bank has been allotted ISIN Code No. INE705A01016 for the Dematerialised Equity Shares. There is normal liquidity as the shares of the Bank are dealt with at two Stock Exchanges. Bank has complied with SEBI requirements with regard to Share Capital Audit for the purpose of reconciliation of the total admitted capital with both the depositories i.e. NSDL and CDSL and the total issued and listed capital of the Bank and in respect of other matters covered under the directions of SEBI, by a practising Company Secretary.

Particulars of shares held in Demat and Physical form held by the Equity Shareholders as of 31.03.2015 are as under:

	No of share holders	No. of shares	Percentage Shareholding
DEMAT			
President of India	1	63,62,47,049	74.06

Others in NSDL	1,44,508	17,17,75,189	19.99
Others in CDSL	59,648	2,76,02,466	3.21
Total		**83,56,24,704**	**97.26**
PHYSICAL			
OTHERS	71,643	2,34,94,603	2.74
Grand Total	**2,75,800**	**85,91,19,307**	**100**

10.2. Dividend paid by the Bank during the year 2014-2015:

During the year 2014-15, Bank paid a final dividend of 10% to the shareholders pertaining to the financial year 2013-14. The dividend was recommended by the Board of Directors of the Bank in its Board Meeting held on 06.05.2014 and the same was declared by the shareholders in the Fourteenth Annual General Meeting held on 27.06.2014. Book closure for the purpose of AGM and payment of final dividend for the year 2013-14 was fixed from 24.06.2014 to 27.06.2014. All the Dividend Warrants were dispatched/ECS credit was effected by 15.07.2014.

10.3 Share Capital of the Bank:

As per section 3 (2A) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1980, the Central Government, may after consultation with RBI and by notification in the Official Gazette, increase or reduce the Authorized Capital as it thinks fit, and after such increase or reduction, the Authorized Capital shall not exceed three thousand Crore of rupees or should not be less than one thousand five hundred Crore of rupees.

The Government of India vide notification dated 10/11/2009 increased the Authorized Capital of the Bank from ₹ 1500 Crore to ₹ 3000 Crore. Accordingly Authorized Capital of the Bank at present is ₹ 3000 Crore divided into 300 Crore fully paid shares of ₹ 10 each.

At present, Government of India holds 74.06% Equity Share Capital of the Bank and is the major shareholder of the Bank. The details of present Paid up Capital of the Bank is as follows:

(₹ in Crore)

Authorised Capital:

300 Crore Shares of ₹ 10 each ₹ 3000.00

Paid up Capital:

85,91,19,307 Equity Shares of ₹ 10 each ₹ 859.12

Total Paid up Capital ₹ **859.12**

Table 1: Category wise Distribution of Equity Shareholding as on 31.03.2015

	Category	No. of Shares held	Percentage of Shareholding
A	**Promoter's Holding**		
1	Promoters		
	- Indian Promoters (Govt Of India)	63,62,47,049	74.06
	- Foreign Promoters	–	–

2	Persons Acting In Concert		
	Sub-Total	**63,62,47,049**	**74.06**
B	**Non-Promoters Holding**		
3	Institutional Investors		
	a) Mutual Funds & UTI	–	–
	b) Banks, Financial Institutions, Insurance Companies, (Central/state Institutions/Non-Government Institutions)	6,97,30,013	8.12
	c) FIIs/FMFs	2,59,80,147	3.02
	Sub- Total	**9,57,10,160**	**11.02**
C	**Others**		
	a) Private Corporate Bodies	1,37,79,212	1.6
	b) Indian Public	10,95,36,850	12.75
	c) NRIs/OCBs	29,75,336	0.35
	d) Any Other (Clg Member & Market Maker)	8,70,500	0.10
	e) Foreign Nationals	200	0.0001
	Sub -Total	**12,71,62,098**	**14.81**
	GRAND TOTAL	**85,91,19,307**	**100**

Table 2: Total Foreign shareholding as on 31.03.2015

Sl No.	Particulars	Number of Shares	Percentage of Shareholding
1	GDR & ADR holding	- Nil -	- Nil -
2	Foreign Promoters	- Nil -	- Nil -
3	Foreign Institutional Investors	2,59,80,147	3.02
4	Foreign Mutual Funds	- Nil -	- Nil -
5	NRIs	29,75,336	0.35
6	Foreign Banks	- Nil -	- Nil -
7	Foreign National	200	0.0001
	Total	**2,89,55,683**	**3.37**

Table 3: List of Shareholders holding more than 1% of equity shares of the bank as on 31.03.2015.

Sl. No.	Name of share Holders	No. of shares Held	Percentage of Shareholding	Category
1	President of India	63,62,47,049	74.06	Indian promoter
2	LIC of India	4,92,61,826	5.73	Govt. Sponsored Financial Institution

10.4. Stock Market Data

The monthly high & low quotations and the volume of shares traded on for NSE and BSE for the period April 2014 to March 2015 are as follows:

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (NSE)

Month		High (₹)	Low (₹)	Close (₹)	Close Date	Volume of Shares Traded	NSE NIFTY
April	2014	41.50	38.50	**41.15**	30.04.2014	15812079	6428.49
May	2014	58.75	39.55	**50.20**	30.05.2014	60740247	29030.13
June	2014	58.10	49.65	**55.45**	30.06.2014	49683484	27087.04
July	2014	57.35	48.20	**48.70**	31.07.2014	36318285	19217.62
August	2014	49.70	43.70	**45.15**	28.08.2014	14522304	6719.62
September	2014	49.90	44.55	**48.00**	30.09.2014	16623343	7777.29
October	2014	48.50	45.60	**47.60**	31.10.2014	8531048	4006.31
November	2014	53.05	47.75	**51.10**	28.11.2014	13908795	6975.57
December	2014	51.75	44.50	**50.55**	31.12.2014	13772557	6703.18
January	2015	53.25	48.45	**49.70**	30.01.2015	13217679	6655.21
February	2015	51.20	47.35	**48.50**	28.02.2015	7172054	3525.24
March	2015	49.20	43.60	**46.50**	31.03.2015	6688483	3087.48

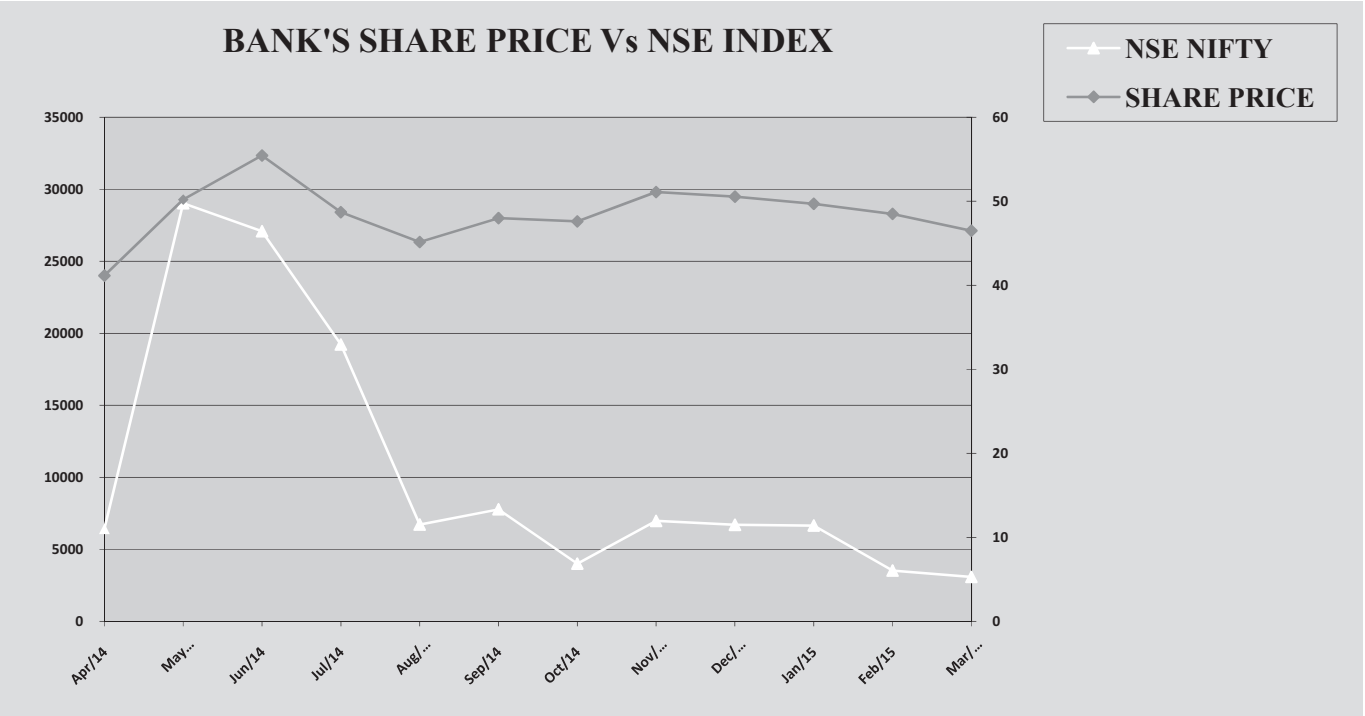

BOMBAY STOCK EXCHANGE LIMITED (BSE)

Month		High (₹)	Low (₹)	Close (₹)	Close Date	Volume of Shares Traded	BSE SENSEX
April	2014	44.45	38.80	**40.95**	30.01.2014	3714949	1512.76
May	2014	53.75	40.20	**50.05**	30.05.2014	15156805	7276.26
June	2014	58.35	49.65	**55.40**	30.06.2014	12058568	6570.89
July	2014	57.35	48.15	**48.70**	31.07.2014	7933340	4179.06
August	2014	49.15	43.75	**45.10**	28.08.2014	2319595	1072.82
September	2014	49.60	44.50	**47.85**	30.09.2014	2765008	1294.59
October	2014	48.45	45.80	**47.60**	31.10.2014	1069219	503.17
November	2014	52.90	47.75	**51.00**	28.11.2014	3183133	1596.18
December	2014	52.80	44.60	**50.15**	31.12.2014	2960836	1436.57
January	2015	53.15	47.55	**49.70**	30.01.2015	2565790	1291.19
February	2015	50.50	47.25	**48.15**	28.02.2015	1363909	668.84
March	2015	50.70	43.75	**46.50**	31.03.2015	1235216	567.76

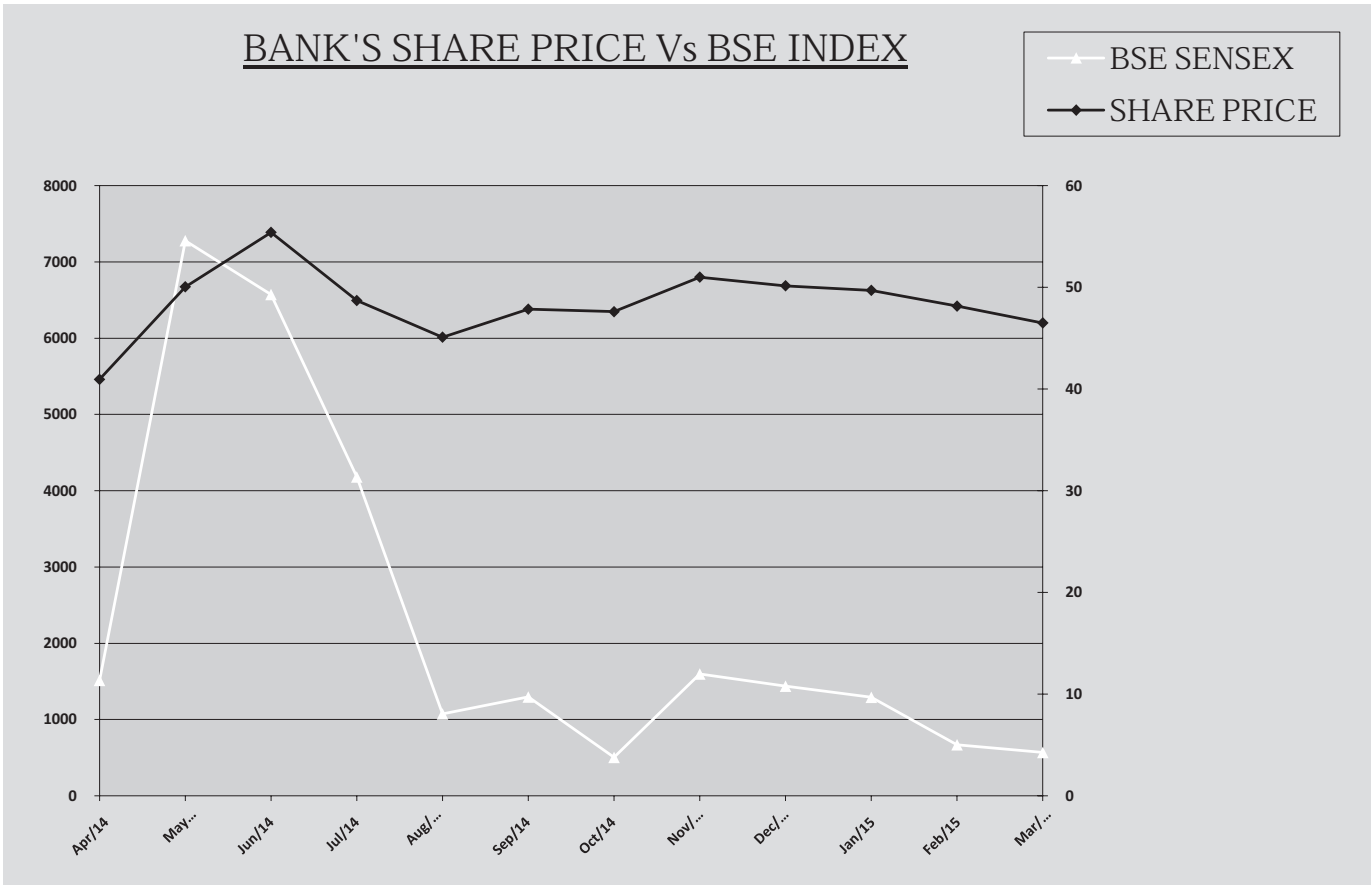

10.6. Value wise Distribution of Share holding of Vijaya Bank as on 31.03.2015

Shareholding of Nominal value. ₹	Shareholders		Shares	
	Nos.	Percentage	Amt in ₹	Percentage
1 to 500	239358	86.7868	382386560	4.4509
501 to 1000	23321	8.4558	201656110	2.3472
1001 to 2000	7857	2.8488	120574780	1.4035
2001 to 3000	1863	0.6755	47510060	0.5530
3001 to 4000	1020	0.3698	37350320	0.4348
4001 to 5000	634	0.2299	30128070	0.3507
5001 to 10000	973	.3528	72827560	0.8477
10001 and above	774	0.2806	7698759610	89.6122
TOTAL	**275800**	**100.00**	**8591193070.00**	**100.00**

Kishore Sansi
Managing Director & CEO

K. R. Shenoy
Executive Director

B. S. Rama Rao
Executive Director

Sanjay kumar
Director

Suma Varma
Director

Bharati Rao
Director

Y. Muralikrishna
Director

Place: Bengaluru
Date: 12.05.2015

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To

The Members of Vijaya Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **VIJAYA BANK** for the year ended on 31st March 2015, as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement of the said Bank with Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

We wish to bring to your notice that in respect of "Consitution of Board of Directors, Audit Committee / Other Committees, Remuneration of Directors, Board Procedures / Related Party Transactions / Whistle Blower / Management and Compliance", as stipulated under Clause 49 of the Listing Agreement, the Bank is governed by the provisions stipulated under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Banking Regulation Act, 1949, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and RBI Directives / GOI Guidelines / ICAI - Accounting Standards whenever applicable. The Bank has therefore complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement to the extent these do not violate RBI guidelines.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month, against the Bank, as per the records maintained by the Stakeholder's Relationship Committee and as certified by the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For N C Mittal & Co
Chartered Accountants
Partner

For M/s Karra & Co
Chartered Accountants
Partner

For M/s. KPMC & Associates
Chartered Accountants
Partner

For M/s. PKF Sridhar & Santhanam LLP
Chartered Accountants
Partner

Place: Bengaluru
Date: 12.05.2015

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2015

PARTICULARS	Schedule No.	[₹ 000's omitted]	
		As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
CAPITAL AND LIABILITIES			
Capital	1	**859 11 94**	859 11 94
Reserves and Surplus	2	**5300 63 50**	5028 80 44
Deposits	3	**126343 35 06**	124296 15 93
Borrowings	4	**7278 19 36**	4744 79 86
Other Liabilities and Provisions	5	**2861 79 31**	2429 73 11
TOTAL		**142643 09 17**	137358 61 28
ASSETS			
Cash and Balance with Reserve Bank of India	6	**6534 29 47**	5540 20 76
Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**817 53 70**	3917 44 83
Investments	8	**44522 09 86**	42585 38 48
Advances	9	**86695 86 33**	81504 03 21
Fixed Assets	10	**566 64 48**	528 94 55
Other Assets	11	**3506 65 33**	3282 59 45
TOTAL		**142643 09 17**	137358 61 28
Contingent Liabilities	12	**14092 25 19**	13130 99 95
Bills for Collection		**2468 85 24**	2227 43 58
Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		

Significant Accounting Policies and the Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

KISHORE SANSI
Managing Director & CEO

K. R. SHENOY
Executive Director

B. S. RAMA RAO
Executive Director

SANJAY KUMAR
Director

SUMA VARMA
Director

BHARATI RAO
Director

Y. MURALIKRISHNA
Director

A. S. RAJEEV
General Manager

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For M/s KARRA & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 001749S

K.PREMKUMAR
Partner
Membership No:019170

For M/s N C MITTAL & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 000237N

[N C MITTAL]
Partner
Membership No:14213

For M/s KPMC & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No: 05359C

[SANJAY MEHRA]
Partner
Membership No:075488

For M/s PKF SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
Registration No: 003990S/S200018

[S RAJESHWARI]
Partner
Membership No:024105

Place : Bengaluru
Date : 12.05.2015

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2015

[₹ 000's omitted]

PARTICULARS	Schedule No.	For the year ended 31.03.2015	For the year ended 31.03.2014
I. INCOME			
Interest Earned	13	**12273 52 65**	10706 55 69
Other Income	14	**878 96 41**	709 87 43
TOTAL		**13152 49 06**	11416 43 12
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	**9981 24 73**	8623 14 76
Operating Expenses	16	**1912 21 20**	1689 55 33
Provisions and Contingencies		**819 62 19**	687 82 17
TOTAL		**12713 08 12**	11000 52 26
III. PROFIT / LOSS			
Net Profit for the year		**439 40 94**	415 90 86
Add: Profit brought forward		**934 27 54**	958 98 84
Less: Creation of DTL on Special Reserve U/s 36(1)(viii)		**-**	157 62 10
Add: Transfer from General Reserve		**-**	-
TOTAL		**1373 68 48**	1217 27 60
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to Statutory Reserve		**109 85 24**	103 97 72
Transfer to Special Reserve in terms of Sec. 36 (1) (viii) of the Income Tax Act		**-**	-
Transfer to Capital Reserve		**6 54 18**	13 64 01
Transfer to General Reserve		**-**	-
Interim Dividend (inclusive of tax)		**-**	64 87 06
Proposed Dividend - Equity Share Capital (inclusive of tax)		**155 10 28**	100 51 27
Proposed Dividend Preference Share Capital (inclusive of tax)		**-**	-
Balance carried forward to Balance Sheet		**1102 18 78**	934 27 54
TOTAL		**1373 68 48**	1217 27 60
Earnings Per Share - Basic (In Rs.)		**5.11**	7.64
- Diluted (In Rs.)		**5.11**	7.64
Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		

Significant Accounting Policies and the Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.

KISHORE SANSI
Managing Director & CEO

K. R. SHENOY
Executive Director

B. S. RAMA RAO
Executive Director

SANJAY KUMAR
Director

SUMA VARMA
Director

BHARATI RAO
Director

Y. MURALIKRISHNA
Director

A. S. RAJEEV
General Manager

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For M/s KARRA & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 001749S

K.PREMKUMAR
Partner
Membership No:019170

For M/s N C MITTAL & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 000237N

[N C MITTAL]
Partner
Membership No:14213

For M/s KPMC & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No: 05359C

[SANJAY MEHRA]
Partner
Membership No:075488

For M/s PKF SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
Registration No: 003990S/S200018

[S RAJESHWARI]
Partner
Membership No:024105

Place : Bengaluru
Date : 12.05.2015

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AND PROFIT & LOSS ACCOUNT

[₹ 000's omitted]

PARTICULARS	As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
SCHEDULE - 1 :		
CAPITAL		
AUTHORISED CAPITAL	**3000 00 00**	3000 00 00
300,00,00,000 Shares of Rs.10/- each		
ISSUED, SUBSCRIBED AND CALLED UP CAPITAL		
85,91,19,307 Equity Shares of Rs.10/- each (Previous year 85,91,19,307 Equity shares of Rs.10/- each)	**859 11 94**	859 11 94
PAID UP CAPITAL		
(a) Held by Central Government 63,62,47,049 Equity Shares of Rs.10/- each (Previous year 63,62,47,049 Equity shares of Rs.10/- each)	**636 24 71**	636 24 71
(b) Held by the Public and Others 22,28,72,258 Equity Shares of Rs.10/- each (Previous year 22,28,72,258)	**222 87 23**	222 87 23
TOTAL	**859 11 94**	859 11 94
SCHEDULE - 2 :		
RESERVES AND SURPLUS		
I. STATUTORY RESERVE		
Balance as per last Balance Sheet	**1337 71 96**	1233 74 25
Add : Additions during the year	**109 85 24**	103 97 71
TOTAL	**1447 57 20**	1337 71 96
II. CAPITAL RESERVE		
Balance as per last Balance Sheet	**351 89 46**	338 25 45
Add : Additions during the year	**6 54 18**	13 64 01
TOTAL	**358 43 64**	351 89 46
III. SHARE PREMIUM		
Balance as per last Balance Sheet	**1679 39 85**	592 97 88
Add : Additions during the year	**-**	1086 41 97
TOTAL	**1679 39 85**	1679 39 85
IV. REVALUATION RESERVE		
Balance as per last Balance Sheet	**248 99 27**	262 62 40
Add : Additions during the year	**-**	-
Less : Deduction on account of depreciation adjusted from Profit & Loss Account	**12 47 60**	13 63 13
TOTAL	**236 51 67**	248 99 27

[₹ 000's omitted]

PARTICULARS	As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
V. REVENUE AND OTHER RESERVES		
[a] Special Reserve in terms of Sec.36 (1) (viii) of the Income Tax Act		
Balance as per last Balance Sheet	**463 72 74**	436 72 74
Add : Additions during the year	**-**	-
TOTAL	**463 72 74**	463 72 74
[b] General Reserve		
Balance as per last Balance Sheet	**12 79 62**	12 79 62
Add/(Less) : Transfer during the Year	**-**	-
TOTAL	**12 79 62**	12 79 62
[c] Balance in Profit & Loss Account	**1102 18 78**	934 27 54
TOTAL	**1102 18 78**	934 27 54
TOTAL [a+b+c]	**1578 71 14**	1410 79 90
TOTAL { I+II+III+IV+V}	**5300 63 50**	5028 80 44
SCHEDULE - 3 :		
DEPOSITS		
DEPOSITS IN INDIA		
I. Demand Deposits		
i) From Banks	**17 74 14**	15 57 53
ii) From Others	**6690 78 01**	5881 67 32
II. Savings Bank Deposits	**19031 05 36**	16977 97 64
III. Term Deposits		
i) From Banks	**44 00 95**	323 10 63
ii) From Others	**100559 76 60**	101097 82 81
TOTAL	**126343 35 06**	124296 15 93
SCHEDULE - 4 :		
BORROWINGS		
I. BORROWINGS IN INDIA		
i) Reserve Bank of India	**-**	350 00 00
ii) Other Banks	**-**	-
iii) Other Institutions & Agencies	**4028 19 36**	2644 79 86

[₹ 000's omitted]

PARTICULARS	As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
SCHEDULE - 4 : (Contd..)		
iv) Sub-ordinated Debts - Bonds		
1) 10 Years & 3 months Bonds 2015 @ 7.15%	**250 00 00**	250 00 00
2) 10 Years Bonds 2016 @ 9.25%	**250 00 00**	250 00 00
3) 15 Years Bonds 2022 @ 10.10%	**300 00 00**	300 00 00
4) 10 Years & 3 months Bonds 2017 - 9.50%	**200 00 00**	200 00 00
5) 10 Years & 4 Months Bonds 2018 - 9.35%	**200 00 00**	200 00 00
6) 15 Years Bonds 2023 - 9.45%	**300 00 00**	300 00 00
7) 10 Years Bonds 2023 - 9.73%	**250 00 00**	250 00 00
8) 10 Years Bonds 2024 - 9.15%	**500 00 00**	-
9) Perpetual Additional Tier I Bonds 2024 - 9.54%	**100 00 00**	-
10) 10 Years Bonds 2025 - 8.62%	**500 00 00**	-
11) Perpetual Additional Tier I Bonds 2024 - 10.40%	**400 00 00**	-
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA	**-**	-
TOTAL	**7278 19 36**	4744 79 86
SCHEDULE - 5 :		
OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
(i) Bills Payable	**473 67 86**	417 15 42
(ii) Interest Accrued	**289 16 55**	325 22 24
(iii) Provision against standard assets	**465 15 53**	424 01 53
(iv) Others [including Provisions]	**1559 82 49**	1051 45 13
(v) Inter Office Adjustments [net]	**50 88 95**	136 76 30
(vi) Deferred Tax Liability (Net)	**23 07 93**	75 12 49
TOTAL	**2861 79 31**	2429 73 11
SCHEDULE - 6 :		
CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. Cash in Hand [including foreign currency notes]	**493 80 86**	373 49 97
II. Balances with Reserve Bank of India in Current Accounts	**6040 48 54**	5166 68 72
III. Balances with Reserve Bank of India in Other Accounts	**7**	2 07
TOTAL	**6534 29 47**	5540 20 76
SCHEDULE - 7 :		
BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. IN INDIA		
(i) Balances with Banks		
a) in Current Accounts	**78 24 57**	76 37 89
b) in Other Deposit Accounts	**64**	63
(ii) Money at Call and Short Notice		
a) with Banks	**3 00 00 00**	22 48 13 61
b) with Other Institutions	**1 71 40 25**	879 43 25
TOTAL	**549 65 46**	3203 95 38

[₹ 000's omitted]

PARTICULARS	As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
II. OUTSIDE INDIA *		
a) in Current Accounts	**12 19 53**	97 09 76
b) in Other Deposit Accounts	**255 68 71**	616 39 69
TOTAL	**267 88 24**	713 49 45
TOTAL {I+II}	**817 53 70**	3917 44 83
*Includes pipeline and unadjusted items in Nostro Mirror Balances		
SCHEDULE - 8 :		
INVESTMENTS		
INVESTMENTS IN INDIA [GROSS]	**44698 33 78**	42833 77 92
Less : Provision for Depreciation and Non Performing Investments	**176 23 92**	248 39 44
Net Investments in India	**44522 09 86**	42585 38 48
Break up :		
i) Government Securities	**34930 20 17**	33263 69 52
ii) Other Approved Securities	**2 66 87**	2 53 17
iii) Shares	**197 37 66**	188 24 54
iv) Debentures & Bonds	**3842 37 01**	3710 53 42
v) Investments in Associates (on Equity Method)	**-**	-
vi) Others (Units, Kissan/Indira Vikas Patra, NABARD- RIDF, PSU Deposits)	**5549 48 15**	5420 37 83
TOTAL	**44522 09 86**	42585 38 48
SCHEDULE - 9 :		
ADVANCES		
[A] i) Bills Purchased & Discounted	**1588 15 73**	1921 78 92
ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans Repayable on Demand	**30329 62 18**	32786 52 05
iii) Term Loans	**54777 83 44**	46795 46 45
iv) Claim receivable under Agricultural Debt Waiver Scheme - 2008	**24 98**	25 79
TOTAL	**86695 86 33**	81504 03 21
[B] i) Secured by Tangible Assets [includes advance against book debts]	**73497 63 47**	62369 86 51
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	**3141 63 22**	3732 86 76
iii) Unsecured	**10056 34 66**	15401 04 15
iv) Claim receivable under Agricultural Debt Waiver Scheme - 2008	**24 98**	25 79
TOTAL	**86695 86 33**	81504 03 21
[C] Advances in India		
i) Priority Sector	**27537 65 85**	22070 55 72
ii) Public Sector	**3096 26 53**	15002 61 12
iii) Banks	**457 48 93**	1173 01 69
iv) Others	**55604 20 04**	43257 58 89
v) Claim receivable under Agricultural Debt Waiver Scheme 2008	**24 98**	25 79
TOTAL	**86695 86 33**	81504 03 21

[₹ 000's omitted]

PARTICULARS			As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
SCHEDULE - 10 :	**31.03.2015**	31.03.2014		
FIXED ASSETS				
I. PREMISES				
Gross Block [at cost/re-valued amount]				
As per last Balance Sheet	**607 34 79**	591 25 90		
Additions during the year	**88 27**	16 08 89		
Deductions during the year	**-**	-		
	608 23 06	607 34 79		
Depreciation				
Balance as per last Balance Sheet	**280 73 08**	263 67 20		
Add : Depreciation charged during the year	**15 66 94**	17 05 88		
Less : Deduction during the year	**-**	-		
Depreciation to date - includes on account of revaluation Rs. 22,47,874 thousands (Previous year : 21,11,559 thousands)	**296 40 02**	280 73 08		
Written Down Value			**311 83 04**	326 61 71
II. OTHER FIXED ASSETS				
[including Furniture & Fixture]				
Gross Block (at cost)				
As per last Balance Sheet	**633 67 81**	536 41 76		
Additions during the year	**106 16 09**	115 32 31		
	739 83 90	651 74 07		
Deductions during the year	**11 22 01**	18 06 26		
	728 61 89	633 67 81		
Depreciation				
Balance as per last Balance Sheet	**431 34 97**	387 26 80		
Add : Depreciation charged during the year	**51 66 20**	60 91 88		
	483 01 17	448 18 68		
Less : Deduction during the year	**9 20 72**	16 83 71		
Depreciation to date	**473 80 45**	431 34 97		
Written Down Value*			**254 81 44**	202 32 84
TOTAL			**566 64 48**	528 94 55

[₹ 000's omitted]

PARTICULARS	As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
SCHEDULE - 11 :		
OTHER ASSETS		
i. Interest accrued	**1004 03 06**	895 61 50
ii. Tax paid in Advance/Tax Deducted at Source [net of provision]	**1750 70 80**	1685 73 94
iii. Deferred Tax Asset (Net)	**-**	-
iv. Stationery & Stamps	**1 59 90**	1 37 89
v. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	**7 62**	7 62
vi. Others [net of provision]	**750 23 95**	580 67 25
vii. Unamortisation-Gratuity & Pension	**-**	119 11 25
viii. Inter-office adjustments (Net)	**-**	-
TOTAL	**3506 65 33**	3282 59 45
SCHEDULE - 12 :		
CONTINGENT LIABILITIES		
i. Claims against the Bank not acknowledged as debts	**295 33 72**	77 84 56
ii. Liability for Partly Paid Investments	**-**	-
iii. Liability on account of Outstanding Forward Exchange Contracts	**4249 74 07**	5098 90 86
iv. Guarantees given on behalf of Constituents- in India	**6267 85 12**	5210 36 72
v. Acceptances, Endorsements and Other Obligations	**1301 01 28**	1403 25 72
vi. Other items for which the Bank is contingently liable	**1949 71 37**	1314 50 86
vii. Capital contracts remaining to be executed	**28 59 63**	26 11 23
TOTAL	**14092 25 19**	13130 99 95

[₹ 000's omitted]

PARTICULARS	For the year ended 31.03.2015	For the year ended 31.03.2014
SCHEDULE - 13 :		
INTEREST EARNED		
i. Interest/Discount on advances/bills	**8608 72 18**	7713 61 27
ii. Income on Investments	**3346 86 54**	2605 01 89
iii. Interest on Balances with Reserve Bank of India & other Inter-bank funds	**3 08 16**	3 04 91
iv. Others	**314 85 77**	384 87 62
TOTAL	**12273 52 65**	10706 55 69
SCHEDULE - 14 :		
OTHER INCOME		
i. Commission, Exchange & Brokerage	**116 21 59**	100 37 54
ii. Profit on Sale of Investments	**323 13 23**	234 15 97
Less: Loss on Sale of Investments	**24 60 57**	43 90 98
	298 52 66	190 24 99
iii. Profit/(Loss) Net on revaluation of Investments	**-**	-
Less: Amortisation of premium on HTM securities	**-**	-
	-	-
iv. Profit on Sale of Land, Building & Other Assets	**19 13**	16 79
Less: Loss on Sale of Land, Building & Other Assets	**69 61**	37 62
	- 50 48	- 20 83
v. Profit on Exchange Transactions	**54 35 95**	69 12 09
Less: Loss on Exchange Transactions	**9 12**	1 70
	54 26 83	69 10 39
vi. Miscellaneous Income	**410 45 81**	350 35 34
TOTAL { i+ii+iii+iv+v+vi }	**878 96 41**	709 87 43
SCHEDULE - 15 :		
INTEREST EXPENDED		
i. Interest on Deposits	9699 60 32	8355 53 12
ii. Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank borrowings	1 74 86	1 32 37
iii. Others	279 89 55	266 29 27
TOTAL	9981 24 73	8623 14 76

[₹ 000's omitted]

PARTICULARS			For the year ended 31.03.2015	For the year ended 31.03.2014
SCHEDULE - 16 :				
OPERATING EXPENSES				
i. Payments to and provisions for employees			**1165 55 10**	1039 80 47
ii. Rent, Taxes and Lighting			**147 79 73**	128 12 31
iii. Printing & Stationery			**13 71 61**	13 43 67
iv. Advertisement and Publicity			**10 36 03**	10 90 49
	31.03.2015	31.03.2014		
v. Depreciation on Banks' Property	**67 00 83**	77 77 74		
Less: Depreciation adjusted from Revaluation Reserve	**12 47 59**	13 63 12	**54 53 24**	64 14 62
vi. Directors' Fees, Allowances & Expenses			**57 08**	81 09
vii. Auditors' Fees & Expenses [inclusive of Branch Auditors]			**10 77 27**	15 20 62
viii. Law charges			**74 16**	63 61
ix. Postage, Telegrams, Telephones etc.,			**26 20 80**	21 14 62
x. Repairs and Maintenance			**4 65 96**	3 66 03
xi. Insurance			**121 85 09**	94 70 33
xii. Other Expenditure			**355 45 13**	296 97 47
TOTAL			**1912 21 20**	1689 55 33

KISHORE SANSI
Managing Director & CEO

K. R. SHENOY
Executive Director

B. S. RAMA RAO
Executive Director

SANJAY KUMAR
Director

SUMA VARMA
Director

BHARATI RAO
Director

Y. MURALIKRISHNA
Director

A. S. RAJEEV
General Manager

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For M/s KARRA & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 001749S

K.PREMKUMAR
Partner
Membership No:019170

For M/s N C MITTAL & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 000237N

[N C MITTAL]
Partner
Membership No:14213

For M/s KPMC & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No: 05359C

[SANJAY MEHRA]
Partner
Membership No:075488

For M/s PKF SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
Registration No: 003990S/S200018

[S RAJESHWARI]
Partner
Membership No:024105

Place : Bengaluru
Date : 12.05.2015

SCHEDULE – 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 2014-15

1) ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements have been prepared by following the going concern concept on historical cost basis except as otherwise stated and in accordance with Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 to the extent applicable read with guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) and conform to the statutory provisions and practices prevailing within the banking industry in India.

The preparation of the financial statements, in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets, liabilities, revenues, expenses and disclosure of contingent liabilities in the financial statements. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Any revisions to the accounting estimates are recognised prospectively in current and future periods.

2) FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS

I. Transactions other than FCNR/EEFC/ RFC Accounts

a) Foreign Currency balances both under assets and liabilities and outstanding forward exchange contracts and swaps are evaluated at the year end rates as quoted by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). The resultant profit/loss is included in Profit / Loss Account.

b) Income and expenditure items have been translated at the exchange rates ruling on the dates of the transactions.

c) Contingent liabilities on account of acceptances, endorsements and other obligations including guarantees and Letters of Credit issued in Foreign Currencies, shown in the Balance Sheet are valued at the exchange rates prevailing at the year end.

II. Transactions relating to FCNR/EEFC/ RFC accounts

Foreign Currency Deposits in FCNR/EEFC/ RFC accounts including interest accrued and also the corresponding assets are recorded at market related notional rates, which are periodically reviewed. Assets and Liabilities at the year end are revalued at rates quoted by Foreign Exchange Dealers' Association of India. The resultant profit / loss is shown as income / loss.

3) INVESTMENTS

I. Investments are accounted for in accordance with the extant RBI guidelines on investment classification and valuation and are regrouped, shown in balance sheet under the following six groups:

a) Government Securities

b) Other Approved Securities

c) Shares

d) Debentures and Bonds

e) Investments in Subsidiaries/Joint Ventures

f) Others (Commercial Paper, Units of Mutual Fund, NABARD- RIDF, Venture Capital Funds etc.)

II. The Investment portfolio of the Bank is classified into the following three categories:

a) Held to Maturity

b) Available for Sale

c) Held for Trading

Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Transfer of securities from one category to another is done at the least of the acquisition cost/ book value/ market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for and the book value of the security is accordingly

changed.

III. Valuation

a) Held to Maturity

i) Investments classified under this category are valued at the year end at the acquisition cost, except where the acquisition cost is more than the face value, in which case the premium is amortized on constant yield method.

ii) In the case of investments in subsidiaries/joint ventures, any diminution in value, other than temporary, is recognized and provided for each investment individually. Investments in RRB and venture capital funds are valued at cost of acquisition.

iii) Profit on sale of investments in this category is first taken to Profit and Loss Account and there after appropriated to the "Capital Reserve Account". Loss on sale is recognised in the Profit and Loss Account.

b) Available for Sale

A	Govt. Securities i) Central Govt Securities	At market prices / YTM as published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) on periodical basis.
	ii) State Govt Securities	As per FIMMDA / RBI guidelines.
B	Securities guaranteed by Central / State Govt. PSU Bonds (Not in the nature of advances)	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA / RBI guidelines.
C	Treasury Bills	At carrying cost
D	Equity Shares	At market price, if quoted, otherwise at break up value of the shares as per latest balance sheet (Not more than one year old) otherwise at Rs. 1/- per company
E	Preference Shares	At market price, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI / FIMMDA guidelines. In case of preference shares, where preference dividends are in arrears, no credit is taken for accrued dividends and the value determined on YTM is discounted by at least 15% if the arrears are for 1 year and more. The depreciation/provision requirement arrived at in the above manner in respect of non-performing shares where dividends are in arrears is not set off against appreciation on other performing preference shares.
F	Bonds and Debentures (Not in the nature of advance)	At market price, if quoted, or on appropriate yield to maturity as per RBI/ FIMMDA guidelines.
G	Units of mutual funds	As per Stock Exchange quotation, if quoted; at repurchase price / NAV, if unquoted.
H	Commercial Papers	At carrying cost
I	Security Receipts	At net asset value of the asset declared by the Asset Reconstruction Company.
K	Venture Capital Funds	At net asset value (NAV) declared by the VCF
L	Other Investments	At carrying cost less diminution in value.

The above valuation in category of Available for Sale and Held for Trading is done scrip wise and depreciation / appreciation is aggregated for classification. Net depreciation for each classification if any, is provided for while net

appreciation is ignored.

Provisions on account of depreciation on net basis if found to be in excess, is first taken to Profit & Loss Account and thereafter appropriated to the "Investment Reserve Account" as per the extant RBI guidelines.

Profit/Loss on sale of investments in AFS/ HFT category is recognised in Profit and Loss Account.

IV. Prudential Norms

(a) i) Securities with guarantees of the Central Government are treated as performing investments, notwithstanding arrears of principal/ interest payments. However, interest if not realized for more than 90 days is recognized as income only on cash basis.

ii) Securities guaranteed by the State Government, where the principal/ interest is due but not paid for a period of more than 90 days, are treated as Non Performing Investments and provided for as per the RBI guidelines. Further, for securities guaranteed by the State Governments, where the principal/interest is due but not paid for a period of more than 90 days, interest is recognized as income only on cash basis.

(b) Securities not guaranteed by the Central Government/State Governments Preference Shares: Where the Principal/ Interest/Fixed Dividend is due but not paid for a period of more than 90 days are treated as Non Performing Investments and provided for as per the Reserve Bank of India guidelines.

(c) In the case of debentures/bonds where principal/ interest is in arrears, provision is made as in the case of advances.

(d) If any credit facility availed by the issuer from the Bank is NPA, investments in any of the securities issued by the same issuer is also treated as Non Performing Investments.

(e) The depreciation/provision requirement in respect of non-performing investments is not set off against the appreciation in respect of other performing investments.

(f) In the case of Equity Shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re.1 per company on account of the non availability of the quotation or latest balance sheet in accordance with the RBI guidelines, such equity shares would also be reckoned as Non Performing Investment on case to case basis.

(g) In case of preference shares, where preference dividends are in arrears, no credit is taken for accrued dividends and the value determined on YTM is discounted by at least 15% if arrears are for 1 year, and more if arrears are for more than one year. The depreciation/provision requirement arrived at in the above manner in respect of non-performing shares where dividends are in arrears is not set off against appreciation on other performing preference shares.

4) TRANSACTIONS RELATING TO DERIVATIVES

Derivative contracts are designated as hedging or trading and accounted for as follows:

a) **Hedge Swaps:** The interest rate swaps which hedges interest bearing assets and liabilities are accounted for on accrual basis except the swaps designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value in the financial statements. In such cases the swaps are marked to market with the resulting gain or loss recorded as an adjustment to the market value of designated asset or liability.

The gain or loss on the terminated swaps is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/liability.

b) **Re-designation of Hedge items:** If a hedge is redesignated from one item of asset/ liability to another item of asset/liability, such redesignaion is accounted for as the termination of one hedge and acquisition of

another. On the date of redesignation, the swap is marked to market and the mark to market value is amortized over the shorter period of the remaining life of the swap or remaining life of the asset/liability. The offsetting mark to market entry adjustments would be treated as premium received or paid for hedge on the newly designated item of asset/liability and this would be amortized over the life of the redesignated asset/liability or remaining term of the swap whichever is shorter.

c) **Trading Swaps:** The trading swaps are marked to market with the resulting gain or loss recorded in the income statement. Gain or loss on termination of the swap is recorded as immediate income or expense.

5) FIXED ASSETS/DEPRECIATION

I) Fixed Assets

a) Premises of the bank include free hold as well as lease hold properties. Land and buildings purchased or allotted have been capitalised based on agreements/letters of allotment and physical possession. Other Fixed Assets are capitalized on the date of put to use. Premises and other Fixed Assets are stated at their historical cost, except those which have been re-valued. Such Fixed Assets are stated on the revalued amount.

b) Advance payments made for acquisition of capital assets and deposits made in respect of properties taken on lease/rent are included under 'Other Assets'.

II) Depreciation / Amortization

a) Fixed Assets (other than computers and software) are depreciated at the rates prescribed under the 'Income Tax Rules' on reducing balance method, including on the composite cost of certain properties, where it is not possible to segregate the land cost. Computers (including operating software) are depreciated on Straight Line Method at the rate of 33.33% per annum. Other software expenses, treated as intangible assets are amortized at 100% in the year of acquisition. Depreciation on additions to Fixed Asset during the financial year is provided at 100% of the rate of depreciation prescribed, if the asset is put to use for 180 days and above during the year and at 50% of the rate of depreciation prescribed, if the asset is put to use for less than 180 days during the year. No depreciation is provided in the year of sale/disposal of fixed assets.

b) Incremental depreciation on revalued amount in respect of premises is adjusted from Revaluation Reserve account.

6) LEASED OUT ASSETS

Accounting for leased assets is done as per Accounting Standard 19. Provision in respect of non-performing assets, is made by applying the asset classification norms prescribed by the RBI for advances.

7) NON BANKING ASSETS

Non-Banking assets are shown at cost.

8) ADVANCES

Advances are classified as per the RBI guidelines into standard, sub-standard, doubtful and loss assets after considering subsequent recoveries to date. Provision for non-performing assets is made in conformity with the RBI guidelines.

a) In terms of the guidelines of the Reserve Bank of India, advances are classified as "Performing" and "Non-Performing" assets based on recovery of principal/interest and advances are classified as "Non Performing Assets" with 90 days delinquency norms. In case of State Government Guaranteed advances, requirement of invocation of the Guarantee has been de-linked for classification of an account as NPA. Non Performing Advances (NPAs) are categorized as Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets for the purpose of computing provision requirements.

Advances shown in the Balance Sheet are net of provisions [including floating provisions] in respect of non-performing advances, interest suspense and ECGC/ DICGC claims received.

b) Advances include the Bank's participation

in/ contributions to Pass Through Certificates (PTCs) and /or to the asset-backed assignment of loan assets of other banks / financial institutions where the Bank has participated on risk-sharing basis.

c) Amounts recovered against bad debts written off in earlier years are recognised in the Profit and Loss account.

d) Provisions no longer considered necessary in context of the current status of the borrower as a performing asset, are written back to the Profit and Loss account to the extent such provisions were charged to the Profit and Loss account.

e) Provisions on Standard Advances are shown under "Other Liabilities and Provisions".

f) Provision on advances is made as per the RBI guidelines as under:

1. **Standard Assets:** 1% in respect of standard advances to Commercial Real Estate Sector, 0.25% in respect of the outstanding advances under direct agriculture & SME Sectors, 3.50% in respect of accounts under standard category as of 31.03.2014 and restructured prior to 01.06.2013, 5% in respect of accounts under standard category restructured after 31.05.2013 and 0.40% on all other outstanding standard advances.

2. **Sub Standard Assets:** 15% of the outstanding advances. However, in case of sub standard assets which are identified ab-initio as "unsecured exposures" provision at 25% of the outstanding balance is made.

3. **Doubtful assets:** 25% to 100% as applicable on the secured portion of advances, depending upon the period for which the asset has remained doubtful and 100% of the unsecured portion of the outstanding advance after netting realized amount in respect of DICGC scheme and realized/realizable amount of guarantee cover under the ECGC/ CGSTI Schemes.

4. **Loss Assets:** 100% of the outstanding advances.

g) Restructured / rescheduled accounts:

In case of restructured / rescheduled accounts provision is made for the sacrifice against erosion/ diminution in fair value of restructured loans, in accordance with the general framework of restructuring of advances issued by RBI vide circular dated August 27, 2008 and Master Circular dated July 02, 2012.

The erosion in fair value of the advances is computed as the difference between fair value of the loan before and after restructuring.

Fair value of the loan before restructuring is computed as the present value of cash flows representing the interest at the existing rate charged on the advance before restructuring and the principal, discounted at a rate equal to the Bank's Base Rate as on the date of restructuring plus the appropriate term premium and credit risk premium for the borrower category on the date of restructuring.

Fair value of the loan after restructuring is computed as the present value of cash flows representing the interest at the rate charged on the advance on restructuring and the principal, discounted at a rate equal to Bank's Base Rate as on the date of restructuring plus the appropriate term premium and credit risk premium for the borrower category on the date of restructuring.

The diminution in the fair value is recomputed on each balance sheet date till satisfactory completion of all repayment obligations and full repayments of the outstanding, so as to capture the changes in the fair value on account of changes in base rate, term premium and credit category of the borrower.

The restructured accounts have been

classified in accordance with RBI guidelines, including special dispensation wherever allowed.

9) REVENUE RECOGNITION

Income is accounted on accrual basis except in the following cases:

a) In the case of Non Performing Assets, income is recognized on cash basis, in terms of guidelines of the Reserve Bank of India. Where recovery is not adequate to upgrade the Non Performing Assets accounts by way of regularization, such recovery is being appropriated towards the principal/book balance in the first instance and towards interest dues thereafter. In respect of Non Performing Investments, the same accounting treatment as above is followed.

b) Income from Units of Mutual Funds, Commission on Insurance and Depositary Participant business, Merchant Banking transactions, General Insurance business, Money transfer services, Sale of Mutual Fund products, Locker Rent, Commission on Government business, etc. are accounted on cash/realisation basis.

c) Commission earned from Non-fund based business viz., Letter of Credits and Bank Guarantees is accounted on cash basis.

d) Interest on securities which is due and not paid for a period of more than 90 days is recognized on realisation basis as per RBI guidelines.

e) In the case of suit filed accounts, legal expenses are charged to the profit and loss account. Similarly, at the time of recovery of legal expenses in respect of such suit filed accounts, the amount recovered is accounted as income.

10) NET PROFIT

The net profit is arrived at after

a) Provisions for Income Tax & Wealth Tax in accordance with statutory requirements

b) Provision on advances/investments

c) Adjustments to the value of investments

d) Transfers to provisions and contingencies

e) Provision for Inter Branch accounts lying unadjusted for more than six months as per RBI norms

f) Other usual and necessary provisions

11) EMPLOYEE BENEFITS

a) Expenses arising out of claims in respect of employee matters under dispute/ negotiation are accounted during the year of final settlement/determination.

b) In respect of employees who have opted for Provident Fund scheme, matching contribution as applicable is made by the Bank to the recognised Provident Fund. For others who have opted for pension scheme, contribution to Pension Fund is made based on actuarial valuation, as per Accounting Standard 15.

c) Contribution to Gratuity Fund is made based on actuarial valuation, as per Accounting Standard 15.

d) Liability towards leave encashment, privilege leave is provided based on actuarial valuation, as per Accounting Standard 15.

Details are as under:

Long term employee benefits:

Long term employee benefits (benefits which are payable after the end of twelve months from the end of the period in which employees render service), and post employment benefits (benefits which are payable after completion of employment), are measured on a discounted basis by the projected Unit Credit Method, on the basis of annual third party actuarial valuations. The bank provides for the following long term employee benefits as per actuarial valuation:

1. **Leave encashment:** The Bank provides for liability accruing on account of deferred entitlement towards leave encashment in the year

in which the employees concerned render their services based on third party actuarial valuation obtained as of each year end balance sheet date.

2. **Pension:** The Bank provides for liability accruing on account of the employees who have opted for pension based on the actuarial valuation obtained as of each year end balance sheet date.

3. **Gratuity:** The Bank provides for gratuity liability based on the actuarial valuation obtained as of each year end balance sheet date.

The pension and gratuity contributions are transferred to self-managed trusts.

12) PROVISION FOR TAXATION

Tax expenses comprise current and deferred taxes. Current income tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with the Income Tax Act, 1961. Deferred income taxes reflect the impact of current year timing differences between taxable income and accounting income for the year and reversal of timing differences of earlier years. Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the balance sheet date.

13) IMPAIRMENTS

The carrying amounts of assets are reviewed at each Balance Sheet date for any indication of impairment based on internal/external factor. An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount.

14) SEGMENT REPORTING:

In accordance with the guidelines issued by RBI, Bank has adopted Segment Reporting as under:

1. Treasury includes all investment portfolio, profit/ loss on sale of investments, profit/ loss on foreign exchange transactions, equities, income from derivatives and money market operations. The expenses of this segment consist of interest expenses on funds borrowed from external sources as well as internal sources and depreciation / amortisation of premium on Held to Maturity category investments.

2. Corporate/ Wholesale Banking includes lending and deposits from corporate customers and identified earnings and expenses of the segment.

3. Retail Banking includes lending and deposits from retail customers and identified earnings and expenses of the segment.

4. Other Banking Operations includes all other operations not covered under Treasury, Wholesale Banking and Retail Banking.

15) EARNINGS PER SHARE:

Earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders (after deducting preference dividend and attributable taxes thereto) by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at the end of the year.

16) CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS:

1. A provision is recognised when there is an obligation as a result of past event if it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to their present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimates.

2. Transactions in Government securities and others which were pending for settlement on the balance sheet date are shown as off balance sheet items under contingent liabilities head.

SCHEDULE – 18 : NOTES ON ACCOUNTS

1. Reconciliation of entries outstanding as on 31.03.2015 in the inter-branch and other accounts has been done. Matching of entries outstanding in inter-branch and inter-bank accounts including balances in drafts accounts, suspense accounts, branch adjustment accounts, clearing transactions, funds transfers, balances pertaining to dividends / interest / refund orders paid / payable accounts, advances paid for acquisition of assets, etc. is complete up to 31.12.2014 and is under progress for the remaining period. In the opinion of the Bank, consequential effect of the above on the revenue / assets / liabilities is not material.
2. In respect of certain premises acquired by the Bank having written down value of ₹ 4.88 crore, (previous year ₹ 5.43 crore) documentation / registration are yet to be completed pending legal or other formalities.
3. In the case of un-audited branches, the returns / classification of advances as reported by the concerned branches have been adopted.
4. Claims pending and to be preferred with ECGCI Limited amounting to ₹ 32.85 crore (previous year ₹ 205.73 crore) have been considered as realisable for the purpose of computing provisions.
5. No provision other than those made, has been considered necessary by the Management in respect of disputed tax liabilities in view of the judgements in favour of the Bank. Further, certain deductions have been considered while working out tax provisions in respect of some claims under Income Tax Act based on the legal opinions obtained.
6. As per Indian Banks' Association (IBA) communication vide letter ref no LEGAL/CIR dt March 03rd 2015, Ministry of Company Affairs(MCA) has advised that in so far as Banks not registered as companies and nationalized banks are concerned, provisions relating to CSR do not apply as they are not registered under the Companies Act.
7. In terms of the guidelines issued by the Reserve Bank of India, the following disclosures are made:

i) Capital (₹ in crore)

Sl.No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
1.	CRAR (%)		
	Basel II	11.70	10.97
	Basel III	11.43	10.56
2.	CRAR – Tier I Capital (%)		
	Basel II	8.25	8.30
	Basel III	8.24	8.12
3.	CRAR – Tier II Capital (%)		
	Basel II	3.45	2.67
	Basel III	3.19	2.44

Basel III (₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
i)	Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	7.60	8.12
ii)	Tier 1 capital ratio (%)	8.24	8.12
iii)	Tier 2 capital ratio (%)	3.19	2.44
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%)	11.43	10.56
v)	Percentage of the shareholding of Government of India in public sector banks	74.06	74.06

Sl. No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
vi)	Amount of Equity capital raised (₹ In Crores) [Refer item no. 11]	—	363.58
vii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which PNCPS : 0.00 PDI : 500.00	500.00	NIL
	Amount of Tier 2 capital raised; of which Debt capital instrument (₹ In crores):	1000.00	250.00
	Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)/ Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS)/ Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	NIL	NIL

ii) Investments (₹ in Crores)

Sl. No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
1.	Value of Investments		
	Gross value of investments	44,698.34*	42833.78*
	In India	44,698.34*	42833.78*
	Outside India	NIL	NIL
	Provisions for depreciation and NPI (Non Performing Investment)	176.24	248.39
	In India	176.24**	248.39**
	Outside India	NIL	NIL
	Net value of investments	44,522.10	42585.38
	In India	44,522.10	42585.38
	Outside India	NIL	NIL
2.	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	Opening balance	235.93	207.79
	Add: i) Provision made during the year	0.00	0.00
	ii) Diminution on shifting of investments	0.26	77.08
	Less: Write off/ write back of excess provision during the year	77.04	48.94
	Closing balance	159.15	235.93

* Includes LAF Repo of ₹ 2,100 Cr (PY ₹ 575.00 Cr) and MSF of ₹ Nil (PY ₹ 450.00 Cr) outstanding as on 31.03.2015.

**Includes provision of ₹ 17.09 Cr (PY ₹ 12.47 Cr) made on NPI.

iii) The particulars of repo transactions (including those from RBI under LAF Repo) are as under:

(₹ in Crores)

Particulars	Outstanding during the year			As on 31.03.2015
	Minimum	Maximum	Daily average	
Securities sold under Repos				
1) Govt. Securities	0.00	4869.83	698.41	3798.29
2) Corporate debt securities	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities purchased under reverse Repos				
1) Govt. Securities	0.00	11682.98	2691.06	171.40
2) Corporate debt securities	NIL	NIL	NIL	NIL

(₹ in Crores)

Particulars	Outstanding during the year			As on 31.03.2014
	Minimum	Maximum	Daily average	
Securities sold under Repos				
1) Govt. Securities	NIL	2800.00	634.08	1025.00
2) Corporate debt securities	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities purchased under reverse Repos				
1) Govt. Securities	NIL	14981.99	3224.50	879.43
2) Corporate debt securities	NIL	NIL	NIL	NIL

iv) Non-SLR Investment Portfolio

Issuer composition of Non-SLR Investments -31.03.2015 (₹ in Crores)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i).	PSUs	2679.66	2587.73	1502.79	914.37	0.00
(ii).	FIs**	4403.94	351.19	58.00	3831.46	48.00
(iii).	Banks	1553.47	169.76	10.00	41.53	0.00
(iv).	Private Corporate	714.72	552.92	132.78	145.96	31.27
(v).	Subsidiaries/ Joint Ventures	—	—	—	—	—
(vi).	Others	413.55	375.55	—	413.55	—
(vii).	Provision held towards depreciation and NPI	176.11	XXX	XXX	XXX	XXX
	Total	**9589.22**	**4037.15**	**1703.57**	**5346.87**	**79.27**

Note: Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

**Includes the investment under RIDF of ₹ 3763.98 Cr.

Issuer composition of Non SLR investments - 31.03.2014 (₹ In crore)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i).	PSUs	2749.58	2684.07	2313.72	177.10	0.00
(ii).	FIs**	4358.21	675.06	50.50	3683.14	50.50
(iii).	Banks	1919.17	209.93	25.00	53.56	—
(iv).	Private Corporate	355.11	226.60	162.23	112.01	—
(v).	Subsidiaries/ Joint Ventures	—	—	—	—	32.67
(vi).	Others	132.10	15.83	0.00	132.10	
(vii).	Provision held towards depreciation and NPI	195.02	XXX	XXX	XXX	XXX
	Total	**9319.15**	**3811.49**	**2551.45**	**4157.91**	**83.17**

Note:

Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

** Includes the investment under RIDF of ₹ 3615.57 Cr.

v) a) Non-Performing Non-SLR Investments (₹ in crore)

Particulars	Amount 31.03.2015	Amount 31.03.2014
Opening balance	**17.12**	11.27
Additions during the year	**6.53**	5.85
Reductions during the above period	**0.00**	0.00
Closing balance	**23.65**	17.12
Total provisions held	**17.09**	12.47

b) Movement in provision for Non Performing Investments (₹ in crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Opening balance	**12.47**	11.27
Add: Provision made during the year	**4.62**	1.20
Less: Write off / write back of excess provisions	**—**	0.00
Closing balance	**17.09**	12.47

vi) Sale of Transfer to/from HTM category - — NIL

vii) Derivatives:

a) Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap (₹ in Crores)

Particulars		31.03.2015	31.03.2014
a.	The notional principal of swap agreements	**NIL**	NIL
b.	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	**NIL**	NIL
c.	Collateral required by the bank upon entering into swaps	**NIL**	NIL
d.	Concentration of credit risk arising from the swaps	**NIL**	NIL
e.	The fair value of the swap book	**NIL**	NIL

1. Interest Rate Swaps were undertaken for the purpose of hedging interest rate risk on assets/ liabilities and for trading purpose.
2. The terms of swaps are to receive fixed interest rate against floating interest rate or vice versa.
3. The counterparties for the swaps are banks and the exposure with each bank is within the approved credit exposure limits.

b) Exchange Traded Interest Rate Derivatives (₹ in Crores)

SL No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	**NIL**	NIL
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2015 (instrument-wise)	**NIL**	NIL
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	**NIL**	NIL
(iv)	Mark-to-Market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument –wise)	**NIL**	NIL

viii) Disclosures on risk exposure in derivatives

a) Qualitative Disclosure

Bank has put in place a comprehensive derivative policy for undertaking derivative transactions for hedging, trading and servicing customers' purpose as per RBI guidelines duly approved by the Board. The policy lays down the type, scope and usage with appropriate limits for derivative transactions. From the view point of operational efficiency and risk oversight the Derivatives desk is segregated into Front Office, Mid Office and Back Office with clear segregation of portfolio. The derivative hedges are continuously monitored for effective performance as per laid down policy and corrective measures are taken for mitigating the risk.

b) Quantitative Disclosures (₹ in Crores)

Sl No.	Particulars	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
(i)	**Derivatives (Notional Principal Amount)**	**NIL**	NIL
	a) For Hedging	**NIL**	NIL
	b) For Trading	**NIL**	NIL
(ii)	**Marked to Market Positions(1)**	**NIL**	NIL
	a) Asset(+)	**NIL**	NIL
	b) Liability(-)	**NIL**	NIL
(iii)	**Credit Exposure(2)**	**NIL**	NIL
(iv)	**Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)**	**NIL**	NIL
	a) On hedging derivatives	**NIL**	NIL
	b) On trading derivatives	**NIL**	NIL
(v)	**Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year**	**NIL**	NIL
	a) On hedging - Maximum - Minimum	**NIL**	NIL
	b) On trading - Maximum - Minimum	**NIL**	NIL

ix) Asset Quality

a) Non Performing Asset (Rs in crore)

Particulars		31.03.2015	31.03.2014
(i)	Net NPAs to Net Advances (%)	**1.92**	1.55
(ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	Opening balance	**1985.86**	1532.94
	Additions during the year	**2826.85**	2173.87
	Reductions during the year	**2369.50**	1720.95
	Closing balance	**2443.21**	1985.86
(iii)	Movement of NPAs (Net)		
	Opening balance	**1262.37**	909.69
	Additions /(reductions) during the year	**397.34**	352.68
	Closing balance	**1659.81**	1262.37
(iv)	Movement of provisions for NPAs*		
	Opening balance	**709.92**	619.24
	Provisions made during the year	**788.88**	400.29
	Write-off	**729.05**	309.61
	Closing balance	**769.75**	709.92

(*excluding provisions on standard assets and including floating provision)

b) Details of Loan Assets subjected to Restructuring (₹ in Crores)

Sl No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
a.	Total amount of loan assets subjected to restructuring, re-scheduling, re-negotiation	**6193.08**	4234.51
	Of which under CDR	**1469.60**	1505.42
b.	The amount of Standard assets subjected to restructuring, re-scheduling, re-negotiation	**5285.85**	3979.17
	Of which under CDR	**941.84**	1381.38
c.	The amount of sub-standard assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation	**406.83**	71.71
	Of which under CDR	**259.66**	52.73
d.	The amount of doubtful assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation	**500.40**	183.63
	Of which under CDR	**268.10**	71.31
	Note: (a = b + c + d)		

Debt restructuring for MSME accounts		31.03.2015	31.03.2014
a.	Total amount of assets of MSMEs subjected to restructuring (b+c+d)	**393.53**	115.03
b.	Amount of standard assets of MSMEs subjected to restructuring	**233.17**	31.67
c.	Amount of sub-standard assets of MSMEs subjected to restructuring	**81.75**	8.39
d.	Amount of doubtful assets of MSMEs subjected to restructuring	**78.61**	74.97

c) Particulars of Standard Restructured Accounts attracting higher restructuring provision:

(₹ in Crores)

Sl. No	Details		Under CDR Mechanism (Part C)					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others (Part A & B)					Total				
			Stand-ard	Sub-standard	Doub-tful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-standard	Doub-tful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-standard	Doub-tful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-standard	Doub-tful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on April 1, 2014 (Excluding the accounts restructed before 31st March, 2010)	No. of borrowers	47	1	14	0	62	285	37	1223	153	1698	5263	249	3001	158	8671	5595	287	4238	311	10431
		Amount outstanding	1381.38	52.73	71.32	0	1505.43	31.66	8.39	24.07	50.9	115.02	2566.14	10.59	31.64	5.71	2614.08	3979.16	71.71	127.03	56.61	4234.51
		Provision thereon (Economic loss)	165.4	8.66	5.38	0	179.44	0.19	0.13	0.15	0.01	0.48	31.65	0.09	0.85	0.02	32.61	197.23	8.88	6.38	0.03	212.52
2	Fresh restructuring during the FY 2014-15	No. of borrowers	14	0	0	0	14	45	4	1	0	50	324	4	0	0	328	383	8	1	0	392
		Amount outstanding	267.29	0	0	0	267.29	150.07	9.81	0.74	0	160.62	1513.35	0.31	2.76	0	1516.42	1930.71	10.12	3.5	0	1944.33
		Provision thereon	40.03	0	0	0	40.03	3.93	0.01	0	0	3.94	45.07	0	0.06	0	45.13	89.03	0.01	0.06	0	89.1
3	Upgradations to restructured standard category during the FY 2014-15	No. of borrowers					0	7	0	22	1	30	335	41	23	1	400	342	41	45	2	430
		Amount outstanding					0	0.19	0	0.53	0.04	0.76	24.31	4.52	3.73	0	32.56	24.5	4.52	4.26	0.04	33.32
		Provision thereon					0.00	0.00	0.00	0.27	0.04	0.31	0.11	0.10	0.11	0.00	0.32	0.11	0.10	0.38	0.04	0.63
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and/or additional risk weight at the end of the FY 2015 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY 2014-15 (accounts restructured before 31st March,2013)	No. of borrowers	29				29	60			0	60	3245				3245.00	3334	0	0	0	3334
		Amount outstanding	391.15				391.15	6.02			0	6.02	1476.21				1476.21	1873.38	0	0	0	1873.38
		Provision thereon	54.07				54.07	0.02			0	0.02	23.53				23.53	77.62	0	0	0	77.62
5	Downgradations of restructured accounts during the FY 2014-15	No. of borrowers	2	4	1	0	7	5	4	0	0	9	192	92	14	0	298.00	199	100	15	0	314
		Amount outstanding	30.5	310.96	64.17	0	405.63	0.136	1.27	0	0	1.406	49.57	113.37	41.4	0	204.34	80.206	425.6	105.57	0	611.38
		Provision thereon	7.07	82.31	3.7	0	93.08	0.006	0.052	0	0	0.058	37.84	0.18	2.1	0	40.12	44.916	82.542	5.8	0	133.26
6	Write-offs of restructured accounts during the FY 2014-15	No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
		Amount outstanding	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
7	Restructured Accounts as on March 31 of FY 2015	No. of borrowers	30	-3	13	0	40	272	37	1246	154	1709	2869	202	3010	159	6240	3171	236	4269	313	7989
		Amount outstanding	1227.02	-258.23	7.15	0	975.94	175.764	16.93	25.34	50.94	268.974	2677.16	-97.95	-3.27	5.71	2581.65	4079.944	-339.25	29.22	56.65	3826.56
		Provision thereon	144.29	-73.65	1.68	0	72.32	4.094	0.088	0.42	0.05	4.652	15.46	0.01	-1.08	0.02	14.39	163.844	-73.552	1.02	0.07	91.36

d) In respect of the advances restructured under the Prudential Guidelines of the Reserve Bank of India dated 27th August 2008 and the subsequent clarifications / guidelines issued from time to time in this respect, the Bank has provided a sum of ₹ 57.26 Crores (previous year ₹ 84.42 Crores) during the year as diminution in the fair value of advances on account of such restructuring which in the Bank's opinion is considered adequate on such restructured advances. The full implementation of the conditions laid down for restructuring in the said Circular are being complied with. Further, a sum of ₹ 31 crore has been provided under 'Provision for Contingencies' towards diminution in the fair value of one of the corporate NPA accounts.

e) Details of Assets sold to Securitisation Company (SC) / Reconstruction Company (RC), for Assets Reconstruction

(₹ in Crore)

Sl. No.	**Particulars**	**31.03.2015**	**31.03.2014**
1	Number of accounts	**9**	9
2	Aggregate Value (net of provisions) of accounts sold to SC/ RC	**47.22**	37.68
3	Aggregate consideration	**73.91**	110.36
4	Additional consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	**NIL**	NIL
5	Aggregate gain / loss over net book value	**32.62**	72.68

f) Sale of Financial Assets to Securitisation Company/Reconstruction Company

(₹ In crores)

Particulars	**Backed by NPAs sold by the bank as underlying**		**Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/ non banking financial companies as underlying**		**Total**	
	FY 2013-14	FY 2014-15	FY 2013-14	FY 2014-15	FY 2013-14	FY 2014-15
Book value of investment in security receipts	48.47	357.05	Nil	Nil	48.47	357.05

g) Disclosure relating to Securitisation :

Outstanding amount of securitised asset as per books of the SPVs sponsored by the bank and total amount of exposures retained by the bank as on date of Balance Sheet to comply with Minimum Retention Requirement (MRR) : **NIL**

h) Credit Default Swaps : NIL

i) Details of non-performing financial assets purchased/sold

i) Details of non-performing financial assets purchased (₹ in crore)

Particulars			31.03.2015	31.03.2014
1.	(a)	No. of accounts purchased during the year	**NIL**	NIL
	(b)	Aggregate outstanding	**NIL**	NIL
2.	(a)	Of these, number of accounts restructured during the year	**NIL**	NIL
	(b)	Aggregate outstanding	**NIL**	NIL

ii) Details of non-performing financial assets sold (₹ in Crore)

Particulars		31.03.2015	31.03.2014
1.	No. of accounts sold	**9**	9
2.	Aggregate outstanding	**69.64**	83.34
3.	Aggregate consideration received	**73.91**	110.36

There was no case where the bank had spread the shortfall over two years.

j) Provision on Standard Asset (₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Provisions towards Standard Assets	**465.16**	424.02
TOTAL	**465.16**	424.02

k) Business Ratios (₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Interest Income as a percentage to Working Funds	**9.15%**	9.08%
Non-interest income as a percentage to Working Funds	**0.66%**	0.60%
Operating Profit as percentage to Working Funds	**0.94%**	0.94%
Return on Average Assets	**0.33%**	0.35%
Average Business [Deposits + Advances] per employee	**14.96**	13.82
Net profit per employee	**0.03**	0.03

x) Asset Liability Management : Maturity pattern of certain items of assets and liabilities:

(₹ in Crores)

	1 day	2 – 7 days	8 – 14 days	15 – 28 days	29 days to 3 months	Over 3 months to 6 months	Over 6 months to 1 year	Over 1 year to 3 years	Over 3 years to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	334.78	2964.58	1724.19	3402.95	26876.55	13583.22	36462.24	11399.99	27328.16	2266.71	126343.37
Advances*	1065.50	672.56	953.44	1315.03	6883.28	4620.68	5236.40	43900.47	10981.87	11066.64	86695.87
Investments*	224.22	220.42	323.84	309.79	1727.57	1467.85	2372.55	8056.27	9217.50	20602.08	44522.09
Borrowings**	0.00	2707.88	1019.74	300.00	250.00	0.32	0.13	450.12	200.00	2350.00	7278.19
Foreign Currency Assets	133.40	246.61	5.94	98.79	60.25	84.87	11.81	0.00	0.00	0.00	641.67
Foreign Currency Liabilities	375.23	4.31	4.12	1.53	17.89	25.37	67.09	52.07	94.06	0.00	641.67

Assets and Liabilities are classified as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India, compiled by the management and relied upon by the auditors.

* Figures are broadly net of provision

** Borrowings in India

xi) Lending to Sensitive Sectors

a) Exposure to Real Estate Sector

(₹ in crore)

Particulars	**31.03.2015**	**31.03.2014**
1) Direct exposure		
a. Residential mortgages		
(i) Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	**8759.47**	7659.72
(ii) Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances (included in the above)	**4889.91**	4627.85
b. Commercial Real Estate		
Lendings secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure also includes non-fund based (NFB) limits:	**3820.73**	3583.95
c. Income Producing Real Estate	**2758.13**	2141.36
d. Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures -		
i) Residential	**NIL**	NIL
ii) Commercial Real Estate	**NIL**	1.91
2) Indirect Exposure		
Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	**3578.55**	3820.73
Total exposure to real estate sector	**18916.88**	17207.67

b) Exposure to Capital Market (₹ in crore)

Sl No.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
(i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	**196.54**	229.18
(ii)	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds.	**NIL**	NIL
(iii)	Advances for any other purpose where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	**NIL**	NIL
(iv)	Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e., where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	**NIL**	NIL
(v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market markers.	**50.00**	50.00
(vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	**NIL**	NIL
(vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues.	**NIL**	NIL
(viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds.	**NIL**	NIL
(ix)	Financing to stock brokers for margin trading.	**NIL**	NIL
(x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	**18.44**	15.83
	Total exposure to capital market	**264.98**	295.01

xii) Risk Category-wise Country Exposure: (₹ in crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.2015	Provision held as at 31.03.2015	Exposure (net) as at 31.03.2014	Provision held as at 31.03.2014
Insignificant	594.98	NIL	1022.08	NIL
Low	237.76	NIL	234.16	NIL
Moderate	44.49	NIL	43.54	NIL
High	28.61	NIL	14.98	NIL
Very High	0.00	NIL	1.62	NIL
Restricted	0.00	NIL	0.00	NIL
Off credit	0.00	NIL	0.00	NIL
Total	**905.84**	**NIL**	**1316.38**	**NIL**

The net funded exposure of the Bank in respect of foreign exchange transactions with each country is within 1% of the total assets of the Bank and hence no provision is required to be made as per the Reserve Bank of India Circular DBOD. BP.BC.71/21.01.103/2002-03 dated 19.02.2003 read with DBOD. BP.BC.96/21.04.103/2003-04 dated 17.06.2004.

xiii) Details of Credit Exposures where the Bank had exceeded the Prudential Exposure during the year :NIL

2014-15 : NIL

2013-14 : INDIAN FARMERS FERTILISER COOPERATIVE LTD (IFFCO)

xiv) Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs (as compiled by the Bank)

a) Concentration of Deposits (₹ in Crores)

Total Deposits of twenty largest depositors	16876
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	13.36%

b) Concentration of Advances (₹ in Crores)

Total Advances of twenty largest borrowers	16425.22
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	18.73%

c) Concentration of Exposures (₹ in Crores)

Total Exposure of twenty largest borrowers/customers	17831.75
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	16.63%

d) Concentration of NPAs (₹ in Crores)

Total Exposure of top four NPA accounts	477.59

xv) Sector-Wise advances (Gross) (₹ In crores)

Sl. No.	Sector*	Current year			Previous year		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	11974.00	338.39	2.83	10527.00	322.61	3.06
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	4976.00	207.70	4.17	3093.00	102.32	3.31
3	Services	8241.00	146.07	1.77	7536.00	165.79	2.20
4	Personal loans	5523.00	94.71	1.71	4699.00	183.62	3.91
	Sub-total (A)	30714.00	786.87	2.56	25855.00	807.34	3.12
B	Non Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
2	Industry	40014.36	1577.55	3.94	21143.00	414.40	1.96
3	Services	1859.65	54.78	2.95	13104.00	162.50	1.24
4	Personal loans	15103.53	24.01	0.16	22322.75	601.62	2.70
	Sub-total (B)	**56977.54**	**1656.34**	**2.91**	**56569.75**	**1178.52**	**2.08**
	Total (A+B)	**87691.54**	**2443.21**	**2.79**	**82424.75**	**1985.86**	**2.41**

*Banks may also disclose in the format above, sub sectors where the outstanding advances exceeds 10 percent of the outstanding total advances to that sector. For instance, if a bank's outstanding advances to the mining industry exceed 10 percent of the outstanding total advances to 'Industry' sector it should disclose details of its outstanding advances to mining separately in the format above under the 'Industry' sector.

xvi) Movement of NPAs (₹ in Crores)

Particulars	**31.03.2015**	**31.03.2014**
Gross NPAs as on 1st April (Opening Balance)	**1985.86**	1532.94
Additions (Fresh NPAs) during the year	**2826.85**	2173.87
Sub-total (A)	**4812.71**	3706.81
Less:-		
(i) Upgradations	**931.96**	989.15
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	**646.35**	435.94
(iii) Technical/Prudential Write-off	**776.24**	293.36
(iv) Write-offs Other than those under (iii) above	**14.95**	2.50
Sub-total (B)	**2369.50**	1720.95
Gross NPAs as on 31st March (A-B)	**2443.21**	1985.86

xvii) Technical written off and recoveries made thereon: (₹ in Crore)

Particulars	**31.03.2015**	**31.03.2014**
Opening balance of technical/prudential written-off accounts	**1525.28**	1337.62
Add: Technical/Prudential writeoff during the year	**776.24**	293.36
Sub Total	**2301.52**	1630.98
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year	**133.23**	94.30
Closing balance	**2168.29**	1525.28

xviii) Overseas Assets, NPAs and Revenue : NIL

xix) Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	**Overseas**
NIL	NIL

xx) Provision coverage ratio (PCR): Provision Coverage ratio as of 31.03.2015 is 64.01% (previous year 64.05%) as per RBI guidelines. However, the Bank has achieved the PCR as envisaged in RBI circular DBOD. No.BP.BC.87-21.048/2010-11 dt.21.04.2011.

xxi) Unsecured advances: The Bank has no unsecured advances wherein intangible securities have been taken as collateral securities.

xxii) The immediate impact, if any, of the cancellation of coal blocks on the bank's portfolio by way of security valuation and the impact, if any, of the penalty imposed by the Honourable Supreme Court on viability of the respective projects financed by the bank, has not been considered as the same is not ascertainable at this stage.

xxiii) During the year 2014-15 the Bank had issued 366 Letters of Comfort (LoC) amounting to USD 23,77,34,988 covering imports of goods into India. These Letters of Comfort have been issued after due assessment of its financial impact on the Bank and with the approval of the competent authorities. As on the date of Balance Sheet 178 Letters of Comfort amounting to USD 12,06,60,271 (approximately ₹ 754.13 crores @ USD 1 = ₹ 62.50) are outstanding which, in the opinion of the management, will not have any significant impact on the Bank's financial position.

xxiv) Fees / remuneration from insurance business during 2014-15

Sl No	**Nature of Income**	**2014-15 (₹ Crores)**	**2013-14 (₹ Crores)**
1	For selling life insurance policies	3.43	3.05
2	For selling non-life insurance policies	3.01	2.09
3	For selling mutual fund products	NIL	NIL
4	Others (Specify)	NIL	NIL

8. Compliance with information to be disclosed under Accounting Standards notified by the Ministry of Corporate Affairs under Companies(Accounting Standards) Rules, 2006:

i) There were no material prior period income/ expenditure required to be disclosed as per AS -5.

ii) In terms of accounting policy No.9 of the Bank, some items are recognised on cash basis. However, the management is of the view that since the amount involved is not material, it does not require any disclosure under AS-9.

iii) The Bank is revaluing foreign currency transactions consistently at the weekly average rate of the last week of the preceding month, prescribed by FEDAI, instead of the rate at the date of the transaction as per AS 11. The management is of the view that there is no material impact on the accounts for the year.

iv) The following information is disclosed under AS-15. (₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	Pension 31.03.15	Pension 31.03.14	Pension 31.03.13	Pension 31.03.12	Pension 31.03.11
I.	**Principal Actuarial Assumptions**					
	Discount Rate	8.00%	8.50%	8.00%	9.00%	8.50%
	Salary escalation rate	5.50%	5.50%	5.50%	1.50%	4.25%
	Attrition rate	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	0.75%
	Expected rate of return on Plan Assets	8.95%	9.50%	8.70%	8.30%	8.30%
II.	**Changes in the Present Value of the Obligation (PVO)**					
	PVO as at the beginning of the period	2132.84	2009.65	1908.35	1832.94	651.12
	Interest Cost	161.87	161.48	146.22	158.98	50.37
	Current Service Cost	268.84	268.90	307.99	18.55	35.81
	Benefits Paid	(218.99)	(219.72)	(161.16)	(132.97)	(102.84)
	Actuarial (gain) / loss on obligation (balancing figure)	62.58	(87.47)	(191.75)	30.85	120.17
	PVO as at the end of the period	2407.14	2132.84	2009.65	1908.35	1832.94
III	**Changes in the Fair Value of Plan Assets**					
	Fair Value of Plan Assets as at the beginning of the period	2246.06	1963.99	1876.33	1739.28	541.35
	Expected return on Plan Assets	201.02	186.58	163.24	144.07	96.49
	Contributions	89.00	271.58	92.01	116.53	1238.37
	Benefits Paid	(218.99)	(219.72)	(161.16)	(132.97)	(102.84)
	Actuarial gain / (loss) on Plan Assets	30.40	43.64	(6.43)	9.42	(34.09)
	Fair Value of Plan Assets as at the end of the period	2347.50	2246.06	1963.99	1876.33	1739.28

Sl. No.	Particulars	Pension 31.03.15	Pension 31.03.14	Pension 31.03.13	Pension 31.03.12	Pension 31.03.11
IV	**Actual Return on Plan Assets**					
	Expected return on Plan Assets	201.02	186.58	163.24	144.07	96.49
	Actuarial gain / (loss) on Plan Assets	30.40	43.64	(6.43)	9.42	(34.09)
	Actual return on Plan Assets	231.43	230.22	156.81	153.49	62.40
V	**Actuarial gain / (loss) recognised**					
	Actuarial gain / (loss) for the period – Obligation	(62.58)	87.47	191.75	(30.85)	(120.17)
	Actuarial gain / (loss) for the period – Plan Assets	30.41	43.64	(6.43)	9.42	(34.09)
	Total gain / (loss) for the period	(32.17)	131.11	185.32	(21.43)	(154.26)
	Actuarial gain / (loss) recognised in the period	(32.17)	131.11	185.32	(21.43)	(154.26)
VI	**Amounts recognised in the Balance Sheet and related analysis**					
	Present Value of the obligation	2407.14	2132.84	2009.65	1908.35	1832.94
	Fair Value of Plan Assets	2347.50	2246.06	1963.99	1876.34	1739.28
	Funded Status [Surplus/ (Deficit)]	(59.64)	113.22	(45.66)	(32.02)	(93.66)
	Amount recognised in the Balance Sheet	(59.64)	113.22	(45.66)	(32.02)	268.58
VII	**Expenses recognised in the Statement of Profit and Loss**					
	Current Service Cost	268.84	268.90	307.99	18.55	35.81
	Interest Cost	161.87	161.48	146.22	158.98	50.37
	Expected return on Plan Assets	(201.02)	(186.58)	(163.24)	(144.07)	(96.49)
	Net Actuarial (gain) / loss recognised in the year	32.17	(131.11)	(185.32)	21.43	154.26
	Expenses recognised in the statement of Profit and Loss	261.86	112.69	105.65	54.88	860.01
VIII	**Movements in the liability recognised in the Balance Sheet**					
	Opening net liability	(113.22)	45.66	32.02	93.67	109.77
	Expense as above	261.86	112.70	105.65	54.88	860.01
	Contribution Paid	(89.00)	(271.58)	(92.01)	(116.53)	(1238.36)
	Closing Net Liability	59.64	(113.22)	45.66	32.02	(268.58)

Sl. No.	Particulars	Pension 31.03.15	Pension 31.03.14	Pension 31.03.13	Pension 31.03.12	Pension 31.03.11
IX	**Amount for the Current Period**					
	Present Value of obligation	2407.14	2132.84	2009.65	1908.35	1832.95
	Plan Assets	2347.50	2246.06	1963.99	1876.34	1739.28
	Surplus / (Deficit)	(59.64)	113.22	(45.66)	(32.02)	(93.67)
	Experience adjustments on Plan Liabilities – gain / (loss)	(62.58)	87.47	191.75	(30.85)	(343.33)
	Experience adjustments on Plan Assets – gain / (loss)	30.40	43.64	(6.43)	9.42	34.09

(₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	Gratuity 31.03.15	Gratuity 31.03.14	Gratuity 31.03.13	Gratuity 31.03.12	Gratuity 31.03.11
I.	**Principal Actuarial Assumptions**					
	Discount Rate	8.00%	8.50%	8.00%	8.00%	8.20%
	Salary escalation rate	5.50%	5.50%	5.50%	4.00%	4.25%
	Attrition rate	1.00%	1.00%	1.00%	1.50%	0.75%
	Expected rate of return on Plan Assets	8.81%	8.50%	8.50%	8.30%	8.30%
II.	**Changes in the Present Value of the Obligation (PVO)**					
	PVO as at the beginning of the period	315.93	343.85	392.95	400.74	241.22
	Interest Cost	22.77	26.49	28.51	29.24	17.67
	Current Service Cost	18.63	17.45	17.01	15.08	8.44
	Benefits Paid	(62.70)	(64.50)	(73.09)	(70.45)	(51.51)
	Actuarial (gain) / loss on obligation (balancing figure)	3.54	(7.36)	(21.53)	18.34	53.04
	PVO as at the end of the period	298.17	315.93	343.85	392.95	400.74
III.	**Changes in the Fair Value of Plan Assets**					
	Fair Value of Plan Assets as at the beginning of the period	354.14	368.24	402.80	407.96	263.06
	Expected return on Plan Assets	31.20	31.30	34.24	31.70	26.63
	Contributions	0.00	21.00	31.50	16.00	167.16
	Benefits Paid	(62.70)	(64.50)	(73.09)	(70.45)	(51.52)
	Actuarial gain / (loss) on Plan Assets	3.67	(1.90)	(27.21)	17.59	2.63
	Fair Value of Plan Assets as at the end of the period	326.31	354.14	368.24	402.80	407.96

Sl. No.	Particulars	Gratuity 31.03.15	Gratuity 31.03.14	Gratuity 31.03.13	Gratuity 31.03.12	Gratuity 31.03.11
IV.	**Actual Return on Plan Assets**					
	Expected return on Plan Assets	31.20	31.30	34.24	31.70	26.63
	Actuarial gain / (loss) on Plan Assets	3.67	(1.90)	(27.21)	17.59	2.63
	Actual return on Plan Assets	34.87	29.40	7.03	49.29	29.26
V.	**Actuarial gain / (loss) recognised**					
	Actuarial gain / (loss) for the period – Obligation	(3.54)	7.36	21.53	(18.33)	(53.04)
	Actuarial gain / (loss) for the period – Plan Assets	3.67	(1.90)	(27.21)	17.59	2.63
	Total gain / (loss) for the period	0.13	5.46	(5.68)	(0.74)	50.41
	Actuarial gain / (loss) recognised in the period	0.13	5.46	(5.68)	(0.74)	50.41
VI.	**Amounts recognised in the Balance Sheet and related analysis**					
	Present Value of the obligation	298.17	315.93	343.85	392.95	400.74
	Fair Value of Plan Assets	326.31	354.14	368.24	402.80	407.96
	Funded Status [Surplus/ (Deficit)]	28.14	38.21	24.39	9.85	7.22
	Amount recognised in the Balance Sheet	28.14	38.21	24.39	9.85	104.18
VII.	**Expenses recognised in the Statement of Profit and Loss**					
	Current Service Cost	18.63	17.45	17.01	15.08	8.44
	Interest Cost	22.77	26.49	28.51	29.24	17.67
	Expected return on Plan Assets	31.20	31.30	(34.24)	(31.70)	(26.63)
	Net Actuarial (gain) / loss recognised in the year	(0.13)	(5.46)	5.68	0.75	50.42
	Expenses recognised in the statement of Profit and Loss	10.06	7.18	16.96	13.37	84.81
VIII.	**Movements in the liability recognised in the Balance Sheet**					
	Opening net liability	(38.21)	(24.39)	(9.85)	(7.22)	(21.83)
	Expense as above	10.06	7.18	16.96	13.37	84.81
	Contribution Paid	-	(21.00)	(31.50)	(16.00)	(167.16)
	Closing Net Liability	28.15	(38.21)	(24.39)	(9.85)	(104.18)

Sl. No.	Particulars	Gratuity 31.03.15	Gratuity 31.03.14	Gratuity 31.03.13	Gratuity 31.03.12	Gratuity 31.03.11
IX.	**Amount for the Current Period**					
	Present Value of obligation	298.16	315.93	343.85	392.95	400.73
	Plan Assets	326.30	354.14	368.24	402.80	407.96
	Surplus / (Deficit)	28.14	38.21	24.39	9.85	7.22
	Experience adjustments on Plan Liabilities – gain / (loss)	(3.54)	7.36	21.53	(18.33)	(77.05)
	Experience adjustments on Plan Assets – gain / (loss)	3.67	(1.90)	(27.21)	17.59	2.63

Note: In the absence of details from Actuary, contribution expected to be paid in the next year are not disclosed.

Actuarial assumptions relating to provisions for compensated absence are given below :

Interest rate :- 8% p.a

Salary inflation :- 5.50% p.a

Mortality :- LICI 1994-96

Attrition rate :- 10 per thousand p.a

Formula :- projected unit credit method

v) Details of Provisions as per As-15 made for various Long Term Employee Benefits during the year are as follows:

(₹ in Crores)

Sl. No.	Other Long Term Benefits	31.03.2015	31.03.2014
1.	Pension (net of reversals)	**305.29**	258.37
2.	Leave Encashment*	**-3.69**	NIL
3.	Gratuity	**34.64**	31.74
4.	Sick Leave	**-**	-17.38

***Note:** Actual expenditure of ₹ 39.13 crore (PY ₹ 34.83 crore) has been recognised in Profit and Loss Account by debiting Salary & Allowances Account.

vi) The Bank has made a provision of ₹ 208 crores towards increase in salaries arising out of 10th Bipartitite settlement with IBA but no provision has been made towards consequential increase in gratuity, pension and compensated absence liability. In the absence of the details of the increase under various components of salaries which is under discussion/determination, the amount of additional provision that may be required is indeterminate. The salary increase considered in actuarial valuation is sufficient to cover this increase also.

vii) During the year 2010-11, the Reserve Bank of India has issued a circular no.DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment, dated 9th February, 2011. In accordance with the provisions of the said Circular, ₹ 596 crores identified in the year 2010-11 is being amortised over a period of five years. Accordingly, ₹ 119 crores (representing the last year amortization of one-fifth of ₹ 596 crores) has been charged to the Profit and Loss Account in the current year. The above has resulted in decrease in the profit of the bank for the current year by ₹ 119 crores.

viii) Segment Reporting (AS-17) (₹ in Crores)

Business Segments #	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14
Revenue	3960.49	3215.20	5733.16	5169.14	2879.20	2547.03	579.64	485.05	13152.49	11416.42
Result	1024.09	560.77	(859.85)	(577.98)	673.56	786.38	475.76	398.71	1313.56	1167.88
Unallocated Expenses									54.53	64.15
Operating Profit									1259.03	1103.73
Provisions & Contingencies									859.13	655.78
Provision for Taxes									-39.51	32.04
Extraordinary Profit/Loss									NIL	Nil
Net Profit									439.41	415.91
OTHER INFORMATION										
Segment Assets	48522.37	49097.52	61125.48	59320.90	30308.13	26217.51	318.87	371.22	140274.85	135007.15
Unallocated Assets									2317.35	2351.46
Total Assets									142643.09	137358.61
Segment Liabilities	47263.87	48842.99	59586.26	57239.30	29524.54	25173.54	3.70	2.98	136378.37	131258.81
Unallocated Liabilities									6264.71	6099.80
Total Liabilities									142643.09	137358.61

For the purpose of segment reporting in terms of AS-17 and as prescribed in RBI guidelines, the business of the Bank has been classified into four segments i.e., a) Treasury Operations (b) Corporate/ Wholesale Banking, (c) Retail Banking and (d)Other Banking Operations

Since the Bank does not have any Overseas branch, reporting under geographic segment is not applicable.

Expenses wherever directly related to segments have been accordingly allocated to segments and wherever not directly related have been allocated on the basis of segment revenue.

Assets/liabilities wherever directly related to segments have been accordingly allocated to segments and wherever not directly related have been allocated on the basis of segment revenue/segments assets ratio.

The above information has been compiled based on data available at Head Office.

ix) The Bank has identified the following as related party as per AS-18 on Related Party Disclosures

a) Key Management Personnel :

1) Shri Kishore Sansi, M.D & CEO

2) Shri V Kannan, Chairman & Managing Director

3) Shri K.R. Shenoy, Executive Director

4) Shri B.S. Rama Rao, Executive Director

The transactions with Related parties during the year are as under:

a) i) Remuneration paid to Key Management Personnel during the year

Shri Kishore Sansi, M.D & CEO (01.01.2015 to 31.03.2015)	₹ 4,95,245/-
Shri V Kannan, C & MD (01.04.2014 to 31.12.2014)	₹ 23,24,658/-
Shri K.R. Shenoy, ED (01.04.2014 to 31.03.2015)	₹ 22,57,035/-
Shri B.S. Rama Rao, ED (01.04.2014 to 31.03.2015)	₹ 20,39,413/-

b) There has been no transaction with the relatives of the Key Management Personnel during the year.

c) Associates: NIL

x) Leases (AS -19)

a) Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss Account in the year to which it relates.

b) Future Lease Rent Payable for operating lease :

(₹ in Crore)

Particulars	**31.03.2015**	**31.03.2014**
Not Later than 1 year	**94.87**	94.03
Later than 1 year but not later than 5 years	**478.96**	376.11
Later than 5 years	**481.51**	282.08
Total	**1055.93**	752.22
Amount Charged to P&L	**100.19**	95.24

c) Future lease rents and escalation in the rent are determined on the basis of agreed terms.

d) At the expiry of initial lease term, generally the Bank has an option to extend the lease for a further pre-determined period.

e) The Bank does not have any financial lease.

xi) Earning Per Share (AS-20)

The Bank reports basic earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 on "Earnings per Share". Basic earnings per share for the period is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Calculation of Basic EPS/ Dilutive	**31.03.2015**	**31.03.2014**
a. Net Profit after tax available for equity share holders (₹ in Crores)	**439.41**	415.91
b. Weighted average number of equity shares (Numbers in crore)	**85.91**	54.47
c. Basic EPS/ Dilutive (in ₹)	**5.11**	7.64
d. Nominal Value per share (in ₹)	**10**	10

xii) Accounting for Taxes on Income (AS-22)

The Bank has accounted for Taxes on Income in compliance with Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" issued by the ICAI. Accordingly, deferred tax assets and liabilities are recognised.

a) The components of deferred tax are as under: (₹ in Crores)

Timing Difference		Deferred Tax Asset		Deferred tax liability	
		31.03.2015	31.03.2014	**31.03.2015**	31.03.2014
1.	Provision for leave encashment	**54.13**	54.42	**NIL**	NIL
2.	Fixed Assets	**NIL**	1.52	**0.88**	NIL
3.	Unamortized pension	**NIL**	NIL	**NIL**	32.14
4.	Unamortized gratuity	**NIL**	NIL	**NIL**	8.35
5.	Provision for Restructured Advances	**84.15**	67.04	**NIL**	NIL
6.	Special Reserve u/s 36(i)(viii) of IT Act	**NIL**	NIL	**160.49**	157.62
	Total	**138.28**	122.98	**161.37**	198.11

b) Bank has not provided for Deferred Tax Liability (DTL) of ₹ 230 crores on account of timing differences arising out of investments in HTM category instruments. This is not in accordance with EAC opinion of ICAI. Bank contends that it has been advised and has approached IBA for clarification in this matter from appropriate authorities. Hence, no provision has been made by the Bank for DTL.

c) Amount of provisions made for Income Tax during the year: (₹ in Crores)

Particulars	**31.03.2015**	**31.03.2014**
Provision for Income Tax	**106.81**	210.00*
Provision for deferred tax	**(52.05)**	(67.96)
MAT Credit Entitlement	**(94.27)**	(110.00)

*Provision for Income Tax includes ₹ 90.00 crores towards disputed tax of earlier periods.

xiii) In the opinion of the Management, there is no material impairment of any of the Fixed Assets of the Bank as per Accounting Standard 28 – Impairment of Assets.

9. I) Customer Complaint

		31.03.2015
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	**44**
(b)	No. of complaints received during the year	**1838**
(c)	No. of complaints redressed during the year	**1845**
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	**37**

II) Complaint details related to ATM transactions.

		31.03.2015
1	No. of issues pending at the beginning of the year	**96**
2	No. of issues received during the year	**12160**
3	No. of issues resolved during the year	**12222**
4	No. of issues pending at the end of the year	**34**

10. Awards passed by the Bank's ombudsman

		31.03.2015
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	**0**
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	**3**
(c)	No. of Awards implemented during the year	**2**
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	**1**

11. During the year 2013-14, in Dec'13 the Bank has allotted 5,89,34,464 equity shares of ₹ 10 each to Government of India at a premium of ₹ 32.42 per share on preferential basis. In the month of Feb'14, the Bank has converted the Perpetual Non-Cumulative Preference Share Capital of ₹ 1200 crores held by Govt. of India into equity share capital at a premium of ₹ 29.39 Per share with face value of ₹ 10/- each.

12. During the current financial year RBI has levied penalty of ₹5.16 lacs

13. Break up of provisions and contingencies

(₹ in Crores)

Break up of 'Provisions and contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss A/c	**31.03.2015**	**31.03.2014**
Provision for depreciation on investment	**(71.90)**	120.01
Provisions towards NPA	**800.22**	380.82
Provisions towards Standard Assets (including Restructured Std.)	**87.07**	153.21
Provisions made towards Income Tax (net):		
i) Current Tax	**106.81**	210.00
ii) Deferred Tax	**(52.05)**	(67.96)
iii) MAT Credit Entitlement	**(94.27)**	(110.00)
Other Provision and Contingencies :		
i) Provision for Contingencies	**21.82**	42.68
ii) Others	**21.92**	(5.01)
iil) Excess Provision written back	**0.00**	(35.93)
Total	**819.62**	**687.82**

A sum of ₹ 31 crore has been provided under 'Provision for Contingencies' towards diminution in the fair value of one of the corporate NPA accounts.

13(a) Floating Provisions (₹ in Crores)

Particulars	**31.03.2015**	**31.03.2014**
(a) Opening balance	**142.71**	213.00
(b) Floating provisions made during the year	**NIL**	NIL
(c) Amount withdrawn during the year	**71.36**	70.29
(d) Closing balance	**71.35**	142.71

Pursuant to Reserve Bank of India Circular No. DBR No. BP.BC.79/2014.048 / 2014-15 dt. 30.03.2015, the Bank has utilised 50% of its floating provisions held as on 31st Dec. 2014.

Note: Floating provision has been utilised for reckoning the provision required in respect of Non-Performing advances.

14. Intra Group Exposure:

a) Total Amount of Intra group Exposures: NIL

b) Total amount of top-20 intra group exposures: NIL

c) Percentage of intra group exposures to total exposure of the bank on borrowers/customers: NIL

d) Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any: NIL

15. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF): (₹ in crore)

Particulars	**31.03.2015**	**31.03.2014**
Opening balance of amounts transferred to DEAF	**0.00**	0
Add: Amounts transferred to DEAF during the year	**62.88**	0
Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	**0.01**	0
Closing balance of amounts transferred to DEAF	**62.87**	0

16. Unhedged Foreign Currency Exposure:

(To the extent bank has been able to ascertain from borrowers and as certified by bank and relied upon by auditors)

Incremental Provisioning as on 31.03.2015: ₹ 1.51 crores.

Incremental Capital Requirement as on 31.03.2015: ₹ 14.18 crores.

17(a) Liquidity Coverage Ratio: (₹ in crore)

		Current Year	
		Total Unweighted Value (average)	**Total Weighted Value (average)**
High Quality Liquid Assets			
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		14048.92
Cash Outflows			
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which	7908.32	764.13
	(i) Stable deposits	533.48	26.66
	(ii) Less stable deposits	7374.84	737.47
3	Unsecured wholesale funding, of which:	37457.65	18410.05
	(i) Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00
	(ii) Non-Operational deposits (all counterparties)	37457.65	18410.05
	(iii) Unsecured debt	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding		
5	Additional requirements, of which	10579.82	1504.90
	(i) Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00
	(ii) Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00
	(iii) Credit and liquidity facilities	10579.82	1504.90
6	Other contractual funding obligations	1051.47	1051.47
7	Other contingent funding obligations	6071.68	303.58
8	**Total Cash Outflows**		22034.13
Cash Inflows			
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	171.40	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	0.00	0.00
11	Other Cash Inflows	1739.06	1151.75
12	**Total Cash Inflows**	1910.46	1151.75
Total Adjusted Value			
21	TOTAL HQLA		14048.92
22	Total Net Cash Outflows		20882.38
23	Liquidity Coverage Ratio (%)		67.276%

17(b)Qualitative disclosure around LCR:

(a) The main drivers of their LCR results and the evolution of the contribution of inputs to the LCR's calculation over time;

The main drivers of the LCR is HQLA, the involvement of healthy HQLA not only improve the LCR percentage but also increase the ability of the bank to meet the liquidity requirement upto 30 days.

Intra-period changes as well as changes over time; Not Applicable

(b) The composition of HQLA; The composition of HQLA is divided into Level 1 Asset and Level 2A & Level 2B.

Level 1 Asset includes:

i. Cash including cash reserves in excess of required CRR.

ii. Government securities in excess of the minimum Statutory Liquidity Ratio(SLR) requirement.

iii. Within the mandatory Statutory Liquidity Ratio(SLR) requirement, Government securities to the extent allowed by Reserve Bank of India (RBI), under Marginal Standing Facility (MSF).

iv. Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns satisfying all the following conditions:-

(a) Assigned a 0% risk weight under the Basel II standardized approach for credit risk;

(b) Traded in large, deep and active repo or cash markets characterised by a low level of concentration; and proven record as a reliable source of liquidity in the markets (repo or sale) even during stressed market conditions.

(c) Not issued by a bank/financial institution/NBFC or any of its affiliated entities.

Level 2 assets (comprising Level 2A assets and Level 2B assets) can be included in the stock of liquid assets, subject to the requirement that they comprise no more than 40% of the overall stock of HQLAs after haircuts have been applied.

Level 2A and Level 2B assets would comprise of the following:

Level 2A **Assets** includes;

A minimum 15% haircut should be applied to the current market value of each Level 2A asset held in the stock. Level 2A assets are limited to the following:

1) Marketable securities representing claims on or claims guaranteed by sovereigns, Public Sector Entities (PSEs) or multilateral development banks that are assigned a 20% risk weight under the Basel II Standardised Approach for credit risk and provided that they are not issued by a bank/financial institution/NBFC or any of its affiliated entities.

2) Corporate bonds, not issued by a bank/financial institution/NBFC or any of its affiliated entities, which have been rated AA- or above by an Eligible Credit Rating Agency.

3) Commercial Papers not issued by a bank/ Primary dealers (PD)/financial institution or any of its affiliated entities, which have a short-term rating equivalent to the long-term rating of AA- or above by an Eligible Credit Rating Agency.

Level 2B Assets includes:

A minimum 50% haircut should be applied to the current market value of each Level 2B asset held in the stock. Further, Level 2B assets should comprise no more than 15% of the total stock of HQLA. They must also be included within the overall Level 2 assets. Level 2B assets are limited to the following:

i. Marketable securities representing claims on or claims guaranteed by sovereigns having risk weights higher than 20% but not higher than 50%, i.e., they should have a credit rating not lower than BBB- as per RBI Master Circular on 'Basel III – Capital Regulations'.

ii. Common Equity Shares which satisfy all of the following conditions:

a) not issued by a bank/financial institution/NBFC or any of its affiliated entities;

b) included in NSE CNX Nifty index and/or S&P BSE Sensex index.

(c) **Concentration of funding sources;** Amount to be received by RBI / Central banks.

(d) **Derivative exposures and potential collateral calls;** Not Applicable

(e) **Currency mismatch in the LCR;** Not Applicable

(f) **A description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units; and**

The Fund Management desk in Treasury Management Department (TMD) is centralized liquidity management desk that manages the flow of funds between the two units.

(g) **Other inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers to be relevant for its liquidity profile.**

Not Applicable

18. The bank has drawn down a sum of ₹ NIL/- (Previous year ₹ NIL) from General Reserve on account of payment of Lapsed Demand Drafts which were taken to general reserve earlier as per RBI approval.

19. Bank is not having adequate information in respect of Suppliers/Service providers covered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. In view of this, information required to be disclosed u/s 22 of the said Act is not given.

20. Previous year's figures have been re-grouped / re-classified / re-cast wherever necessary to conform to current year's classification.

KISHORE SANSI
Managing Director & CEO

K. R. SHENOY
Executive Director

B. S. RAMA RAO
Executive Director

SANJAY KUMAR
Director

SUMA VARMA
Director

BHARATI RAO
Director

Y. MURALIKRISHNA
Director

A. S. RAJEEV
General Manager

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For M/s KARRA & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 001749S
K.PREMKUMAR
Partner
Membership No:019170

For M/s N C MITTAL & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 000237N
[N C MITTAL]
Partner
Membership No:14213

For M/s KPMC & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No: 05359C

[SANJAY MEHRA]
Partner
Membership No:075488

For M/s PKF SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
Registration No: 003990S/S200018
[S RAJESHWARI]
Partner
Membership No:024105

Place : Bengaluru
Date : 12.05.2015

STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015

[₹ 000's omitted]

PARTICULARS	For the year ended 31.03.2015	For the year ended 31.03.2014
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit after tax	**439 40 94**	415 90 86
Provision for depreciation on fixed assets	**54 53 24**	64 14 62
Profit on sale of Fixed Assets	**- 50 48**	- 20 82
Current Deferred Tax	-52 04 56	-67 95 82
Provision for income tax	**106 81 00**	210 00 00
Mat Credit Entitlement	**-94 27 00**	-110 00 00
Provision in respect of NPA/restructured adv.	**846 14 48**	452 19 86
Provision for Standard Assets	**41 14 00**	81 83 00
Provision for Diminution in the value of Investments	**-71 89 60**	120 01 15
Payment/Provision for interest on Subordinate Bonds	**189 08 09**	144 15 03
Provision for other Items	**43 73 87**	1 73 99
Sub total:-	**1502 13 98**	1311 81 87
Adjustment for net change in operating assets and liabilities		
Decrease/(Increase) in Investment	**-1864 81 78**	-11420 43 09
Decrease /(Increase) in Advances	**-6037 97 61**	-12190 46 85
Increase / (Decrease) in Deposits	**2047 19 12**	27278 92 25
Increase/ (Decrease) in Borrowings	**1033 39 50**	-1897 01 78
Decrease/(Increase) in other Assets	**-12 77 46**	-114 89 48
Increase/(Decrease) in other Liabilities & Provisions	**292 59 32**	338 25 54
Tax (paid)/ Refund	**-171 77 86**	-390 20 53
Net Cash from operating Activities (A)	**-3212 02 79**	2915 97 94
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Fixed Assets (net)	**-104 20 28**	-129 77 84
Net cash from investing activities (B)	**-104 20 28**	-129 77 84
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Issue of share capital	**-**	-836 41 97
Share Premium	**-**	1086 41 97
Subordinate bonds issued	**1500 00 00**	250 00 00
Interest on subordinate bonds	**-189 08 09**	-144 15 03
Preference dividend paid & tax paid thereon	**-**	-119 33 49
Equity dividend & Tax paid thereon	**-100 51 27**	-144 93 90
Interim dividend paid & tax paid thereon	**-**	-64 87 06
Net cash from financing activities (C)	**1210 40 64**	26 70 52
Net cash & cash Equivalents (A+B+C)	**-2105 82 43**	2812 90 62
Cash & Cash equivalents at the beginning of the year	**9457 65 60**	6644 74 98

PARTICULARS	[₹ 000's omitted]	
	For the year ended 31.03.2015	For the year ended 31.03.2014
Cash in Hand	**373 49 97**	417 56 29
Balances with Reserve bank of India	**5166 70 79**	3500 13 42
Balances with banks and money at call and short notice	**3917 44 84**	2727 05 27
Cash & Cash equivalents at the end of the year	**7351 83 17**	9457 65 60
Cash in Hand	**493 80 86**	373 49 97
Balances with Reserve bank of India	**6040 48 61**	5166 70 79
Balances with banks and money at call and short notice	**817 53 70**	3917 44 84

The above cash flow statement has been taken on record by the Board of Directors of the Bank at its meeting held on 12.05.2015.

KISHORE SANSI
Managing Director & CEO

K. R. SHENOY
Executive Director

B. S. RAMA RAO
Executive Director

SANJAY KUMAR
Director

SUMA VARMA
Director

BHARATI RAO
Director

Y. MURALIKRISHNA
Director

A. S. RAJEEV
General Manager

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For M/s KARRA & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 001749S

K.PREMKUMAR
Partner
Membership No:019170

For M/s N C MITTAL & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 000237N

[N C MITTAL]
Partner
Membership No:14213

For M/s KPMC & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No: 05359C

[SANJAY MEHRA]
Partner
Membership No:075488

For M/s PKF SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
Registration No: 003990S/S200018

[S RAJESHWARI]
Partner
Membership No:024105

Place : Bengaluru

Date : 12.05.2015

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

The President of India/ Members,

Report On the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Vijaya Bank as at 31st March, 2015, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2015, and Profit and Loss Account and the cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us and 600 branches audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss account are the returns from 998 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 7 per cent of advances, 33 per cent of deposits, 34 per cent of interest income and 26 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements.

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulation Act, 1949 and Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 read with the significant accounting policies of the Bank. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. SA 299 on "Responsibility of Joint Auditors – Para 2 and 3 on Division of work", states that the joint auditors shall mutually decide upon the allocation of work amongst themselves and communicate to the entity. The allocation of work in the current year was made by the management of the bank without consulting the Joint Auditors. Management contends that the said allocation has been made in terms of appointment letter of RBI.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   (i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2015 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

   (ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

   (iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

7. Emphasis of Matter

Without qualifying our opinion, we draw attention to the following:

(i) Provision has not been made for Rs 230 crores on account of Deferred Tax Liability arising out of timing differences in HTM category investments as explained in Note No. 8(xii)(b).

(ii) Note 8(vi) to the financial statements, which states that the Bank has made a provision of Rs.208 crores towards increase in salaries arising out of 10th bipartite settlement with the Employee Union, but no specific provision has been made towards consequential increase in gratuity, pension and compensated absences liability, in the absence of the details of the increase under various components of salaries which is under discussion/determination. The amount of additional provision is indeterminate. The bank contends that the salary increase considered in actuarial valuation is sufficient to cover this increase also.

(iii) Note 8(vii) to the financial statements, which describes the charge of last instalment of pension and gratuity liability of Rs. 119 crores for the current year, pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standard AS-15, Employee Benefits vide its circular no. DBOD. BP.BC/80/21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment. There is no further amount carried forward for charging in future periods.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

   (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

   (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank except with regard to savings bank accounts opened in respect of Government Departments and Body Corporates.

   (c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

For M/s KARRA & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 001749S
K.PREMKUMAR
Partner
Membership No:019170

For M/s N C MITTAL & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 000237N
[N C MITTAL]
Partner
Membership No:14213

For M/s KPMC & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No: 05359C

[SANJAY MEHRA]
Partner
Membership No:075488

For M/s PKF SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
Registration No: 003990S/S200018
[S RAJESHWARI]
Partner
Membership No:024105

Place : Bengaluru
Date : 12.05.2015

BASEL DISCLOSURES DOCUMENT AS AT 31st March 2015

TABLE DF-1 on group entities disclosures is not applicable to the Bank.

TABLE DF-2

CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures				
(a)	A summary discussion of the Bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities.	As per RBI directives, our Bank has adopted 'Standardised Approach' for Credit Risk, 'Standardised Duration Approach' for Market risk and 'Basic Indicator Approach' for Operational risk w.e.f. 31.03.2009. For assessment of additional Capital to support the current and future activities, the Bank follows ICAAP policy, put in place by the Bank. ICAAP is being reviewed on a half yearly basis in order to maintain adequate capital above the regulatory minimum on a continuous basis taking care of the future growth in business.		
Quantitative Disclosures		**(₹ in crore)**		
(b)	Capital requirements for Credit Risk under Basel II & Basel III:			
	• Portfolios subject to standardised approach	₹ **6133.17** (including other assets and counterparty un-hedged foreign currency exposure)		
	• Securitisation exposures	**NIL** - as the Bank has no exposure under securitisation.		
(c)	Capital requirements for Market Risk Standardised duration approach:			
	Under Basel II:	**496.59**		
	• Interest rate risk	456.62		
	• Foreign Exchange Risk	1.35		
	• Equity Risk	38.62		
	Under Basel III:	**491.86**		
	• Interest rate risk	451.89		
	• Foreign Exchange Risk	1.35		
	• Equity Risk	38.62		
	* After Cross holding adjustment of ₹ 7.09 crore			
(d)	Capital requirements for Operational Risk – Basic Indicator Approach	**380.35**		
			Basel II	**Basel III**
	Capital required:	**Min. Cap Required:**	**7010.11**	**7005.38**
	Capital Maintained:	**Capital Funds: (as on 31.03.2015)**	**9111.06**	**8895.16**
(e)	Total and Tier 1 Capital Ratio			
	• For the top consolidated group		**Basel II**	**Basel III**
		CRAR as on 31.03.2015:	**11.70%**	**11.43%**
		Common Equity Tier 1:	-	7.60%
		Tier 1 Capital	8.25%	8.24%
		Tier 2 Capital	3.45%	3.19%
	• For significant Bank subsidiaries	Not applicable, as our Bank has no subsidiary.		

TABLE DF-3

CREDIT RISK – GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures		
(a)	The general qualitative disclosure requirement with respect to Credit Risk, including • Definitions of past due and impaired (for accounting purposes) • Discussion on the Bank's Credit Risk Management Policy	The Credit Risk Management Process of the Bank is driven by sound system, procedures and policies. While the Board of Directors & Risk Management Committee of the Board gives directions, the Credit Risk Management Committee headed by Chairman & Managing Director ensures its implementation. Policy guidelines for Credit Risk Management, Collateral Management and Credit Risk Mitigants (CRM), Ratings etc. are put in place, wherein the set of objectives, scope and nature of risk reporting, its measurement systems, policies, strategies to be adopted in containing / minimizing the risk through CRM, processing steps, developing monitoring and supervision mechanisms for the continuing effectiveness of mitigants have been detailed. To move towards advanced approach of Basel II norms, the Bank has taken up implementation of integrated Risk Management System through six solutions for Credit Risk Rating, Credit Risk, Market Risk, Operation Risk, ALM & FTP. **The Bank's policy on IRAC (Income Recognition & Asset Classification) norms** is in tune with guidelines issued by the Reserve Bank of India, as amended from time to time. Ninety days delinquency norm is being followed in classifying the assets as 'performing' & 'non-performing' assets. The entire IRAC data has been subjected to audit. Adequate provisions as prescribed have been made on both Standard Assets (performing) and Non-Performing Assets. Apart from these, the Bank has created a general floating provision and additional provision for restructured assets. **Definition of impaired assets (for accounting purposes):** An asset becomes non-performing when it ceases to generate income for the Bank when (a) interest and/or installment of the loan remains 'overdue' (*) for a period of more than 90 days in respect of term loan (b) the account remains 'out of order' (#) for a period of more than 90 days, in respect of operative limits such as Cash Credit (Hyp./Misc.) (c) the bill remains 'overdue' for a period of more than 90 days in cases of bills purchased /discounted (d) the interest charged during any quarter, not fully serviced within 90 days from the end of the quarter (e) the installment of principal or interest thereon remains overdue for 2 crop seasons in the case of short duration crop loans and if installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season in the case of long duration crop loans, as far as agricultural loans are concerned (f) 90 days from the date of crystallization of non-fund based commitments expire. * 'overdue' means any amount due to the Bank under any credit facility, if not paid on the due date fixed, or on crystallization of non fund based commitment. # 'out of order' means the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power or if there are no requisite amount of credits continuously for 90 days or where credits in the account are not enough to cover the interest debited prior to 90 days. **Discussions on Bank's Credit Risk Management Policy:** The Bank has formulated a comprehensive Credit Risk Management Policy and constituted various committees such as Credit Risk Management Committee, etc. to address host of management techniques which help the Bank in identifying, measuring, monitoring and controlling of credit risks by taking into account both external and internal factors affecting the credit risk. The Bank has fine tuned the Risk Management Policies & Lending Policy, to include credit appraisal standard like benchmark/hurdle ratios on key financial indicators, internal ceilings, prudential norms for large credit proposals, standards for loan collateral, portfolio management, credit concentration, Loan Review Mechanism /

	Review Mechanism / Credit Audit, special review of high value borrowal accounts (Comprehensive Credit Monitoring Report), risk concentration / monitoring and pricing based on risk ratings, and review based on risk ratings etc, besides covering exposure ceiling for groups, ratings and sensitive sectors such as capital market, real estate and commodity sector. A comprehensive Recovery Policy of the Bank is also put in place and revised from time to time.
Quantitative Disclosures	**Gross Credit risk exposure :**

(b) Total gross Credit Risk exposures - fund based & non-fund based

Fund based	Gross Credit	: ₹ 87691.54	crore
	Investments	: ₹ 30186.63	crore
	Other Assets	: ₹ 11612.08	crore
Non Fund based	BG/ LC	: ₹ 7568.84	crore
	Derivatives & CCIL/MCX	: ₹ 3893.61	crore
	Undrawn	: ₹ 10579.83	crore
	Total	: ₹ **151532.53**	**crore**

(c) Geographical distribution of exposures -fund based & non fund based separately

- Overseas

Overseas: Fund based & Non fund based: Nil

- Domestic

Domestic:

Fund based	Gross Credit	: ₹ 87691.54	crore
	Investments	: ₹ 30186.63	crore
	Other Assets	: ₹ 11612.08	crore
Non Fund based	BG/ LC	: ₹ 7568.84	crore
	Derivatives & CCIL/MCX	: ₹ 3893.61	crore
	Undrawn	: ₹ 10579.83	crore
	Total	: ₹ **151532.53**	**crore**

Geographic distribution of Gross credit, NFB and HTM investments is as under:

(₹ in crore)

State	Gross credit	Non Fund Based	HTM Investments	Total
Andaman & Nicobar	39	3	0	43
Andhra Pradesh	2048	75	100	2223
Arunachal Pradesh	99	8	0	107
Assam	228	34	0	262
Bihar	146	13	36	195
Chandigarh	183	18	0	201
Chattisgarh	217	35	44	295
Dadra & Nagar Haveli	8	0	0	8
Delhi	12874	1168	27046	41088
Goa	146	3	0	148
Gujarat	3675	358	383	4417
Haryana	1868	30	51	1949
Himachal Pradesh	36	1	43	80
Jammu & Kashmir	12	1	56	69

(₹ in crore)

State	Gross credit	Non Fund Based	HTM Investments	Total
Jharkhand	94	10	0	105
Karnataka	21263	798	544	22605
Kerala	2626	36	157	2819
Madhya Pradesh	494	21	38	553
Maharashtra	23239	3436	439	27115
Manipur	32	1	10	43
Meghalaya	90	15	18	123
Mizoram	50	2	0	52
Nagaland	83	2	0	85
Orissa	159	13	0	172
Pondicherry	68	2	0	71
Punjab	1000	10	172	1183
Rajasthan	2110	47	109	2267
Sikkim	13	1	0	14
Tamil Nadu	5520	471	775	6766
Telangana	4172	523	0	4695
Tripura	27	8	0	35
Uttar Pradesh	2520	107	79	2707
Uttaranchal	82	1	0	83
West Bengal	2466	317	87	2869
Total	**87692**	**7569**	**30187**	**125447**

Other Assets & Derivatives Are Maintained At Head Office

(d) Industry type distribution of credit

Industrywise Deployment of Credit (₹ in crore)

Industry	Credit
Energy	15392.94
Transport	5065.75
Communication	664.65
Social & Commercial Infrastructure	2423.56
Water & Sanitation	434.21
Steel & Engineering Industry	4074.29
Cement Industry	123.27
Textile Industry	679.46
Precious Stones And Jewellery	357.54
Electronics	715.71
Sugar Industry	183.62
Refinery	165.47
Aluminium	654.25
Automobiles & Auto Parts	123.21
Construction	2213.79
Pharmaceuticals	250.89
Agro Based	48.45
Distillery	293.25
Other Industry	29.13
Total	**33893.44**

(e) Residual maturity breakdown of assets **as at 31.03.2015:** (₹ **in crore**)

Period	1 day	2-7 days	8-14 days	15-28 days	29 days - 3 months	Over 3 months to 6 months	Over 6 months to 12 months	Over 1 year to 3 years	Over 3 years to 5 years	Over 5 years	Total
FC Assets	133.40	246.61	5.94	98.79	60.25	84.87	11.81	0.00	0.00	0.00	**641.67**
Advances	1065.50	672.56	953.44	1315.03	6883.28	4620.68	5236.40	43900.47	10981.87	11066.64	**86695.87**
Investments	224.22	220.42	323.84	309.79	1727.57	1467.85	2372.55	8056.27	9217.50	20602.08	**44522.09**

Position as on 31.03.2015 (₹ in crore)

(f)	Amount of NPAs (Gross)	**2443.21**
	• Substandard	1128.34
	• Doubtful 1	642.11
	• Doubtful 2	656.27
	• Doubtful 3	16.31
	• Loss	0.18
(g)	Net NPAs	1659.81
(h)	NPA Ratios:	
	• Gross NPAs to gross advances	2.78%
	• Net NPAs to net advances	1.92%
(i)	Movement of NPAs (Gross):	
	• Opening balance	1985.86
	• Additions	2826.85
	• Reductions	2369.50
	• Closing balance	2443.21
	Movement of NPA (Net)	
	• Opening balance	1262.37
	• Additions	397.44
	• Reductions	0.00
	• Closing balance	1659.81
(j)	Movement of provisions for NPAs	
	• Opening balance	709.92
	• Provisions made during the period	836.07
	• Write off	776.24
	• Write back of excess provisions	0.00
	• Closing balance	769.75
	(DICGC/ECGC claims settled & pending for payment = ₹ 11.77 crore; Part payment received in NPA kept in suspense = ₹ 1.87 crore & Balance held under interest suspense = ₹ 0.01 crore).	
(k)	Amount of Non-Performing Investments	9.25
	(Under HTM Category)	
(l)	Amount of provisions for depreciation on Non Performing Investments (NPI)	17.09
(m)	Movement of provisions for depreciation on Non Performing Investments (NPI):	
	• Opening balance	12.47
	• Provisions made during the period	4.62
	• Write off	0.00
	• Write back of excess provisions	0.00
	• Closing balance	17.09

TABLE DF-4

CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative disclosures	
(a) For portfolios under the standardised approach:	
• Names of credit rating agencies used plus reasons for any changes	The Bank has used ratings given by RBI approved external credit rating agencies, viz CRISIL / ICRA / FITCH India Rating / CARE / SMERA / Brickwork Rating only. In order to facilitate the process of external rating and enabling the customers to solicit external ratings for their exposure, the Bank has entered into a separate MOU with the credit rating agencies.
• Types of exposure for which each agency is used	All Corporate exposure above ₹ 5 Crore and exposure to public sector entities.
• A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking book	Bank has used only bank ratings which are available in public domain. Further the Bank has not used any public issue ratings.
Quantitative disclosures	
(b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardised approach, amount of a bank's outstandings (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted:	**Credit exposure ** (₹ in Crore)**
• Below 100% risk weight	97409.16
• 100% risk weight	35047.27
• More than 100% risk weight	10722.50
• Deducted - Financial collaterals	8353.60
TOTAL	**151532.53**
** Includes following off B/S exposure	
NFB Exposure ₹ 7568.84 crore	
Undrawn Portion ₹ 10579.83 crore	
CCIL & MCX ₹ 302.35 crore	
NFB Investments ₹ 3591.26 crore	
Also includes other assets ₹ 11612.08 crore	

TABLE DF-5

CREDIT RISK MITIGATION : DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACH

Qualitative disclosures	
(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including: • Policies and processes for and an indication of the extent to which the Bank makes use of, on and off balance sheet netting • Policies and processes for collateral valuation and management. • A description of the main types of collateral taken by the bank. • The main type of guarantor counterparty and their creditworthiness. • Information about (market or credit) risk concentration within the mitigation taken.	The general principles, like having a specific lien, requisite minimum margin stipulation, valuation, legal certainty, documentation, periodical inspection, easy liquidity etc. as enumerated in Basel II final guidelines of RBI has been used for credit risk mitigation techniques. All the prescribed haircuts with adjustments for currency mismatch & maturity mismatch are done. The financial collaterals available are netted out of the credit exposure before assigning the risk weights. The effect of Credit Risk Mitigation (CRM) is not double counted. The financial collaterals taken for the purpose of CRM mainly includes Bank's own term deposits, cash margin, life policies, NSCs, KVPs and gold benchmarked to 99.99 purity. Guaranteed exposure includes those guaranteed by Central / State Governments, ECGC, Bank and CGTSI. The CRM / Guaranteed exposure are not subject to any market fluctuation and these exposures are well diversed.

Quantitative disclosures

(b) For each separately disclosed credit risk portfolio, the total exposure (after where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.

(Excluding exposure of other assets ₹ 11612.08 crore.)

(c) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by guarantees / credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)

(Excluding exposure of other assets ₹ 11612.08 crore.)

* Including off balance sheet exposure

** Including Undrawn

₹ in crores

Credit risk exposure	Loans & advance **	Non fund based	Investment*	Total
Exposure	**98271.37**	**7568.84**	**34080.24**	**139920.45**
CRM (fin. collaterals)	**7495.21**	**167.50**	**0.00**	**7662.71**
Net exposure	**90776.16**	**7401.34**	**34080.24**	**132257.74**

₹ in crores

Guarantee status	Loans & advance **	Non fund based	Investment* #	Total
Exposure	98271.37	7568.84	34080.24	139920.45
Central/ State Govt.	7539.02	0.00	26385.60	33924.62
ECGC/BANK /CGTSI	2839.93	0.00	0.00	2839.93
Guarantee total	**10378.95**	**0.00**	**26385.60**	**36764.55**
Net exposure	**87892.42**	**7568.84**	**7694.64**	**103155.90**

this includes bonds/instruments issued by the Central/State Government and/or guaranteed by Central Government.

For the credit risk portfolio under the standardised approach (fund & non-fund based), the total eligible financial collaterals are reckoned after the application of haircuts wherever applicable.

TABLE DF-6

SECURITISATION
DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACH

The Bank has not securitised any asset during the half year ending 31.03.2015 either in Banking book or in trading book.

TABLE DF-7

MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative disclosure

(a) The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardised approach

Market Risk is the potential risk due to market movements in interest rates, equity prices, foreign currencies and commodity prices.

Basel-II proposes two approaches for Market Risk **viz Standarised Duration Approach and Internal Model Approach.** At present, the bank has implemented **"Standardized Duration Approach"** and moving forward to implement Internal Model Approach. The Standardized Duration Approach has got following features.

1. The capital requirement under standardized approach is calculated based on Interest rate risk, Equity price risk, Foreign Exchange risk and Commodity risk.

2. The general Market risk is calculated based on modified duration and change in yield.

3. The specific risk is calculated based on external risk rating, duration of the instrument etc.

Quantitative disclosures

For the purpose of calculation of capital charge, the bank has adopted 'Standardised Duration Approach', as detailed below:

Aggregation of the capital charge for Market Risk under Basel-II as on 31.03.2015 **₹ in crore**

(b) The capital requirement for

- Interest rate risk
- Equity position risk
- Foreign Exchange risk

	Risk Category	Capital charge
(A)	**Capital Charge for Market Risk for securities held under HFT**	
	Interest Rate (a+b)	22.80
	a. General Market Risk	22.80
	(i) Net position (parallel shift)	22.80
	(ii) Horizontal disallowance (curvature)	0.00
	(iii) Vertical disallowance (basis)	0.00
	b. Specific Risk	0.00
(B)	**Capital charge for Market Risk for securities held under AFS**	
	Interest Rate (a+b)	433.82
	a. General Market Risk	309.21
	(i) Net position (parallel shift)	309.21
	(ii) Horizontal disallowance (curvature)	0.00
	(iii) Vertical disallowance (basis)	0.00
	b. Specific risk	124.61
(C)	**Alternative total capital charge for securities held under AFS**	**152.97**
	I. Interest rate related instruments {A+(B or C whichever is more)}	**456.62**
	II. Equity (a+b)	**38.62**
	a. General market risk	17.16
	b. Specific risk	21.46
	III. Foreign Exchange & Gold	**1.35**
	IV. Total capital charge for Market Risks (I+II+III)	**496.59**
	Total Risk Weighted Assets	**5517.61**

Aggregation of the capital charge for Market Risk under Basel-III as on 31.03.2015

₹ in crore

	Risk Category	Capital charge
(A)	**Capital Charge for Market Risk for securities held under HFT**	
	Interest Rate (a+b)	22.80
	a. General Market Risk	22.80
	(i) Net position (parallel shift)	22.80
	(ii) Horizontal disallowance (curvature)	0.00
	(iii) Vertical disallowance (basis)	0.00
	b. Specific risk	0.00
(B)	**Capital charge for Market Risk for securities held under AFS**	
	Interest Rate (a+b)	436.18
	a. General Market Risk	309.21
	(i) Net position (parallel shift)	309.21
	(ii) Horizontal disallowance (curvature)	0.00
	(iii) Vertical disallowance (basis)	0.00
	b. Specific risk	126.97
(C)	**Alternative total capital charge for securities held under AFS**	**156.20**
	I. Interest rate related instruments {A+(B or C whichever is more)}	**458.98**
	II. Equity (a+b)	**38.62**
	a. General market risk	17.16
	b. Specific risk	21.46
	III. Foreign Exchange & Gold	**1.35**
	IV. Total capital charge for Market Risks (I+II+III)	**498.95**
	Total Risk Weighted Assets	**5543.89**
	Adjustment for Cross holding securities (written off from capital) - ₹ 7.09 crore / 9%	78.81
	Total Risk Weighted Assets after adjustment	**5465.08**

TABLE DF-8

OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures

As stipulated in the RBI final guidelines on Basel II, the Bank is adopting Capital charge calculations for Operational Risk as per 'Basic Indicator Approach'. The Bank has set up Operational Risk Management Committee to identify, assess ,monitor and control all operational risks apart from measures to mitigate such risks, by putting in place detailed policy & guidelines on Operational Risk Management (ORM), Loss Data, Risk & Control Self Assessment(RCSA),Key Risk Indicator (KRI), Scenario Analysis (SA), Business Line Mapping (BLM) policy, Business Continuity Policy(BCP), Business Continuity & Disaster Recovery Plan, Outsourced Activities, New Product & Activities Review, KYC norms and Anti-Money Laundering etc.

Further the Bank has put in place the following measures to manage, control and mitigate operational risks:-

- Book of Instructions/Manuals are being updated at periodic intervals besides revising various policies on review at regular/annual interval.
- Operational Risk losses(Fraud & Non-fraud data) are being reported to Operational Risk Management Committee on quarterly basis
- The Bank has put in place IT Security Policy and has implemented various IT security related solutions like Anti Virus for Data Centre and Branches, Fire Walls, Encryption Technologies, Intrusion Detection Systems, Web filtering solution, forced password change, Router based security policies, Network Security Policies. The Bank has implemented policies relating to application access controls, password security, guidelines to avoid misuse of passwords, etc. in the Core Banking scenario. The Bank has been conducting information security & network audit for its network, Data Centre, Disaster Recovery Site, Business Units facilities. The Bank has been conducting vulnerability assessment and penetration testing for Critical Service like Internet Banking, Mobile Banking, Core Banking Solution to find the loop holes if any and taking corrective steps. The Bank has been conducting all its third party software applications to the process of IS audit to continuously improve the confidentiality, integrity, and availability of all its IT resources.
- In order to mitigate the probability of system disruptions resulting in the business discontinuity, the Bank has implemented various levels of disaster recovery and business continuity mechanisms/measures specially for critical applications like Core Banking System, Network Facilities, ITMS, IRMS.
- Risk Based Internal Audit (RBIA) is made applicable for all the branches from the year 2008-09 based on the revised RBIA format.
- Bank has put business units under RCSA exercise in 15 operational areas viz. Retail Banking, Branch Operations, Internet Banking, ATM operation, Forex, Currency Chest, Lockers, Remittances, Information Technology, Debit Card & Credit Card operation, Treasury Operations, Trading & Sales (AFS/ HFT), Financial Inclusion, Payment & Settlement and Commercial Banking.
- The Bank has been permitted by RBI to assess Operational Risk Capital under The Standardized Approach (TSA) - (Parallel run with effect from March 2015).

Quantitative disclosures:

Calculation of capital charge on Operational Risk

AVERAGE OF GROSS INCOME FOR THE LAST 3 YEARS

(₹ **in crore**)

Sr. No.	Description	31-03-2012	31-03-2013	31-03-2014
1	Net Profit	580.99	585.61	415.91
	ADD			
2	Provisions & Contingencies	649.07	536.42	687.82
3	Operating Expenses	1201.36	1362.97	1689.55
4	**Sub-Total**			
	LESS			
5	Realised profit / loss from the sale of securities in the HTM category	16.29	60.72	13.64
6	Income from insurance activities and insurance claims in favour of Bank	3.08	3.89	5.14

				(₹ in crore)
Sr. No.	**Description**	**31-03-2012**	**31-03-2013**	**31-03-2014**
7	Extraordinary / Irregular item of income and expenditure	0.00	0.00	0.00
8	Reversal during the year in respect of provisions and write offs made during the previous year	0.00	0.00	0.00
9	Income from the disposal of items of movable and immoveable property	0.29	-0.13	-0.21
10	Income from legal settlements in favour of the Bank	0.00	0.00	0.00
11	**Sub-Total**	19.66	64.48	18.57
12	**GROSS INCOME (Sl.No.4 - Sl.No.11)**	2411.76	2420.52	2774.71

Average of 3 years gross income	=	₹ **2535.66 Crore**
CAPITAL CHARGE FOR OPERATIONAL RISKS	=	**Average of gross Income * alpha (15%)**
	=	₹ **380.35 Crore**
Equivalent Risk weighted Assets:	=	₹ **4226.11 Crore**

TABLE DF-9

INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative disclosures

The general qualitative disclosure requirement including the nature of IRRBB and key assumptions, including assumptions regarding loan prepayments and behaviour of non-maturity deposits and frequency of IRRBB measurement.

Interest Rate Risk Management:

The process of Interest rate risk management by the bank involves determination of the business objectives, understanding the money markets and debt capital markets in which it operates and within the context of these parameters, recognizing and quantifying its appetite for market risk.

The Bank uses two techniques/approaches to manage interest rate risks inherent in the Balance sheet:

1) The first approach is the on-balance sheet Asset Liability Management (ALM) using the results of the Traditional Gap analysis. This involves careful balancing/rebalancing of assets and liabilities, based on the interest rate view of the bank, so as to eliminate the interest earnings at risk. This is achieved through an exercise towards minimizing exposure to risks by holding the appropriate combination (type and maturity) of assets and liabilities so as to meet certain objectives of the bank (such as achieving targeted earnings while simultaneously minimizing risk).

2) The second approach is off-balance sheet Asset Liability Management (ALM) through hedging. Hedging creates off-balance sheet positions. The OTC derivative product used by the Bank to hedge its trading portfolio and certain liabilities are the Interest Rate Swaps (IRS).

   The Asset Liability Management techniques are deliberated by the Market Risk Management/Asset Liability Committee (MRMC/ALCO) in its monthly meetings, in addition to the discussions in the Balance Sheet Management Group meetings.

Analytics used by the Bank:

The Bank regularly analyses the Duration and Modified duration of Investment portfolio and rebalances the portfolio to minimize interest rate risk. This portfolio management technique is reviewed by the ALCO/MRMC and the Board at monthly intervals.

The Interest Rate Sensitivity (IRS) Gap statement based on the 1999 Guidelines on Asset Liability Management is prepared on a fortnightly basis. The bucket-wise rate sensitive gaps as a percentage of the rate sensitive assets are monitored by the MRMC/ALCO, at monthly intervals, against the Board stipulated Tolerance limits.

In the event of the tolerance limit breach, the MRMC/ALCO ratifies the breach with or without directing the operational departments to restructure the maturity profile of the Balance sheet items. This is commensurate with the view on interest rates and the market scenario. While preparing the Interest Rate Sensitivity statement, the Bank takes into account the results of the behavioral analysis conducted on the following:

(i) Volatile and Core portion of Savings deposits.

(ii) Repricing character of CC/OD accounts.

(iii) Embedded options in the investment portfolio.

Earnings at Risk (EaR):

The Earnings at Risk (EaR) due to parallel and non-parallel shifts in the yield curve on the interest rate sensitive asset liability gaps up to the 3 months, 6 months and 1 year horizon is calculated. This analysis is conducted on a fortnightly basis and placed before the MRMC/ALCO in the monthly meetings and later to the Board in its monthly meetings.

Based on the gap profile up to 1 year and the Bank's interest rate view, the EaR amount that should trigger on or off balance sheet hedging strategies, is tracked on a fortnightly basis.

Quantitative disclosure:

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, broken down by currency (where the turnover is more than 5% of the total turnover):

Earnings at Risk (EaR):

For a 100 basis point assumed increase in interest rates, the impact on NII for a 1 year gap horizons	₹ **72.36 crore**

The Bank has fixed the tolerance limit at ₹ 172 crore.

Economic value approach:

The economic value, i.e. impact on Capital Fund due to change in interest rate by 200 bps is assessed through Modified Duration Gap method based on RBI guidelines. As a prudential measure limits have been fixed for net duration gap of the assets and liabilities and the same is monitored at regular intervals based on RBI guidelines.

TABLE DF-10

GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK

<table>
<tr><td>Qualitative disclosures</td><td></td></tr>
<tr><td>(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to derivatives and CCR, including:
• Discussion of methodology used to assign economic capital and credit limits for counterparty credit exposures;
• Discussion of policies for securing collateral and establishing credit reserves;
• Discussion of policies with respect to wrong-way risk exposures;
• Discussion of the impact of the amount of collateral the bank would have to provide given a credit rating downgrade.</td><td>Counterparty Credit Risk (CCR) Limits for the banking counterparties are assessed based on an internal model that considers the parameters viz. credit rating and net worth of counterparties, net worth of the Bank and business requirements. In all other cases, CCR limit is approved based on credit assessment process followed by the Bank as per the Credit Policy and Procedural Manual. CCR limits are set on the amount and tenor while fixing the limits to respective counterparties with distinct limits for each type of exposure. Capital for CCR exposure is assessed based on Standardised Approach.

The Bank does not have any credit derivatives exposure at present.</td></tr>
<tr><td>Quantitative disclosures

(b) Gross positive fair value of contracts, netting benefits, netted current credit exposure, collateral held (including type, e.g. cash, government securities, etc.), and net derivatives credit exposure. Also report measures for exposure at default, or exposure amount, under CEM. The notional value of credit derivative hedges, and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure.

(c) Credit derivative transactions that create exposures to CCR (notional value), segregated between use for the institution's own credit portfolio, as well as in its intermediation activities, including the distribution of the credit derivatives products used, broken down further by protection bought and sold within each product group.</td><td>The Bank does not recognize bilateral netting. The derivative exposure is calculated using Current Exposure Method (CEM) and the balance outstanding as on March 31, 2015 is given below.

(Amount in ₹ crore)
<table><tr><th>Particulars</th><th>Notional Amount</th><th>Current Exposure</th></tr><tr><td>Foreign exchange contracts (Inter-Bank)</td><td>1472.83</td><td>42.65</td></tr></table></td></tr>
</table>

TABLE DF - 11 : COMPOSITION OF CAPITAL

BASEL III - COMMON DISCLOSURE TEMPLATE

(₹ **in million**)

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		**Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment**	**Ref No.**
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves				
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	25385.18		a=b+c
2	Retained earnings	11021.88		d
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	22825.32		e=f+g+j+k
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	-		
	Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	-		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-		
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	**59232.38**		
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments	-		
8	Goodwill (net of related tax liability)	-		
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	-		
10	Deferred tax assets	-		
11	Cash-flow hedge reserve	-		
12	Shortfall of provisions to expected losses	-		
13	Securitisation gain on sale	-		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	-		
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00		=(x+y)*60%
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	-		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	35.15		
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	-		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	-		
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	-		
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	-		
22	Amount exceeding the 15% threshold	-		
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	-		

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
24	of which: mortgage servicing rights	-		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	-		
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	-		
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	-		
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	-		
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-		
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	-		
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	-		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT] For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)	-		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	-		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	-		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00		=(x+y)*40%
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**35.15**		
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**59197.23**		
	Additional Tier 1 capital: instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	5000.00		a1
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-		
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	5000.00		a1
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	-		
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	-		
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-		
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**5000.00**		
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	-		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	51.05		

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	-		
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-		
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	-		
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	-		
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-		
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	-		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. DTAs]	-		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%]	-		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	-		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	-		
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	**51.05**		
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**4948.95**		
44a	**Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy**	**4948.95**		
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)**	**64146.18**		
	Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	12500.00		a2+a3+a4
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	15000.00		m=n+o+p+q +r+s+t
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	-		
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-		
50	Provisions	5878.01		u=v*.45+w
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**33378.01**		
	Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	Investments in own Tier 2 instruments	-		
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	272.76		

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	-		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	-		
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	-		
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-		
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	-		
	of which: Basel III Discounting and Phase out of non Basel III complaint instruments at 70% as per Transitional Arrangements.	8300		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT	-		
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	**8572.76**		
58	**Tier 2 capital (T2)**	**24805.25**		
58a	**Tier 2 capital reckoned for capital adequacy**	**24805.25**		
58b	**Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital**	**0**		Limits withdrawn as per RBI circular
58c	**Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)**	**24805.25**		
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)**	**88951.43**		
	Risk Weighted Assets in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	-		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	-		
	of which: …	-		
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**778375.6**		
60a	of which: total credit risk weighted assets	681463.7		
60b	of which: total market risk weighted assets	54650.8		
60c	of which: total operational risk weighted assets	42261.10		
	Capital ratios			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.60%		
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.24%		
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	11.43%		

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	5.50%		
65	of which: capital conservation buffer requirement	0.00%		
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00%		
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00%		
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	2.10%		
	National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%		
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	-		
73	Significant investments in the common stock of financial entities	-		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	-		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	-		
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	5878.01		u
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	8518.30		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	N.A.		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	N.A.		
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	N.A.		
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A.		
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	N.A.		
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A.		
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	N.A.		
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A.		

TABLE DF - 12: Composition of Capital - Reconciliation Requirements

(₹ in million)

LIABILITIES	Balance Sheet as in consolidated financial statements as on 31.03.2015	Ref. No.
CAPITAL		
Equity Share Capital	8591.19	b
Reserves and Surplus		
I Statutory Reserve	14475.72	f
II Capital Reserve	3584.36	g
III Share Premium	16793.98	c
IV Revaluation Reserve	2365.17	v
V General Reserve	127.96	j
VI Revenue and Other Reserves		
A Investment fluctuation reserve	0.00	
B Exchange fluctuation reserve	0.00	
C Deferred tax reserve	0.00	
D Special reserve in terms of sec.36(1)(Viii)	4637.27	K
E Profit & Loss account	11021.88	d
Total Capital, Reserves and Surplus	**61597.54**	
Total Deposits	**1263433.51**	
Borrowings		
(i) From R.B.I.	0.00	
(ii) Other Banks	0.00	
(iii) From other institutions and agencies	2299.00	
Repo account	37982.94	
(vii) Tier II bonds	**27500**	
90 MONTHS BONDS 2010 - 7.50%	0.00	n
123 MONTHS BONDS 2015 - 7.15%	2500.00	o
120 MONTHS BONDS 2016 - 9.25%	2500.00	p
180 MONTHS BONDS 2022 - 10.10%	3000.00	q
123 MONTHS BONDS 2017 - 9.50%	2000.00	r
124 MONTHS BONDS 2018 - 9.35%	2000.00	s
180 MONTHS BONDS 2023 - 9.45%	3000.00	t
120 MONTHS BONDS 2023 - 9.73%	2500.00	a2
120 MONTHS BONDS 2024 - 9.15%	5000.00	a3
120 MONTHS BONDS 2025 - 9.54%	5000.00	a4
(viii) Additional TIER I BOND	5000.00	a1
Total borrowings	**72781.94**	

LIABILITIES	Balance Sheet as in consolidated financial statements as on 31.03.2015	Ref. No.
Other liabilities and provisions		
i Bills Payable	4736.79	
ii Interest Accrued	2891.65	
iii VRS Bonds	0.00	
iv Provision for Standard Assets	4651.55	w
v Provision for UFCE	162.13	
vi Others (Including Provisions)	15436.12	
Total other Liabilities	**27878.24**	
Grand Total of Liabilities	**1425691.23**	

ASSETS	Balance sheet as in consolidated financial statements as on 31.03.2015	Ref. No.
Total Cash & Bank bal with RBI	**65342.95**	
Total bal with Banks & Money at call	**8175.37**	
Total Investments	**445220.99**	
Total Net Advances	**866958.63**	
Total Fixed Assets	**5666.45**	
Other Assets		
i Inter Office Adjustment (dr)	-508.89	
ii Interest Accrued	10040.31	
iii Tax Paid in Advance	17507.08	
iv Deferred Tax Assets	-230.79	
v Stationery and Stamps	15.99	
vi Non Banking Assets	0.76	
vii Gratuity Amortization	0.00	x
Pension Amortization	0.00	y
viii Others	7502.40	
Total Other Assets (Schedule - 11)	**34326.84**	
Grand Total of Assets	**1425691.23**	

TABLE DF - 13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

Sl.	Particulars	Equity Shares	AT 1 Bonds Basel III	Upper Tier II 1	Upper Tier II 2	Lower Tier II S4	Lower Tier II S5	Lower Tier II S6	Lower Tier II S7	Tier II S8 Basel III	Tier II S9 Basel III	Tier II S10 Basel III
1	Issuer	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank
2	Unique Identifier	INE705A01016	INE705A08045 INE705A08060	INE705A09076	INE705A09100	INE705A09050	INE705A09068	INE705A09084	INE705A09092	INE705A08029	INE705A08037	INE705A08052
3	Governing Laws of the Instrument	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements
Regulatory Treatment												
4	Transitional Basel III Rules	Common Equity Tier 1	Additional Tier 1	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III Rules	Common Equity Tier 1	Additional Tier 1	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Tier 2	Tier 2	Tier 2
6	Eligible at Solo/Group	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument Type	Common Shares	Additional Tier 1 Debt Instrument	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount Recognised in Regulatory Capital (₹ in crore As on 31.03.2015)	859.12	100 400	210	210	0	50	120	80	250	500	500
9	Par Value of Instrument (₹ in crore)	Not Applicable	100 400	300	300	250	250	200	200	250	500	500
10	Accounting Classification	Shareholder's Equity	Liability	Liability	Liability	Liability	Liability	Liability	Liability	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	Various	02-02-2015 27-03-2015	20-03-2007	17-03-2008	15-03-2005	01-08-2006	31-07-2007	31-12-2007	23-12-2013	30-10-2014	18-02-2015
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	No Maturity	Perpetual	20-03-2022	17-03-2023	15-06-2015	01-08-2016	31-10-2017	30-04-2018	23-12-2023	30-10-2024	18-02-2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Sl.	Particulars	Equity Shares	AT 1 Bonds Basel III	Upper Tier II 1	Upper Tier II 2	Lower Tier II S4	Lower Tier II S5	Lower Tier II S6	Lower Tier II S7	Tier II S8 Basel III	Tier II S9 Basel III	Tier II S10 Basel III
	Coupons/ dividends											
17	Fixed or floating dividend/ coupon	Not Applicable	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable	9.54% 10.40%	10.10%	9.45%	7.15%	9.25%	9.50%	9.35%	9.73%	9.15%	8.62%
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step-up or other incentive to redeem	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable	** Loss absorption features (Write-down & Write-up)	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	** Loss absorption features (Write-down and Write-up)	** Loss absorption features (Write-down and Write-up)	** Loss absorption features (Write-down and Write-up)
32	If write-down, full or partial	Not Applicable	full or partial	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	full or partial	full or partial	full or partial

Sl.	Particulars	Equity Shares	AT 1 Bonds Basel III	Upper Tier II 1	Upper Tier II 2	Lower Tier II S4	Lower Tier II S5	Lower Tier II S6	Lower Tier II S7	Tier II S8 Basel III	Tier II S9 Basel III	Tier II S10 Basel III
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable	Temporary and Permanent	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Temporary and Permanent	Temporary and Permanent	Temporary and Permanent
34	If write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	** Loss absorption features (Write-down and Write-up)	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	** Loss absorption features (Write-down and Write-up)	** Loss absorption features (Write-down and Write-up)	** Loss absorption features (Write-down and Write-up)
35	Position in subordination heirarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Perpetual Debt Instruments	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable	Not Applicable	No loss absorption features	No loss absorption features	No loss absorption features	No loss absorption features	No loss absorption features	No loss absorption features	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

TABLE DF - 14 : ** LOSS ABSORPTION FEATURES

The Bonds shall have temporary written-down/ permanent write-off features. Whichever option is exercised, it shall be exercised across all the Bondholders in the Issue. The Bonds subject to temporary write-down may be written-up subsequently subject to the following conditions:

(i) It should be done at least one year after the Bank makes the first payment of dividend to its common shareholders after breaching the pre-specified trigger;

(ii) Aggregate write-up in a year should be restricted to a percentage of dividend declared during a year, the percentage being the ratio of the „equity created by written-down Bonds to „the total equity minus the equity created by written-down Bonds;

(iii) Aggregate write-up in a year, should also not exceed 25% of the amount paid as dividend to the common shareholders in a particular year;

(iv) The Bank can pay coupon on written-up amount from the distributable surplus as and when due subject to the normal rules applicable to Tier 2 Bonds. However, both the amount written-up and paid as coupon in a year will be reckoned as amount distributed for the purpose of complying with restrictions on distributing earnings as envisaged in the capital conservation buffer framework;

(v) If the Bank is amalgamated with or acquired by another bank after a temporary write-down and the equity holders get positive compensation on amalgamation/ acquisition, the holders of Bonds which have been temporarily written-down shall also be appropriately compensated;

(vi) The write-down may be allowed more than once in case the Bank hits the pre-specified trigger level subsequent to the first write-down which was partial. Also, the Bonds once written-up can be written-down again;

(vii) If the Bank goes into liquidation before the Bonds have been written-down, these Bonds shall absorb losses in accordance with the order of seniority and as per usual legal provisions governing priority of charges;

(viii) If the Bank goes into liquidation after the Bonds have been written-down temporarily but yet to be written-up, the holders of Bonds shall have a claim on the proceeds of liquidation *pari-passu* with the equity holders in proportion to the amount written-down;

(ix) If the Bank goes into liquidation after the Bonds have been written-down permanently, the holders of the Bonds shall have no claim on the proceeds of liquidation;

(x) If the Bank is amalgamated with any other bank before the Bonds have been written-down, the Bonds shall become a part of the corresponding categories of regulatory capital of the new bank emerging after the merger;

(xi) If the Bank is amalgamated with any other bank after the Bonds have been written-down temporarily, the amalgamated entity can write-up the Bonds as per its discretion;

(xii) If the Bank is amalgamated with any other bank after the non-equity regulatory capital instruments have been written-off permanently, these cannot be written-up by the amalgamated entity;

(xiii) If the relevant authorities decide to reconstitute the Bank or amalgamate the Bank with any other bank under the Section 45 of BR Act, 1949, such a bank will be deemed as non-viable or approaching non-viability and both the pre-specified trigger and the trigger at the point of non-viability for conversion/ write-down of Bonds shall be activated. Accordingly, the Bonds will be written-off before amalgamation/ reconstitution in accordance with applicable rules;

(xiv) The Bonds shall be written-down in order in which they would absorb losses in a gone concern situation. These Bonds shall absorb losses in accordance with the order of seniority and as per usual legal provisions governing priority of charges;

(xv) The Bonds shall have one or more of the following features:

a. Temporary/ permanent write-off in cases where there is no public sector injection of funds; and

b. Permanent write-off in cases where there is public sector injection of funds.

(xvi) The amount of Bonds to be written-off shall be determined by the Reserve Bank of India;

(xvii) When the Bank breaches the PONV Trigger and the equity is replenished through write-down/ write-off, such replenished amount of equity shall be excluded from the total equity of the Bank for the purpose of determining the proportion of earnings to be paid out as dividend in terms of rules laid down for maintaining capital conservation buffer. However, once the Bank has attained total Common Equity ratio of 8% without counting the replenished equity capital, that point onwards, the Bank may include the replenished equity capital for all purposes;

(xviii) The framework relating to temporary/ permanent write-down/ write-off of the Bonds shall be invoked when the Bank is adjudged by Reserve Bank of India to be approaching the point of non-viability, or has already reached the point of non-viability, but in the views of RBI:

a. There is a possibility that a timely intervention in form of capital support, with or without other supporting interventions, is likely to rescue the Bank; and

b. If left unattended, the weaknesses would inflict financial losses on the Bank and, thus, cause decline in its common equity level.

(xix) The purpose of write-off of the Bonds shall be to shore up the capital level of the Bank. RBI would follow a two-stage approach to determine the non-viability of a Bank. The Stage 1 assessment would consist of purely objective and quantifiable criteria to indicate that there is a prima facie case of a Bank approaching non-viability and, therefore, a closer examination of the Bank's financial situation is warranted. The Stage 2 assessment shall consist of supplementary subjective criteria which, in conjunction with the Stage 1 information, would help in determining whether the Bank is about to become non-viable. These criteria shall be evaluated together and not in isolation.

(xx) Once the PONV is confirmed, the next step would be to decide whether rescue of the Bank would be through only write-off or write-off in conjunction with a public sector injection of funds.

(xxi) The trigger at PONV shall be evaluated both at consolidated and solo level and breach at either level shall trigger write-down.

(xxii) As the capital adequacy is applicable both at solo and consolidated levels, the minority interests in respect of capital instruments issued by subsidiaries of the Bank including overseas subsidiaries shall be included in the consolidated capital of the banking group only if the instruments have pre-specified triggers/ loss absorbency at the PONV. In addition, if the Bank wishes the instrument issued by its subsidiary(ies) to be included in the consolidated group's capital, the terms and conditions of that instrument must specify an additional trigger event.

विजया बैंक

प्रधान कार्यालय, सं.41/2, एम. जी. रोड बेंगलूरु – 560 001

प्रिय शेयरधारक,

विषय : राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाओं (एनईसीएस) के जरिए लाभांश का भुगतान

अगर आपने, हमारे रजिस्ट्रर, मेसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. अथवा आपके निक्षेपी सहभागीदार (डीमैट होल्डिंग के मामले में) को एनईसीएस/बैंक खाते के विवरण न भेजे हों तो, हमारा अनुरोध है कि आप, नीचे दिए गए प्रारूप में उक्त विवरण उपलब्ध कराएं जिससे कि वक्त पर, सुरक्षित ढंग से और सही तरीके से, लाभांश का घेषित होते ही भुगतान किया जा सके.

कृपया सुनिश्चित करें कि रजिस्ट्रर/निक्षेपी सहभागीदार को प्रस्तुत किए गए आपके ब्योरे सही हों, क्येंकि उसमें कोई गलती होने पर संभव है कि लाभांश की रकम गलत खाते में जमा हो जाए.

एनईसीएस के जरिए और/अथवा नामोद्दिष्ट बैंक खाते में, जो लाभांश वारंट पर दिखाई देगा, लाभांश का भुगतान करने से लाभांश वारंटों में धोखाधडी से भुनाई नहीं हो सकेगी.

कृपया हमें, आपकी बेहतर सेवा करने का मौका दें.

भवदीय,

कृते विजया बैंक
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

-- ✂ --

एनईसीएस आदेश/बैंक खाते के विवरण के लिए फार्म

मैं/हम, --- विजया बैंक को प्राधिकार देता हूं/देते हैं कि वह

- मेरे/हमारे लाभांश वारंट पर निम्नलिखित ब्योरे छपाए
- मेरी लाभांश रकम, एनईसीएस के जरिए सीधे मेरे बैंक खाते में जमा करें

(* जो लागू न हो उसे काट दें) मेरा/हमारा फेलयो नं : ----------------

डीपीआईडी नं.-------------- ग्राहक आईडी सं.--------------------

बैंक खाते के विवरण

क	बैंक का नाम	:	--------------------------------------
ख.	आईएफएससी कूट सहित शाखा का नाम	:	--------------------------------------
	पता(केवल आदेश के लिए)	:	--------------------------------------
ग.	एमआईसीआर चेक पर दिखाई देनेवाली बैंक तथा शाखा की 9 अंकवाली कूट सं.	:	--------------------------------------
घ.	खाते का प्रकार(बचत/चालू)	:	--------------------------------------
ङ.	चेक बुक में दिखाई देनेवाली खाता संख्या	:	--------------------------------------
च.	शेयरधारक की एसटीडी कूट तथा टेलीफोन सं.	:	--------------------------------------

अगर एनईसीएस को अमल में न लाया जा सका अथवा किसी वजह बैंक, एनईसीएस को बंद कर दे तो, मैं/हम बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहराएंगे.

इस पते पर भेजें

---------->

लिंक ईनटाइम प्रा. लिमिटेड. युनिट : विजया बैंक
सी–13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड, एल.बी.एस. मार्ग
भांडूप (पश्चिम), मुंबई – 400 078. महाराष्ट्र

शेयरधारक के हस्ताक्षर

नौ अंकोवाली कूट संख्या की यथातथ्यता का सत्यापन करने के लिए कृपया आपके उक्त खाते से संबंधित आपके बैंक द्वारा जारी चेक अथवा रद्द किए गए चेक की फोटो प्रति संलग्न करें.

आपके पास अमूर्त रूप में शेयर हों तो, कृपया अपने निक्षेपागार सहभागी से कहे कि वह,आपके बैंक खाते के विवरण/ एनईसीएस आदेश को नोट करें.

VIJAYA BANK

HEAD OFFICE, No. 41/2, M.G.ROAD, BENGALURU-560001

Dear Shareholder (s)

Re.: Payment of dividend through National Electronic Clearing Services (NECS)

In case you have not already sent the NECS/Bank Account particulars to our Registrar, M/s Link Intime India Private Limited or to your Depository Participant (in case of demat holdings) we would request you to provide the said particulars in the format given below to facilitate prompt, safe and correct payment of dividend as soon as it is declared.

Please ensure that the details submitted by you to the Registrars / Depository Participant are correct as any error therein could result in the dividend amount being credited to wrong account.

Payment of dividend through NECS and /or to the designated Bank Account which appear on the dividend warrant will help to prevent fraudulent encashment of dividend warrants.

Kindly help us in our endeavor to serve you better.

Yours faithfully
For Vijaya Bank

Authorized Signatory

FORM FOR NECS MANDATE / BANK ACCOUNT PARTICULARS

I/We _____ do hereby authorize Vijaya Bank

- Print the following details on my / our dividend warrant
- Credit my dividend amount directly to my Bank account by NECS

(* Strike out whichever is not applicable) My /our Folio No. : _____

DPID No._____ Client ID No._____

Particulars of Bank Account

A.	Bank Name	:	_____
B.	Branch Name with IFSC Code	:	_____
	Address (for Mandate only)	:	_____
C.	9 Digit Code No. of the Bank & Branch as appearing on the MICR Cheque	:	_____
D.	Account Type (Saving/Current)	:	_____
E.	Account No. as appearing in the Cheque Book	:	_____
F.	STD Code & Telephone No. of Shareholder	:	_____

I/We shall not hold the Bank responsible if the NECS could not be implemented or the Bank discontinues the NECS for any reason.

Mail to →

Link Intime India Pvt. Limited. Unit : Vijaya Bank

C-13, Pannalal Silk Mills Compound, L.B.S.Road, Bhandup (West), Mumbai-400078, Maharashtra.

Signature of the shareholder

Please attach the photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the nine digit code number.

In case you are holding shares in demat form, kindly advice your Depository Participant to take note of your Bank Account particulars/NECS mandate.

विजया बैंक

प्रधान कार्यालय, सं.41/2, एम. जी. रोड बेंगलूरु – 560 001

फार्म 'ख'

प्रॉक्सी फार्म

(शेयर धारक द्वारा भरा जाए एवं हस्ताक्षर किए जाएं)

पंजीकृत फोलियो सं. : . . . . .   (अगर अमूर्तीकरण न किया गया हो तो)
डीपीआईडी/गएहक आईडी सं. : . . . . .   (अगर अमूर्तीकरण किया गया हो तो)
धारित शेयरों की सं.

मैं/हम, ... निवासी ...., ज़िला ....., राज्य ....., विजया बैंक का/के शेयर धारक हूँ/हैं, श्री/श्रीमती ..... निवासी ....., जिला ...., राज्य ..... को या उनके न होने पर श्री/श्रीमती .....निवासी ....जिला ....., राज्य ....., मुल्की सुंदर राम शेट्टि सभागृह, विजया बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु ङ्क 560 001 में सोमवार, 22 जून, 2015 को संपन्न होने वाली बैंक के शेयर धारकों की पंद्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक में और उस पर किसी प्रकार के कार्यस्थगन पर, मेरी/हमारी ओर से, मेरे/हमारे लिए वोट देने हेतु, प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ/करते हैं.

..... के दिन, ... 2015 को हस्ताक्षरित

कृपया पंद्रह पैसे का राजस्व टिकट चिपकाएँ

..... (प्रॉक्सी धारक के हस्ताक्षर)

..... (प्रथम धारक/एकमात्र धारक के हस्ताक्षर)

नाम : .....

पता :.....

.....

.....

नोट : पूर्ण रूप से भरे तथा स्टैम्प्ड व हस्ताक्षरित प्रॉक्सी फार्म विजया बैंक, शेयर प्रभाग, प्र.का., एम.जी.रोड, बेंगलूरु-560 001 में बैठक की दिनांक से 4 दिन पूर्व अर्थात बुधवार 17 जून, 2015 को सायं 5.00 बजे तक कारोबार समाप्ति से पूर्व पहुंच जाने चाहिए.

VIJAYA BANK

Head Office: Bengaluru-560 001

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No:. -- (If not Dematerialized)
DPID/ Client ID No. -- (If Dematerialized)
No .of Shares Held

I/We , --resident of-- in the District of---------------------------in the state of-------------------------------------, being a shareholder/ shareholders of Vijaya Bank, hereby appoint Shri/Smt-- resident of---in the District of --in the State of------------------------or failing him, Shri/Smt---resident of --in the district of ---in the State of --as my/ our proxy to vote for me/us and on/my/our behalf at the 15th ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of the Bank to be held on Monday the 22nd June, 2015, at the MULKI SUNDER RAM SHETTY AUDITORIUM, VIJAYA BANK, H.O, Bengaluru and at any adjournment thereof.

Signed this…………………… Day of…………………………..2015

Please affix Fifteen Paisa Revenue Stamp

……………………………….. (Signature of the Proxy)

……………………………………………………………… (Signature of the first holder/sole holder)

Name : …………………………………………………………..

Address :…………………………………………………………..

…………………………………………………………...

…………………………………………………………....

Note: Proxy forms duly filled in stamped & signed should reach Vijaya Bank, Shares Division, H.O .MG Road, Bengaluru-560001 not later than 4 days prior to the date of meeting i.e. on or before the business hour at 5 PM on Wednesday, the 17th June 2015.

NOTES

NOTES

महा प्रबंधक
General Managers

श्री राजीव ए.एस.
Shri Rajeev A.S.

श्री मयिलसामी पी.
Shri Mylsamy P.

श्री नागेश्वर राव वाई.
Shri Nageswara Rao Y.

श्री मुरली रामस्वामी
Shri Murali Ramaswami

श्री जयंत पै टी.
Shri Jayanth Pai T.

श्री अनंत चरण स्वाईं
Shri Ananta Charan Swain

श्री अतनु कुमार दास
Shri Atanu Kumar Das

श्रीमती निर्मला श्रीधर
Smt. Nirmala Sridhar

श्री सतीश बल्लाल सी.
Shri Satish Ballal C.

श्री गोविंद एन.डोंग्रे
Shri Govind N Dongre

श्री प्रदीप नाइक डी.
Shri Pradeep Naik D.

श्री प्रफुल्ल सी. शेट्टी के.
Shri Prafulla C. Shetty K.

उप महा प्रबंधक
Deputy General Managers

श्री एम. सीताराम शेट्टी
Shri Seetharama Shetty M.

श्री सुब्रत कुमार
Shri Subrat Kumar

श्रीमती ए. मणिमेखलई
Smt Manimekhalai A.

श्री प्रताप रै एस.
Shri Pratap Rai S.

श्री सिद्देश्वर पात्रा
Shri Sidheswar Patra

श्री गोपालकृष्णन नायर के.
Shri Gopalakrishnan Nair K.

श्री सत्यनारायण
Shri Satyanarayana

श्री सतीश कारंत यू.
Shri Sathish Karanth U.

श्री वेंकटेश सेट्टी वाई.
Shri Venkatesh Setty Y.

श्री रमेश कुमार मिग्लानी
Shri Ramesh Kumar Miglani

श्री अजय खुराना के.
Shri Ajay Khurana K.

श्री जगन मोहन एम.
Shri Jagan Mohan M.

श्री विजय कुमार बसेठा
Shri Vijay Kumar Basetha

श्री सुरेंद्र हेग्डे के.
Shri Surendra Hegde K.

श्री वसंत शेट्टी के.
Shri Vasanth Shetty K.

श्री सर्वेश रस्तोगी के.
Shri Sarvesh Rastogi K.

श्री महेश्वर रथ
Shri Maheswar Rath

श्री राजेंद्रन के.
Shri Rajendran K.

श्री सेट्टिपल्ली धीरेंद्र
Shri Settipalli Dheerendra

श्री सिवय्या के.
Shri Sivaiah K.

श्री मुकुंदन एस.
Shri Mukundan S.

श्री राजीव कुमार
Shri Rajeev Kumar

श्री देवदासन के.
Shri Devadasan K.

श्री सुदर्शन एस.ए.
Shri Sudarsan S.A.

श्री इनुमेल्ला वी. एल. श्रीधर
Shri Inumella V.L. Sridhar

श्री वासुदेवन जी.
Shri Vasudevan G.

श्री चंद्रशेखर बी.वाई.
Shri Chandrashekar B. Y.

श्री विनोद कुमार रेड्डी पी.
Shri Vinod Kumar Reddy P

श्री सुधाकरा नायक ए.
Shri Sudhakara Nayak A.

श्री विनायक एम. भिशिकर
Shri Vinayak M. Bhishikar

श्री मुरली कृष्णा ए.
Shri Murali Krishna A.

श्री अनिल कुमार शेट्टी
Shri Anil Kumar Shetty

श्री उदय कुमार शेट्टी
Shri Udaya Kumar Shetty

श्री फुलवर सिंह
Shri Phulwar Singh

श्रीमती गायत्री देवी टी.एस.
Smt. Gayathri Devi T.S.

श्री श्रीधर मूर्ति ए.
Sridhara Murthy A.

श्री रामप्रिया बी.जी.
Shri Ramapriya B.G.

श्री हरि मोहन अगरवाल
Shri Hari Mohan Aggarwal

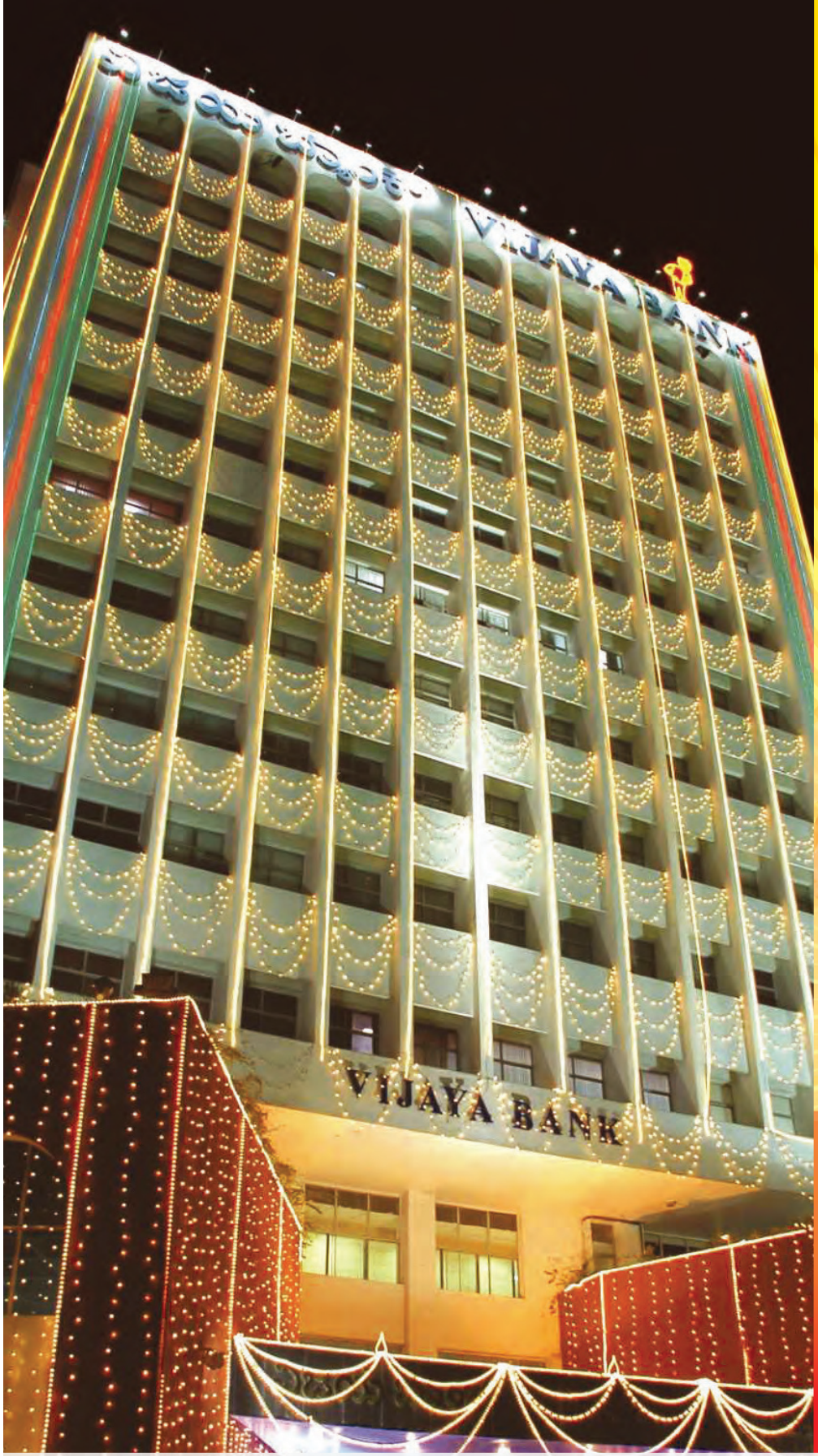

Vijaya Bank mascot completes 50 years

www.sapprints.com

The Logo, adopted in the year 1965 was first published in the same year's Annual Report.

प्रधान कार्यालय:
41/2, एम.जी.रोड, बेंगलूरु - 560 001
फोन : 080 2558 4066 (20 लाइनें) फैक्स : 080 2559 8040
टोल फ्री : 1800 425 5885
वेबसाइट : www.vijayabank.com

विजया बैंक
VIJAYA BANK
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
आपका भरोसेमंद साथी
A friend you can bank upon

Head Office :
41/2, M.G.Road, Bengaluru - 560 001
Ph: 080 2558 4066 (20 Lines) Fax : 080 2559 8040
Toll Free : 1800 425 5885
Website : www.vijayabank.com

विजया बैंक

41/2, एम जी रोड, बेंगलूर - 560 001

प्रधान कार्यालय : बेंगलूर

सूचना

यह नोटिस दिया जाता है कि विजया बैंक (शेयर व बैठक) विनियमावली 2008 के नियम 56 के अंतर्गत विजया बैंक के शेयरधारकों की पंद्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक, सोमवार, 22 जून, 2015 को सुबह 10.30 बजे मुल्की सुंदर राम शेट्टी सभागृह, विजया बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलूर -560 001 में आयोजित की जाएगी जिसमें नीचे उल्लिखित कारोबार किया जाएगा :

मद सं.1 : 31 मार्च, 2015 तक के लेखापरीक्षित बैंक के तुलन-पत्र, उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ व हानि लेखा एवं लेखों से संबंधित अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना, अनुमोदित करना तथा अंगीकार करना.

मद सं.2 : वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बैंक के शेयरों पर लाभांश की घोषणा.

मद सं.3 : निम्नलिखित पर एक विशेष संकल्प (संकल्पों) के रूप में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन सहित या रहित पारित करना :

''संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (अधिनियम), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (विनियमन अधिनियम), विजया बैंक (शेयर एवं बैठकें संशोधन) विनियम, 2008 (बैंक विनियम), विदेशी विनिमय प्रबंधन, 1999 (फेमा) के लागू प्रावधान, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनिमय, 2009 (सेबी आई.सी.डी.आर. विनियम), विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत से बाहर रह रहे व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण एवं निर्गम) विनिमय, 2000, समय-समय पर संशोधनों तथा लागू प्रावधानों और भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी नियम एवं विनियम, दिशानिर्देशों, परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों और/अथवा अन्य कोई सक्षम प्राधिकरण और यथा लागू कानून, नियम एवं विनिमय (फिलहाल उनमें हुए संशोधन अथवा प्रवर्तनों को शामिल करके) स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ बैंक द्वारा किए गए करारों, भारत सरकार और/अथवा भारतीय रिजर्व बैंक और/अथवा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के यथा लागू एवं आवश्यक किसी अनुमोदन, सहमति, अनुमति अथवा स्वीकृति, भारत अथवा बाहरी देश तथा इस संबंध में जैसा भी आवश्यक हो, के अधीन संबंधित प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति, अनुमति अथवा स्वीकृति तथा जिसके लिए बैंक का निदेशक मंडल (जिसे अब से ''बोर्ड'' कहा गया है, जिस शब्द में बोर्ड द्वारा गठित कोई समिति शामिल है) सहमत हो, शेयरधारकों द्वारा आई.सी.डी.आर. विनियम के अध्याय VIII के अनुसार एतद्द्वारा बोर्ड को अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता (क्यूआईबी) को ऐसी संख्या में अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के जरिए शेयर बनाने,आफर करने, जारी करने तथा आबंटित करने की अनुमति प्रदान की जाती है जैसा कि सेबी आई.सी.डी.आर. विनियम के अध्याय VIII में परिभाषित हैं तथा ऐसे निवेशक चाहे बैंक के मौजूदा सदस्य हों या नहीं या एक या अधिक संस्थापकों के माध्यम से अथवा अधिकारिक इश्यू अथवा सार्वजनिक पेशकश बोर्ड द्वारा जैसा भी निर्णय लिया जाये और लागू कानून एवं विनियमों में अनुमत होगा, चालू बाजार की स्थिति एवं अन्य संगत तथ्यों पर विचार करते हुए और जहां आवश्यक हो अग्रणी प्रबंधक/कों और/अथवा हामीदार और/अथवा सलाहकारों के परामर्श से ऐसे समय या समयों पर, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर उन नियम एवं शर्तों पर, इस ऑफर, निर्गम एवं आबंटन के समय निवेशकों की ऑफर, निर्गम एवं आबंटन किया जाना है, उनकी श्रेणी निर्धारित करने के विवेकाधिकार सहित इस प्रकार प्रीमियम मूल्यों को शामिल करके कुल ₹600 करोड (रूपए छः सौ करोड मात्र) की राशि जुटाने तक के शेयर निर्माण, प्रस्तुत, निर्गत एवं आबंटित करने के लिए सहमति दी जाती है.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी ईक्विटी शेयर की रैंकिंग बैंक के लाभांश युक्त वर्तमान शेयरों के समरूप होगी और घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के शेयर घोषित लाभांश के हकदार होंगे.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि आईसीड़ीआर विनियमनों के अध्याय VIII के अनुसार अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के मामले में :

- ईक्विटी शेयरों का आबंटन सेबी आई.सी.डी.आर. विनियम के अध्याय VIII के तहत केवल अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया

जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियाँ पूर्णत: प्रदत्त होंगी और इनका आबंटन संकल्प पारित करने की तिथि से 12 माह की समय सीमा में पूर्ण किया जाएगा.

- आई.सी.डी.आर. के विनियमन 85(1) के प्रावधान के आगे, बैंक को उपर्युक्त आधार मूल्य से अधिकतम पांच प्रतिशत की रियायत में शेयर उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकृत किया जाता है.
- प्रतिभूतियों के मूल्य निर्धारण की समुचित तिथि आई.सी.डी.आर. विनियम के अनुसार होगी.

"यह भी संकल्प किया जाता है कि उक्त संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड को बैंक के निमित्त अधिकृत किया जाए, कि वह सभी कार्य, करार, कार्रवाई करें जिसमें मसौदे को तैयार करने और अनुमोदन देने के साथ-साथ निर्गम के प्रारूप और प्रक्रिया को निर्धारित करना, अंतिम ऑफर दस्तावेज हेतु निर्गम का फार्म एवं उसे जारी करने की प्रक्रिया तय करना, जिसमें उन निवेशकों की श्रेणी, जिन्हें ईक्विटी शेयर जारी एवं आबंटित किए जाने हैं, आबंटित किए जाने वाले ईक्विटी शेयरों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम का प्रीमियम मूल्य, शामिल होंगे, जैसा कि संपूर्ण विवेकाधिकार में समुचित प्रतीत हो और सभी प्रश्नों, कठिनाइयों अथवा संदेह, जो शेयरों के निर्गम, ऑफर अथवा आबंटन के समय प्रस्तुत हों और निर्गम प्राप्तियों का सदुपयोग, इसके सदस्यों की सहमति अथवा अनुमोदन की अपेक्षा किए बिना या अन्यथा, इस आशय से कि सदस्यों द्वारा इस संकल्प के माध्यम से अपना अनुमोदन अभिव्यक्त कर दिया गया है, जैसा कि संपूर्ण विवेकाधिकार में समुचित प्रतीत हों."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को, एतद्द्वारा अग्रणी प्रबंधकों/विधिक सलाहकारों, हामीदारों, बैंकरों, परामर्शदाताओं को जरूरत के अनुसार काम पर रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और इस प्रकार के अभिकरणों को ईक्विटी शेयरों को प्रस्तावित करने और इससे संबंधित कार्यों में शामिल किया जाएगा और श्रमपूर्ति कमीशन, दलाली, शुल्क या इसी तरह के व्यय और वे ऐसे अभिकरणों के साथ सभी प्रकार की व्यवस्थाओं, समझौतों ज्ञापनों, दस्तावेजों इत्यादि का निष्पादन भी करेंगे और जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं उन स्टॉक एक्सचेंजों में ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने का प्रयास करेंगे."

यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को एतद्द्वारा निदेशकों की समिति को गठित करने, निदेशकों की समिति/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अपनी सभी या कुछ शक्तियां प्रदत्त करने तथा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक(कों) उपरोक्त संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए तथा ऐसे सभी कार्यों, प्रलेखों, मामलों तथा अन्य कार्यों को करने एवं ऐसे परिवर्तनों या संशोधनों को स्वीकार करने जो उचित और विधिवत हों, और ईक्विटी शेयर के आबंटन के संबंध में किसी प्रश्न या कठिनाई निष्पादन हेतु आवश्यक निर्देशों के सहित या रहित प्राधिकृत किया जाता है:

- आवश्यकता के अनुसार ड्राफ्ट को अनुमोदित करना/अंतिम रूप से प्रस्तावित दस्तावेजों को किसी अन्य प्राधिकारी/व्यक्तियों के समक्ष दायर करना;
- निर्गम मूल्य अनुमोदित करने, शेयरों के आबंटन की संख्या, आबंटन का आधार तय करने का अधार और ईक्विटी शेयरों के आबंटन की स्वीकृति;
- ईक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित सभी करारों, समझौतों तथा सभी वांछनीय दस्तावेजों, कार्यों एवं प्रपत्रों के निष्पादन एवं सुपुर्दगी की व्यवस्था एवं प्रबंध करना;
- ऐसे बैंक खाते खोलना जो ऑफर के संदर्भ में आवश्यक हों;
- ऐसे सभी कार्यों, मामलों व अन्य कार्यों को करना तथा सभी दस्तावेजों को निष्पादित करना और ऐसे सभी शुल्कों का भुगतान करना जो संपूर्ण विवेक में आवश्यक प्रतीत होते हों, और संव्यवहारों के प्रयोजन से वांछनीय हों;
- उचित प्राधिकारियों से ऐसे सभी आवश्यक आवेदन करना तथा इस संबंध में नियामकीय पूर्ति के आवश्यक कार्य करना;
- बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज(जों) को आवेदन देना जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं."

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते विजया बैंक
ह/-
(किशोर सांसी)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 19.05.2015

नोट :

1. **प्रॉक्सी की नियुक्ति**

बैठक में भाग लेकर वोट देने के हकदार शेयरधारक, खुद के बजाय बैठक में भाग लेकर वोट देने के लिए किसी प्रॉक्सी को नियुक्त करने का भी हकदार है और ऐसे प्रॉक्सी को बैंक के शेयरधारक होने की ज़रूरत नहीं है. तथापि, ऐसे प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं है. विजया बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता. प्रॉक्सी फार्म तभी प्रभावी होगा जब उसे बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात् 5.00 बजे बुधवार, 17 जून, 2015 को या उससे पहले यानी समापन घंटों तक या उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, विजया बैंक, मंडल सचिवालय, 41/2, एम.जी.रोड, बेंगलूर - 560 001 को जमा/प्रस्तुत किया गया हो.

2. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

कोई भी व्यक्ति, किसी ऐसी कंपनी या कंपनी निकाय, जो बैंक का शेयरधारक हो, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या वोट देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति करते हुए संकल्प की ऐसी प्रतिलिपि जिसे उस बैठक के अध्यक्ष ने, जिसमें उसे पारित किया गया हो, सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया हो, बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात् 5.00 बजे बुधवार, 17 जून, 2015 को या उससे पहले यानी समापन घंटों तक या उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, विजया बैंक, मंडल सचिवालय, 41/2, एम.जी.रोड, बेंगलूर - 560 001 को जमा/प्रस्तुत की गयी हो.

3. **उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पर्ची**

शेयर धारकों की सुविधा के लिए इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पर्ची संलग्न की गयी है. शेयर धारकों/प्रॉक्सी धारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे संलग्न पर्ची भरें और उसमें निर्दिष्ट स्थान में अपने हस्ताक्षर कर उसे बैठक के स्थान में अभ्यर्पित करें. शेयर धारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को चाहिए कि वह उपस्थिति-सह-प्रवेश पर्ची पर यह उल्लेख करें कि वह 'प्रॉक्सी' है या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि'.

4. **मताधिकार**

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उप-धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मताधिकार हेतु पात्र नहीं होगा.

विजया बैंक (शेयर और बैठकें संशोधन) विनियम, 2008 के विनियम 10 के अनुसार कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नामों में है तो रजिस्टर में जिसका नाम पहले है, मतदान के संबंध में, उसको एकमात्र शेयरधारक माना जाएगा.

शेयरधारकों का मतदान अधिकार सोमवार, 15 जून 2015, को उनके शेयरधारण पर आधारित होगा जो ई-वोटिंग और मतदान के लिए निर्धारण तारीख होगी.

5. **ई-वोटिंग**

इलेक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा मतदान

सूचीबद्ध समझौते के खंड 35बी के अनुपालन में बैंक ने 15वें वार्षिक सामान्य बैठक में सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान का अधिकार और केंद्रीय निक्षेपागार सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग सेवा के माध्यम से व्यावसायिक संव्यवहार की सेवा मुहैया करायी है.

बैंक ने श्री एस.एन.अनंतसुब्रमणियन, व्यावसायिक कंपनी सचिव को ई-मतदान प्रक्रिया को उचित व पारदर्शी तरीके से आयोजित करने हेतु जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है. ई-मतदान वैकल्पिक है. शेयरधारकों/हिताधिकारी स्वामी के ई-मतदान अधिकारों को 15 जून, 2015, जो इस प्रयोजन हेतु अंतिम तारीख है, को उनके द्वारा धारित ईक्विटी शेयरों के आधार पर माना जाएगा. अंतिम तारीख को, भौतिक या अमूर्त रूप में बैंक के शेयर धारित शेयरधारक, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मत डाल सकते हैं.

ई-मतदान के अनुदेश इस प्रकार है :

- मतदान अवधि 19 जून, 2015 सुबह 10.00 बजे शुरू होगी तथा 21 जून, 2015 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी. इस अवधि के दौरान नियत तिथि (15.06.2015) के अनुसार बैंक के शेयरधारक चाहे वह भौतिक रूप में शेयर धारित करते हो

अथवा अमूर्त रूप में, अपना मत इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाल सकते हैं. इसके बाद सीडीएसएल द्वारा मतदान हेतु मतदान मॉड्यूल को असमर्थ कर दिया जाएगा.

- शेयरधारकों को ई-मतदान वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना होगा.
- "Shareholders" पर क्लिक करें.
- अब अपनी यूजर आईडी प्रविष्ट करें.
- सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों का लाभार्थी आईडी
- एनएसडीएल के लिए : 8 अंकों की ग्राहक आईडी के बाद 8 अक्षरों की डीपीआईडी दर्ज करें.
- भौतिक रूप में शेयरधारण करने वाले सदस्यों को बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या दर्ज करना होगा.
- अब प्रदर्शितानुसार इमेज सत्यापन दर्ज करें तथा लॉगिन पर क्लिक करें.
- यदि आप अमूर्त रूप में शेयर धारित करते हैं और अपने www.evotingindia.com पर लॉगिन कर किसी कंपनी के लिए पूर्व में मतदान किया है, तब मौजूदा पासवर्ड उपयोग में लाएं.
- यदि आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो नीचे दिए गए चरणों का अनुपालन करें :

	अमूर्त रूप में तथा भौतिक रूप में शेयर धारण करनेवाले सदस्यों के लिए
ईवीएसएन	**150520002**
पीएएन	आय कर विभाग द्वारा जारी किया गया अपना 10 अंकों का आल्फा न्यूमेरिक पैन दर्ज करें (भौतिक तथा अमूर्त दानों शेयरधारकों के लिए लागू) • सदस्य, जिन्होंने बैंक/निक्षेपागार सहभागी के साथ अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, से अनुरोध है कि पैन फील्ड में सूचित क्रम संख्या, जो पोस्टल बैलट/उपस्थिति पर्ची में मुद्रित है, का प्रयोग करें.
जन्म तिथि	अपने डीमैट खाते या कथित खाते या फोलियो के लिए बैंक रिकॉर्ड में दर्ज जन्म दिन/माह/वर्ष प्रारूप में प्रविष्ट करें.
लाभांश बैंक विवरण	अपने डीमैट खाते या कथित खाते या फोलियो के लिए बैंक रिकार्ड में दर्ज लाभांश बैंक विवरण प्रविष्ट करें. • कृपया लॉगिन करने के लिए जन्म तिथि या लाभांश बैंक विवरण प्रविष्ट करें. यदि विवरण निक्षेपागार अथवा बैंक के साथ दर्ज नहीं है, तो कृपया अनुदेश (iv) में बताए गए अनुसार लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी/फोलियो संख्या प्रविष्ट करें.

- इन विवरणों को उचित प्रकार से दर्ज करने के बाद, "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें.
- भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य सीधे Bank Selection स्क्रीन पर जाएंगे. तथापि, अमूर्त रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य Password creation विकल्प में जाएंगे जिसमें उनसे नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड अनिवार्य रूप से प्रविष्ट करना अपेक्षित है. कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी के संकल्पों के लिए मतदान हेतु डीमैट धारकों द्वारा किया जाना है, जिस पर वे मतदान के लिए पात्र है बशर्ते कंपनी सीडीएसएल प्लैटफार्म के माध्यम से ई-मतदान चुनें. यह दृढतापूर्व सुझाव दिया जाता है कि किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड शेयर न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में सावधानी बरतें.
- भौतिक रूप में शेयरधारण करनेवाले सदस्यों के लिए, विवरण का उपयोग इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई-मतदान के लिए किया जा सकता है.
- संबंधित Bank Name के लिए EVSN पर क्लिक करें जिस पर मतदान करने के लिए आप चयन करते हैं.
- Voting पृष्ठ पर, आपको "RESOLUTION DESCRIPTION" दिखायी देगा और इसके विरुद्ध मतदान के लिए "YES/NO" विकल्प दिखायी देगा. अपनी इच्छानुसार विकल्प "YES" अथवा "NO" चुनें. विकल्प "YES" का तात्पर्य है आप संकल्प के समर्थन में है और "NO" का तात्पर्य है आप संकल्प के विरुद्ध है.
- यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं तो "RESOLUTIONS FILE LINK" पर क्लिक करें.

- संकल्प चयन के बाद यदि आपने उस पर मतदान करने का निर्णय लिया है तो "SUBMIT" पर क्लिक करें. पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा. यदि आप अपना मत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें अन्यथा मत बदलने के लिए "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना मत बदलें.
- एक बार आपने संकल्प पर अपना मत "CONFIRM" कर दिया तो आपको अपना मत बदलने की अनुमति नहीं होगी.
- आप voting पृष्ठ पर "Click here to print" विकल्प पर क्लिक करके स्वयं द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.
- यदि डीमैट खाताधारक पासवर्ड भूल गए हैं तो User ID और Image Verification Code प्रविष्ट करें और Forgot Password पर क्लिक करें तथा सिस्टम द्वारा तैयार किया गया विवरण प्रविष्ट करें.
- गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों तथा अभिरक्षकों के लिए नोट :
- गैर-वैयक्तिक शेयरधारक (अर्थात व्यक्ति, हिं.अ.प., अनिवासी भारतीय, आदि को छोडकर) और अभिरक्षकों से अपेक्षित है कि www.evotingindia.com पर लॉगइन करें तथा कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकृत करें.
- संस्था की मुहर तथा हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन्ड प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल करें.
- लॉगिन विवरण प्राप्त होने पर admin login और पासवर्ड का उपयोग करते हुए Compliance user सृजित किया जाना चाहिए. Compliance user, खाता(खातों)जिसके लिए मतदान करने के इच्छुक हैं, को लिंक करने में सक्षम होगा.
- खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जानी चाहिए और खातों के अनुमोदन पर वे अपना मतदान देने के लिए सक्षम होंगे.
- संवीक्षक द्वारा सत्यापित किए जाने हेतु, अभिरक्षक, यदि कोई, के पक्ष में जारी मंडल संकल्प और मुख्तारनामे (POA) की स्कैन्ड प्रति पीडीएफ प्रारूप में सिस्टम में अपलोड की जानी चाहिए.
- ई-मतदान से संबंधित किसी पूछताछ या मामले के लिए, आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) और help section के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध e-voting मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल लिख सकते हैं.

6. बैठक में मतदान

कार्यसूची मद के लिए मतदान ई-वोटिंग या मतदान के जरिए ही किया जाएगा और हाथ उठाते हुए नहीं. जिन शेयरधारकों ने ई-वोटिंग का विकल्प चुना है, वे बैठक के दिन वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने के लिए हकदार होंगे लेकिन बैठक स्थान पर आयोजित मतदान में अपना मत देने के हकदार नहीं होंगे.

सभी कार्यसूची मदों की चर्चा करने के बाद, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ दोनों मद हेतु मतदान का आदेश देंगे. शेयरधारकों में से संवीक्षकों के साथ मेसर्स एस एन अनंतसुब्रमणियन एण्ड कंपनी, व्यावसायिक कंपनी सचिव द्वारा मतदान का आयोजन और पर्यवेक्षण में किया जाएगा. मतदान समाप्त होने के बाद, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ बैठक को समाप्त घोषित कर सकते हैं. मतदान के परिणाम ई-वोटिंग के परिणाम के साथ जोडकर बैंक की वेबसाइट में प्रदर्शित किए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज और बैंक द्वारा नियुक्त ई-वोटिंग एजेंसी को भी इसके बारे में सूचित किया जाएगा.

7. शेयरधारकों का रजिस्टर बंद करना

विजया बैंक के विनियम 2003 (शेयर व बैठक) के खंड 12 के अनुक्रम में पंद्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में तथा शेयरधारकों को अंतिम लाभांश, यदि कोई हो तो, पाने के पात्र बनाने के लिए बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर अंतरण पुस्तक मंगलवार, 16 जून 2015, से सोमवार 22 जून 2015 (दोनों दिनों सहित) बंद रहेगा.

8. लाभांश का भुगतान

बैंक की निदेशक मंडल की सिफारिश के अनुसार अगर कोई लाभांश वार्षिक सामान्य बैठक में घोषित किया गया हो तो घोषणा के 30 दिनों के अंदर उन सभी को लाभांश अदा किया जाएगा जो बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है :

क) जो एनएसडीएल तथा सीडीएसएल से अमूर्त रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में 16 जून, 2015 को कारोबार घंटों की समाप्ति पर प्रस्तुत की गयी सूची के अनुसार हितकारी मालिक हैं.

ख) जो 22 जून, 2015 को बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत शेयरधारक है.

ऐसे शेयरधारकों को लाभांश वारंट ईसीएस या बैंक द्वारा अनुमोदित अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के ज़रिए शेयर अंतरण एजेंट अर्थात मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के माध्यम से घोषणा के 30 दिनों के अंदर अर्थात 21 जुलाई, 2015 के अंदर भेजा/जमा किया जाएगा.

1. लाभांश वारंट/इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन) में बैंक खाते के विवरण – (एनईसीएस) :

भा.रि.बैंक की अधिसूचना के अनुसार 1 अक्तूबर 2009 से ईसीएस के जरिए रकम के प्रेषण को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) के द्वारा बदल दिया गया है. एनईसीएस बैंकों द्वारा कोर बैंकिंग समाधान के कार्यान्वयन के बाद आबंटित नए विशिष्ट बैंक खाता संख्या के अनुसार कार्य करता है. भौतिक व डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों को यह सुविधा प्रदान की जाती है. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक उनके बैंक द्वारा प्रदत्त बैंक खाता संख्या के साथ खाते से संबंधित चेक की फोटोप्रति आर एण्ड टी एजेन्ट – मेसर्स लिंक इंडिया प्रा.लि., मुंबई को दे सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक अपनी डिपोसिटरी के साथ अपने बैंक खाता ब्यौरे को अद्यतन बनाए.

गैर–सीबीएस बैंक शाखाओं में बैंक खाता रखने वाले शेयरधारकों को एनईसीएस में कवर नहीं किया गया है और उन्हें लाभांश का वितरण भौतिक लाभांश वारंट के जरिए किया जाएगा. इन शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम व शाखा, जहाँ वे लाभांश वारंट को नकदीकरण हेतु जमा करना चाहते हो, प्रस्तुत करें. उक्त ब्यौरे संयुक्त/एकल शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने हैं. एनईसीएस अधिदेश का प्रारूप इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है.

2. दावा रहित लाभांश, यदि कोई हो तो :

पिछली अवधियों के लिए जिन शेयरधारकों ने लाभांश वारंट प्राप्त नहीं किया है/भुनाया नहीं है, अगर कोई हो तो, से अनुरोध है कि बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें ताकि अनुलिपि लाभांश वारंट/तारीखों का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके.

घोषणा के दिनांक से 30 दिनों की समाप्ति के बाद 7 दिनों के अंदर यदि किसी शेयरधारक ने लाभांश भुनाया/का दावा न किया हो तो बैंक लाभांश खाते से ऐसी राशि का एक अलग खाते यय..... वर्ष के लिए विजया बैंक का अदत्त लाभांश खाता'' में अंतरण कर दिया जाएगा.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की नयी धारा 10(ख) के अनुसार 7 वर्षों तक अदत्त या दावा रहित लाभांश की राशि को कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 205सी के अधीन केंद्र सरकार द्वारा संस्थापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाएगा तथा इसके बाद न बैंक और न आईईपीएफ से इसकी अदायगी का दावा किया जा सकता है.

बैंक ने पहले ही 2007 तक लाभांश का अंतरण किया है तथा 2007–08 के लिए इस वर्ष अंतरण देय होगा.

3. शेयरधारकों से अनुरोध

3.1 तुलन पत्र की प्रतियां

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां सामान्य बैठक में वितरित नहीं की जाएगी अत: शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां साथ में लाएं जो बैंक द्वारा उनके पंजीकृत पतों पर डाक द्वारा भेजी जाती है.

3.2 शेयरों का अमूर्तीकरण

उन शेयरधारकों से जिनके शेयर प्रमाणपत्र मूर्त रूप में है, अनुरोध है कि अपने शेयरों का अमूर्तीकरण करवा लें, चूंकि सेबी ने हमारे बैंक का नाम अनिवार्य रूप से अमूर्त रूप में शेयरों का व्यापार करने की सूची में जोडा है.

3.3 पते में परिवर्तन अधिसूचित करना

शेयरधारकों से अनुरोध है कि पते में परिवर्तन/बैंक खाते में परिवर्तन हेने पर तत्काल इसकी सूचना निम्न को दें.

क) अमूर्त रूप में धारित शेयरों के संबंध में अपने संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागी.

ख) मूर्त रूप में धारित शेयरों के संबंध में शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट : विजया बैंक, सी–13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड, एलबीएस रोड, भांडुप (प), मुंबई – 400 078.

ग) भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से भी अनुरोध है कि वे बैंक के साथ अपना ई-मेइल पंजीकृत करवाए/ अद्यतन करवाए ताकि बैंक सभी सूचना/वार्षिक रिपोर्ट आदि ई-मेइल के जरिए प्रेषित कर सकें. डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपोसिटरी पार्टिसिपन्ट के साथ ई-मेइल पता अद्यतन करवाए. यह कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरु किए गए कंपनी मामलों में हरित पहल को लागू करने की योजना के अनुसार है.

3.4 फोलियो का समेकन

शेयरधारक जो समान नाम या संयुक्त नाम पर अलग-अलग फोलियो में मूर्त रूप में शेयर धारित करते हैं उनसे अनुरोध है कि उसी नाम क्रम में शेयर प्रमाणपत्र बैंक के शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम प्राइवेट लिमिटेड को भेजें ताकि एक ही फोलियो के रूप में समेकन हो सके.

3.5 स्थिति में परिवर्तन का अभिलेखन

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक के शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को तत्काल निम्न सूचना दें :

क) स्थाई निवास के लिए भारत लौटते समय निवासीय स्थिति में परिवर्तन.

ख) भारत में स्थित बैंक खाते के विवरण जैसे पूरा नाम, शाखा, खाते का प्रकार तथा खाते की संख्या आईएफएससी कूट व एमआईसीआर कूट और पिन सहित बैंक का पता, अगर पहले नहीं दिया हो तो.

3.6 लेखों की सूचना

खातों की सूचना चाहनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक को इस प्रकार पत्र लिखें ताकि वार्षिक सामान्य बैठक के दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पहले बैंक को पहुंच जाता है जिससे प्रबंधन सूचना तैयार करके रख सके. उत्तर केवल वार्षिक सामान्य बैठक में ही उपलब्ध कराया जाएगा.

3.7 स्रोत पर कर की कटौती

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115-ओ के अधीन, शेयरधारकों को प्रदत्त लाभांश के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी.

4. शेयरधारकों से अनुरोध

4.1 हरित पहल का समर्थन करते हुए बैंक ने यह निर्णय लिया है कि जिन शेयरधारकों ने अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण अभिकर्ता के साथ अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत किया है, उनको वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिए भेजी जाएगी.

4.2 शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक के दौरान कोई उपहार/उपहार कूपन वितरित नहीं किया जाएगा.

मद सं.3 से संबंधित स्पष्टीकरण टिप्पणी

यथा 31.03.2015 को भारत सरकार की ईक्विटी पूंजी 74.06% थी. भारत सरकार ने वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय ने पत्र सं.एफ.सं.11/7/2008-बीओए दिनांक 19 दिसंबर, 2014 के जरिए भारत सरकार की ईक्विटी स्टेक को 52% तक अनुपात ह्रास करते हुए पुन:पूंजीयन करने की अनुमति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दी है. इससे बैंक को सरकार के 52% हिस्से का अनुपात ह्रास किए बिना क्यूआईपी/एफपीओ/अधिकार निर्गम द्वारा जनता को ईक्विटी पूंजी का ₹ 360 करोड (अंकित मूल्य) निर्गम करने में मदद मिलती है. ₹ 45.41 के शेयर मूल्य पर ₹ 1630 करोड तक की कुल विनियामक पूंजी जुटायी जा सकती है. क्यूआईपी/एफपीओ/अधिकार निर्गम द्वारा ₹ 600 करोड ईक्विटी शेयर पूंजी (प्रीमियम सहित) निर्गम हेतु बैंक ने दिनांक 27 जून, 2014 को आयोजित शेयरधारकों की बैठक में वा.सा.बै. का अनुमोदन प्राप्त किया है. प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों के कारण, बैंक पूंजी जुटा नहीं पाया. अब, चालू वित्तीय वर्ष

2015-16 के दौरान क्यूआईपी/एफपीओ/अधिकार निर्गम द्वारा प्रीमियम सहित ₹ 600 करोड ईक्विटी शेयर पूंजी जुटाने का प्रस्ताव है.

यह बैंक को, सरकार का शेयर 51% से कम न करते हुए क्यूआईपी/एफपीओ/अधिकार निर्गम द्वारा सार्वजनिक को य388 करोड (अंकित मूल्य) की ईक्विटी पूंजी जारी करने में समर्थन करता है. ₹ 39.75 के शेयर मूल्य में जुटाई जानेवाली कुल विनियामक पूंजी य1550 करोड होती है. 10.50% के लक्षित सीआरएआर को प्राप्त करने हेतु बैंक ने पहले ही भारत सरकार को अनुरोध किया है कि सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी के रूप में ₹ 1000 करोड प्रदान करें. फिर भी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लगाने के लिए आबंटित पूंजी केवल ₹11200 करोड होने के कारण अनुरोध की गयी ₹ 1000 करोड की पूरी राशि बैंक को नहीं मिल सकती है.

लक्षित कारोबार के विस्तारण की प्राप्ति तथा वृद्धि एवं सामान्य उधार उद्देश्य के लिए अवश्य अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करने हेतु बैंक अनुवर्ती सार्वजनिक ऑफर, योग्यता प्राप्त संस्थागत खरीददार(रों) अथवा ऐसे अन्य उचित साधनों के रूप में प्रति ₹10.00 के ईक्विटी शेयर जारी करते हुए उस मूल्य में जो जारी के समीपवर्ती मूल्य में निर्धारित हो, इनके द्वारा निधि को जुटाने का प्रस्ताव करता है.

योग्यता प्राप्त संस्थागत खरीददारों द्वारा उपर्युक्तानुसार ईक्विटी शेयर जारी करने पर :

ईक्विटी शेयरों की प्रस्तावित जारी करने के संबंध में, धारा 81(1क) तथा अन्य लागू प्रावधानों, किसी अधिनियम तथा अन्य लागू विधियों, नियमों, विनियम तथा दिशानिर्देशों के अनुसार सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड के अध्याय VIII के प्रावधानों (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2009 जो, सेबी (आई.सी.डी.आर.) के रूप में संशोधित किया गया है, तथा/या अन्य लागू प्रावधान के अनुसार ईक्विटी शेयरों का मूल्य लगाने के उद्देश्य हेतु उपयुक्त तारीख, उस बैठक की तारीख होगी, जिसमें बोर्ड या विधिवत रूप से प्राधिकृत उसकी समिति, ईक्विटी शेयरों की प्रस्तावित जारी करने का निर्णय लेती है.

चूंकि ऑफर का लागत निर्धारण बाद में ही किया जा सकता है, निर्गम किए जानेवाले शेयरों की लागत बताया नहीं जा सकता. तथापि, यह समय-समय पर जारी आई.सी.डी.आर. विनियमन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1980 तथा बैंक (शेयर व बैठकें संशोधन) विनियमन, 2008 या अन्य किसी दिशानिर्देश/विनियमन/सहमत, जो लागू या आवश्यक है, के अनुरूप होगा.

प्रतिभूतियां, सेबी (आई.सी.डी.आर) विनियमन के अधीन तात्पर्यवाले योग्यता प्राप्त संस्थागत खरीददार को जारी व आबंटित किया जाएगा तथा ऐसी प्रतिभूतियां, आबंटित होते ही इस संकल्प के पारित होने के 12 महीनों के अंदर पूर्ण रूप से प्रदत्त होंगी.

ऑफर की व्यापक शर्तें व निबंधन प्रचलित बाजार स्थिति तथा अन्य विनियामक आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, सलाहकार, अग्रणी प्रबंधक व हामीदार तथा आवश्यकता के अनुसार अन्य प्राधिकारी या प्राधिकारियों के परामर्श से निर्धारित किए जाते हैं.

इस प्रकार जुटायी गयी कुल राशि, जिसमें प्रतिभूतियों को जारी करने की शर्तों पर अधिक आबंटन भी शामिल है, पिछले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार बैंक के निवल मूल्य के 5 गुना से अधिक नहीं होगी.

आबंटित ईक्विटी शेयर सभी मामले लाभांश सहित, बैंक की मौजूदा ईक्विटी शेयरों के समनुरूप होंगे.

आपके मंडल ने क्यूआईपी/अधिकार निर्गम या एफपीओ के जरिए बाजार से (सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रीमियम के निर्धारण करके) प्रीमियम पर ₹ 600 करोड तथा 31.03.2016 को या उससे पहले ईक्विटी पूंजी जुटाने की सिफारिश की है.

बैठक आयोजित करने की सूचना की कार्यसूची की मद सं.3 में निहित विशेष संकल्प में बैंक का कोई भी निदेशक इच्छुक नहीं है.

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते विजया बैंक
ह/-
(किशोर सांसी)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 19.05.2015

VIJAYA BANK

41/2, M G Road, Bengaluru-560001
Head Office - Bengaluru

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 56 of the Vijaya Bank (Shares and Meetings Amendment) Regulations 2008 that the 15th Annual General Meeting of the Shareholders of VIJAYA BANK will be held on Monday, the 22nd June 2015 at 10.30 A.M. at the Mulki Sunder Ram Shetty Auditorium, Vijaya Bank Head Office, M.G. Road, Bengaluru-560001, to transact the following business:

Item No.1: To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2015, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No.2: To declare dividend on the shares of the Bank for the Financial Year 2014-15.

Item No.3: To consider and if though fit, pass with or without modification, the following resolution(s) as Special Resolution:

RESOLVED THAT pursuant to Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 ("the Act"), Banking Regulations Act, 1949 ("the Regulation Act"), Vijaya Bank (Shares and Meetings Amendment) Regulations 2008 (Bank's Regulations), the applicable provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 ("FEMA"), the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirement) Regulations, 2009 ("SEBI ICDR Regulations"), the Foreign Exchange Management (Transfer of Issue of securities by a person resident outside India) Regulations 2000, as amended from time to time and in accordance with applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications issued by Government of India ("GOI"), Reserve Bank of India ("RBI"), Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and/or any other competent authorities and subject to any other applicable laws, rules and regulations (including any amendment thereto or re-enactment thereof for the time being in force), the Listing Agreements entered into by the Bank with Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, any approval, consent, permission or sanction of Central Government and / or RBI and /or SEBI as, applicable and required, approvals, consents, permissions or sanctions of other concerned authorities as may be required in this regard, within or outside India, and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by any of them while granting such approvals, consent, permissions or sanctions and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board", which term shall include any Committee constituted by the Board), consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board to create, offer, issue and allot by way of Qualified Institutional Placement (QIP) in terms of Chapter VIII of SEBI ICDR Regulations, such number of Equity Shares of the Bank to Qualified Institutional Buyers (QIB) as defined under Chapter VIII of SEBI ICDR Regulations, whether or not such investors are existing members of the Bank, through one or more placements; or by way of Rights Issue or Follow-on Public Offer as may be decided by the Board in their discretion and permitted under the applicable laws and regulations, to raise an amount not exceeding ₹600 Crore (Rupees Six Hundred Crore only) at such time or times, at such price or prices including premium in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of Investors to whom the offer, issue and allotment shall be made to the exclusion of other categories of investors at the time of such offer, issue and allotment considering the prevailing

market conditions and other relevant factors and wherever necessary in consultation with lead manager(s) and / or underwriter(s) and / or other advisor(s) as the Board may in its absolute discretion deem fit or appropriate."

"RESOLVED FURTHER THAT the Equity Shares issued shall rank pari passu in all respect with existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend, if any, declared in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declarations."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations:

a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution."

b) the Bank is pursuant to provision to Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above Resolutions, the Board be and is hereby authorized on behalf of the Bank to do all such acts, deeds, matters and things including but not limited to finalization and approval of the draft as well as final offer document (s) determining the form and manner of the Issue, including the class of investors to whom the Equity Shares are to be issued and allotted, number of Equity Shares to be allotted, issue price, premium amount on issue as it may be in its absolute discretion deem necessary or desirable and to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the issue, offer or allotment of shares and utilization of the Issue proceeds as it may in its absolute discretion deem necessary or desirable without being required to seek any further consent or approval of the members or otherwise to the end and intent that the members shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to engage / appoint Lead Managers, Legal Advisors, Underwriters, Bankers, Advisors as may be necessary and all such agencies as may involved or concerned in such offering of Equity Shares and to remunerate them by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies and to seek the listing of Equity Shares issued on the stock exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to form a Committee of Directors to delegate all or any of its powers to Committee of Directors / Managing Director & Chief Executive Officer and in his absence Executive Director(s) to give effect to the aforesaid Resolutions and is authorized to take such steps and to do all such acts, deeds, matters and things and accept any alteration(s) or amendment(s) as they may deem fit and proper and give such directions as may be necessary to settle any question or difficulty that may arise in regard to Issue and allotment of equity Shares including but not limited to:

- Approving the draft / final offer documents and filling the same with any other authority or persons as may be required;
- Approving the Issue price, the number of Equity Shares to be allotted, the basis of allocation and allotment(s) of Equity Shares;
- Arranging the delivery and execution of all contracts, agreements and all other documents, deeds and instruments as may be required or desirable in connection with the Issue of Equity Shares;
- Opening such Bank accounts as may be required for the offering;
- To do all such acts, deeds, matters and things and execute all such other documents and pay all such fees, as it may, in its absolute discretion, deem necessary or desirable for the purpose of the transaction.

- To make all such necessary applications with the appropriate authorities and make the necessary regulatory fillings in this regard.
- Making applications for listing of the Equity Shares of the Bank on the stock exchange(s) where the equity shares of the Bank are listed.

By order of the Board of Directors
For VIJAYA BANK
Sd/-
(KISHORE SANSI)
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place: Bengaluru
Date: 19.05.2015

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF, AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. HOWEVER, THE PROXY SO APPOINTED WILL NOT HAVE ANY RIGHT TO SPEAK AT THE MEETING. NO PERSON SHALL BE APPOINTED AS A PROXY WHO IS AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF VIJAYA BANK. THE PROXY FORM IN ORDER TO BE EFFECTIVE, MUST BE DEPOSITED/ LODGED AT THE HEAD OFFICE OF THE BANK WITH THE COMPANY SECRETARY, VIJAYA BANK, BOARD SECRETARIAT, 41/2, M.G. ROAD, BENGALURU 560 001, AT LEAST FOUR DAYS BEFORE THE DATE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING I.E. ON OR BEFORE THE CLOSING HOURS I. E., 5 PM OF WEDNESDAY, THE 17TH JUNE, 2015.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the Meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/ her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank with the Company Secretary, Vijaya Bank, Board Secretariat, H.O., Bengaluru – 560 001 at least Four days before the date of the meeting, i.e. on or before the closing hours i.e. 5 p. m. of WEDNESDAY, the 17TH JUNE, 2015.

3. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS:

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy Holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/ Authorized Representative of a shareholder should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as “Proxy” or “Authorized Representative” as the case may be.

4. VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Vijaya Bank (Shares and Meetings Amendment) Regulations 2008, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

Voting rights of the Shareholders will be reckoned based on their shareholding as on Monday, 15th June 2015 being the Cut-off date fixed for the e-Voting and Poll.

5. E-VOTING:

Voting Through Electronic Means:

In Compliance with Clause 35B of Listing Agreement, the Bank is pleased to provide members facility to exercise their right to vote at the 15th Annual General Meeting by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

The Bank has appointed M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on 15th June 2015, being the Cut-off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

The instructions for E-Voting are as under:

- The voting period begins on 19th June 2015 10.00 a.m and ends on 21st June 2015 5 p.m During this period shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (15.06.2015) may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- Click on Shareholders.
- Now Enter your User ID
- For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
- For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
- Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
- Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
- If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
EVSN	150520002
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on Postal Ballot / Attendance Slip indicated in the PAN Field.
DOB	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.
Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the bank records for the said demat account or folio. • Please enter the DOB or Dividend Bank Details in order to login. If the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

- After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are

required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

- For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- Click on the EVSN for the relevant <VIJAYA BANK> on which you choose to vote.
- On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/ NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- You can also take out print of the voting done by you by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- If Demat account holder has forgotten the same password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- Note for Non – Individual Shareholders and Custodians
- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

6. POLL AT THE MEETING

The voting for the agenda item shall be done by e-voting or by Poll and not on show of hands. Those who have exercised the option of e-voting shall be entitled to attend and participate in the Meeting but would not be entitled to vote at the Poll to be conducted at the venue of the AGM on the day of meeting.

After all the agenda items have been discussed, MD & CEO will order Poll in respect of both the items. Poll will be conducted and supervised by M/s. S N ANANTHASUBRAMANIAN & Co. Practising Company Secretaries along with a Scrutinizer from amongst Shareholders. After conclusion of the Poll, MD & CEO may declare the

meeting as closed. The Results of the Poll aggregated with the results of e-voting will be displayed by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges as well to the e-voting agency appointed by the Bank.

7. CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS:

Pursuant to Clause 12 of Vijaya Bank (Shares and Meetings) Regulations 2003, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Tuesday the 16th June 2015 to Monday the 22nd June 2015 (both days inclusive) in connection with the Fifteenth Annual General Meeting and to entitle the shareholders to get final dividend if any.

8. PAYMENT OF DIVIDEND:

The dividend, as recommended by the Board, if declared at the Annual General Meeting, will be paid within 30 days of declaration thereof, to those shareholders who stand registered on the Bank's Register of Members:

a) As Beneficial Owners as at the end of business hours on 16th June 2015 as per the list to be furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) in respect of shares held in dematerialized form.

b) As Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Bank as on 22nd June, 2015.

The dividend warrants to such shareholders would be mailed or credited through ECS or other approved electronic mode by the Bank through the Share Transfer Agent, viz., M/s Link Intime India Pvt. Ltd, Mumbai, within 30 days from the date of declaration, i.e., within 21st July 2015.

1. DETAILS OF BANK ACCOUNT IN DIVIDEND WARRANT/ ELECTRONIC CLEARING SERVICE (CREDIT CLEARING) – (NECS):

As per RBI notification w.e.f. October 1, 2009, the remittance of money through ECS is replaced by National Electronic Clearing Service (NECS). NECS operates on the new and unique Bank account number allotted by Banks post implementation of Core Banking Solution (CBS). These facilities are offered to shareholders holding shares in physical and demat forms. Shareholders holding shares in physical form can furnish the account number provided by their Banks along with the photo copy of the cheque pertaining to their accounts to the R& T Agent M/s Link Intime India Pvt Ltd, Mumbai. Shareholders holding shares in electronic forms shall update the details of their Bank accounts with their Depository Participants.

Shareholders having Bank Accounts in non CBS Bank Branches are not covered by NECS and will be paid dividend by way of physical dividend warrants. These shareholders are requested to furnish their Bank account, name of the Bank and the branch, where they would like to deposit dividend warrants for encashment. The above mentioned details are to be furnished by the Joint/ Sole shareholder. A Performa of NECS mandate is enclosed in this report.

2. UNCLAIMED DIVIDEND IF ANY:

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants/ not received dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for issue of the duplicate Dividend Warrants/ revalidation of Dividend Warrants.

Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of the declaration, if any shareholder has not encashed/ claimed the dividend, such amounts lying in the Bank Dividend Account, shall be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend Account of Vijaya Bank for the year…."

As per the Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956, and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

Bank has already transferred dividends upto 2007 and 2007-08 will be due for transfer this year.

3. REQUESTS TO THE SHAREHOLDERS

3.1 COPIES OF BALANCE SHEET:

Shareholders are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report, which are mailed by the Bank to them at their registered addresses.

3.2 DEMATERIALISATION OF SHARES:

Shareholders who are still holding their share certificates in physical form are requested to get their shares dematerialized as SEBI has included the name of the Bank for the purpose of compulsory dematerialized trading of shares.

3.3 NOTIFYING CHANGE OF ADDRESS:

Shareholders are requested to notify immediately of any change in address/ change in Bank Account numbers to:

a) Their respective Depository Participant in respect of holding of shares in dematerialized form.

b) The Share Transfer Agent, M/s Link Intime India Pvt. Limited, Unit: Vijaya Bank, C-13, Pannalal Silk Mills Compound, L.B.S. Road, Bhandup (West), Mumbai-400078 in respect of shares held in physical form.

c) Shareholders holding shares in physical form are also requested to register/update their e-mail address with the Bank / R&T Agent to enable the Bank to send all communications/ notices/ Annual Reports etc through e-mail. Those shareholders holding shares in demat form are requested to update their e-mail address with their Depository Participants. This is as per Bank's plan to implement the Green initiative in Corporate Governance initiated by Ministry of Corporate Affairs (MCA).

3.4 CONSOLIDATION OF FOLIOS:

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send the share certificates to the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Link Intime India Pvt Limited, Mumbai for consolidation into a single folio.

3.5 RECORDING OF CHANGE OF STATUS:

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Link Intime India Pvt Limited, Mumbai immediately of:

a) The change in the Residential status on return to India for permanent settlement.

b) The particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, and account type, account number, IFSC Code, MICR Code and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

3.6 INFORMATION ON THE ACCOUNTS

Shareholders seeking any information on the Accounts are requested to write to the Bank, which should reach the Bank at least one week before the date of the Annual General Meeting to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only at the Annual General Meeting.

3.7 DEDUCTION OF TAX AT SOURCE

Under Section 115-O of the Income Tax Act, 1961, no tax will be deducted at source in respect of dividend paid to the shareholders.

4. REQUESTS TO THE SHAREHOLDERS

4.1 In support of the green initiative, the Bank has decided to send the annual report through email to those shareholders who have registered their email id with their depository participant/ Bank's registrar & share transfer agent.

4.2 Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.

EXPLANATORY STATEMENT TO ITEM NO.3

As on 31.03.2015 the equity capital holding of Government of India stood at 74.06%. Government of India vide letter from Department of Financial Services, Ministry of Finance no. F.NO.11/7/2008-BOA dated 19th December 2014 has allowed Public Sector Banks to recapitalize by diluting Government of India Equity stake upto 52%. This enables the Bank to issue ₹ 360 crore (Face Value) of Equity capital to public through QIP/FPO/Rights Issue without diluting the Government's share below 52%. Total regulatory capital that can be raised works out to ₹ 1630 Crores at the share price of ₹ 45.41. The Bank had received AGM approval for issue of ₹ 600 crore equity share capital (including premium) through QIP/FPO/Rights Issue in Shareholder's meeting held on 27th June 2014. Due to unfavorable market conditions, the bank could not raise capital. Now, it is proposed to raise ₹ 600 crore of equity share capital including premium through QIP/FPO/Rights Issue during the current financial year 2015-16.

In order to meet the requirement of additional capital funds for expanding and achieving the targeted business growth and for general lending purposes the Bank proposes to raise funds by way of Follow-on Public Offer, Qualified Institutional Placement(s), or such other suitable means, by issuance of equity shares of ₹10/- each at such price as may be determined close to the issue.

In the event of the issue of equity shares as aforesaid by way of Qualified Institutional Placements:

The relevant date for the purpose of pricing of the Equity Shares would, pursuant to Chapter VIII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009, as amended ("SEBI (ICDR) Regulations"), and/or other applicable regulations, be the date of the meeting in which the Board or duly authorized committee thereof decides to open the proposed issue of the equity shares, subsequent to the receipt of Members' approval in terms of Section 81(1A) and other applicable provisions, if any of the Act and other applicable laws, rules, regulations and guidelines in relation to the proposed issue of equity shares;

As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and the Bank's (Shares and Meetings Amendment) Regulations, 2008 as amended from time to time or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.

The issue and allotment of Securities shall be made only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) within the meaning of SEBI (ICDR) Regulations and such Securities shall be fully paid up on its allotment, which shall be completed within 12 months of the date of passing this Resolution;

The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other Regulatory requirements.

The total amount raised in such manner, including the overallotment option as per the terms of the issue of securities, would not exceed 5 times of the Bank's net worth as per the audited balance sheet of the previous financial year;

The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

Your Board has recommended for your approval raising equity capital to the extent of ₹ 600 cr including premium (to be arrived at as per SEBI guidelines) from the market through QIP/Rights Issue or FPO on or before 31.03.2016.

None of the Directors of the Bank are interested in the Special Resolution as contained in agenda item no.3 of the Notice convening the meeting.

By order of the Board of Directors
For VIJAYA BANK
Sd/-
(KISHORE SANSI)
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place: Bengaluru
Date: 19.05.2015

www.sapprints.com

Form A

Format of covering letter of the annual audit report to be filed with the Stock exchanges

1	Name of the Company	**Vijaya Bank**
2	Annual financial statements for the year ended	**31st March 2015**
3	Type of Audit observation	**Matter of Emphasis** (i) Provision has not been made for Rs.230 crores on account of Deferred Tax Liability arising out of timing differences in HTM category investments as explained in Note No.8(xii) (b). (ii) Note 8(vi) to the financial statements, which states that the Bank has made a provision of Rs.208 crores towards increase in salaries arising out of 10th bipartite settlement with the Employee Union, but no specific provision has been made towards consequential increase in gratuity, pension and compensated absences liability, in the absence of the details of the increase under various components of salaries which is under discussion/determination. The amount of additional provision is indeterminate. The bank contends that the salary increase considered in actuarial valuation is sufficient to cover this increase also. (iii) Note 8(vii) to the financial statements, which describes the charge of last installment of pension and gratuity liability of Rs.119 crores for the current year, pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standard AS-15, Employee Benefits vide its circular no.DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 on Re-opening of pension option to Employess of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits- Prudential regulatory Treatment. There is no further amount carried forward for charging in future periods.
4	Frequency of observation	Frequency of observation for Matter of Emphasis (i) **Since 31st March 2015** Frequency of observation for Matter of Emphasis (ii) **Since 31st March 2015** Frequency of observation for Matter of Emphasis (iii) **Since 31st March 2011**

5	To be signed by - • Managing Director & CEO	(Shri Kishore Sansi)
	• CFO	(Shri A S Rajeev)
	• Auditor of the Company	M/s. PKF Sridhar & Santhanam LLP Chartered Accountants Registration No: 003990s/s200018 S Rajeshwari Partner Membership No: 024105
	• Audit Committee Chairperson	(Smt Bharati Rao)